इकाई-1 भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध

1.1 प्रस्तावना
1.2 भारत-पाकिस्तान के मध्य सम्बन्ध
1.3 भारत-पाक कश्मीर मुद्दा
1.4 सिन्धु नदी जल
1.5 ताशकंद समझौता
1.6 शिमला समझौता
1.6.1 शिमला समझौते के प्रावधान
1.7.1 भारत-पाक सीमा विवाद
1.7.1 सियाचिन विवाद
1.7.2 कच्छ के रन (सर क्रिक सीमा रेखा) का विवाद
1.8 शीतयुद्धोत्तर काल में भारत- पाकिस्तान सम्बन्ध
1.9 कारगिल युद्ध
1.10 आगरा शिखर वार्ता
1.11 भारत-पाकिस्तान संबंधों में कटुता का दौर
1.12 हवाना में संयुक्त घोषणा पत्र
1.13 शीतयुद्धोत्तर राजनीति में भारत और पाकिस्तान के मध्य आर्थिक सम्बन्ध
1.14 मुंबई आतंकी हमला
1.15 आतंकवाद वआतंकवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय कार्य योजना
1.16 पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की भारत यात्रा
1.17 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान यात्रा
1.18 भारत एवं पाकिस्तान के मध्य तनाव
1.19 अभ्यास प्रश्न
1.20 सारांश
1.21 शब्दावली
1.22 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
1.23 सन्दर्भ ग्रन्थ
1.24 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1.0 प्रस्तावना

ब्रिटिश राज के बंटवारे की योजना के फलस्वरुप, अगस्त 1947 में, पाकिस्तान का निर्माण हुआ । तब से पाकिस्तान , भारत से एक भिन्न पहचान बनाने के लिए जूझ रहा है अपने संस्थापक के आदर्शों से अलग पाकिस्तान की पहचान एक अस्त-व्यस्त, टूटे-बिखरे देश के रूप में हुई है जहाँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं को पद्चुत कर दमनकरी सैन्य शासन स्थापित हुआ । विदेश नीति के मामले में, पाकिस्तान का अस्तित्व भारत से परंपरागत प्रतिद्वंदिता प्रदर्शित कराने पर निर्भर है। यह प्रतिद्वंदिता अपने अतीत के जुड़ाव और इतिहास की व्याख्या करने से लेकर, सीमा विवाद, परमाणु बम की होड़, जल बंटवारेऔर कश्मीर समस्या तक हैं । भारत पाकिस्तान के बीच संबंधों को देखे तो ये मूलतः टकराव और युद्धोन्माद की बुनियाद पर ही एक-दूसरे को देखते हैं।

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन उपरान्त निम्नलिखित के बारे में समझ सकेंगे

- भारत-पाक कश्मीर मुद्दा
- सिन्धु नदी जल
- ताशकंद समझौता
- शिमला समझौते के प्रावधान
- भारत-पाक सीमा विवाद
- सियाचिन विवाद
- कच्छ के रन (सर क्रिक सीमा रेखा) का विवाद
- शीतयुद्धोत्तर काल में भारत- पाकिस्तान सम्बन्ध

1.2 भारत-पाकिस्तान के मध्य सम्बन्ध

पाकिस्तान का निर्माण धर्मिक आधार पर हुआ जिन्ना का मानना था की मुसलमानों को अलग राष्ट्र की आवश्यकता है । 1947 के आखिरी महीनों में पाकिस्तान से कश्मीर के इलाके में बड़े पैमाने पर घुसपेठ हुई।जिसमें भारत- पाकिस्तान के बीच पहला सैन्य टकराव हुआ। प्रधानमंत्री नेहरू और लियाकत अली खान के बीच 1950 में युद्ध विरोधी समझौता हुआ जिसमें दोनों देश के प्रमुखों ने भविष्य में किसी भी मामले को बातचीत के जरिये हल करने और सैन्य विकल्पों को नकारने का संकल्प किया बाद में यह समझौता महत्वहीन हो गया जब 1965 में भारत-पाकिस्तान एक बार फिर सैन्य टकराव में उलझ गये।

भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों के इतिहास को मोटे तौर से तीन भागों बनता जा सकता है।

पहला 1947 से 1980 –इस दौर की दोनों देशों की सरकार एक तरफ युद्ध में व्यस्त होती थी और दूसरी तरफ युद्ध के बाद शांति-समझौते के साथ एक दूसरे के आमने-सामने होती थीं।

दूसरा 1980 से 1990 –इस काल में दोनों मुल्कों का एक छोटा लेकिन प्रभावी वर्ग शांति और द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करने के लिए आया।

तीसरा 1990 से वर्तमान- शांति , दोस्ती और भाईचारे के पक्ष में आम नागरिकों को भागीदारी संभव हुई।

1.3 भारत-पाक कश्मीर मुद्दा– भारत-पाकिस्तान के बीच दशकों से राजनीतिक द्वन्द के साथ-साथ भौगोलिक द्वन्द चल रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही कश्मीर पर अपना दावा करते हैं। दोनों देशों के बीच 1947 और 1965 में युद्ध हो चुके हैं- कई सशस्त्र अभियान, सेना और आम नागरिकों पर अनगिनत हमलों को अंजाम दिया जा चुका है। इन वजहों से दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी रहती है।1947 में देश के बंटवारे के वक़्त कश्मीर किसके साथ जाएगा, इस पर काफी मंथन हुआ था। इस रियासत पर महाराजा हरी सिंह शासन करते थे जिहोने स्वतंत्र रहने का फेसला किया। पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सेना को पश्तून आक्रमणकारियों के वेश में जम्मू कश्मीर पर कब्ज़ा करने भेजा इन सब से परेशान होकर महाराजा हरी सिंह ने भारत से मदद मांगी।

26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह ने भारत के साथ समझौता किया व दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करके जम्मू-कश्मीर को भारत में शामिल करने की आधिकारिक सहमति दी । 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के सामने कश्मीर मुद्दा रखा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 21 अप्रैल 1948 को 47 प्रस्ताव पारित किये। इसके तहत दोनों देशों को युद्ध विराम के लिए कहा गया।

भारत की संविधान सभा ने 17 अक्टूबर 1949 को धारा 370 को अपनाकर जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया। 1950 के दशक में जब भारत और पाकिस्तान विषम परिस्थितियों में थे, चीन ने पूर्वी कश्मीर पर धीरे-धीरे नियंत्रण कर लिया। 1962 में भारत से युद्ध करके अक्साई चीन इलाके पर चीन ने कब्ज़ा कर लिया । भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध 1965 में हुआ था। 1999 में भारत ने पाकिस्तान समर्थित सैन्य ताकतों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी। उस समय तक दोनों देशों ने खुद को परमाणु शक्ति घोषित कर दिया था।जब से यहां हिंसा का दौर शुरू हुआ है, हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं । भारत प्रशासित कश्मीर में मुसलमानों की आबादी 60 फीसदी से अधिक है। यह भारत का इकलौता ऐसा राज्य है, जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं।

कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान का तर्क है कि कश्मीर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है , भौगोलिक रूप से भी कश्मीर पाकिस्तान से जुडा हुआ है और पाकिस्तान में बहने वाली तीन मुख्य नदियों का उद्गम स्थल भी कश्मीर ही है अत: कश्मीर को पाकिस्तान का अंग होना चाहिए। सामारिक व सैन्य दृष्टीकोण से कश्मीर पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है इस लिए पाकिस्तान इसे अपना भाग बनाने के तर्क प्रस्तुत करता है। वहीं भारत का तर्क है कि कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने पकिस्तान के बजाय भारत में कश्मीर का विलय किया जिसे जम्मू-कश्मीर की लोकतान्त्रिक तरीके से बनी संविधान सभा ने भी स्वीकार किया । साथ ही भारत का तर्क है कि भारत एक पंथनिरपेक्ष देश है अत: कश्मीर की जनसँख्या किस धर्म को मानने वाली है कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्ष 2019 में कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिवर्ती कर दिया गया है। कश्मीर को प्राप्त विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हुआ।

1.4 सिन्धु नदी जल

यह समझौता 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ जिसमें सिन्धु, झेलम, और चिनाव को पाकिस्तान व सतलज, रावी, व्यास को भारतीय नदियों के रूप में चिह्नित किया गया। इस समझौते के आधार पर पाकिस्तान की नदियों पर भारत को जल के सीमित प्रयोग की अनुमति दी गयी। यह समझौता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस भारत- पाक के मध्य हुए दो बड़े युद्ध के बावजूद यह समझौता बरक़रार है। भारत के द्वारा चिनाब नदी पर बंलिहार बांध व किशनगंगा परियोजना के निर्माण का पाकिस्तान द्वारा विरोध किया गया।दोनों परियोजना के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायलय ने भारत का पक्ष लिया और पाकिस्तान की हार हुई।

1.5 ताशकंद समझौता

1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया लेकिन असफल रहा परिणाम स्वरुप ताशकंद का समझौता हुआ। ताशकन्द समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हुआ एक शान्ति समझौता था। इस समझौते के अनुसार यह तय हुआ कि-

1. भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने झगड़ों को शान्तिपूर्ण ढंग से तय करेंगे।

2. इस समझौते में यह भी तय किया गया कि दोनों देशों के बीच आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध, दूर संचार व्यवस्था तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान पुन: स्थापित किया जायेगा।

3. दोनों देशों के बीच सामान्य राजनीतिक सम्बन्ध बहल किये जायेंगे तथा दोनों देशों के उच्चायुक्त अपने अपने पदों पर पुन: कार्य करेंगे।

4. यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान की लम्बी वार्ता के उपरान्त 11 जनवरी 1966 ई। को ताशकंद सोवियत संघ, वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ।ताशकंद घोषणा इस कारण से याद रखी जाएगी कि इस पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही घंटों बाद भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की दु:खद मृत्यु हो गई थी।

यह समझौता बहुत दिनों तक कायम नहीं रह सका। एक और तो फरक्का बांध को लेकर विवाद हुआ दूसरी ओर भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान उत्तरी – पूर्वी राज्यों के आतंकवादियों को सहायता दे रहा है। 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया।

1.6 शिमला समझौता

1971 के भारत-पाक युद्ध के पश्चात् इंदिरा गाँधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य 1972 में शिमला समझौता हुआ। 1972 में शिमला में भारत और पाकिस्तान के बीच 28 जून से 1 जुलाई तक कई दौर की वार्ता हुई। अंतत: 2 जुलाई 1972 को दोनों देशों के बीच समझौता हो गया। जिसका उद्देश्य युद्ध बंदियों की अदला-बदली कर रिहा करना और पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता देने के प्रश्न को लेकर व भारत पाकिस्तान राजनयिक संबधों को सामान्य बनाना , व्यापर फिर से शुरू करना और कश्मीर में नियंत्रण रेखा स्थापित करना था।

1.6.1 शिमला समझौते के प्रावधान

1. दोनों देश अपने संघर्ष और विवाद समाप्त करने का प्रयास करेंगे और और विवादों और समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सीधी बातचीत करेंगे, एकतरफा कार्यवाही नहीं करेंगे। एक दूसरेके प्रति बल प्रयोग नहीं करेंगे,एक दूसरे की राजनीतिक स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

2. दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सभी संचार सम्बन्ध फिर से स्थापित किये जायेंगे।

3. आवागमन की सुविधांए स्थापित की जाएँगी ताकि दोनों देशों के लोग आसानी से आ-जा सकें और घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित कर सकें।

4. व्यापारिक व आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग किया जायेगा।

5. विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में आपसी आदान- प्रदान को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

6. स्थाई शांति के हित में दोनों देशों की सरकार इस बात के लिए सहमत हुई कि भारत और पाकिस्तान दोनों की सेनाएं अपनी-अपनी सीमा पर चले जाएँगी दोनों देशों ने 17 सितंबर, 1971 की युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा (LOC)के रूप में मान्यता दी।

1.7 भारत पाकिस्तान सीमा विवाद

भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा विवाद सरक्रिक और सियाचिन ग्लेशियर के क्षेत्र में है।वर्ष 1999 के कारगिल घुसपैठ के द्वारा पाकिस्तान ने लद्दाख पर नियंत्रण करने का असफल प्रयास किया तथा श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को नियंत्रित करने का प्रयास किया। यह राजमार्ग घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाला एक मात्र राजमार्ग है।

1.7.1 सियाचिन विवाद

काराकोरम पर्वत श्रृंखला में लगभग 20 हज़ार फ़ीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन का मोर्चा दुनिया का एक अनोखा जंगी मोर्चा माना जाता है।यहां पिछले 33 साल से पाकिस्तान और भारत की सेना एक दूसरे के आमने-सामने है और ये युद्ध पाकिस्तान और भारत के लिए मूंछ की ऐसी लड़ाई बन चुकी है जिससे निकलना निकट भविष्य में दोनों देशों के लिए मुमकिन नहीं दिखता। सियाचिन में लगभग तीन से पाँच हज़ार सैनिक और करोड़ों डॉलर गंवाने के बावजूद, दोनों देशों की फौजें इस मोर्चे से वापसी पर राजी नहीं हो सकी हैं। अप्रैल 2012 में गयारी में पाकिस्तानी सेना की एक बटालियन हिमस्खलन के हादसे का शिकार हो गई थी और बर्फ तले दबने के कारण 140 जवान मारे गए थे।

सियाचिन के सवाल पर पाकिस्तान और भारत के बीच अब तक तक़रीबन 13 संयुक्त बैठकें हुई हैं, लेकिन इस मामले के समाधान के बावजूद, मंज़िल तक पहुंचना संभव नहीं हो सका है। शिमला समझौते में दोनों देशों ने 17 सितंबर, 1971 की युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा (LOC)के रूप में मान्यता दी परन्तु सियाचिन क्षेत्र का विभाजन अभी स्पष्ट नहीं है।

सियाचिन क्षेत्र की ऊचाई बहुत अधिक है अत: यहाँ से चीन की सक्षमान घाटी,काराकोरम दर्रे और कश्मीर लद्दाख राजमार्ग की निगरानी बेहतर रूप में की जा सकती है। लद्दाख में बहने वाली नेब्रू नदी सियाचिन से निकलती है।भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन क्षेत्र में क्रमांक संख्या-NJ9842 के आगे सीमा का विभाजन नहीं किया जा सका है, क्योंकि यह क्षेत्र अत्यधिक दुर्गम है।वर्ष 1984 में पाकिस्तान ने सियाचीन क्षेत्र पर नियंत्रण का प्रयास किया पर्वतारोहियों के साथ साथ सेनिकों को भी भेजा गया। इसके विरोध में भारतीय सरकार ने वर्ष 1986 में **ऑपरेशन मेघदूत** आरंभ किया और समूचे सियाचिन क्षेत्र को पाकिस्तानी सैनिकों से खाली करा लिया। वर्तमान में इस क्षेत्र पर भारतीय सेना का नियंत्रण बना हुआ है।

1.7.2 कच्छ के रन (सर क्रिक सीमा रेखा) का विवाद

भारत पाकिस्तान के बीच (पाकिस्तान के सिंध प्रान्त व भारत के गुजरात प्रान्त) समुद्री सीमा लेन का विभाजन अभी भी नहीं हुआ है। यही विवाद का मूल कारण है। सर क्रीक, कच्छ मार्शलैंड के रण में भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित पानी की एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है। जल की इस धारा को मूल रूप से बान गंगा के नाम से जाना जाता है। कच्छ के रन क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार होने की सम्भावना है। तथा

भारतीय समुद्र तटीय सुरक्षा के लिए भी इसका विशेष महत्व है। कच्छ का इसकी सामरिक अवस्थिति के अलावा भी बहुत महत्त्व है। यह क्षेत्र मछुआरों के संदर्भ में भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। ध्यातव्य है कि सर क्रीक एशिया के सबसे बड़े मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में से एक है।सर क्रीक सीमा रेखा विवाद वस्तुतः कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा रेखा की अस्पष्ट व्याख्या के कारण उपजा है। स्वतंत्रता से पहले, यह प्रांतीय क्षेत्र ब्रिटिश भारत के बॉम्बे प्रेसीडेंसी का भाग था। वर्ष 1947 में भारत की आज़ादी के बाद सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जबकि कच्छ भारत का ही हिस्सा रहा।

पाकिस्तान द्वारा प्रस्तुत दावों के अनुसार, वर्ष 1914 में तत्कालीन सिंध सरकार और कच्छ के राव महाराज के बीच हस्ताक्षरित **'बंबई सरकार संकल्प'** (Bombay Government Resolution) के अनुच्छेद 9 एवं 10 के अनुसार पूरे क्रीक क्षेत्र पर उसी का अधिकार है। ध्यातव्य है कि इस संकल्प-पत्र में इन दोनों क्षेत्रों के बीच की सीमाओं को सीमांकित किया गया। इसमें क्रीक को सिंध के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। तब से क्रीक के पूर्वी भाग की सीमा को ग्रीन लाइन (Green Line) के रूप में जाना जाता है। इस संबंध में भारत का दावा यह है कि वर्ष 1925 में बनाए गए एक अन्य मानचित्र में दोनों देशों के मध्य एक मध्य-चैनल (Mid-Channel) को दर्शाया गया था, जिसे वर्ष 1924 में एक मध्य-चैनल पिलर (Mid-Channel Pillars) की स्थापना के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था।

1.8 शीतयुद्धोत्तर काल में भारत- पाकिस्तान सम्बन्ध

ट्रैक-2 कूटनीति

भारत पाकिस्तान के बीच 1990 के बाद संबंधों को बेहतर करने की एक नवीन पहल की गयी और दोनों देशों के बीच ट्रेक-2 वार्ता की शुरुआत हुई। इस वार्ता में दोनों देशों के अवकाश प्राप्त विदेश सेवा के अधिकारी, अवकाश प्राप्त मंत्री तथा विदेश एवं सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ भाग लेते हैं। इनके द्वारा दोनों देशों के बीच सम्बन्ध सामान्य करने के प्रयत्न किये जाते हैं। ट्रेक 2 की वार्ताओं के द्वारा ट्रेक 1 की वार्ताओं का आधार नियमित किया जाता है। ट्रेक 1 की वार्ता में मंत्री अथवा सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं । दोनों देशों के बीच ट्रेक वार्ता की पहली वार्ता 1991 में नीमराना किले राजस्थान में आयोजित हुई । ट्रेक 2 वार्ताओं का आयोजन विभिन्न प्रकार की गैर-सरकारी स्वेच्छिक संगठनों तथा शांति स्थापना करने वाले संगठनों द्वारा आयोजित किया जाता है। वर्ष 2014 में में भी भारत और पाकिस्तान सीमा पर तनाव बना हुआ था उसी दोरान दोनों के बीच दुबई में ट्रेक -2 की वार्ताएं आयोजित की गयी।

लाहौर घोषणा पत्र – फरवरी, 1999 में दोनों देशों के बीच लाहौर घोषणापत्र पर हस्ताक्षर हुए थे। यह घोषणा पत्र भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहरी वाजपेयी तथा पाकिस्तानी प्रधान मंत्री नवाज शरीफ के द्वारा जारी किया गया था। जिसका मकसद दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता स्थापित करने के अलावा वहां रहने वाले लोगों की प्रगति और समृद्धि था। घोषणा पत्र में शिमला समझौते को लागू करने के लिए दोनों देशों के दृढ़ संकल्प को दोहराया था। लाहौर घोषणा पत्र के द्वारा दोनों देशों ने इस मान्यता का खंडन किया कि दोनों परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र आपस में युद्धरत होंगे।

लाहौर घोषणा पत्र में निम्न बिन्दु पर सहमति व्यक्त की गयी थी

1. परस्पर शांति एवं स्थायित्व को बढावा दिया जायेगा तथा लोगों के विकास एवं समृद्धि के लिए कार्य किया जायेगा।

2. स्थाई शांति एवं सुखद सम्बन्ध दोनों देशों की जनता के भविष्य के लिए आवश्यक हैं।

3. सुरक्षा के क्षेत्र में परमाणु हथियारों के दृष्टिकोण ने दोनों देशों के उत्तरदायित्व को बढ़ा दिया ।

4. शिमला समझौते में दोनों देशों ने वचनबद्धता व्यक्त की ।

5. सयुक्त राष्ट्र के चार्टर में आस्था तथा शांतिपूर्ण सहस्तित्व को मान्यता दी गयी।

लाहौर घोषणा पत्र के मूल सिद्धान्तों के अतिरिक्त विदेश सचिवों के मध्य भी सहमति के ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए जो निम्नलिखित हैं-

1. दोनों देश सुरक्षा के सन्दर्भ में परमाणु संघर्ष रोकने हेतु आपसी विश्वसनीयता बढ़ाने हेतु क़दमों की पहल करेंगे।

2. दोनों देश आपस में परमाणु हथियारों के अचानक एवं अनधिकृत उपयोग की संभावनाओं को रोकने हेतु एक-दूसरे को प्रक्षेपास्त्रों की परीक्षण की सूचना उपलब्ध कराएँगे।

3. दोनों देश अपने अपने यहाँ अलग से परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध रखने का प्रयत्न करेंगे।

1.9 कारगिल युद्ध

इस लड़ाई की शुरुआत तब हुई थी जब पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल की ऊँची पहाड़ियों पर घुसपैठ करके अपने ठिकाने बना लिए थे। 8 मई, 1999। पाकिस्तान की 6 नॉरदर्न लाइट इंफ़ैंट्री के कैप्टेन इफ़्तेख़ार और लांस हवलदार अब्दुल हकीम 12 सैनिकों के साथ कारगिल की आज़म चौकी पर बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि कुछ भारतीय चरवाहे कुछ दूरी पर अपने मवेशियों को चरा रहे थे। पाकिस्तानी सैनिकों ने आपस में सलाह की कि क्या इन चरवाहों को बंदी बना लिया जाए? किसी ने कहा कि अगर उन्हें बंदी बनाया जाता है, तो वो उनका राशन खा जाएंगे जो कि ख़ुद उनके लिए भी काफ़ी नहीं है। उन्हें वापस जाने दिया गया। क़रीब डेढ़ घंटे बाद ये चरवाहे भारतीय सेना के 6-7 जवानों के साथ वहाँ वापस लौटे।भारतीय सैनिकों ने अपनी दूरबीनों से इलाक़े का मुआयना किया और वापस चले गए। क़रीब 2 बजे वहाँ एक लामा हेलिकॉप्टर उड़ता हुआ आया। इतना नीचे कि कैप्टेन इफ़्तेख़ार को पायलट का बैज तक साफ़ दिखाई दे रहा था। ये पहला मौक़ा था जब भारतीय सैनिकों को भनक पड़ी कि बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल की पहाड़ियों की ऊँचाइयों पर क़ब्ज़ा जमा लिया है।

कारगिल पर मशहूर किताब 'विटनेस टू ब्लंडर- कारगिल स्टोरी अनफ़ोल्ड्स'लिखने वाले पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड कर्नल अशफ़ाक़ हुसैन ने बीबीसी को बताया, "मेंरी ख़ुद कैप्टेन इफ़्तेख़ार से बात हुई है। उन्होंने मुझे बताया कि अगले दिन फिर भारतीय सेना के लामा हेलिकॉप्टर वहाँ पहुंचे और उन्होंने आज़म, तारिक़ और तशफ़ीन चौकियों पर जम कर गोलियाँ चलाईं। कैप्टेन इफ़्तेख़ार ने बटालियन मुख्यालय से भारतीय हेलिकॉप्टरों पर गोली चलाने की अनुमति माँगी लेकिन उन्हें ये इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि इससे भारतीयों के लिए 'सरप्राइज़ एलिमेंट'ख़त्म हो जाएगा।"

उधर भारतीय सैनिक अधिकारयों को ये तो आभास हो गया कि पाकिस्तान की तरफ़ से भारतीय क्षेत्र में बड़ी घुसपैठ हुई है लेकिन उन्होंने समझा कि इसे वो अपने स्तर पर सुलझा लेंगे। इसलिए उन्होंने इसे राजनीतिक नेतृत्व को बताने की ज़रूरत नहीं समझी । उस समय भारतीय सेना के प्रमुख जनरल वेदप्रकाश मलिक भी पोलैंड और चेक गणराज्य की यात्रा पर गए हुए थे। वहाँ उनको इसकी पहली ख़बर सैनिक अधिकारियों से नहीं, बल्कि वहाँ के

भारतीय राजदूत के ज़रिए मिली।सवाल उठता है कि लाहौर शिखर सम्मेलन के बाद पाकिस्तानी सैनिकों के इस तरह गुपचुप तरीक़े से कारगिल की पहाड़ियों पर जा बैठने का मक़सद क्या था? "मक़सद यही था कि भारत की सुदूर उत्तर की जो टिप है जहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर की लाइफ़ लाइन एनएच 1 डी को किसी तरह काट कर उस पर नियंत्रण किया जाए। वो उन पहाड़ियों पर आना चाहते थे जहाँ से वो लद्दाख़ की ओर जाने वाली रसद के जाने वाले क़ाफ़िलों की आवाजाही को रोक दें और भारत को मजबूर हो कर सियाचिन छोड़ना पड़े।" । जब भारतीय नेतृत्व को मामले की गंभीरता का पता चला तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। भारतीय प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ को फ़ोन किया ।

पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख़ुर्शीद महमूद कसूरी अपनी आत्मकथा 'नीदर अ हॉक नॉर अ डव' में लिखते हैं, "वाजपेयी ने शरीफ़ से शिकायत की कि आपने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। एक तरफ़ आप लाहौर में मुझसे गले मिल रहे थे, दूसरी तरफ़ आप के लोग कारगिल की पहाड़ियों पर क़ब्ज़ा कर रहे थे। नवाज़ शरीफ़ ने कहा कि उन्हें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। मैं परवेज़ मुशर्रफ़ से बात कर आपको वापस फ़ोन मिलाता हूँ। तभी वाजपेयी ने कहा आप एक साहब से बात करें जो मेरे बग़ल में बैठे हुए हैं।"

नवाज़ शरीफ़ उस समय सकते में आ गए जब उन्होंने फ़ोन पर मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार की आवाज़ सुनी। दिलीप कुमार ने उनसे कहा, "मियाँ साहब, हमें आपसे इसकी उम्मीद नहीं थी क्योंकि आपने हमेंशा भारत और पाकिस्तान के बीच अमन की बात की है। मैं आपको बता दूँ कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है, भारतीय मुसलमान बुरी तरह से असुरक्षित महसूस करने लगते हैं और उनके लिए अपने घर से बाहर निकलना भी मुहाल हो जाता है।"

सामरिक रूप से पाकिस्तान का ज़बरदस्त प्लान इस स्थिति का जिस तरह से भारतीय सेना ने सामना किया उसकी कई हल्क़ों में आलोचना हुई। पूर्व लेफ़्टिनेंट जनरल हरचरणजीत सिंह पनाग जो बाद में कारगिल में तैनात भी रहे, वे कहते हैं, "मैं कहूँगा कि ये पाकिस्तानियों का बहुत ज़बरदस्त प्लान था कि उन्होंने आगे बढ़कर ख़ाली पड़े बहुत बड़े इलाक़े पर क़ब्ज़ा कर लिया। वो लेह कारगिल सड़क पर पूरी तरह से हावी हो गए। ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी।" कारगिल हमले का उद्देश्य लेह को श्रीनगर से जोड़ने वाली सामरिक महत्व की सड़कों को बंद करके लद्दाख में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को रोकना था। यही राजमार्ग भारत को सियाचिन से भी जोड़ता है। जिसका महत्व भारत के लिए सामरिक और सुरक्षा की दृष्टी से महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण पाकिस्तान का उद्देश्य कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाना था।

कारगिल मुद्दे पर भारत को वैश्विक समर्थन प्राप्त हुआ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, सहित चीन ने पाकिस्तान को LOC के सम्मान का निर्देश दिया तथा भारत के संयमपूर्ण व्यवहार की प्रशंसा की ।

नवाज़ शरीफ़ को युद्ध विराम के लिए अमरीका की शरण में जाना पड़ा। अमरीका के स्वतंत्रता दिवस यानी 4 जुलाई, 1999 के शरीफ़ के अनुरोध पर क्लिन्टन और उनकी बहुत अप्रिय परिस्थितियों में मुलाक़ात हुई।

उस मुलाक़ात में मौजूद क्लिन्टन के दक्षिण एशियाई मामलों के सहयोगी ब्रूस राइडिल ने अपने एक पेपर 'अमरिकाज़ डिप्लोमेंसी एंड 1999 कारगिल समिट'में लिखा, 'एक मौक़ा ऐसा आया जब नवाज़ ने क्लिन्टन से कहा कि वो उनसे अकेले में मिलना चाहते हैं। क्लिन्टन ने रुखेपन से कहा ये संभव नहीं है। ब्रूस यहाँ नोट्स ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस बैठक में हमारे बीच जो बातचीत हो रही है, उसका दस्तावेज़ के तौर पर रिकॉर्ड रखा जाए।"

राइडिल ने अपने पेपर में लिखा है, "क्लिन्टन ने कहा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आप बिना शर्त अपने सैनिक नहीं हटाना चाहते, तो यहाँ न आएं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मेरे पास एक बयान का मसौदा पहले से ही तैयार है जिसमें कारगिल संकट के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान को ही दोषी ठहराया जाएगा। ये सुनते ही नवाज़ शरीफ़ के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थीं।" उस पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य तारिक फ़ातिमी ने 'फ़्रॉम कारगिल टू कू'पुस्तक की लेखिका नसीम ज़ेहरा को बताया कि 'जब शरीफ़ क्लिन्टन से मिल कर बाहर निकले तो उनका चेहरा निचुड़ चुका था। उनकी बातों से हमें लगा कि उनमें विरोध करने की कोई ताक़त नहीं बची थी।'उधर शरीफ़ क्लिन्टन से बात कर रहे थे, टीवी पर टाइगर हिल पर भारत के क़ब्ज़े की ख़बर 'फ़्लैश'हो रही थी।

1999 में पाकिस्तान में लोकतंत्र समाप्त हो गया और सैनिक शासक परवेज मुशर्रफ ने निर्वाचित प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सरकार से बेदखल कर दिया परिणामस्वरूप भारत के द्वारा पाकिस्तान से सभी प्रकार की वार्ताएं स्थगित कर दी गयी परन्तु 2001 में भारत ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुसर्रफ़ को भारत में आमंत्रित किया।

1.10 आगरा शिखर वार्ता (2001)

इससे पहले 1999 में, भारतीय प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पाकिस्तान यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने लाहौर घोषणा को स्वीकार किया था और सफलतापूर्वक पुष्टि की थी और दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए संयुक्त प्रयास करने का वचन दिया था । कारगिल युद्ध के लाहौर संधि के लिए एक बड़ा झटका था और यह संधि ठप के रूप में दोनों देशों के संबंधों में एक गंभीर झटका लगा। जनरल मुशर्रफ को व्यापक रूप से कारगिल युद्ध के पीछे एक रणनीतिक मास्टरमाइंड और दिमाग माना जाता है ।

11 मार्च 2001 को, संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने भारत और पाकिस्तान दोनों को लाहौर घोषणा की भावना को बनाए रखने का आह्वान करते हुए कहा कि इसके लिए दोनों पक्षों से संयम, ज्ञान और रचनात्मक कदमों की आवश्यकता होगी। आगरा संधि की वार्ता की रूपरेखा जुलाई 2001 में राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बीच नई दिल्ली में बातचीत के साथ शुरू हुई । भारत एवं पाकिस्तान के मध्य पुन: वार्ता का दौर आगरा शिखर वार्ता के रूप में आरम्भ हुआ। जब पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की। काफी कूटनीतिक प्रयासों के बाद पांच दशक पुराने कश्मीर मुद्दे सहित दोनों देशों के बीच विभिन्न विवादों के समाधान की उच्च उम्मीदों के बीच आगरा शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। दोनों पक्षों ने आशा और सद्भावना के साथ शिखर सम्मेलन की शुरुआत की, विशेष रूप से राष्ट्रपति मुशर्रफ जिन्होंने शिखर सम्मेलन के लिए अपने विचारों का वर्णन करने के लिए "सतर्क आशावाद", "लचीलापन" और "खुले दिमाग" वाक्यांशों का इस्तेमाल किया। भारत के राष्ट्रपति , के.आर.नारायणन , यह भी "बोल्ड और अभिनव" उपाय करने के लिए और दोनों देशों के बीच "मुख्य मुद्दा" के बारे में बात करने का वादा किया।

राष्ट्रपति मुशर्रफ और प्रधानमंत्री वाजपेयी के बीच कई दौर की आमने-सामने की बातचीत हुई। पहले दिन, 90 मिनट का आमने-सामने का सत्र आयोजित किया गया और दोनों नेताओं ने कश्मीर मुद्दे , सीमा पार आतंकवाद, परमाणु जोखिम में कमी, युद्ध के कैदियों की रिहाई और वाणिज्यिक संबंधों पर चर्चा की । पाकिस्तान में बहुत उम्मीदें थीं कि दोनों नेता एक समझौते पर पहुंचेंगे और शिखर सम्मेलन के अंत में एक संयुक्त बयान या घोषणा की जाएगी क्योंकि दोनों नेता गंभीर वार्ता में डूब गए थे। भारत सरकार के विरोध के बावजूद, राष्ट्रपति मुशर्रफ ने सर्वदलीय हुर्रियत सम्मेलन के प्रतिनिधित्व वाले शीर्ष कश्मीरी नेतृत्व के साथ भी आमने-सामने बैठकें कीं। भारत-

पाक शिखर सम्मेलन में प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा कश्मीर के लोगों की आर्थिक बेहतरी पर जोर देना था, जिसके लिए उन्होंने सर्वदलीय हुर्रियत सम्मेलन के साथ बातचीत को आमंत्रित किया। पाकिस्तानी राष्ट्रपति मुशर्रफ ने संवाददाता सम्मलेन में ही भारत के विरुद्ध नकारात्मक और कठोर बयां दिया तह यह आरोप लगाया की भारत के द्वारा ही पाकिस्तान का विभाजन किया गया। पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने भारत विरोध की नीति को अपनाकर अपने सैनिक शासन को वैधता देने का प्रयत्न किया।अटल बिहरी वाजपेय की सकारात्मक पहल का परिणाम सकारात्मक नहीं रहा।

1.11 भारत-पाकिस्तान संबंधों में कटुता का दौर

दिसम्बर 2001 में भारतीय संसद पर आतंकी हमला हुआ जिसे भारतीय लोकतंत्र पर आक्रमण माना गया। इसे भारत ने पाकिस्तान द्वरा प्रायोजित आतंकवाद कहा। भारत ने भी पाकिस्तान पर हमले की धमकी दी क्यूंकि पाकिस्तान में आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था भारत ने अमेरिका से पाकिस्तान को आतंकवादी राज्य घोषित करने की मांग की तहत आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में दोहरे मानदंड अपनाने का विरोध किया क्योंकि आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में पाकिस्तान अमेरिका का सहयोगी बन गया था , भारत ने तर्क दिया कि आतंकवाद प्रायोजित करने वाला राज्य आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में सहयोगी नहीं हो सकता है।दिसम्बर , 2001 के बाद भारतीय विदेश नीति में आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध का मुद्दा अत्यधिक महत्वपूर्ण बन गया भारत द्वारा विश्व जनमत को यह बताया गया कि भारत पिछले तीन दशकों से सीमापार आतंकवाद का शिकार है।वर्ष 2001 के बाद पाकिस्तान के साथ रेल सम्बन्ध और लोगों की आवाजाही भी समाप्त हो गयी। दक्षेस की बैठक भी स्थगित हो गयी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच वर्ष 2004 के काठमांडू दक्षेस सम्मलेन से पुनः बातचीत आरम्भ हुई तथा विश्वास निर्माण के उपायों पर वार्ता आयोजित हुई।

1.12 हवाना में संयुक्त घोषणा पत्र (2006)

यह घोषणा पत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुंबई बम विस्फोर्ट के पश्चात् भारत व पाकिस्तान के मध्य विदेश सचिव स्तर की वार्ता को स्थगित कर दिया गया था , लेकिन नवम्बर से इसे पुन: आरम्भ करने का निर्णय लिया गया। इस संयुक्त घोषणा पत्र में निम्न बिन्दुओं को शामिल किया गया है

1. दोनों देशों के मध्य शांति बनाये रखने एवं शांति को सफल बनाने के लिए पूर्ण रूप में सहयोग करेंगे,यह सहयोग न केवल दोनों देशों के लिए वरन दक्षिण एशिया के लिए भी आवश्यक है।

2. सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा की गयी और उससे मुकाबले का भी निर्णय लिया गया।

3. दोनों देशों के मध्य सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का निर्णय लिया गया।

4. समग्र वार्ता को बनाए रखने के लिए विदेश सचिव स्तर की वार्ता प्रारंभ की जाएगी।

5. सियाचिन मुद्दे को सुलझाया जाएगा।

6. सरक्रीक मुद्दे का संयुक्त रूप में सर्वेक्षण किया जायेगा।

7. विश्वास बनाने के उपायों को लागू किया जायेगा।

1.13 शीतयुद्धोत्तर राजनीति में भारत और पाकिस्तान के मध्य सुधारात्मक सम्बन्ध

1. आर्थिक सम्बन्ध

वस्तुत: शीतयुद्धोत्तर राजनीति में एक ओर भारत और पाकिस्तान के मध्य विभिन्न मुद्दों पर समग्र वार्ता आरम्भ है , तो दूसरी और, आर्थिक एवं वाणिज्यिक सहयोग स्वभाबिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण सहयोग देखे जा रहे हैं।भारतीय विदेश नीति के अनुसार दोनों देशों के मध्य आर्थिक व वाणिज्यिक सहयोग बढ़ाने पर राजनीतिक विवाद स्वभावोक रूप से सुलझ जायेंगे।मार्च 2006 में इस्लामाबाद में दोनों देशों के मध्य आर्थिक एवं वाणिज्यिक सहयोग पर तीसरे चक्र की वार्ता हुई, जिससे सहयोग का निर्णय लिया गया जो निम् है-

1. दोनों देशों की अनुसूचित बेंकों की शाखाओं को एक- दूसरे के देश में खोलने का प्रयास करना ।

2. भारत से चाय आयत को सुविधाजनक बनाना।

3. नया समुद्री जहाजी समझौता करना, जिससे भारत से चाय आयत को व्यवहारिक बनाया जाए।

4. वस्तुओं के परिवहन को भारत एवं पाकिस्तान के माध्यम से कैसे बढ़ाया जाए?

5. बासमती चावल को संयुक्त रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए एक संयुक्त आयोग की स्थापना हुई।

6. भारत से आयातित वस्तुओं की सूची संख्या में वृद्धि का निर्णय किया गया है।

7. भारत स्वास्थ्य सेवाओं में, सूचना क्षेत्र में तथा बीमा के क्षेत्र में पाकिस्तान के साथ सहयोग करेगा।

8. पूंजी बाजार के संदर्भ में सहयोग के लिए परस्पर समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए।

2. परंपरागत विश्वास बहाली के उपाय

भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंधों को बेहतर करने के लिए सी.बी.एम। उपाय किये जा रहे हैं, विशेषकर सीमा के आर-पार के क्षेत्रों में तथा इसी सन्दर्भ में माय 2006 में दोनों देशों के विदेश सचिवों ने अत:क्रिया एवं सहयोग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। जैसे – श्रीनगर – मुज्जफराबाद बस सेवा की प्रगति पर समीक्षा की गयी एवं जुलाई, 2006 से श्रीनगर – मुजफ्फराबाद के मध्य ट्रक सेवा को भी आरम्भ किया गया जिससे दोनों देशों के मध्य वस्तुओं का आदान-प्रदान बढ़ सके एवं व्यापर में वृद्धि हो सके। यह भी निर्णय लिया गया की वाणिज्यिक चैम्बर्स के सदस्य दोनों देशों की यात्रा करके व्यापर सम्बन्ध में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इसी सम्बन्ध में पुंछ-रावलकोट बस सेवा को भी जून 2006 में आरम्भ करने का निर्णय लिया गया। अक्टूबर,2006 में भारत और पाकिस्तान के भूकंप आने के पश्चात् नियंत्रण लेन की पंव्ह चौकियों को लोगों की आवाजाही के लिए खोला गया।

19 जून, 2006 को पुंछ और रावलकोट के मध्य सड़क निर्माण को पूरा करके परस्पर खोला गया, जो की 50 वर्षों के बाद पहली बार किया गया। भारतीय प्रधान मंत्री ने जब बस डिप्लोमेंसी का आरम्भ किया तो इसे दोनों देशों के मध्य विश्वास बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम मन गया। मुनाबाओ-खोखरापार रेल संपर्क को भी बहल किया गया है जो दोनों देशों के मध्य बड़ते सम्बन्ध को स्पष्ट प्रमाण है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने यह भी घोषणा की कि जो भारतीय युद्धबंदी अभी भी पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं, उन्हें मुक्त कर दिया जाये।

अरब सागर में मछुवारे अनचाहे एक- दूसरे की सीमा को पर कर जाते हैं, जिससे उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है तह लम्बे समय तक जेलों में बंद रहते हैं । दिसम्बर, 2004 में आयोजित भारत एवं पाकिस्तान की विदेश सचिव स्तर की वार्ता में इन मछुवारों की समस्याओं को हल करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अनुसार, दोनों देश मछुवारों को हिरासत में लेने के तीन महीने की अवधि के अन्दर उच्चायोगों को सूचना देंगे , इसके लिए भारत एवं पाकिस्तान के तट रक्षकों के मध्य भी एक सहमती पत्र पर हस्ताक्षर हुए।

3. परमाणु सी. बी. एम.

भारत पाकिस्तान के मध्य 1999 के लाहौर घोषणा-पत्र को परमाणु सी. बी. एम. का आधार माना जा सकता है। लाहौर घोषणा पत्र के बाद कारगिल युद्ध और भारत संसद पर हमले को लेकर दोनों देशों के संबंध निम्नतम बिंदु पर आ गए लेकिन संप्रति परमाणु क्षेत्र में सी. बी. एम. पर प्रगति देखी जा सकती है। अप्रैल 2006 में परमाणु सी।बी। एम। को लेकर चौथी दौर की वार्ता हुई।

परमाणु सी. बी. एम. के सन्दर्भ में मुख्य मुद्दे निम्नलिखित है

1. विदेश सचिवों के मध्य सुरक्षा एवं परमाणु सिद्धांत के संबंध में परस्पर विचार-विमर्श करना।
2. दोनों देशों के मध्य सुरक्षा एवं शांति के स्थाई वातावरण का निर्माण करना ।
3. प्रक्षेपास्त्रों के परीक्षण के सन्दर्भ में पूर्व सुचना एवं पूर्व अधिसूचना जारी करने के सम्बन्ध में समझौता ।
4. दोनों देशों के विदेश सचिवों के मध्य हॉटलाइन को प्रकार्यात्मक बनाना ।
5. परमाणु मुद्दे के सन्दर्भ में परमाणु खतरे को कम करने के उपाय करने तथा परमाणु क्षेत्र में दुर्घटनाओं को रोकने का उपाय।
6. परमाणु क्षेत्र में इस सी. बी. एम. का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि दोनों देशों को परमाणु संघर्ष क्षेत्र माना जाता है ।

1.14 मुंबई आतंकी हमला

2008 में मुबई के ताज होटल में आतंकी हमला हुआ,भारत के अनुसार इस हमले में पाकिस्तान सीधा संलग्न था क्योंकि पाकिस्तानी नागरिक कसाब जीवित पकड़ा गया था ।भारत के अनुसार, पाकिस्तान जब तक मुंबई बम विस्फोट में सम्मिलित लोगों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करेगा, तब तक उसके साथ किसी प्रकार की वार्ता नहीं होगी।

28 अप्रैल 2010 को दक्षेस की थिम्पू बैठक आयोजित हुई, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री युसुफ रजा गिलानी के बीच सद्भावना मुलाकात हुई। पाकिस्तान ने आतंकवाद को नियंत्रित करने का वादा किया। इसी के साथ भारत एवं पाकिस्तान के बीच वार्ता का मार्ग पुनः साफ हो गया। भारतीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि दोनों देशों के बीच सम्बन्ध सामान्य होने के लिए आतंकवाद समाप्त होना चाहिए।

1.15 आतंकवाद वआतंकवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय कार्य योजना–

भारत का मानना है कि पाकिस्तान आतंकवादियों व सीमा पार आतंकवादियों को पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं कर रहा है। भारत ने 35 वांछित आतंकवादियों की सूची पाकिस्तान को दी है, जिन पर भारत में आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप है। भारत का यह भी मनना है कि पाकिस्तान भारत में नशीली दवाओं, जाली नोटों के व्यपार को बढावा दे रहा है ।

2011 में पाकिस्तानी विदेश मंत्री हिना रब्बानी ने भारत की यात्रा की , उन्होंने दोनों देशों के संबंधों को बेहतर करने पर बल दिया। उन्होंने कश्मीर मुद्दे का उल्लेख बिलकुल नहीं किया । वे पहली पाकिस्तानी विदेशमंत्री हैं, जिन्होंने कश्मीर मुद्दे का उल्लेख सार्वजनिक रूप में नहीं किया। परंतु इससे यह मानना तर्क संगत नहीं होगा कि पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर अपनी दावेदारी छोड़ दी। लेकिन यह सत्य है कि जब से ओसामा बिन लादेन की पाकिस्तान के ऐबटाबाद में हत्या हुई, (1 मई, 2011) उसके बाद पाकिस्तान पर आतंकवाद समाप्त करने का अत्यधिक वैश्विक दबाव है, क्योंकि ओसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि

पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण प्रदान करता है तथा उनको प्रशिक्षित भी करता है। वर्ष 2011 में पहली बार अमेंरिकी सैनिक अधिकारी ने भी यह स्पष्ट कहा कि अफगानिस्तान में आई.एस.आई. के द्वारा हक्कानी गुट को सीधा समर्थन दिया जा रहा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में अपना प्रभाव निरंतर बनाए रखना चाहता है। वह भारत की अफगानिस्तान में उपस्थिति का विरोधी है, जबकि भारत-अफगानिस्तान के संबंध अत्यधिक मधुर एवं मित्रतापूर्ण हैं। पाकिस्तान द्वारा भारत को अफगानिस्तान में पहुंचने के लिए पारगमन मार्ग उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इसलिए भारत को ईरान से होकर अफगानिस्तान जाना पड़ता है। वर्तमान समय में अमेरिका एवं पाकिस्तान के बीच संबंध अत्यधिक कटु बने हुए हैं, क्योंकि अमेरिका ने 'आतंक के विरुद्ध युद्ध' की नीति के अंतर्गत् पाकिस्तान पर भी हमले किए हैं। रूस के ऊफा में पाकिस्तान ने आतंकवाद को मुख्य मुद्दा स्वीकार किया।

आतंकवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय कार्य योजना

वर्ष 2014 में पेशावर में सैनिक स्कूल पर बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें 141 लोग मारे गए, इसमें से 132 बच्चे शामिल थे। इस घटना के बाद पाकिस्तान ने आतंकवादियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाया। इस घटना के बाद पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध एक निर्णायक कदम उठाया गया और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कार्य योजना भी प्रस्तुत की गई। इसे पाकिस्तान के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा गया और इस कार्य योजना की अनेक विशेषताएं हैं, जिसे 20 सूत्रीय योजना के रूप में भी जाना जाता है। जिन व्यक्तियों के विरुद्ध आतंकवादी घटनाओं में शामिल होने के आरोप हैं और उन्हें मृत्युदंड दिया गया 7 है उनके दंड को तत्काल क्रियान्वित करना है। आतंकवादियों को दंडित करने के लिए सैनिक अधिकारियों के नेतृत्व में विशेष अदालतों की स्थापना की गई, आतंकवादियों को शीघ्र दंडित किया जा सके। किसी भी सशस्त्र संगठन को कार्य करने की इजाजत नहीं होगी।

आतंकवाद को रोकने के लिए विभिन्न संगठनों को प्रभावशाली बनाया जाएगा और किसी भी प्रतिबंधित संगठन को कार्य करने की इजाजत नहीं दी जाएगी तथा वे अपना नाम बदलकर कार्य नहीं कर सकते। उन समाचार पत्र-पत्रिकाओं को प्रतिबंधित किया जाएगा, जो संकीर्णता, असहिष्णुता तथा घृणा को बढ़ावा देते हों। आतंकवाद के विरुद्ध के विशेष सेल का निर्माण होगा। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जाएगी तथा इंटरनेट व सोशल मीडिया की भी निगरानी होगी और आतंकी संचार नेटवर्क को समाप्त किया जाएगा तथा आतंकवादियों को प्राप्त होने वाले वित्त और प्रशिक्षण को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाएगा तथा आसूचना को बेहतर किया जाएगा और पंजाब के अलावा समूचे देश के आतंकवाद को समाप्त करने का प्रयत्न किया जाएगा। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैस-ए-मोहम्मद के नेतामसूद अजहर तथा लश्कर-ए-तोयबा के नेता हाफिज सईद के द्वारा अभी भी भारत के विरुद्ध आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है।

1.16 पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की भारत यात्रा (2014)

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने 26 मई, 2014 को नई भारतीय सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर 26-27 मई, 2014 को भारत की यात्रा की थी। 27 मई, 2014 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद से संबंधित भारत की चिंताओं पर जोर दिया। यह सूचित किया गया था कि, पाकिस्तान भारत के विरूद्ध आतंकवाद के लिए अपने नियंत्रणाधीन भू-भाग तथा अपने भू-भाग का प्रयोग रोकने के संबंध में अपनी बचनबद्धता का पालन करें। प्रधानमंत्री ने यह आशा व्यक्त की है कि पाकिस्तान में मुंबई आतंकवादी हमले पर चल रहे मुकदमें के संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, ताकि इस मामले में शीघ्र प्रगति तथा इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति के लिए

सजा सुनिश्चित की जा सके। दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय सचिव स्तर की वार्ता इस्लामाबाद में 25 अगस्त, 2014 को होने पर सहमति बनी थी। भारत ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान भारत-पाक वार्ता को चुने या अलगाववादियों के साथ बातचीत को।

भारत की प्रतिक्रिया को देखने के बावजूद पाकिस्तान के उच्चायुक्त वासिद ने मीरवाइज उमर फारूख, सईद अली शाह गिलानी और यासीन मलिक के साथ बैठक की। पाकिस्तान के अड़ियल रवैये के कारण भारत ने सचिवस्तर की वार्ता को रद्द कर दिया। दोनों देशों में वार्ता गतिरोध बने होने के बावजूद 17 दिसंबर, 2014 को पाकिस्तान के पेशावर में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने एकजुटता का परिचय दिया। भारत के दोनों सदनों में दो मिनट का मौन रखकर पेशावर में मारे गए स्कूली बच्चों को श्रद्धांजलि दी गई और देश भर के स्कूलों में प्रार्थना सभा आयोजित की गई।

1.17 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान यात्रा (दिसंबर, 2015)

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिना किसी सरकारी घोषणा के एकाएक पाकिस्तान की यात्रा दोनों देशों के मध्य संबंधों को सही करने का एक प्रयास था। प्रधानमंत्री मोदी अफगानिस्तान की यात्रा के बाद एकाएक लाहौर पहुंचे। यह यात्रा दोनों देशों के मध्य लंबे समय से बाधित वार्ता को पुनः प्रारंभ करने में सहायक होगी। परंतु पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित पठानकोट आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच वार्ता का मुद्दा संकटग्रस्त हो गया। पठानकोट आतंकी हमले के बाद पहली बार पाकिस्तान के द्वारा आतंकी हमले की जांच के लिए एक संयुक्त जांच समिति भेजी गई। परंतु इस समिति के लौटने के बाद पाकिस्तान ने इसे भारत प्रायोजित हमला कहा।

1.18 भारत एवं पाकिस्तान के मध्य तनाव

वर्ष 2016 में पठानकोट, उरी सैन्य कैंपों पर आतंकवादियों के हमले से दोनों देशों में संबंध खराब होने लगे तथा भारत ने भारत-पाकिस्तान के मध्य संभावित सचिव स्तरीय वार्ता को स्थगित कर दिया। सितंबर, 2016 में भारतीय सैन्य शिविरों पर उरी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK)में अंदर तक जाकर उन ठिकानों पर हमला किया, जहां आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। यह भारत द्वारा अपनाई जाने वाली नई रणनीति थी। यद्यपि पाकिस्तान ने इसे स्वीकार नहीं किया। भारतीय नौसेना के अधिकारी को पाकिस्तान सैन्य अदालतों ने 2017 में रॉ का जासूस बताकर फांसी की सजा सुनाई, जिसका दोनों देशों के संबंधों पर बहुत बुरा असर हुआ और भारत ने इसके विरोध में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अपील की, जिसमें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा फांसी की सजा को स्थगित करने का आदेश दिया गया।

बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक

आतंकवाद के विरुद्ध भारत द्वारा सामरिक संयम की नीति का परित्याग करते हुए आतंकवादी कैंप पर सर्जिकल हमला किया गया। बालाकोट, पाकिस्तान के खैबर पख्तून प्रांत में स्थित है। अतः पाकिस्तान के भीतर यह हमला किया गया जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तक सीमित नहीं है। दूसरी ओर पाकिस्तान के साथ करतारपुर गलियारे का सहयोग बढ़ाया जा रहा है।

1.18. अभ्यास प्रश्न

1. 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

A. ताशकंद समझौता B. बैंकॉक समझौता C. पंचशील समझौता D. उपरोक्त में से कोई नहीं

2.भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता कराने में किस रुसी प्रधानमंत्री ने मध्यस्थता की थी।

A. प्रिमोकोव B. कोसिजीन C. ब्रिजनेव D. खरुश्चेव

3. लाहौर घोषणा पत्र किन दो प्रधानमंत्री के मध्य हुआ:

A. नवाज शरीफ-बाजपेई B. नेहरू-अयूब खान C. श्रीमती गांधी-जियाउल हक जियाउल हक D. उपयुक्त में से कोई नहीं

4. सिन्धु नदी जल विवाद है:

A. भारत और नेपाल B. भारत और श्रीलंका C. भारत और पाकिस्तान D. भारत और चीन

5. निम्न में से कौन सा एक भारत-पाकिस्तान विवाद नहीं है

A. सियाचीन विवाद B. सर क्रीक विवाद C. क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद D. दहाग्राम विवाद

6.भारत के अपरास्परिकता के सिद्धांत का पर आधारित अच्छे पडोसी की नीति का श्रेय किसे दिया जाता है।

A. नरसिम्हा राव B. इंद्रकुमार गुजराल C.ए. बी. वाजपेयी D. राजीव गाँधी

7.पाकिस्तान के साथ'सिधु जलसंधि' के तहत, भारत का किन नदियों पर विशेष अधिकार है?

A. चिनाव,रावी, व्यास
B. रावी, व्यास, सतलज
C. व्यास, सतलज, झेलम
D. रावी, चिनाव, झेलम

1.19 सारांश

उपरोक्त अध्ययन से भारत-पाक संबंधों के ऐतिहासिक व राजनीतिक परिपरिप्रेक्ष्य को समझा और जाना जा सकता है। भारत व पकिस्तान सम्बन्ध अधिकांश समय तनावपूर्ण रहे हैं। विदेश नीति के मामले में, पाकिस्तान का अस्तित्व भारत से परंपरागत प्रतिद्वंदिता प्रदर्शित कराने पर निर्भर है। यह प्रतिद्वंदिता अपने अतीत के जुड़ाव और इतिहास की व्याख्या करने से लेकर, सीमा विवाद, परमाणु बम की होड़, जल बंटवारे और कश्मीर समस्या तक हैं। भारत पाकिस्तान के बीच संबंधों को देखे तो ये मूलतः टकराव और युद्धोन्माद की बुनियाद पर ही एक दूसरे को देखते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच समय समय में संबंधों को बेहतर करने के लिए पहल की गयी, तमाम समझौते हुए। भारत- पाक के मध्य संबंधों में प्रतिकूलता का मूल कारण राष्ट्र निर्माण के तरीके में विद्यमान था। कश्मीर मुद्दे ने इसे और हवा देने का काम किया। कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी सुझाव दिए। भारत पाकिस्तान के बीच सिन्धु नदी जल के विभाजन के लिए भी समझोता किया गया। इसके अलावा ताशकंद समझोता, शिमला समझोता भी भारत पाक के मध्य हुआ। भारत और पाकिस्तान के संबंधो को देखें तो सीमा को लेकर भी दोनों देशों में विवाद रहा है जिसमें सियाचिन व कच्छ के रन का विवाद मुख्य है।

भारत-पाक के सामने आर्थिक विकास और जनता के स्तर को सुधारने का लक्ष्य आजादी के बाद से बना हुआ है। जिसके लिए दोनों देश समय समय पर आर्थिक सहयोग सम्बन्ध की और बढ़ने व सी. बी. एम. (परंपरागत विश्वास बहाली के उपाय) पर भी काम किया। समय-समय पर दोनों देशों के राजनीतिक नेता एक दूसरे के देश में दौरे के

लिए जाते रहे हैं जिसका मकसद दोनों देशों के मध्य संबंधों को सही करने का प्रयास रहता है। भारत पाकिस्तान संबधों में कई उतर चढाव आये उरी और पठानकोट हमले के समय दोनों देशों के सम्बधों में काफी असर पड़ा। हालाँकि कोरोना महामारी में भारत ने पडोसी देशों को फ्री वैक्सीन नीति के तहत पाकिस्तान को भी निशुल्क वैक्सीन दी, पर इसके आलावा दोनों देशों के आयत-निर्यात बंद हैं। एक ओर तो दोनों देशों के सम्बन्ध सामान्य नहीं हो पाए है, वही दूसरी और भारत पाकिस्तान के साथ करतारपुर गलियारे का सहयोग बढ़ाया जा रहा है।

1.20 शब्दावली

ट्रैक-2 कूटनीति: निजी नागरिकों या व्यक्तियों के समूहों के बीच "गैर-सरकारी, अनौपचारिक और अनौपचारिक संपर्क और गतिविधियों का अभ्यास, जिसे कभी-कभी 'गैर-राज्य अभिनेता' कहा जाता है

LOC: Line of Control

1.21 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. A 2. B 3. A 4. C 5. D 6. B 7. B

1.22 सन्दर्भ ग्रन्थ

1.घई यू.आर एवं घई के.के. "अंतरराष्ट्रीय राजनीति" न्यू एकेडमी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
2. फडिया, बी. एल., अंतरराष्ट्रीय राजनीति" साहित्य भवन प्रकाशन, इलाहाबाद।
3. कुमार आर्या राकेश,भारत की विदेश नीति 2022 , अल्फेड पब्लिकेशन ,
4. MenonShivshankar,India and Asian Geopolitics, Booking Institution Press,EbookISBN:9780815737247, 0815737246
5. दीक्षित ,जे.एन. भारतीय विदेश नीति ,प्रभात प्रकाशन, 2021 नई दिल्ली
6. दीक्षित ,जे.एन.,भारत- पाक सम्बन्ध , प्रभात प्रकाशन, 2021 नई दिल्ली
7. मिश्र अनिल कुमार ,शांति प्रक्रिया के सन्दर्भ में भारत-पाक मिडिया या का अध्ययन,शोध प्रबंध, महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र।
8. पन्त, पुष्पेश , "भारत की विदेश नीति" टाटामैकग्रा हिल एजुकेशन, नई दिल्ली
9. पन्त,पुष्पेश , 21 वीं शताब्दी में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, 6 संस्करण, चेन्नई: मैकग्रा हिल एजुकेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड,

1.23 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. भारतीय विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट।
2. बीबीसी हिंदी

1.24 निबंधात्मक प्रश्न

1. भारत पाकिस्तान संबंधों के एतिहासिक परिपेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सामरिक तथा रणनीतिक संबंधों पर प्रकाश डालिए।

इकाई 2 भारत नेपाल सम्बन्ध, भारत बांग्लादेश सम्बन्ध

इकाई की संरचना

2.0 प्रस्तावना

2.1 उद्देश्य

2.2 शांति और मैत्री संधि, 1950

2.3 शीतयुद्धोत्तर युग

2.4 भारत एवं नेपाल के मध्य आर्थिक संबंध

2.5 भारत एवं नेपाल संबंधों का राजनीतिक आयाम

2.6 जन-आंदोलन प्रथम

2.7 जन-आंदोलन द्वितीय

2.8 नवीन नेपाल का उदय

2.9 मधेशी समस्या

2.10 माओवादियों के प्रभावी होने से भारत के लिए समस्याएं

2.11 भारत और नेपाल के मध्य सीमा विवाद

2.12 भारत और नेपाल के बीच जल परियोजना पर सहयोग

2.13 2008 का संविधान सभा का चुनाव (एक नए युग की शुरूआत)

2.14 भारतीय प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा

2.15 भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी काठमांडू यात्रा

2.16 मोटर वाहन समझौता

2.17 नेपाल में नया संविधान और मधेशी समस्या

2.17.1 मधेशियों का विरोध

2.17.2 पहला संविधान संशोधन

2.18 नेपाली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल (प्रचंड) की भारत यात्रा

2.19 नेपाल में प्रथम आम चुनाव

2.20 भारत-नेपाल सहयोग के विभिन्न क्षेत्र

2.21 बिगड़ते रिश्ते में भारत की भूमिका है?

2.22 नेपाल पर चीन का प्रभाव

2.23 भारत के लिये नेपाल का महत्त्व

2.24 भारत बांग्लादेश संबंध – प्रस्तावना

2.25 जिया-उल-रहमान का शासन काल 1975 से 1981

2.26 जनरल ईरशाद का शासन काल

2.27 1990 के बाद भारत- बंग्लादेश सम्बन्ध

2.28 खालिदा जिया की सरकार

2.29 शेख हसीना सरकार

2.30 पारगमन मार्ग का मुद्दा

2.31 सीमा मुद्दा

2.32 नदी सहयोग

2.32.1 तीस्ता नदी विवाद

2.32.2 तिपाईमुख बांध

2.32.3 अवैध घुसपैठ

2.33 प्रत्यर्पण का समझौता

2.34 न्यू मूर द्वीप

2.35 भारत- बांग्लादेश आर्थिक सम्बन्ध

2.36 चकमा

2.37 रोहिंग्या मुस्लमान

2.38 मोटर वाहन समझौता

2.39 भारतीय प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा

2.40 बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा

2.41 भारत –बांग्लादेश आपसी सहयोग

2.42 उभरते विवाद

2.43 उच्च स्तरीय दौरे और आदान-प्रदान

2.44 सारांश

2.45 शब्दावली

2.46 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

2.47 सन्दर्भ ग्रन्थ

2.48 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

भारत नेपाल सम्बन्ध

2.0 प्रस्तावना

नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पडोसी है जो सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आर्थिक संबंधों के कारण भारत की विदेश नीति में विशेष महत्व रखते हैं। दोनों के बीच 1,700 किमी० की लम्बी सीमा जिससे भारत के पाँच राज्य-सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड जुड़े हैं। इस पर सीमा मुक्त आवाजाही है। भारत और नेपाल हिंदू धर्म एवं बौद्ध धर्म के संदर्भ में समान संबंध साझा करते हैं, उल्लेखनीय है कि बुद्ध का जन्मस्थान लुम्बिनी नेपाल में है और उनका निर्वाण स्थान कुशीनगर भारत में स्थित है। वर्ष 1950 की 'भारत-नेपाल शांति और मित्रता संधि'दोनों देशों के बीच मौजूद विशेष संबंधों का आधार है।

2.1 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त निम्नलिखित को समझ सकेंगे

- भारत एवं नेपाल के सम्बन्ध के विविध पक्ष
- भारत- बांग्लादेश के सम्बन्ध के विविध पक्ष

2.2 शांति और मैत्री संधि, 1950

यह भारत और नेपाल के मध्य द्विपक्षीय संधि है , जिसका उद्देश्य दोनों दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के बीच घनिष्ठ रणनीतिक संबंध स्थापित करना है। यह संधि दोनों देशों के बीच लोगों और वस्तुओं की मुक्त आवाजाही और रक्षा एवं विदेशी मामलों के बीच घनिष्ठ संबंध तथा सहयोग की अनुमति देती है। दोनों देश किसी बाहरी आक्रमण के समय एक दूसरे की रक्षा करेंगे। नेपाल युद्ध सामग्री भारत से खरीदेगा और अन्य देश से युद्ध सामग्री खरीदने से पहले नेपाल, भारत से परामर्श करेगा। तिब्बत, नेपाल और भूटान के मध्य दरों पर भारत और नेपाली सैनिक संयुक्त रूप से नियुक्त किये जायेंगे । नेपाली सेना के संगठन और प्रशिक्षण के लिए एक भारतीय सैनिक मिशन को काठमांडो में स्थापित किया जयेगा। इसी संधि के अंतर्गत नेपाली नागरिकों को भारत में कार्य करने तथा रोजगार प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गयी है। 1955 में जब राजा महेंद्र बने तब उन्होंने चीन के साथ भी अपने सम्बन्ध सुधरने का प्रयास किया और 1956 में नेपाल और चीन के कूटनीतिक सम्बन्धों का ही परिणाम हुआ कि चीन ने काठमांडू और कोदरी राजमार्ग का निर्माण किया। 1959 तक आते आते नेपाल भारत सम्बन्ध में कटुता आने लगी और नेपाल की विदेश नीति में चीन की ओर झुकाव देखा गया। राजा महेंद्र ने भारत को संतुलित करने के लिए चीन कार्ड का प्रयोग किया और कहा की विदेशी असुरक्षा के मसले पर चीन नेपाल की सहायता करेगा।

1970 के दशक में भारत नेपाल के सम्बन्ध ख़राब हुए जिसके विवाद के बिंदु निम्न रहे-

1. भारत द्वारा नेपाल में लोकतान्त्रिक शक्तियों को दिया जा रहा है।

2. वर्ष 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध

3. वर्ष 1974 में भारत का पोखरण परमाणु बिस्फोट

भारत व नेपाल के मध्य हालिया विवाद का कारण उत्तराखंड के धारचूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ती एक सड़क है। नेपाल का दावा है कि कालापानी के पास पड़ने वाला यह क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है और भारत ने नेपाल से वार्ता किये बिना इस क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य किया है। नेपाल द्वारा आधिकारिक रूप से नेपाल का नवीन मानचित्र जारी किया गया, जो उत्तराखंड के कालापानी लिंपियाधुरा और लिपुलेख को अपने संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा मानता है।

नेपाल ने इस संबंध में वर्ष 1816 में हुई **सुगौली संधि** का ज़िक्र किया है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार, सुगौली संधि (वर्ष 1816) के तहत काली (महाकाली) नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र, जिनमें लिंपियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख शामिल हैं, नेपाल का अभिन्न अंग हैं। एंग्लो-नेपाली युद्ध के पश्चात् वर्ष 1816 में नेपाल और ब्रिटिश भारत द्वारा सुगौली की संधि हस्ताक्षरित की गई थी। उल्लेखनीय है कि सुगौली संधि में महाकाली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में परिभाषित किया गया है। नेपाल सरकार के अनुसार, बीते वर्ष जम्मू-कश्मीर के विभाजन के पश्चात् भारत सरकार द्वारा प्रकाशित नए मानचित्रों में भिन्नता से स्पष्ट था कि भारत द्वारा इस मानचित्रों में छेड़खानी की गई है।

2.3 शीतयुद्धोत्तर युग

1990 के बाद नेपाल में माओवाद के बड़ते प्रबाव से भारतीय सुरक्षा के लिए कई चुनौतीयाँ सामने आई क्योंकि भारत माओवाद का विरोधी रहा है। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा कई बार भारत के लिए परेशानी पैदा करती है (हथियारों की तस्करी, अवैध व्यापार) 1999 में काठमांडू से इंडियन एयरलाइन्स के विमान का अपहरण हुआ। चीन द्वारा नेपाल तक रेल लाइन बिछाना चीन की दूरगामी रणनीति को दिखाती है। नेपाल के साथ सम्बन्ध को ठीक रखना भारत के लिए बहुत जरुरी है।

2.4 भारत एवं नेपाल के मध्य आर्थिक संबंध

भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही भारत द्वारा नेपाल के आर्थिक विकास में पूर्ण सहायता प्रदान की गई। नेपाल की अधिकांश आधारभूत संरचनाओं का निर्माण में भारत के सहयोग द्वारा किया गया। नेपाल के सैनिकों को भी भारत द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। नेपाल की वस्तुओं को भारत में शुल्क मुक्त रूप में आयातित करने की सुविधा प्रदान की गई भारत ने नेपाल की वस्तुओं के आयात के लिए भारतीय भू-भाग से होकर पारगमन की सुविधा भी प्रदान की, क्योंकि नेपाल की वस्तुओं का आयात कोलकाता पत्तन द्वारा होता है। भारत ने नेपाल के साथ महाकाली परियोजना के समझौते पर भी हस्ताक्षर किया, जिसके अंतर्गत् भारत में महाकाली नदी पर बांध बनाकर बिजली उत्पादन के लिए पैसे का निवेश किया गया। नवंबर, 2011 में भारतीय विदेश मंत्री की नेपाल यात्रा के दौरान दोनों के मध्य दोहरे करारोपण (Double Taxation Avoidance Agreement) समाप्त करने का समझौता हुआ।

2.5 भारत एवं नेपाल संबंधों का राजनीतिक आयाम

वर्ष 1955 में राजा महेन्द्र के सत्ता में आने के पश्चात् नेपाल की आंतरिक राजनीति में भी परिवर्तन देखा जाने लगा। वर्ष 1960 में नेपाल में लोकतांत्रिक शासन को समाप्त कर दिया गया। जबकि भारतीय विदेश नीति में नेपाल में लोकतंत्र के बने रहने का समर्थन किया जाता था। अतः भारतीय विदेश नीति में संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया जाता था। नेपाल में जैसे ही लोकतांत्रिक शासन बर्खास्त हुआ, उसी के साथ नेपाल ने भारत को संतुलित करने के लिए चीन कार्ड का प्रयोग आरंभ कर दिया। अतः राजा महेन्द्र की 'समान दूरी की नीति' आंतरिक रूप में

अपनी सत्ता सशक्त करने के लिए थी, जिस समय भारत व चीन के संबंध प्रतिकूल होने लगे, तो दूसरी ओर चीन और नेपाल के संबंध ज्यादा मधुर होने लगे। राजा वीरेन्द्र के सत्ता में आने के पश्चात् भी नेपाल ने अपनी विदेश नीति में 'समान दूरी के सिद्धांत' को बनाए रखा। वर्ष 1970 के दशक में नेपाल ने नेपाली क्षेत्र को शांति क्षेत्र घोषित करने का (सिक्किम के भारत विलय वर्ष 1975 के बाद) नारा भी दिया। अतः 70 के दशक में भारत और नेपाल के मध्य संबंध कटु हुए।

जिसके कारण निम् हैं-

सिक्किम का विलय (वर्ष 1975), भारत का परमाणु विस्फोट (वर्ष 1974) करना एवं भारत व सोवियत मैत्री भी मानी जाती है।

वर्ष 1980 के दशक में भारत और नेपाल के संबंध राजीव गांधी के कार्यकाल में अधिक कटु हुए।

राजीव गांधी ने नेपाल के चीन कार्ड के विरुद्ध सख्त और यथार्थवादी प्रत्युत्तर दिया। राजीव गांधी की यह नीति वैचारिक की बजाय, सामरिक रणनीति पर आधारित थी।

2.6 जन-आंदोलन प्रथम

वर्ष 1990 के बाद नेपाल में लोकतंत्र की बहाली हुई और बहुदलीय व्यवस्था पर आधारित लोकतांत्रिक चुनाव आयोजित किए गए, जिसमें आम लोगों ने लोकतंत्र की बहाली का समर्थन किया। इसलिए इसे जन-आंदोलन कहा गया। वर्ष 1990 के दशक में नेपाल का परिदृश्य परिवर्तित होने लगा तथा वहां बहुदलीय लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई, जिससे दोनों देशों के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना का प्रयास किया गया। शीतयुद्धोत्तर विश्व राजनीति में भारत ने एक और अपने संबंध महाशक्तियों के साथ अनुकूल करने का प्रयास किया, तो दूसरी ओर, पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध पर बल दिया।

नेपाल में लोकतंत्र राजनीतिक स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर सका। इसलिए नेपाल में वर्ष 1995 के पश्चात् माओवाद का प्रभाव देखा गया, जो संप्रति पूरे नेपाल में विद्यमान है। परिणामस्वरूप नेपाल में एक ओर राजा, दूसरी ओर,लोकतांत्रिक शक्तियां और तीसरी ओर माओवादी संघर्ष के मध्य संतुलन बैठाने की समस्या उत्पन्न हुई। इसी बढ़ती माओवादी हिंसा के दौरान राजा वीरेन्द्र की हत्या हुई, जो कि खुद उनके पुत्र द्वारा की गई। परिणामस्वरूप नेपाल में अत्यधिक अस्थिरता का वातावरण बना। वर्ष 2000 में राजा ज्ञानेन्द्र ने शासन संभाला, तो यह अस्थिरता समाप्त नहीं हुई। परिणामस्वरूप वर्ष 2002 में नेपाल की संसद को भंग कर दिया गया। वर्ष 2005 में नेपाल में आपातकाल की घोषणा कर दी गई।

2.7 जन-आंदोलन द्वितीय

जबकि दूसरा जन-आंदोलन वर्ष 2006 में आरंभ हुआ। जब नेपाल के महाराजा ने वर्ष 2005 में शासन पर नियंत्रणकर लिया। जिस पर प्रतिक्रिया करते हुए, भारत ने कहा कि यह नेपाल में लोकतंत्र के लिए सदमा है, जिससे भारत भी चिंतित है। भारत ने परंपरागत रूप में नेपाल के प्रति विदेश नीति का दो मूल आधार अपनाया

(1) बहुदलीय लोकतंत्र का समर्थन

(2) संवैधानिक राजतंत्र

भारत ने महाराजा ज्ञानेंद्र पर दबाव बनाया तथा नेपाल को दी जा रही हथियारों की आपूर्ति भी रोक दी गई। भारत ने वर्ष 2005 में आयोजित ढाका दक्षेस बैठक में भी भाग लेने से मना कर दिया, जिसके कारण दक्षेस बैठक स्थगित हो गई। भारत द्वारा अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ समान दृष्टिकोण अपनाते हुए नेपाल में लोकतंत्र की बहाली का समर्थन किया। चीन, पाकिस्तान का नेपाल में बढ़ता प्रभाव भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न करता है।

2.8 नवीन नेपाल का उदय

अतः अब नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष होने लगा। आंतरिक विरोधों एवं अंतर्राष्ट्रीय दबाव के परिणामस्वरूप अप्रैल, 2006 में नेपाल में आपातकाल समाप्त कर दिया गया। एक अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना के अंतर्गत माओवादियों ने नेपाल में मुख्य राजनीतिक धारा में सम्मिलित होने का निर्णय लिया, जिससे विष्णु के अवतार के रूप में माने आ रहे राजा एवं राजशाही का नेपाल में अंत प्रतीत हो रहा है। इसी के अंतर्गत सात दलों के गठबंधन (7 Alliance) और नेपाल के माओवादी के मध्य निम्न समझौतों पर सहमति हो गई।

(1) पहली बार नेपाल के माओवादी दल ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की।

(2) निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति तथा संविधान सभा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के नियंत्रण में चुनाव कराने की भी सहमति हुई।

(3) माओवादी दल ने बहुदलीय प्रतिस्पर्धी राजनीतिक व्यवस्था को स्वीकार किया है, जिसमें नागरिकों के अधिकार, मूल अधिकार मानवाधिकार एवं विधि के शासन का भी समर्थन किया है।

(4) विगत् वर्षों के संघर्ष में जो भी लोग विस्थापित हुए हैं या उनकी संपत्ति छीन ली गई है, वह उन्हें वापस की जाएगी।

(5) प्रतिनिधि सदन देश की सभी विधायी शक्तियों का प्रयोग करेगा, यही सदन संविधान सभा के निर्वाचन की प्रक्रिया भी निर्धारित करेगा। समूची कार्यकारी शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित होंगी तथा महामहिम की सरकार की बजाय अब नेपाल की सरकार शब्द का प्रयोग किया जाएगा।

(6) रॉयल नेपाली सेना का नाम बदलकर, नेपाली सेना रखा जाएगा।

(7) अब नेपाली सेना का कमांडर-इन-चीफ मंत्रिमंडल द्वारा नियुक्त होगा (जो पहले राजा के द्वारा नियुक्त होता था)

(8) नेपाली सेना का गठन राष्ट्रीय दृष्टिकोण से किया जाएगा।

(9) प्रतिनिधि सदन राजा के विशेषाधिकार एवं उनके कार्यों के संबंध में नीति का निर्धारण करेगा।

(10) राजा की संपत्ति पर करारोपण भी किया जाएगा।

(11) राजा के कार्यों को विधायिका एवं कार्यपालिका में प्रश्नांकित भी किया जाएगा।

(12) संक्षेप में नेपाल एक पंथ निरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक राज्य होगा, न कि हिंदू एवं राजशाही व्यवस्था के अंतर्गत शासित होगा।

2.9 मधेशी समस्या

नेपाल में पहाडी और तराई क्षेत्रों के मध्य क्षेत्र को ही मधेशी क्षेत्र कहा गया, जो नेपाल के पहाड़ी और मैदानी भाग के बीच का भाग है। इस मधेशी क्षेत्र में नेपाल के 22 जिले सम्मिलित हैं, जिन जनपद की सीमा भारत की सीमा के साथ मिलती है। मधेशियों में भारतीय मूल के मधेशी हैं और नेपाली मधेशी भी हैं। नेपाल की जनसंख्या का लगभग 40 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा इस भाग में निवास करता है। नेपाल के कृषि उत्पादन का 65 प्रतिशत तथा नेपाल के कुल राजस्व का 76 प्रतिशत भाग इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है। मधेशी मैथिली, भोजपुरी एवं हिंदी भाषा बोलते हैं। इसलिए इनके सांस्कृतिक और वैवाहिक संबंध भारतीयों से हैं। मधेशियों के साथ अनेक प्रकार के भेदभाव हुए। उदाहरण के लिए वर्ष 1964 के नागरिकता अधिनियम के अनुसार, मधेशियों को नागरिकता के सर्टिफिकेट से वंचित कर दिया गया, जिससे उन्हें नेपाल में भूमि खरीदने के अधिकार से भी वंचित होना पड़ा। मधेशियों के अनुसार, मधेशी क्षेत्र का विकास नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र की तुलना में अत्यधिक कम हुआ है। मधेशी ये भी मानते हैं कि भारत का दृष्टिकोण सदैव काठमांडू केंद्रित होता है और भारत भी मधेशियों के हितों की उपेक्षा करता है। नेपाल सरकार मधेशियों को भारत समर्थक मानती है। माओवादियों और मधेशियों के बीच भी हिंसक संघर्ष हो चुके हैं। माओवादियों ने आरोप लगाया कि मधेशियों को भारत उकसाता है।

2.10 माओवादियों के प्रभावी होने से भारत के लिए समस्याएं

वर्ष 2008 के निर्वाचन में माओवादियों का दल सबसे बड़े दल के रूप में उभरा, इसलिए वे पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित होकर सत्ता में आए। माओवादियों का झुकाव चीन के प्रति ज्यादा माना जाता है। माओवादियों का ऐसा मानना है कि भारत एक साम्राज्यवादी शक्ति हैं, जो नेपाल के संसाधनों का प्रयोग अपने हितों के लिए कर रहा है। माओवादी वर्ष 1950 की भारत एवं नेपाल संधि को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं ये गोरखाओं के भारतीय सेना में भर्ती के भी विरोधी हैं। इन्होंने भारत एवं नेपाल के बीच जल समझौतों का भी विरोध किया। माओवादी भारत विरोध को ग्रामीण वासियों तक पहुंचा रहे हैं। नेपाली माओवादी और भारतीय माओवादियों के बीच संबंध बन रहे हैं। वर्ष 2012 में माओवादी दल का विभाजन हो गया और माओवादी दल के नेता किरण विद्या ने अपना अलग दल बना लिया और उनका यह कहना है कि ये नेपाल की चुनावी प्रणाली में भाग नहीं लेंगे और वे हिंसक संघर्ष जारी रखेंगे। किरण विद्या भी भारत के बड़े आलोचक हैं। किरण विद्या के अनुसार, 'प्रचण्ड भारत से मिलकर कार्य कर रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि नेपाल में जब भी कोई दल सरकार का निर्माण करता है, तो उसे भारत के साथ संबंध बनाना अनिवार्य हो जाता है।'

2.11 भारत और नेपाल के मध्य सीमा विवाद

भारत और नेपाल के मध्य 1700 किमी लंबी सीमा है। अतः सामान्यतः भारत और नेपाल के मध्य सीमा विवाद नहीं है, केवल काला पानी क्षेत्र को अपवाद मान लिया जाए और इस क्षेत्र के विवाद को शीघ्रतया हल करने की कोशिश की जा रही है और यह काला पानी का क्षेत्र भू-सामरिक रूप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत, चीन और नेपाल तीनों की सीमा यहां मिलती है और लगभग 372 वर्ग किमी का क्षेत्र विवादास्पद है तथा इसी क्षेत्र से कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी की जाती है।

भारत व नेपाल के मध्य हालिया विवाद का कारण उत्तराखंड के धारचूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ती एक सड़क है। नेपाल का दावा है कि कालापानी के पास पड़ने वाला यह क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है और भारत ने नेपाल से वार्ता किये बिना इस क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य किया है। नेपाल द्वारा आधिकारिक रूप से नेपाल का नवीन

मानचित्र जारी किया गया, जो उत्तराखंड के कालापानी लिंपियाधुरा और लिपुलेख को अपने संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा मानता है।

2.12 भारत और नेपाल के बीच जल परियोजना पर सहयोग

भारत एवं नेपाल के बीच जल संसाधन क्षेत्र में सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं। नेपाल के पास 83,000 मेंगावाट पन विद्युत ऊर्जा क्षमता विद्यमान है। इस क्षेत्र में दोनों देशों के मध्य सहयोग के निम्नलिखित उदाहरण हैं

(1) नेपाल की प्रमुख नदी महाकाली, करनाली, कोशी और गड़क जैसी बड़ी नदियां नेपाल में हैं, जहां जल विद्युत की क्षमता लगभग 40-43 हजार मेंगावाट की है।

(2) वर्तमान समय में नेपाल केवल 600 मेंगावाट जलविद्युत क्षमता ही उत्पादन कर रहा है। इसलिए भारत और नेपाल के बीच जल विद्युत के क्षेत्र में सहयोग की असीम संभावनाएं हैं।

(3) वर्तमान समय में नेपाल, भारत से बिजली का आयात कर रहा है।

नेपाल और भारत के बीच जल विद्युत के मुद्दे पर होने वाले सहयोग इस प्रकार हैं

शारदा बांध, वर्ष 1927, कोशी समझौता, वर्ष 1954, गंडक समझौता, वर्ष 1959, टनकपुर समझौता वर्ष 1991, महाकाली संधि, वर्ष 1969 पंचेश्वर समझौता।

समस्या

1. महाकाली समझौता वर्ष 1996 में हुआ और वर्तमान समय में भी यह क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है। नेपाल के द्वारा विशेषकर माओवादी इस समझौते को

2. नेपाल के हितों के प्रतिकूल मान रहे हैं। नेपाल की मांग है कि बांध से बनने वाली बिजली का विभाजन भारत और नेपाल के बीच आधा-आधा होनाचाहिए।

3. नेपाल का यह भी तर्क है कि बिजली की कीमत नेपाल का बिजली बोर्ड तय करेगा।

4. काला पानी क्षेत्र का विवाद यह 370 वर्ग किमी का क्षेत्र है। यह भारत, नेपाल एवं चीन सीमा पर स्थित है।

वर्तमान में इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण है। परंतु नेपाल द्वारा इस पर अपने दावा किए जाने के कारण यह क्षेत्र विवादित हो गया है।

2.13. 2008 का संविधान सभा का चुनाव (एक नए युग की शुरूआत)

वर्ष 2008 के नेपाल के संविधान सभा के चुनाव में एकीकृत नेपाली साम्यवादी दल (माओवादी) सबसे बड़े दल के रूप में उभरा।

नेपाली कांग्रेस को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ तथा तीसरे स्थान पर नेपाली मार्क्सवादी-लेनिनवादी दल रहा। चुनाव के परिणाम भारतीय परिप्रेक्ष्य के अनुकूल नहीं रहे, क्योंकि माओवादियों का शासन सत्ता पर नियंत्रण भारत के लिए बड़ी चुनौती है। माओवादियों की निकटता चीन के साथ है। उदाहरण के लिए, माओवादी नेता पुष्प कुमार दहल (प्रचंड) को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चीन ने नेपाल के सांसदों को 500 मिलियन रुपये दिए।

ये भारत को एक साम्राज्यवादी देश की संज्ञा देते हैं, इनका संबंध भारतीय नक्सलियों से भी है। अतः भारत के लिए दोनों रूप में चुनौती उत्पन्न करता है। पड़ोसी देशों की विदेश नीति में भारत विरोध का मुद्दा सदैव प्रभावी होता है। माओवादी नेपाल के अन्य दलों पर यह भी अरोप लगाते हैं कि वे भारत से मिले हुए हैं। इसलिए नेपाल में लोकतंत्र की बहाली भी भारत के लिए अनुकूल सिद्ध नहीं हुई।

संविधान सभा भंग एवं संविधान निर्माण पर विवाद,2012

(1) माओवादी, नृजातीय संघवाद के समर्थक है, जबकि मार्क्सवादी-लेनिनवादी दल इसका विरोधी है, वहीं नेपाली

कांग्रेस संघीय व्यवस्था की समर्थक है।

(2) मधेशी मोर्चा संघीय सरकार की समर्थक है, इसके अनुसार, इस संघीय व्यवस्था में प्रत्येक नृजातीय समुदायों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि मधेशी मोर्चे में भी विभाजन हो गया है।

(3) नेपाल में संसदीय शासन की स्थापना हो या अध्यक्षीय शासन प्रणाली की स्थापना हो। इस बिंदु पर भी असहमति है।

नेपाल में शांति बहाली का मुद्दा संविधान के निर्माण के अलावा, माओवादी सैनिकों की सेना में भर्ती और उनके पुनर्वास से भी संबंधित है। माओवादी गुरिल्ला संघर्ष में 19,000 माओवादी लड़ाके सम्मिलित थे। वर्ष 2012 में सभी माओवादियों का सेना में एकीकरण कर लिया गया है। भारत का मानना है कि नेपाली सेना के व्यावसायिक और निष्पक्ष प्रकृति को बनाए रखा जाए।

यह उल्लेखनीय है कि नेपाली सेना में माओवादियों के प्रभाव से चीन का नेपाली सेना पर प्रभाव बढ़ जाएगा, जो भारतीय हितों के लिए अनुकूल नहीं है। इससे यह प्रतीत होता है कि समझौता अभी जटिल है। 28 नवंबर, 2011 को तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी ने नेपाल की यात्रा की और नेपाल में शांति बहाली का समर्थन किया।

2.14 भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की नेपाल यात्रा

प्रधानमंत्री ने 3 अगस्त, 2014 को दो दिवसीय नेपाल की यात्रा की। दोनों पक्ष वर्ष 1950 की भारत-नेपाल मैत्री संधि और द्विपक्षीय समझौते की समीक्षा एवं समायोजन व उनके नवीनीकरण पर सहमत हुए। नेपाल की संविधान सभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने नेपाल की मदद के लिए एक फॉर्मूला प्रस्तुत किया- "हाईवेज अर्थात् राजमार्ग इनफॉरमेशन हाइवेज अर्थात् सूचना राजमार्ग और ट्रांसवेज अर्थात् ट्रांसमिशन लाइंस।" भारत, नेपाल को 10 हजार करोड़ नेपाली रूपये की ऋण सहायता देगा। नेपाल में अरूण नदी पर 900 मेंगावाट का पनबिजली संयंत्र लगाने पर समझौता हुआ। भारत सतलज जल विद्युत निगम पनबिजली संयंत्र लगाएगा। वर्ष 2021 तक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य है। उत्पन्न बिजली का 21 फीसदी हिस्सा नेपाल को मुफ्त में दिया जाएगा। काठमांडू-वाराणसी, जनकपुर अयोध्या और लुबिनी-बोधगया के बीच जुड़वा शहर का करार किया गया है।

2.15 भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी काठमांडू यात्रा

18वें दक्षेस सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की यह दूसरी काठमांडू यात्रा थी। भारत ने नेपाल को एक लड़ाकू विमान ध्रुव प्रदान किया। मिट्टी की टेस्टिंग के लिए मोबाइल लैच का पूरा सेटअप एवं टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाई। काठमांडू दिल्ली बस सेवा का उद्घाटन किया।

2.16 मोटर वाहन समझौता (Motor Vehicle Agreement,MVA)

सार्क देशों के मध्य प्रस्तावित यह समझौता पाकिस्तान के विरोध के कारण असफल रहा। परंतु भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल के मध्य यह समझौता संपन्न हुआ, जो सार्क देशों में एक अलग उपसमूह है। यह समझौता चारों पड़ोसी देशों के मध्य व्यापार, आवागमन व कनेक्टिविटी बढ़ाने में मददगार होगा तथा देशों के मध्य कम समय में पहुंच, ऊर्जा सहयोग, जल परिवहन इत्यादि संभव होगा, जिससे वस्तुओं, सेवाओं तकनीकी तथा लोगों का मुक्त प्रवाह संभव होगा।

2.17 नेपाल में नया संविधान और मधेशी समस्या

संविधान सभा के गठन के आठ वर्षों बाद नेपाल में वर्ष 2015 में नया संविधान स्वीकार कर लिया गया। इस हेतु दो बार संविधान सभा का चुनाव संपन्न हुआ। नए संविधान के पक्ष में कुल 598 वोटों में से 507 वोट पड़े। नए संविधान की विशेषताएं इस प्रकार हैं

(1) नेपाल में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें सात राज्य होंगे। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है।

(2) 'धर्मनिरपेक्षता' नेपाल के नए संविधान की दूसरी विशेषता है। अतः अब नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं होगा।

(3) नेपाल में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इसका चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय (भौगोलिक) प्रतिनिधित्व के अनुसार होगा।

(4) इस संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है, जो सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक होंगे।

(5) इस संविधान के अनुसार, एक सर्वोच्च न्यायपालिका होगी, जो केंद्र व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करेगी। न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु एक 'न्यायिक नियुक्ति परिषद्' की स्थापना की गई है।

(6) संविधान की अन्य विशेषताएं-बहुदलीय लोकतंत्र, समतामूलक समाज की स्थापना, प्रेस की स्वतंत्रता व कानून आधारित समाजवाद इत्यादि हैं।

2.17.1 मधेशियों का विरोध

संविधान के निर्माण के बाद मधेशियों के द्वारा संवैधानिक प्रावधानों की भेदभावपूर्ण माना गया। मधेशियों ने अपने

लिए दो प्रांतों के निर्माण की मांग की। क्योंकि नेपाल के 75 जनपदों में से 22 जनपदों में मधेशियों की बड़ी आबादी है और 5 जनपदों में मधेशियों का एकतरफा बहुमत है। परंतु राज्यों के निर्माण के दौरान मधेशी बहुमत वाले जनपदों को पहाड़ी क्षेत्रों के साथ जोड़ दिया गया तथा प्रत्येक राज्य में पहाड़ी, मैदानी तथा तराई क्षेत्रों को शामिल किया गया। जबकि मधेशी तराई क्षेत्रों के लिए अलग मधेशी राज्य के निर्माण की मांग कर रहे थे।

संविधान में संसद की सीटों के परिसीमन के लिए भू-भाग को आधार बनाया गया। जबकि मधेशियों ने जनसंख्या केअनुसार संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन का समर्थन किया। संविधान में उच्च सदन में प्रत्येक राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। जबकि मधेशियों ने जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की मांग की। मधेशियों के द्वारा नेपालके प्रशासन सैन्य व्यवस्था तथा संसद में मधेशियों के लिए आरक्षण की मांग भी उठाई गई। वर्तमान संविधान में यहप्रावधान है कि जिन नेपाली नागरिकों के माता-पिता भी नेपाली हैं, उन्हें ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पदोंपर नियुक्त किया जाएगा। जबकि मधेशियों के माता-पिता नेपाल के नागरिक नहीं हैं।

संविधान के उपरोक्त प्रावधानों को भेदभावपूर्ण कहा गया, जिसका मधेशियों ने हिंसक विरोध किया तथा भारत-नेपाल के बीच आवागमन के मार्ग को भी अवरूद्ध कर दिया। नेपाल ने यह आरोप लगाया कि भारत के द्वारा पारगमन मार्ग रोका गया है। नेपाल के द्वारा चीन के साथ निकटता बनाने का प्रत्यन किया गया तथा चीन-नेपाल के बीच रेलमार्ग बिछाने का भी समझौता हो गया है। नेपाल ने चीन से तेल का आयात भी आरंभ कर दिया है, जिसके लिए पहले नेपाल केवल भारत पर निर्भर था। भारत के अनुसार, यह नेपाल की आंतरिक समस्या है और नेपाल, अपनी आंतरिक समस्या से ध्यान भटकाने के लिए भारत विरोध को बढ़ावा दे रहा है। वर्ष 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा 17 वर्षों बाद नेपाल की यात्रा की गई तथा वर्ष 2015 में नेपाल में भयंकर भूकंप के बाद भारतने 'आपरेशन मैत्री' के अंतर्गत नेपाल की बड़ी सहायता प्रदान की, परंतु मधेशी समस्या के बाद नेपाल में पुनः भारत विरोध अत्यधिक प्रभावी बन गया।

2.17.2 पहला संविधान संशोधन

नेपाल में विद्यमान इस गतिरोध को देखते हुए नेपाली सरकार ने पहला संविधान संशोधन किया और संसद में जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण किया गया तथा सरकार ने मधेशी समुदाय के लोगों के लिए शासन तथा सेना में उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया। परंतु मधेशी अभी भी अपने लिए दो प्रांतों के निर्माण की मांग कर रहे हैं। भारत के द्वारा नेपाल के पहले संविधान संशोधन को सकारात्मक कहा गया।

2.18 नेपाली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल (प्रचंड) की भारत यात्रा

नेपाली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल की पद ग्रहण करने के उपरांत यह पहली विदेश यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान कई मुद्दों पर सहयोग की सहमति बनी। दोनों देशों ने द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने तथा सार्क तथा बिम्सटेक में आपसी सहयोग पर सहमति व्यक्त की। दहल ने मधेशियों की समस्या समाधान का आश्वासन दिया तथा कहा कि संविधान में संशोधन के माध्यम से मधेशियों को उनका हक दिया जाएगा। दोनों देशों के मध्य 750 मिलियन डॉलर की 'लाइन ऑफ क्रेडिट' पर समझौता हुआ। दोनों देशों के मध्य तराई क्षेत्र में सड़कों के विकास तथा पॉवर ट्रान्समिशन तथा विद्युत उपग्रह केंद्र के विकास से संबंधित समझौता हुआ। अप्रैल, 2017 में नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी की पांच दिवसीय भारत यात्रा संपन्न हुई। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य व्यापक स्तर पर साझेदारी बढ़ाने, पीपल टू पीपल कनेक्टीविटी बढ़ाने पर सहमति हुई और उन्होंने गुजरात तथा ओडीशा की यात्रा भी की।

2.19 नेपाल में प्रथम आम चुनाव

वर्ष 2017 के अंतिम महीनों में नेपाल में नए संविधान के अनुरूप प्रथम आम चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें केंद्रीय विधायिका के 275 सदस्यों में से 165 सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया गया, साथ ही 7 प्रांतों

का चुनाव भी संपन्न हुआ। इन चुनावों में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माले तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने मिलकर चुनाव लड़ा, जिसमें इन वाम दलों ने जबरदस्त सफलता प्राप्त की तथा 165 सीटों में से 113 सीटें इन दलों ने प्राप्त किया। पूर्व प्रधानमंत्री के०पी ओली की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को व्यापक समर्थन मिला तथा नेपाल कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह हार हुई। साथ ही 7 में से 6 प्रांतों में इन वामपंथी दलों की सरकारें बनी। 110 सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, जिसमें वामपंथी दलों को व्यापक सफलता मिली। फरवरी, 2018 में के०पी०ओली को नेपाल का 41वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 11-12 मई 2018 के मध्य भारतीय प्रधानमंत्री मोदी नेपाल की यात्रा पर रहे। दोनों देशों ने भारत-नेपाल के मध्य कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत द्वारा बिहार के रक्सौल से नेपाल के काठमांडू के बीच सामरिक रेलवे लिंक का निर्माण किया जाएगा। नई विद्युतीकृत रेल लाइन का निर्माण करने पर सहमति व्यक्त की है। जिसका वित्त पोषण भारत द्वारा किया जाएगा। भारत और नेपाल के प्रधानमंत्रियों ने नेपाल के तुम्लिंगतर क्षेत्र में 900 मेंगावाट की अरूण-थ्री जल विद्युत परियोजना की नींव रखी।

2.20 भारत-नेपाल सहयोग के विभिन्न क्षेत्र

सांस्कृतिक व धार्मिक क्षेत्र - नेपाल और भारत दुनिया के दो प्रमुख धर्मों-हिंदू और बौद्ध धर्म के विकास के आसपास एक सांस्कृतिक इतिहास साझा करते हैं।बुद्ध का जन्म वर्तमान नेपाल में स्थित लुम्बिनी में हुआ था। बाद में बुद्ध ज्ञान की खोज में वर्तमान भारतीय क्षेत्र बोधगया आए, जहाँ उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। बोधगया से महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों ने विश्व के कोने-कोने तक बौद्ध धर्म का प्रसार किया। भारत व नेपाल दोनों ही देशों में हिंदू व बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। रामायण सर्किट की योजना दोनों देशों के मज़बूत सांस्कृतिक व धार्मिक संबंधों का प्रतीक है।

सामाजिक क्षेत्र - भारत-नेपाल की खुली सीमा दोनों देशों के संबंधों की विशिष्टता है, जिससे दोनों देशों के लोगों को आवागमन में सुगमता रहती है।दोनों देशों के नागरिकों के बीच आजीविका के साथ-साथ विवाह और पारिवारिक संबंधों की मज़बूत नींव है। इस नींव को ही 'रोटी-बेटी का रिश्ता' नाम दिया गया है।

आर्थिक क्षेत्र-भारत, नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार होने के साथ-साथ विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत, नेपाल को अन्य देशों के साथ व्यापार करने के लिये पारगमन सुविधा भी प्रदान करता है। नेपाल अपने समुद्री व्यापार के लिये कोलकाता बंदरगाह का उपयोग करता है। भारतीय कंपनियाँ नेपाल में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हैं। इन कंपनियों की नेपाल में विनिर्माण, बिजली, पर्यटन और सेवा क्षेत्र में उपस्थिति है।

अवसंरचना विकास क्षेत्र -

भारत सरकार नेपाल में ज़मीनी स्तर पर बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए समय-समय पर विकास सहायता प्रदान करती है।इसमें बुनियादी ढाँचे में स्वास्थ्य, जल संसाधन, शिक्षा, ग्रामीण और सामुदायिक विकास जैसे मुद्दे शामिल हैं।

रक्षा सहयोग क्षेत्र

द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के तहत उपकरण और प्रशिक्षण के माध्यम से नेपाल की सेना का आधुनिकीकरण शामिल है। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट्स में नेपाल के पहाड़ी इलाकों से भी युवाओं की भर्ती की जाती है।भारत वर्ष 2011 से नेपाल के साथ प्रति वर्ष 'सूर्य किरण' नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास करता आ रहा है।

आपदा प्रबंधन - नेपाल में अक्सर भूकंप, भू-स्खलन और हिमस्खलन, बादल फटने और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा रहता है। ऐसा मुख्य रूप से भौगोलिक कारकों के कारण होता है क्योंकि नेपाल एक प्राकृतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है। भारत आपदा से संबंधित ऐसे किसी भी मामलें में कर्मियों की सहायता के साथ-साथ तकनीकी और मानवीय सहायता भी प्रदान करता रहा है।

संचार क्षेत्र-नेपाल एक भू-आबद्ध देश है जो तीन तरफ से भारत से और एक तरफ तिब्बत से घिरा हुआ है।भारत-नेपाल ने अपने नागरिकों के मध्य संपर्क बढ़ाने और आर्थिक वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न कनेक्टिविटी कार्यक्रम शुरू किये हैं। हाल ही में भारत के रक्सौल को काठमांडू से जोड़ने के लिये इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक बिछाने हेतु दोनों सरकारों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।

2.21 बिगड़ते रिश्ते में भारत की भी भूमिका है?

नवंबर, 2019 को भारत ने एक नवीन मानचित्र प्रकाशित किया था जो जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्शाता है। इसी मानचित्र में कालापानी को भी भारतीय क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है। इस मानचित्र ने भारत-नेपाल के बीच पुराने विवादों में नई जान डाल दी। भारतीय फिल्मों में नेपाली महिलाओं को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से भी नेपाल ने नाराज़गी व्यक्त की। नेपाल वर्ष 2017 में चीन की वन बेल्ट, वन रोड परियोजना में शामिल हुआ, परंतु भारत नेपाल पर इस परियोजना में शामिल न होने का दबाव डाल रहा था। भारत द्वारा इस प्रकार दबाव डालना नेपाल को रास नहीं आया और इस घटना ने भारत की 'बिग ब्रदर'वाली छवि को स्थापित किया।

दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट तब आई जब सितंबर, 2015 में नेपाली संविधान अस्तित्व में आया। लेकिन, भारत द्वारा नेपाली संविधान का उस रूप में स्वागत नहीं किया गया जिस रूप में नेपाल को आशा थी।

इसी तरह नवंबर, 2015 जेनेवा में भारतीय प्रतिनिधित्व द्वारा नेपाल में राजनीतिक फेर-बदल को प्रभावित करने के लिये मानवाधिकार परिषद् के मंच का कठोरतापूर्वक उपयोग किया गया, जबकि इससे पहले तक नेपाल के आंतरिक मुद्दों को लेकर भारत द्वारा कभी भी खुलकर कोई टिप्पणी नहीं गई थी।

भारत का रुख मधेसियों को नेपाल में नागरिकता का अधिकार दिलाना था। इनमें लाखों मधेसियों ने वर्ष 2015 में नागरिकता को लेकर व्यापक आंदोलन चलाया था। नेपाल सरकार का ऐसा आरोप है कि मधेसियों के समर्थन में भारत सरकार ने उस समय नेपाल की आर्थिक घेराबंदी की थी।

2.22 नेपाल पर चीन का प्रभाव

गौरतलब है कि चीन का प्रभाव दक्षिण एशिया में लगातार बढ़ रहा है। नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश हर जगह चीन की मौजूदगी बढ़ी है। ये सभी देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना में शामिल हो गए हैं। लेकिन भारत इस परियोजना के पक्ष में नहीं है। नेपाल में चीन के बढ़ते दखल के बाद पिछले कुछ समय से भारत-नेपाल के बीच संबंधों में पहले जैसी गर्मजोशी देखने को नहीं मिल रही। चीन ने इसका पूरा-पूरा लाभ उठाते

हुए नेपाल में अपनी स्थिति को और मज़बूत किया है। नेपाल के कई स्कूलों में चीनी भाषा मंदारिन को पढ़ना भी अनिवार्य कर दिया गया है। नेपाल में इस भाषा को पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतन का खर्चा भी चीन की सरकार उठाने के लिये तैयार है। चीन, नेपाल में ऐसा बुनियादी ढाँचा तैयार करने की परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिन पर भारी खर्च आता है।

2.23 भारत के लिये नेपाल का महत्त्व

नेपाल की अहमियत इस वजह से भी ज्यादा है कि पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद 'पहले पड़ोस की नीति'के मद्देनजर नेपाल उनके शुरुआती विदेशी दौरों में से एक था। जबकि इससे पहले आखिरी बार वर्ष 1997 में नेपाल के साथ भारत की कोई द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। मौजूदा सरकार ने नेपाल सरकार के साथ कई महत्त्वपूर्ण समझौते भी किये हैं। कृषि, रेलवे संबंध और अंतर्देशीय जलमार्ग विकास सहित कई द्विपक्षीय समझौतों पर सहमति बनी है। इनमें बिहार के रक्सौल और काठमांडू के बीच सामरिक रेलवे लिंक का निर्माण किया जाएगा, ताकि लोगों के बीच संपर्क तथा बड़े पैमाने पर माल के आवागमन को सुविधाजनक बनाया जा सके। इसके अलावा मोतिहारी से नेपाल के अमेंलखगंज तक दोनों देशों के बीच ऑयल पाइपलाइन बिछाने पर भी हाल ही में सहमति बनी है। नेपाल का दक्षिण क्षेत्र भारत की उत्तरी सीमा से सटा है। भारत और नेपाल के बीच रोटी-बेटी का रिश्ता माना जाता है। बिहार और पूर्वी-उत्तर प्रदेश के साथ नेपाल के मधेसी समुदाय का सांस्कृतिक एवं नृजातीय संबंध रहा है। दोनों देशों की सीमाओं से यातायात पर कभी कोई विशेष प्रतिबंध नहीं रहा। सामाजिक और आर्थिक विनिमय बिना किसी गतिरोध के चलता रहता है। भारत-नेपाल की सीमा खुली हुई है और आवागमन के लिये किसी पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। यह उदाहरण कई मायनों में भारत-नेपाल की नज़दीकी को दर्शाता है।

आगे की राह

नेपाल सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह दो देशों के मध्य घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों की भावना को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक संधि, दस्तावेज़ों, तथ्यों और नक्शों के आधार पर सीमा के मुद्दों का कूटनीतिक हल प्राप्त करने के लिये प्रतिबद्ध है।

भारत को भी अपनी विदेश नीति की समीक्षा करने की भी जरूरत है। भारत को नेपाल के प्रति अपनी नीति दूरदर्शी बनानी होगी। जिस तरह से नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, उससे भारत को अपने पड़ोस में आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन करने से पहले रणनीतिक लाभ–हानि पर विचार करना होगा। भारत और चीन के साथ नेपाल एक आज़ाद सौदागर की तरह व्यवहार कर रहा है और चीनी निवेश के सामने भारत की चमक फीकी पड़ रही है। लिहाज़ा, भारत को कूटनीतिक सुझबूझ का परिचय देना होगा।

2.24 भारत बांग्लादेश संबंध – प्रस्तावना

3 दिसंबर, 1971 को भारत सरकार ने घोषणा की थी कि वह बंगाली मुसलमानों और हिंदुओं को बचाने के लिये पाकिस्तान के साथ युद्ध करेगी। यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के मध्य 13 दिनों तक चला। 16 दिसंबर, 1971 को पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने 93,000 सैनिकों के साथ ढाका में भारतीय सेना की सहयोगी मुक्ति वाहिनी सेना के समक्ष बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था।मुक्ति वाहिनी उन सशस्त्र संगठनों को संदर्भित करती है जो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़े थे। इस दिन अर्थात् 16 दिसंबर को बांग्लादेश का उद्भव हुआ, इसलिये बांग्लादेश प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को स्वतंत्रता दिवस (विजय दिवस) मनाता है।भारत बांग्लादेश

को एक अलग और के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश था।दिसंबर 1971 में स्वतंत्र राज्य और देश के साथ तुरंत राजनयिक संबंध स्थापित किए।

भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध इतिहास, संस्कृति, भाषा, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के साझा मूल्यों से जुड़ा हुआ है। दोनों देशों के बीच अनगिनत अन्य समानताएं। पिछले कुछ वर्षों में, नए और उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से दोनों देशों का रिश्ता और मजबूत किया गया।

एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बंगला देश का निर्माण शेख मुजीबुर्रहमान के नेतेअत्व में हुआ और इन्हीं के नेतृत्व में आवामी लीग ने बंगलादेश में पंथनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक एवं समाजवादी राज्य की स्थापना की ।शेख मुजीबुर्रहमान के शासन काल में भारत बांग्लादेश के सम्बन्ध अत्यंत मित्रतापूर्ण थे। वर्ष 1975 में शेख मुजीबुर्रहमान की हत्या के बाद बंगलादेश लोकतान्त्रिक पंथनिरपेक्ष समाजवादी शासन के बजाय तानाशाही सैन्य शासन प्रणाली स्थापित हुई तथा इस्लामी दलों पर लगे प्रतिबन्ध को हटा लिया गया।

2.25 जिया-उल-रहमान का शासन काल 1975 से 1981

बंगलादेश के नये शासक ने विदेश नीति में धार्मिक कट्टरता को प्रकट करते हुए, मुस्लिम देशों के साथ बेहतर सम्बन्ध निर्मित करने का प्रयास किया। जिया-उल-रहमान की विदेशनीति में भारत विरोधी स्वर देखे और पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्ध सुधरने की कोशिश की । (1974 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक पृथक् राज्य के रूप में मान्यता दे दी थी) वही दूसरी और जिया-उल-रहमान ने चीन के साथ भी अपने सम्बन्ध बेहतर बनाने का प्रयास किया ।

2.26 जनरल इरशाद का शासन काल

1975 में जिया-उल-रहमान की हत्या के बाद जनरल इरशाद ने बांग्लादेश के नए शासक के रूप में शासन संभाला । जनरल ईरशाद ने देश को इस्लामिक आधार पर चलने का प्रयास किया। इसी घटना क्रम के आधार पर बांग्लादेश की नीति भारत विरोधी होने लगी । भारत-बग्लादेश के बीच गंगा जल के बंटवारेको लेकर समस्या उठी।जनरल ईरशाद की नीति धार्मिक कट्टरता की थी यह तब स्पष्ट हो गया, जब 1988 में बांग्लादेश ने इस्लाम को राजधर्म घोषित कर दिया । यह बांग्लादेश के स्वतंत्र राष्ट्र की आरंभिक प्रवृति के अलग थी।

2.27 1990 के बाद भारत- बंग्लादेश सम्बन्ध

1990 में बंगलादेश में सैनिक तानाशाही का अंत हुआ तथा बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवथा को स्वीकार किया गया । आवामी लीग के 1972 के संविधान और पंथनिरपेक्षता को पुनर्जीवित किया । 1996 में शेख हसीना वाजिद के सत्ता में आने से भारत बांग्लादेश सम्बन्ध में प्रगति हुई । 1996 में गंगा नदी के जल के बंटवारे के सम्बन्ध में समझौता किया गया।

2.28 खालिदा जिया की सरकार (2001-2006)

2001 में बंगलादेशी राष्ट्रीय पार्टी के सत्ता में आने के साथ जमायते इस्लामी और इस्लामिया -ओके-जोते (Islami Oikya Jote) जैसे दल जो कट्टर पंथी मने जाते हैं गठबंधन के भागीदार थे, स्वाभाविक रूप से इससे बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरता बढ़ी और इसका प्रभाव भारत बांग्लादेश सम्बन्ध व भारतीय सुरक्षा पर में पड़ा। खालिदा जिया की सरकार ने भारतीय सुरक्षा चिंताओं की अवहेलना की उल्फा नेता अनूप चेतिया को बांग्लादेश

ने शरण दी और इन्हें स्वतंत्रता सेनानी की उपाधि भी दी। भारत ने उग्रवादी संगठन को शरण देने का विरोध किया। बंगलादेशी राष्ट्रीय पार्टी नेता खालिदा जिया ने वर्ष 2005 में हुए सीरियल बम विस्फोट में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया।

2.29 शेख हसीना सरकार 2008

आवामी दल ने 2008 में चुनाव में विजय प्राप्त की और शेख हसीना (शेख मुजीबुर्रहमान की बेटी हैं) सत्ता में आयीं। उन्होंने भारत के साथ मित्रतापूर्ण एवं सहयोगपूर्ण संबंधों पर बल दिया। शेख हसीना ने 2010 में भारत यात्रा की तथा दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों ने सांझी नदियों के जल के जल बंटवारेको हल करने का संकल्प लिया।अगस्त 2010 में भारत द्वारा बांग्लादेश को एक बिलियन डालर की सहायता प्रदान की गयी।इसका प्रयोग रेल के विकास और बस खरीदने में किया। 2011 में प्रधानमंत्री मनमोहन ने अपनी बांग्लादेश यात्रा दौरान कुछ वस्तुओं को भारत में प्रशुल्क मुक्त रूप में आयातित करने की बात की।

जनवरी 2012 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा की यात्रा की जहाँ त्रिपुरा विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डी.लिट. की उपाधि प्रदान की गयी।

2.30 पारगमन मार्ग का मुद्दा

बांग्लादेश की सीमा भारत की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण व संवेदनशील है। भारत के उत्तरी-पूर्वी राज्य भारत विभाजन के बाद आवागमन के मार्ग बदल गये हैं। उत्तरी-पूर्वी राज्यों में जाने के लिए सिलीगुड़ी कोरिडोर का प्रयोग किया जाता है। जबकि बांग्लादेश पारगमन मार्ग दे दे तो कलकाता और अगरतला के बीच की दूरी 1200 किमी। कम हो जाएगी। बांग्लादेश ने आश्वासन दिया है कि भारत मोंगला और चाटगाँव पत्तन का प्रयोग कर सकेगा, जिससे भारत रेल और सड़क मार्ग से पत्तन को जोड़ेगा। जिससे उत्तरी-पूर्वी राज्यों में आवागमन सरल हो जायेगा। (हलाकि यह सुविधा बंगला देश तभी देगा जब तिस्ता जल बंटवारेकी समस्या को सुलझा दिया जायेगा।) भारत ने भी बांग्लादेश को नेपाल और भूटान जाने के लिए पारगमन मार्ग देने का आश्वासन दिया है।

2.31 सीमा मुद्दा

भारत सबसे लम्बी सीमा (4096.7 किमी।) बांग्लादेश के साथ साँझा करता है जो पश्चिम बंगाल, असम, मेंघालय, त्रिपुरा, एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत बांग्लादेश सीमा विवाद 60 किमी० सीमा पर है। यह सीमा विवाद मुहरी नदी के कारण है क्योंकि यह नदी बहाव की दिशा बदलती रहती है। भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता (Land Boundary Agreemen- LBA) जून 2015 में विभिन्न अनुसमर्थनों की पुष्टि के बाद लागू हुआ।

2.32 नदी सहयोग:

2.32.1 तिस्ता नदी विवाद

1983 में भारत बांग्लादेश के मध्य तिस्ता नदी के बंटवारेको लेकर समझोता हुआ। जिसमें 39 % जल भारत को और 36 % जल बांग्लादेश को दिया गया और 25 % जल को मुक्त प्रवाह के लिए छोड़ा गया।

अभी तिस्ता नदी के जल विभाजन का समझोता प्रस्तावित है, जिसमें जल के बंटवारेको बढ़ाने की मांग है।

गंगा नदी जल विभाजन

बांग्लादेश और भारत दोनों ने ही गंगा जल के भाग पर दावा किया और अपने अपने तर्क दिए। बांग्लादेश ने तर्क दिया की फरक्का से गंगा नदी का बहाव बाधित होगा और बांग्लादेश को उसका पानी नहीं मिल पायेगा। भारत ने तर्क दिया कि गंगा का सबसे ज्यादा प्रवाह भारत में है और बांग्लादेश पूर्वी देश ह जहाँ बारिश ज्यादा होती है तो गंगा के जल पर भारत का हक़ होना चाहिए। इसी विवाद को हल करने के लिए 1971 में संयुक्त नदी जल आयोग की स्थापना की गयी।

1996 में 30 वर्ष के लिए समझोता हुआ कि यदि गंगा का जल 70000 क्यूसेक से कम होगा तो दोनों के बीच विभाजन आधा- आधा होगा, अगर जल 70000 क्यूसेक से अधिक होगा तो 40,000 क्यूसेक भारत को बाकि बांग्लादेश को।

2.32.2 तिपाईमुख बांध

तिपाईमुख बांध मणिपुर में बराक नदी पर एक प्रस्तावित तटबंध बांध है, जिसे पहली बार 1983 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण और जलविद्युत उत्पादन है। यह बांध बांग्लादेश की तरफ बहने वाली बराक नदी पर बनाया जाएगा।बांग्लादेशी जनता को डर है कि फरक्का बांध की तरह इस प्रोजेक्ट से भी उस पर ग़लत असर पड़ेगा। इसका बांग्लादेश के द्वारा विरोध किया जा रहा है उनका मानना है कि बांध के कारण बंगला देश की दो नदियों कशियारा और सिरमा में पानी कम हो जायेगा। बांग्लादेश कृषि पर आधारित है अतः इस तरह के बंधों का निर्माण बांग्लादेश की लिए हानिकारक है। वहीं भारत का मानना है कि इस बांध से बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलने के साथ साथ जल परिवहन , मत्स्य पालन में सहायता मिलेगी।

2.33 अवैध घुसपैठ

देश की आजादी के बाद से ही बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में होने वाली घुसपैठ एक गंभीर समस्या रही है। इस मुद्दे पर असम में लंबा आंदोलन चला है। पश्चिम बंगाल में तो सत्तारुढ़ लेफ्ट फ्रंट और बाद में तृणमूल कांग्रेस ने ऐसे लोगों को बसने में सहायता दी थी। यहां वे अब एक बेहद अहम वोट बैंक बन चुके हैं। लेकिन वर्ष 1971 के बाद भी घुसपैठ की समस्या जस की तस है। बीते साल एन०आर०सी तैयार होने और सी०ए०ए पारित होने के बाद अब ऐसे लोगों में हड़कंप मचा है। एन०आर०सी० से बाहर रहे लोगों को विदेशी घोषित कर डिटेंशन सेंटर में भेजने का प्रावधान है। इसी वजह से अब वे भारी तादाद में बांग्लादेश लौट रहे हैं। पहले जहां हर महीने औसतन 30-35 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाता था वहीं अब यह तादाद हर महीने दो सौ के पार पहुंच गई है।

2.34 प्रत्यर्पण का समझौता

दोनों देशों के बीच यह समझौता भी है की अपराधिक गतिविधि में शामिल व्यक्ति को अपने देश में शरण नहीं देंगे।

2.34 न्यू मूर द्वीप

भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी में स्थित न्यू मूर द्वीप है। इस द्वीप को भारत में न्यू मूर या पुर्बाशा कहा जाता है जबकि बांग्लादेश में इसे दक्षिण तलपट्टी के नाम से जाना जाता है। यह बंगाल की खाड़ी में दो से

बारह किलोमीटर का तट है।इस द्वीप को सबसे पहले 1971 में देखा गया था।1980 के बाद बांग्लादेश ने इस पर अपना दावा पेश किया। सालों से दोनों देश इस द्वीप पर अपना दावा करते रहे हैं लेकिन अब जलवायु परिवर्तन ने इस मसले को ख़त्म ही कर दिया है। कोलकाता स्थित जाधवपुर विश्वविद्यासय के समुद्र विज्ञान विभाग ने उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आंकलन के बाद ये बात कही है कि समुद्र तल से दो मीटर ऊपर, साढ़े तीन किलोमीटर लंबा और तीन किलोमीटर चौड़ा ये द्वीप पानी में डूब गया है।

2.35 भारत- बांग्लादेश आर्थिक सम्बन्ध

बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश है। वित्त वर्ष 2018-19 (अप्रैल-मार्च) की अवधि में भारत से बांग्लादेश को 9.21 बिलियन अमेंरिकी डॉलर की वस्तुओं का निर्यात किया गया तथा उसी अवधि में बांग्लादेश से भारत को 1.22 बिलियन अमेंरिकी डॉलर का आयात किया गया।

वर्ष 2011 के बाद से दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (South Asian Free Trade Area- SAFTA) के तहत भारत द्वारा बांग्लादेशी निर्यात को दी गई शुल्क मुक्त और कोटा मुक्त पहुंच की बांग्लादेश द्वारा सराहना की गई है।

भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड ने बांग्लादेश में 124 मेंगावाट गैस आधारित परियोजना का निर्माण किया है। 2005 में टाटा ग्रुप ने भी 1000 मेंगावाट की कोयला आधारित शक्ति परियोजना निर्मित करने का प्रस्ताव रखा है। यह भारत के बांग्लादेश में निवेश को देखता है।

2.36 चकमा

चकमा मूल रूप से तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) के चटगाँव पहाड़ी क्षेत्र के निवासी हैं, जिन्हें 1960 के दशक में 'कप्ताई बांध परियोजना' में उनकी ज़मीन जलमग्न होने के कारण पलायन करना पड़ा था। चकमा, जो बौद्ध और हाजोंग, जो हिन्दू हैं, को उस दौरान पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था, अतः वे तत्कालीन असम के लुशाई जिले (वर्तमान में यह मिजोरम में हैं) से होकर भारत में प्रवेश करने लगे एवं यहाँ शरणार्थियों के रूप में रहने लगे। कालांतर में चकमा समुदाय को असम में अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा प्रदान किया गया केंद्र एवं अरूणाचल प्रदेश सरकार इन्हें राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में प्राप्त अधिकारों में बढ़ोत्तरी किए बिना उन्हें नागरिकता प्रदान करने पर बात कर रही है। यद्यपि 2015 में उच्चतम न्यायालय ने इन शरणार्थियों की मांगों पर कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार को तीन माह का समय दिया था लेकिन राज्य सरकार के विरोध के कारण केंद्र सरकार न्यायालय के इस निर्देश का पालन नहीं कर पाई। भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है कि 1961 से पहले आये चकमा शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान की जाएगी।

2.37 रोहिंग्या मुसलमान

म्यांमार की बहुसंख्यक आबादी बौद्ध है। म्यांमार में एक अनुमान के मुताबिक़ 10 लाख रोहिंग्या मुसलमान हैं। इन मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि वे मुख्य रूप से अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं। सरकार ने इन्हें नागरिकता देने से इनकार कर दिया है। हालांकि ये म्यामांर में पीढ़ियों से रह रहे हैं। रखाइन स्टेट में 2012 से सांप्रदायिक हिंसा जारी है। इस हिंसा में बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई हैं और एक लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं।

2017 में जब उन्हें म्यांमार से भगाया गया था तब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उनका स्वागत किया था। दुनिया ने पैसों से लेकर अन्य मामलों में बांग्लादेश की मदद की। भारत ने रिफ्यूजी कैम्पों के लिए पांच से ज्यादा बार मदद भेजी है। बांग्लादेश के सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, कॉक्स बाजार के रिफ्यूजी कैंम्पों की आबादी में हर साल 64,000 का इजाफा हो रहा है। म्यांमार ने उन्हें ये कहते हुए वापस लेने से मना कर दिया है कि वे बांग्लादेश मूल के हैं। इसके कारणों में कई बार सुरक्षा चिंता भी कारण के रूप में दिखाई देता है | चीन और भारत, दोनों ही म्यांमार को इसके लिए नहीं मना पाए हैं।

2.38 मोटर वाहन समझौता

भारत बांग्लादेश के चाट गाँव एवं मोगला पत्तन का प्रयोग भात की वस्तुओं को उत्तरी-पूर्वी राज्यों में भेजा जा रहा है । वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश यात्रा के दौरान कोलकत्ता और त्रिपुरा के बीच बस यात्रा प्रारंभ की जो ढाका से होकर गुजरेगी । इससे कलकाता और त्रिपुरा के बीच की दुरी लगभग 350 किमी. हो जाएगी जबकि सिलीगुड़ी गलियारे से इसकी दुरी 1700 किमी है। कलकाता और असम के बीच भी बस सेवा शुरू की गयी जो ढाका होकर जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र केसामुद्रिक कानून पर बने न्यायाधिकरण ने जुलाई 2014 में निर्णय दिया की विवादित क्षेत्र का 19,500 वर्ग किमी क्षेत्र बांग्लादेश को और शेष भाग लगभग 6,000 वर्ग किमी। का क्षेते भारत को दिया जायेगा। बंगाल की खाड़ी में स्थित हिरभंगा नदी के पास के क्षेत्र पर भारत के अधिकार को मान्यता दी गयी है। इस निर्णय से दोनों देश अपने प्राकृतिक संसाधनों को खोज सकते हैं और इनके बीच ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के रास्ते भी साफ हो गये हैं।

2.39 भारतीय प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा (जून 2015)

इस यात्रा में कई समझौते हुए (अंत:क्षेत्र हस्तान्तरण ,जल समझौता , तटीय नौवाहन आदि)

अंत:क्षेत्र हस्तान्तरण समझौते के तहत 111 अंत:क्षेत्र बांग्लादेश को और 51 अंत:क्षेत्र भारत को प्राप्त हुए ।

2.40 बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा (2017)

अप्रैल 2017 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत आई जहाँ कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए और भारत ने बांग्लादेश को 4।5 अरब डॉलर की नई रियायती ऋण देने की घोषणा की।

2.41 भारत-बांग्लादेश आपसी सहयोग

1.रक्षा सहयोग

रक्षा क्षेत्र में सहयोग हेतु दोनों देशों के मध्य सेना (सम्प्रति अभ्यास) और नेवी (मिलान अभ्यास) के विभिन्न संयुक्त अभ्यासों का संचालन किया जाता है।

2.नदी सहयोग

भारत और बांग्लादेश 54 नदियाँ साझा करते हैं। दोनों देशों के लिये एक द्विपक्षीय संयुक्त नदी आयोग (Joint Rivers Commission- JRC) जून 1972 से कार्य कर रहा है ताकि दोनों देशों के बीच संपर्क को मज़बूत बनाते हुए आम राष्ट्रीय प्रणाली का अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके।

3.आर्थिक संबंध

बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश है। वित्त वर्ष 2018-19 (अप्रैल-मार्च) की अवधि में भारत से बांग्लादेश को 9.21 बिलियन अमेंरिकी डॉलर की वस्तुओं का निर्यात किया गया तथा उसी अवधि में बांग्लादेश से भारत को 1.22 बिलियन अमेंरिकी डॉलर का आयात किया गया। वर्ष 2011 के बाद से दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (South Asian Free Trade Area- SAFTA) के तहत भारत द्वारा बांग्लादेशी निर्यात को दी गई शुल्क मुक्त और कोटा मुक्त पहुंच की बांग्लादेश द्वारा सराहना की गई है।

4.कनेक्टिविटी सहयोग

दोनों देशों द्वारा कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संयुक्त रूप से हल्दीबाड़ी (भारत) और चिल्हाटी (बांग्लादेश) के मध्य नए रेलवे लिंक का उद्घाटन किया गया है।

दोनों देशों द्वारा अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल (Protocol on Inland Water Transit and Trade- PIWTT) के दूसरे परिशिष्ट पर हस्ताक्षर का स्वागत किया गया ।

दोनों देशों के बीच बेहतर संपर्क और यात्रियों तथा सामानों की आवाजाही को आसान बनाने के लिये बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (Bangladesh-Bhutan-India-Nepal- BBIN) मोटर वाहन समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन पर सहमति जताई गई है। इसके लिये बांग्लादेश, भारत और नेपाल के मध्य माल एवं यात्रियों की आवाजाही शुरू करने के लिये समझौता ज्ञापन पर शीघ्र हस्ताक्षर किये जाने की जरूरत पर बल दिया गया, जिसमें बाद में भूटान को भी शामिल किये जाने का प्रावधान है।

5.विद्युत क्षेत्र में सहयोग

वर्तमान में बांग्लादेश भारत से 1160 मेंगावाट बिजली का आयात कर रहा है जो भारत-बांग्लादेश संबंधों की पहचान बन गया है।

6.बहुपक्षीय मंचों पर दोनों देशों की भागीदारी

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council) में बांग्लादेश द्वारा भारत का समर्थन किया गया जिसके लिये भारत ने बांग्लादेश को धन्यवाद दिया।दोनों देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के शुरुआती सुधारों, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने, सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals-SDGs) की प्राप्ति और प्रवासियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिये साथ मिलकर कार्य करने पर सहमति व्यक्त की गई है।

क्षेत्रीय संगठन जिनमें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन- दक्षेस (South Asian Association for Regional Cooperation- SAARC) और बंगाल की खाड़ी के लिये बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक

सहयोग-बिम्सटेक (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation- BIMSTEC) शामिल हैं, की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

बांग्लादेश ने मार्च 2020 में दक्षेस नेताओं का वीडियो सम्मेलन बुलाने और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में वैश्विक महामारी के प्रभाव का मुकाबला करने के लिये सार्क आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष बनाने हेतु भारत को धन्यवाद दिया।

वर्ष 2021 में बांग्लादेश द्वारा हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग संगठन (Indian Ocean Rim Association-IORA) की अध्यक्षता की जाएगी तथा उसने अधिक-से-अधिक समुद्री सुरक्षा और बचाव के कार्यों के लिये भारत से समर्थन का अनुरोध किया है।

हाल ही में भारत और बांग्लादेश के मध्य सात समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए हैं और साझेदारी को मज़बूत करते हुए तीन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है।

i. भारत और विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत से माल की आवाजाही के लिये बांग्लादेश में चटगाँव (Chattogram) औरमोंगला (Mongla) बंदरगाहों का उपयोग।
ii. बांग्लादेश की फेनी नदी का त्रिपुरा में पेयजल आपूर्ति के लिये उपयोग।

7.सहयोग के अन्य क्षेत्र

दोनों देशों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, जैसे- निवेश, सुरक्षा संपर्क विकास, सीमा पार ऊर्जा सहयोग, नीली अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन आदि पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

शरणार्थियों (रोहिंग्या) के संकट का समाधान करने में।

8.कोविड 19 के दौरान

भारत ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी (Neighbourhood First policy) के तहत बांग्लादेश को दी जाने वाली सर्वोच्च प्राथमिकता को दोहराते हुए आश्वासन दिया है कि भारत में कोविड-19 टीके का निर्माण किये जाने पर उसे बांग्लादेश को उपलब्ध कराया जाएगा।

भारत ने टीके के उत्पादन में चिकित्सीय और साझेदारी में सहयोग की भी पेशकश की।

2.42 उभरते विवाद:

पानी के बँटवारे से संबंधित लंबित मुद्दों को सुलझाने के प्रयास होने चाहिये, साथ ही बंगाल की खाड़ी में महाद्वीपीय शेल्फ मुद्दों को हल करने, सीमा पर होने वाली घटनाओं को शून्य स्तर पर लाने और मीडिया का प्रबंधन करने पर दोनों देशों को ध्यान देना चाहिये।

असम में भारतीय नागरिकों की पहचान करने के लिये लाए गए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizen) पर बांग्लादेश पहले ही चिंता व्यक्त कर चुका है।

बांग्लादेश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (Belt and Road Initiative) का एक सक्रिय भागीदार है जिसमें भारत शामिल नहीं है।

बांग्लादेश रक्षा क्षेत्र में चीनी सैन्य पनडुब्बियों सहित अन्य सामग्रियों का एक प्रमुख प्राप्तकर्ता भी है।

2.43 उच्च स्तरीय दौरे और आदान-प्रदान

दोनों देश के बीच नियमित रूप से उच्च स्तरीय दौरे और आदान-प्रदान होते रहे हैं। मंत्रीयों एवं वरिष्ठ अधिकारी के नियमित रूप से दौरे होते रहे हैं।

अभ्यास प्रश्न

1. महाकाली सन्धि किन देशों के बीच हुई है?

A. भारत और नेपाल B. भारत और श्रीलंका C. भारत और पाकिस्तान D. भारत और चीन

2. कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है?

A. उत्तराखंड B. उत्तर प्रदेश C. सिक्किम D. उपरोक्त सभी

3. भारत नेपाल का सबसे बड़ा और व्यवस्था बॉर्डर क्रासिंग कौन सी है?

4. फरक्का समस्या का संबंध किससे है?

A. भारत-बांग्लादेश B. भारत-चीन C. भारत-श्रीलंका D. भारत-भूटान

5. बांग्लादेश की मुक्ति से जुड़ा संगठन है

A. लिट्टे B. मुक्ति वाहिनी C. नाटो D. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय

2.44 सारांश

इस अध्याय में भारत नेपाल और भारत-बंगला देश संबंधों को जानने का प्रयास किया । नेपाल का दक्षिणी क्षेत्र भारत की उत्तरी सीमा से सटा है। भारत और नेपाल के बीच रोटी-बेटी का सम्बन्ध माना जाता है। भारत के साथ नेपाल के मधेसी समुदाय का सांस्कृतिक सम्बन्ध रहा है । दोनों देशों की सीमा पर यातायात पर कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं रहा,सामाजिक और आर्थिक विनिमय बिना किसी गतिरोध के चलता रहता है। यह सब भारत नेपाल की नजदीकी को दर्शाता है । 2019 को भारत द्वारा जारी मानचित्र में काला पानी को भारतीय क्षेत्र के रूप में दिखाया गया था जिसने भारत नेपाल के बीच पुराने विवादों को उठाया। इसके आलावा मधेसी आन्दोलन में भारत का मधेसियों का साथ देना, भारत का बिग ब्रदर वाली छवि स्थापित करना आदि ने भारत-नेपाल संबंधों को प्रभावित किया है। वहीं नेपाल में चीन के बढ़ते दखल की वजह से भारत-नेपाल के संबंधों में पहले जेसी गरम जोशी नहीं रही है । चीन ने नेपाल में अपनी स्थिति को मजबूत किया है व मंदारिन भाषा को स्कूल में अनिवार्य कर दिया है ।चीन नेपाल में ऐसी परियोजनाओं में काम कर रहा है जिसमें भरी खर्च होना है । ऐसे में नेपाल का चीन की और झुकाव होना निश्चित ही है । यह भारत-नेपाल सम्बन्ध को प्रभावित करेगा। ऐसे में भारत को कुटनीतिक सुझबुझ का परिचय देना होगा। भारत के लिए बंगला देश महत्वपूर्ण भूमिका रखता है । भारत और बांग्लादेश के बीच सामरिक एवं सहयोग के कई क्षेत्र के बावजूद दोनों देशों के बीच कई मुद्दों को लेकर तनाव भी हैं। चीन लगातार भारत तथा इसके पडोसी देशों के संबंधों में हस्तक्षेप कर अपना प्रभुत्व बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। हाल के वर्षों में भारत-बांग्लादेश ने कई क्षेत्रों में सहयोग के प्रयास किये जिसमें मैत्री सेतु, ट्रेन व बस मार्ग , जल मार्ग आदि प्रमुख हैं। दोनों देशों के बीच तमाम बाधाएं भी हैं जैसे - तिस्ता नदी जल विवाद, बेल्ट एंड रोड

इनिशिएटिव, बंगलादेशी नागरिकों की हत्या आदि । बांग्लादेश कोविड-19 महामारी के दौरान अपने शानदार आर्थिक प्रदर्शन की वजह से आगे बढ़ रहा है । भारत- बांग्लादेश विश्व में पांचवी सबसे लम्बी अंतराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। सुरक्षा और सीमा प्रबन्ध को मजबूत करने हेतु भारत के लिए बांग्लादेश के साथ सकारात्मक सक्रिय सम्बन्ध बनाए रखना महत्वपूर्ण है ।

2.45 शब्दावली

NRC- National Register of Citizen

IORA- Indian Ocean Rim Association

2.46 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. A , 2. D, 3. सुनौली बॉर्डर क्रासिंग, 4. A, 5. B

2.47 सन्दर्भ ग्रन्थ

2. पाठक, शेखर एवं पन्त, ललित, कालापानी और लिपुलेख एक पड़ताल, पहाड़ प्रकाशन तल्लाडाना नैनीताल।2020

3. घई , यू। आर। एवं घई के।के। "अंतरराष्ट्रीय राजनीति" न्यू एकेडमी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।

4. फडिया, बी। एल।, अंतरराष्ट्रीय राजनीति" साहित्य भवन प्रकाशन, इलाहाबाद 2010।

5. पन्त,पुष्पेश , 21 वीं शताब्दी में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, 6 संस्करण, चेन्नई: मैकग्रा हिल एजुकेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड,

6. कुमार आर्या राकेश,भारत की विदेश नीति 2022 , अल्फेड पब्लिकेसन ,

7. MenonShivshankar,India and Asian Geopolitics, Booking Institution Press,Ebook।ISBN:9780815737247, 0815737246

8. दीक्षित ,जे.एन. भारतीय विदेश नीति ,प्रभात प्रकाशन, 2021 नई दिल्ली

9. पन्त, पुष्पेश , "भारत की विदेश नीति" टाटामैकग्रा हिल एजुकेशन, नई दिल्ली।

2.48 सहायक/ उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. भारतीय विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट ।

2. बीबीसी हिंदी

3. (https://www।bbc।com/hindi/india/2010/03/100324_newmoor_island_awa)

2.49 निबंधात्मक सामग्री

1. भारत और नेपाल के बीच सामाजिक व राजनीतिक संबंधों की चर्चा कीजिये ।

2. क्या भारत की विदेश नीति से यह झलकता है कि भारत क्षेत्रीय स्टार की महाशक्ति बनना चाहता है? 1971 के बांग्लादेश युद्ध के संदर्भ में इस प्रश्न पर विचार करें।

इकाई -3 भारत –श्रीलंका, भारत – म्यांमार सम्बन्ध, भारत- अफगानिस्तान सम्बन्ध

3.1 प्रस्तावना

3.2 उदेश्य

3.3 1990 के दशक का मध्य

3.4 अफगान युद्ध

3.5 अफगानिस्तान में भारतीय प्रवासी

3.6 भारत - अफगानिस्तान राजनीतिक सम्बन्ध

3.7 भारत- अफगानिस्तान आर्थिक हित

3.8 भारत- अफगानिस्तान सुरक्षा हित

3.9 भारत -अफगानिस्तान सामरिक हित

3.10 भारत- अफगानिस्तान वाणिज्यिक सम्बन्ध

3.11 वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान शासन

3.12 भारत के समक्ष चुनौतियाँ

3.13 कोविड -19 महामारी में भारत के द्वारा अफगानिस्तान को दी गयी मानवीय सहायता

3.14 भारत- श्री लंका पृष्टभूमि

3.15 श्री लंका ग्रह युद्ध में भारतीय हस्तक्षेप

3.16 मछुआरों का मुद्दा

3.17 राजीव- जयवर्धने समझौता

3.18 भारत- श्री लंका वाणिज्यिक सम्बन्ध

3.19 भारत –श्री लंका सुरक्षा सहयोग

3.20 मुद्दे व संघर्ष

3.21 भारत – म्यांमार पृष्टभूमि

3.22 भारत- म्यांमार आर्थिक सम्बन्ध

3.22.1 भारत – म्यांमार –थाईलेंड राजमार्ग

3.22.2 बिम्सटेक

3.22.3 भारत मेंकांग गंगा सहयोग

3.23 आग सांग सू की

3.24 भारत पर तख्ता पलट के प्रभाव

3.25 सारांश

3.26 शब्दावली

3.27 अभ्यास प्रश्न के उतर

3.28 सन्दर्भ ग्रन्थ

3.29 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री

3.30 निबंधात्मक प्रश्न

3.1 प्रस्तावना

भारत के पडोसी देश अफगानिस्तान ,श्री लंका ,म्यांमार ,नेपाल आदि है । अफगानिस्तान दक्षिण एशिया में अवस्थित देश है। अफगानिस्तान के उत्तर पूर्व में **भारत तथा चीन ,** पूर्व में **पाकिस्तान ,उतर में तजाकिस्तान ,कजाकिस्तान तथा तुर्केमिस्तान तथा पश्चिम में ईरान है** ।10वी शताब्दी से लेकर 18 वी शताब्दी के मध्य तक उत्तरी भारत पर कई आक्रमणकारियों द्वारा आक्रमण किया गया है जो आज अफगानिस्तान में स्थित है उनमें से कुछ गजनवीड ,खिलजी ,मुगल ,दुरानी आदि थे। इन युगों के दौरान कई अफगान अपने क्षेत्रो में राजनीतिक अशांति के कारण भारत में प्रवास करने लगे थे अफगान के खान अब्दुल गफार खान भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रमुख नेता थे और भारतीय राष्टीय कांग्रेस के सक्रीय समर्थक थे ।भारत और अफगानिस्तान के सम्बन्ध बेहद मजबूत और मधुर है। भारत के अपने पड़ोसी अफगानिस्तान के साथ 1950से लगाया जा सकता है जब भारत के तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु और भारत में अफगान के तत्कालीन राजदूत मोहम्मद नजीबुल्लाह द्वारा पांच साल कि मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किये गये थे भारत 1980 के दशक में सोवियत समर्थित लोकतांत्रिक गणराज्य अफगानिस्तान को मान्यता देने वाला एक मात्र दक्षिण एशियाई देश था हालाकि 1990के दशक के अफगान ग्रह युद्ध और तालिबान सरकार के दौरान सम्बन्ध कम हो गये थे भारत ने **तालिबान** को उजाड़ फेकने में सहायता की और अफगानिस्तान को मानवीय और पुनिर्माण सहायता का सबसे बड़ा क्षेत्रीय प्रदाता बन गया अफगानिस्तान में भारत के पुनिर्माण प्रयासों के हिस्से के रुप में भारतीय विभिन्न निर्माण परियोजना में काम कर रहै है ।

भारत का दूसरा पड़ोसी देश श्री लंका भारत के दक्षिण में हिन्द महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप है।इसका कुल श्रेत्रफल 25332 वर्ग मील है ।सभी देशो में इसकी भोगोलिक निकटता है हिन्द महासागर में इसकी भू-रणनीतिक स्तिथि और अमेंरिकी नोसैनिक अड्डे से इसकी निकटता इसके आकार जनसंख्या और संसाधनों से कही अधिक इसके महत्व को इंगित करती है। श्री लंका में 64 फीसदी लोग बोद्ध धर्म को मानते है और करीब 15 फीसदी लोग हिदू धर्म को मानते है। अंतराष्टिय राजनीती में श्री लंका का बहुत महत्व है । भारत से श्री लंका की दूरी पाक जल डमरु मध्य पार करके बहुत कम समय में तय की जा सकती है । भारत और श्री लंका औपनिवेशिक दासता के लम्बे समय तक शिकार रहे। इसे 4 फ़रवरी 1948 को स्वतंत्रता मिली।

भारत के लिये एक महत्वपूर्ण व्यापार भागीदार व पड़ोसी देश म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है है । जिसके साथ भारत एक भूमि सीमा साझा करता है म्यांमार के पड़ोसी देश भारत ,थाईलैंड ,लाओस, बांग्लादेश, चीन है। इनकी आबादी 54 मिलियन है जिनमें से अधिकाश बर्मी भाषी है हालांकि अन्य भाषाये भी यहा बोली जाती है यहा मुख्य धर्म बोद्ध धर्म है देश में कई जातीय समूह है जिनमें रोहिग्या मुसलमान भी शामिल है। म्यांमार कृषि प्रधान देश है ।अधिकाश लोग कृषि कार्यो में लगे हुए है जो लोग अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रो में लगे हुए है उनमें से कई अप्रत्यक्ष रुप से कृषि में परिवहन में प्रसंस्करण विपणन और कृषि वस्तुओ के निर्यात में लगे हुए है। म्यांमार के आर्थिक उत्पादन का लगभग आधा विशेष रुप से सभी बड़े उद्यमों ,बैंकिंग प्रणालियों, बीमा ,विदेशी व्यापार, घरेलू थोक व्यापार और लगभग सभी खुदरा मूल्य का 1962 -1963 में राष्ट्रीकरण कर दिया गया था । म्यांमार की एक व्यापक अनौपचारिक अर्थव्यवस्था भी है देश में काफी मात्रा में उपभोक्ता वस्तुओ की तस्करी की जाती है। सागोन और रत्न का अवैध रुप निर्यात किया जाता है इसके अलावा उतरी म्यांमार दुनिया में **अफीम** के सबसे बड़े उत्पादों में से एक है । यह देश के सकल घरेलु उत्पाद का लगभग आधा हिस्सा है और लगभग दो तिहाई श्रम शक्ति को रोजगार देता है ।म्यांमार ने 4 जनवरी 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त की । यह 1962 से 2001 तक सशस्त्र बलों द्वारा शासित था। म्यांमार की सतारूढ़ सेना ने 1989 में वर्मा देश का नाम म्यांमार में बदल दिया।

3.2 उद्देश्य

इस इकाई के अंतर्गत हम भारत का अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान ,श्री लंका तथा म्यांमार के साथ सम्बन्ध का अध्ययन करेंगें ।जिसके अंतर्गत आप भारत का अफगानिस्तान ,श्री लंका व म्यांमार के बीच राजनीतिक और आर्थिक, वाणिज्यिक सम्बन्ध एवं सामरिक हितो के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे साथ ही वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के आने से भारत के सामने आई चुनौतियो का भी का भी अध्ययन करेंगे। इस इकाई को भलीभाति पढने और समझने के बाद आप :-

- भारत और अफगानिस्तान के बीच राजनीतिक व आर्थिक सम्बन्ध तथा अफगानिस्तान में तालिबान के शासन से भारत पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों को समझ सकेंगे।
- श्री लंका में तमिल और सिंहली के बीच जातीय संघर्ष के कारणों का अध्ययन व तमिल शर्णार्थियो की समस्या को समझ सकेंगे।
- भारत म्यांमार सम्बन्धो के बीच प्रमुख मुद्दे रोहिंग्याओ की समस्या को समझ पायेंगे।
- भारत म्यांमार के बीच आर्थिक सम्बन्धो का अध्ययन कर सकेंगे।
- म्यांमार में हुए तख्तापलट का भारत पर पडने वाले प्रभावों का अध्ययन कर सकेंगे।

3.3 1990 के दशक का मध्य

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मदरसों से निकलकर **तालिबान** (यह नाम अरबी शब्द तालिब से निकला है जिसका अर्थ है 'छात्र') अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लेते है।1990में जब अफगानिस्तान से सोवियत संघ की सेना वापस जा रही थी तो कई गुटों में झडप हो गयी थी इस झडप ने अफगानिस्तान में तालिबान को जन्म दिया। 1996 तक इसने बुरहानुदीन रब्बाबी शासन को उखाड़ फेका है और उसकी जगह तालिबान के संस्थापक **मुल्ला उमर** की हुकुमत कायम की, सख्त शरीअत कानून लागू किया ।तालिबान ने अफगानिस्तान पर 1996 से 2001 तक शासन किया।

1999 –संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिषद अलकायदा और तालिबान प्रतिबन्ध समिति बनाती है। दोनो साथ मिलकर काम करने वाले आतंकवादी संगठन घोषित किये जाते है और उन पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है।

3.4 अफगान युद्ध

11 सितम्बर 2001 को अमेरिका में हुए हमलो में करीब 3000 लोग मारे गये थे। इस्लामिक आतंकवादी समूह अल- कायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन को जल्द ही जिम्मेदार व्यक्ति के रुप में पहचाना गया। तालिबान कट्टरपंथी इस्लामवादी जिन्होंने अफगानिस्तान को चलाया और बिन लादेन की रक्षा की उसे सोपने से इंकार कर दिया इसलिए 9/11 के एक महीने बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के खिलाफ हवाई हमले शुरु किये और दिसम्बर में तालिबान शासन को फेका गया संयुक राष्ट एक अंतरिम सरकार बनाता है ।लेकिन वे यू ही गायब नहीं हुए उनका प्रभाव वापस बढ़ गया और वे अंदर आ गये।

3.5 अफगानिस्तान में भारतीय प्रवासी –

वर्तमान में देश में लगभग 1710 भारतीय होने का अनुमान है ।अफगानिस्तान में अधिकाँश भारतीय बैंको, आई टी फार्म, निर्माण कंपनियो ,अस्पतालों ,विश्व विद्यालयों, सरकार में पेशेवरो के रुप में कार्यरत है ।**मिशन** भारतीय डाई स्पोरा के सदस्यों के साथ निकटता से साथ बातचीत करता है ,जहॉ भी आवश्यक हो सहायता करता है ।प्रवासी सदस्य मिशन की सांस्कृतिक गतिविधियों और राष्टीय दिवस समारोहों में भी सक्रिय रुप से भाग लेते है।

3.6 भारत - अफगानिस्तान राजनीतिक सम्बन्ध

ओपरेशन एन्ड्योरिंग फ्रीडम के दौरान 2001 में अमेरिका के नेत्रत्व में अफगानिस्तान पर आक्रमण ,भारत ने भाग लिया। 2001 के बाद से अफगानिस्तान के साथ भारत की विकास साझेदारी ने महत्व प्राप्त किया है क्योंकी भारत आज अपनी पूर्ण प्रतिबधता के साथ अफगानिस्तान को विकास सहायता का पॉचवा सबसे बड़ा प्रदाता है। भारत ने लगभग 650-750 मिलियन डालर मूल्य की मानवीय और आर्थिक सहायता प्रदान की जिससे यह अफगानिस्तान के लिये सहायता का सबसे बड़ा क्षेत्रीय प्रदाता बन गया। भारत का समर्थन और सहयोग हवाई सम्पर्क ,बिजली संयंत्रो के पुनिर्माण और स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रो में निवेश के साथ- साथ अफगान सिविल सेवको ,राजनयिकों और पुलिस को प्रशिक्षित करने में मद्दत करता है।

अफगानिस्तान की सता पर एक बार फिर आतंकी संगठन तालिबान काबिज हो गया है करीब दो दशक बाद **15 अगस्त 2001** को अफगानिस्तान की सता पर तालिबान की वापसी भारत सहित दुनिया के तमाम देशो को चिंता में डाल दिया है ।पिछले 20सालो में भारत ने अफगानिस्तान के सडक से लेकर संसद तक अनेको प्रोजेक्ट में निवेश किया है।

3.7 भारत- अफगानिस्तान आर्थिक हित

अफगानिस्तान में लोह अयस्क , लिथियम, क्रोमियम, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम आदि की लगभग 1-3 ट्रिलियन डालर की खनिज सम्पदा है ।अफगान में भारतीय निवेश और कर्मियों की सुरक्षा भारत के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि अफगान में भारतीय निवेश लगभग 3 बिलियन डालर है।

3.8 भारत- अफगानिस्तान सुरक्षा हित

1990 के दशक के दोरान भारत को अफगान में तालिबान से कई सुरक्षा चुनौतियो का सामना करना पड़ा –

- पाकिस्तान ने लश्कर- ए -तेयबा ,हरकत –उल मुजाहिदीन /हरकत –उल –अंसार ,और हरकत उल जिहाद अल इस्लामी जैसे कई आतंकवादी समूहो को खड़ा किया है और उनका समर्थन किया है जो भारत में काम करते है ।इन सभी समुहो ने तालिबान से अलग अलग निकटता और अल कायदा के विस्तार के साथ अफगानिस्तान में प्रशिक्ष्ण लिया है ।इस क्षेत्र में फैली कट्टरपंथी विचारधाराए और आतंकवाद भारत के लिये सुरक्षा के लिये खतरा है।
- पाकिस्तान द्वारा अफगान में अपनी रणनीतिक गहराई बढ़ाने के साथ वह अफगान में भारत के लाभ को बहुत अधिक लागत के माद्यम से उल्ट सकता है ।इराक और सीरिया में तनाव के कारण इस्लामिक स्टेट एशिया में अफगान को एक चोकी के रुप में इस्तेमाल कर रहा है।

3.9 भारत - अफगानिस्तान :सामरिक हित –

भारत -अफगानिस्तान को एक मित्र राष्ट के रुप में बनाये रखने में रूचि रखता है जहॉ से वह पाकिस्तान की निगरानी करने में सक्षम हो। भारत -अफगानिस्तान के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी विकसित करने में गहरी दिलचस्पी रखता है ।पाकिस्तान भारत को इन अवसरों से वंचित करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इस्लामी कट्टरतावाद का भारत के घरेलू सामजिक ताने बाने पर घातक प्रभाव पड़ा है क्योंकि भारत में हिन्दू कट्टरतावाद इन बाहरी विकास से शुरु होता है।

3.10 भारत - अफगान वाणिज्यिक सम्बन्ध –

भारत -अफगान के माद्यम से मध्य और दक्षिण एशिया के देशो के साथ परिवहन सम्पर्क और आर्थिक सहयोग में सुधार करना चाहता है वागा अटारी मार्ग के माध्यम से एक भूमि मार्ग है लेकिन पाकिस्तान इस रास्ते से भारत अफगान की इजाजत नहीं देता है।

- भारत और ईरान ने भूमि से घिरे अफगानिस्तान में माल के परिवहन पर एक पारगमन समझौता किया।
- दक्षिण पूर्वी ईरान में **चाबहार बंदरगाह** में भारतीय निवेश पारगमन माल के परिवहन के लिये एक केंद्र के रुप में काम करेगा।
- भारत ने अफगान में **डेलराम जरंज राजमार्ग** का निर्माण किया है।
- भारत अफगान ने द्विपक्षीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिये दो हवाई गलियारों की स्थापना की।
- भारत ने हेरात प्रान्त में सलमा बाध के पुनर्निर्माण में अफगानों की मदद की। व्यापार ,वाणिज्य ,निवेश पर एक भारत - अफगानिस्तान सयुक्त कार्यदल है।

3.11 वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान शासन

तालिबान लगभग 20 वर्षो से काबुल में अमेंरिकी समर्थित सरकार के खिलाफ लड रहा है। वह अफगानिस्तान में इस्लाम के सख्त रूप को फिर से लागू करना चाहता है ।सन 2018 में अमेरिका ने तालिबान के साथ बातचीत शुरू की। फरवरी 2020 में हुए दोहा वार्ता में अमेरिका व तालिबान विद्रोहियों के बीच समझौता हुआ ।इस समझोते के तहत अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान से अमेंरिकी सेना को बुलाने से अफगानिस्तान में फिर से तालिबान शासन कायम हो गया है।

3.12 भारत के समक्ष चुनौतिया

भारत अफगानिस्तान के लिए मानवीय और पुनर्निर्माण सहायता का सबसे बड़ा क्षेत्रीय प्रदाता है। भारत के तीन अरब डोलर से वहां का संसद भवन सड़के और बाध का निर्माण हुआ है। अमेंरिकी सेना के अफगानिस्तान से जाने से तालिबानियों का प्रभुत्व अफगानिस्तान में कायम हो गया है जिससे अफगानिस्तान में आतंक का माहोल बन गया है ।तालिबान के शासन में आने से भारत और अफगानिस्तान के सम्बन्ध बिगड़ने की आशंका है। क्षेत्र में नये भू राजनितिक संरेखण (चीन-पाकिस्तान-तालिबान का गठजोड़) भारत के हितो के विरुद्ध जा सकता जा सकता है। भारत को तालिबान शासन के साथ शांतिपूर्ण तरीके से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है ।जिससे भारत द्वारा अफगानिस्तान में किये गये निवेश विफल न हो पाए और विश्व में शांति व्यवस्था कायम बनी रहे।

3.13 मानवीय सहायता –

- हाल के वर्षो में भारत द्वारा अफगानिस्तान को दी जाने वाली प्रमुख मानवीय सहायता में निम्नलिखित शामिल है ;
- COVID 19 की वैश्विक महामारी और खाद्य सुरक्षा से सम्बन्धित मुद्दों से निपटने के लिये भारत 2020में अफगानिस्तान को 75000 मीट्रिक टन गेहू देने के लिये प्रतिबद्ध है। ।इसके अलावा भारत ने हाइड्रोकसी क्लोरोक्विन की 5 लाख गोलियों की आपूर्ति भी की है 2020 में अफगानिस्तान सरकार को पेरासिटामोल की 1 लाख गोलिया देने के लिये प्रतिबद्ध है।
- लगभग 15 लाख स्कूली बचो को अनाज और बिस्कुट दोनो के रुप में 11 लाख टन गेहूं की खाद्य सहायता का प्रावधान किया गया।
- सूखे के समय में खाद्य सुरक्षा विशेषकर बच्चो को बढ़ावा देने के लिये भारत ने 2018 में अफगानिस्तान को 2000 टन दाल वितरित की है।
- 2015 में काबुल में एक मेंडिकल डाईग्नोस्टिक सेंटर स्थापित करने किया गया था।
- केंद्र अफगानिस्तान के बच्चो को नवीनतम नेदानिक सुविधाए प्रदान करता है जिससे भारत के लिये सद्भावना पैदा होती है।

3.14 भारत - श्री लंका संबंधो की पृष्टभूमि

श्री लंका के साथ भारत का सम्बन्ध समाट अशोक के काल से रहा है। अशोक ने अपने पुत्र को श्री लंका बोद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। वह श्री लंका में बोद्ध धर्म कि सुदृढ नीव रखने में भी सफल हुआ। आज भी श्री लंका के लोग बोद्ध धर्म के अनुयायी है। दोनों देशो के सम्बन्ध समय के साथ परिपक्व व विविधता पूर्ण हुए है ।श्री लंका भारतीय महाद्वीप का ही एक उपअंग है इसलिए राजनीतिक महत्व ही नहीं बल्कि ओद्योगिक आर्थिक महत्त्व भी है ।सबसे पहले पुर्तगालियो ने उसके बाद डच और अंगेजो ने इस देश पर अपना अधिकार जमाया अंगरेजो ने अपने फुट करो और राज करो नीति से इस देश पर भी अपना अधिकार जमाया और उन्होने श्री लंका कि जनसख़्या को दो समुहो में आपस बनाये रखने में सफ़ल रहै। यहाँ पर बहुमत सिंहली भाषा भाषायो का है किंतु तमिल भाषा लोग अल्पमत में रहते हुए भी काफी प्रभाव रखते है। श्री लंका की सरकार ने भी गुट निरपेक्षता की नीति को स्वीकार किया है ।श्री लंका के तमिल समुदाय ने खुद को तमिल युनाइटेड लिबरेशन फ़रंट नाम के राजनितिक संगठन में संगठित कर रखा है। तमिलो के कुछ उग्रवादी संगठन लिट्टे का गठन 1976 प्रभाकरण द्वारा द्वीप के उतर और पूर्वी हिस्सों में श्री लंका में तमिलो के लिए एक मात्रभूमि प्राप्त करने के इरादे से किया गया था इन्होने 1986 में जाफना पर अपना कब्जा कर लिया था ।लिट्टे के शुरूआती दिन अन्य तमिल गुटों से लड़ने और श्री लंकाई तमिलो के एकमात्र प्रतिनिधि के रुप में सता को मजबूत करने के पर केन्द्रित थे सरकार और विद्रोहियों के बीच कई झडपे हुई जिनसे आम नागरिक भी प्रभावित हुए लिट्टे ईलम नाम के एक पृथक राष्ट्र की मांग करते है परन्तु तमिलो का प्रमुख संगठन तुलफ़(TULF) स्वायतता की ही मांग करते है यह संगठन तमिलो के लिये एक स्वतंत्र देश के नागरिकों की तरह सम्मानित जीवन प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करते रहे , यहि मुद्दा तमिल आंदोलन का मूल आधार है।

भारत और श्री लंका के बीच में मैत्री पूर्ण संबंध होने पर भी समय समय पर कुछ घटनाये घटीत होती रही है, जिससे दोनो के बीच मतभेद उभर कर सामने आये है -

3.15 श्री लंका ग्रह युद्ध में भारतीय हस्तक्षेप –

1970-1980 के दशक में अनुसंधान और विशलेषण विंग और तमिलनाडु की राज्य सरकार में निजी संस्थाओ और तत्वो को एक अलग अलगाववादी विदोहि बल लिबरेशन टाइगर्स ओफ़ तमिल ईलम के लिए धन और प्रक्षिशण को प्रौत्साहित करने वाला माना जाता था ।1987 में अपने ही तमिलो के बीच बढ़ते गुस्से और शरणार्थियों की बाढ का सामना करना पढा। श्री लंका सरकार द्वारा सीधे नियंत्रण हासिल करने के प्रयास के बाद भारत ने सीधे संघर्ष में हस्तक्षेप किया।

श्री लंका के तमिलो के आंदोलन का कारण बहुसंख्यक सिंहलियो द्वारा की गयी भेदभाव पूर्ण की नीति थी। एक तरफ देश के आर्थिक -समाजिक और राजनीतिक क्षेत्रो में सिंहली शासक वर्ग का आधिपत्य एकाधिकार था और दुसरी तरफ़ बोद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म बना दिया गया और सिंहली भाषा को राष्ट्रीय धर्म बना दिया गया ।तमिलो की शिकायत यह थी की – सरकारी नौकरियो के भर्ती के वक्त तमिलो के साथ भेदभाव किया जाता है तथा वहा की सरकार तमीलो को घर पर ही रख कर सिंहलीयो कि आबादी को बढाना चाहती है ।जयवर्धने की सरकार ने तमिलो के विरुद्ध घोर भेदभाव पूर्ण नीतिया अपनायी । आतंकवादियो के नाम पर निर्दोश लोगो की सामुहिक हत्या की जाने लगी। श्री लंका ग्रह युद्ध में भारतीय हस्तक्षेप अपरिहार्य था क्योंकि उस ग्रह युद्ध ने भारत की एकता राष्ट्रीय हित और क्षेत्रीय अखण्डता के लिए खतरा पैदा कर दिया था ।

3.16 मछुआरों का मुद्दा –

श्री लंका अधिकारियों द्वारा पाकजल डमरू और मननार की खाडी में अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के श्री लका पक्ष पर भारतीय मुछुआरो की गिरफ्तारी लंबे समय से श्री लंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछली पकड़ने के ज़हाजो पर गोलिबारी के साथ एक समस्या रही है ।गुणवता और मात्रा दोनो के मामले में श्री लंकाई की पकड बेहतर है। भारतीय मछुआरों द्वारा मशीनीकृत टोलरो का उपयोग करने से यह मुद्दा शुरु हुआ । जिसने श्री लनकाई मछुआरों को उनकी पकड़ से वचिंत कर दिया और उनकी मछली पकड ने वाली नौका को क्षेति ग्रस्त कर दिया श्री लंका सरकार चाहती है की भारत पाक जलडमरूमध्य क्षेत्र में मशीनीकृत टॅालरो के उपयोग पर प्रतिबंध लगाये और इस विषय पर बातचीत चल रही है अब तक कोई ठोस समझोता नहीं हुआ है क्योंकी भारत इन टॅालरो को पूरि तरह से प्रतिबंधित करने के बजाय उन्हे विनियमित करने का पक्षधर है ।

3.17 राजीव -जयवर्धने समझौता-

29 जुलाई 1987 को भारत के प्रधानमन्त्री राजीव गांधी और राष्ट्रपति जयवर्धने के बीच कोलम्बो में 29 जुलाई 1987 को एक 18 सूत्रीय समझौता हुआ चुकी यह समझोता कोलम्बो में हुआ इसलिए इसे कोलम्बो समझोता कहा जता है। राजीव जयवर्धने समझोते को बेमिसाल और एतिहासिक समझोता कहा गया ।यह समझौता श्री लंका कि एकता और अखण्डता की गारंटी देता है। समझौता तमिल होमलैंड का जिक्र किये बिना पूर्वी और उतरि प्रातो का तमिलो के आदतन आवास का क्षेत्रीय सुनिश्चत करता है। ज़हा उनकी अपनी निर्वाचित प्रातीय - प्ररिषद होगी अपना गवर्नर मुख्यमंत्री होगा समझौता दक्षिण एशिया में शांति स्थापित करने का प्रयत्न था ।

21मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी गयी और लिट्टे पर अपराधी होने का आरोप लगाया गया नतीजन भारत ने लिट्टे को आतकंवादी घोषित कर दिया 1990 के दशक में द्विपक्षीय सम्बन्धो में सुधार हुआ और भारत ने शांति प्रकिया का समथर्न किया लेकिन फिर से शामिल होने क आवहन का विरोध किया संघर्ष आधिकारिक तोर पर 19मई 2009 को समाप्त हो गया। राष्ट्रपति महिदा राजपक्षे ने श्री लकाई सन्सद को एक विजय भषण देते हुए कहा की श्री लंका आतंकवाद से मुक्त हो गया है लिट्टे नेता वेलुपिल्लई परभकरण को एक दिन पहले18 मई 2009 को हटा दिया गया था। संघर्ष में दोनो पक्षों के 800000 -900000 लोग मारे गये थे और लगभग 8०००० आंतरिक रुप से विस्थापित हुए थे।

3.18 भारत- श्री लंका वाणिज्यिक समबन्ध –

श्री लंका लम्बे समय से भारत से प्रत्यक्ष निवेश के लिए एक प्राथमिकता वाला गन्तव्य रहा है श्री लंका सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ) में से एक है। मार्च 2000 में भारत श्री लंका मुक्त व्यापार समझोता के लागु होने के बाद दोनो देशो के बीच व्यापार तेजी से बडा है। श्री लंकाई शुल्क सीमा शुल्क के अनुसार 2018 में द्विपक्षीय वयापार 4. 93 बिलियन अमेंरिकी डालर था।

2018 में भारत से श्रीलंका को निर्यात 4. 16 बिलियन अमेंरिकी डालर था जबकि श्री लंका से भारत को निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुए है –बेस आयल , पोलट्री फिलड , सुपारी , पेपर या पेपर बोर्ड ,काली मिर्च ,मारबल आदि

भारत से श्री लंका में आयात कि जाने वली मुख्य वस्तुए है -गैस तैल / डीज़ल मोटर साइकिल ,फार्माक्युटीकल ऊत्पाद, सैन्य हथियार, चावल, सीमेंट आदि

3.19 भारत -श्री लंका (सुरक्षा सहयोग) –

भारतीय सेना और श्री लंका सेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभयास 01से 14 दिसम्बर 2019 तक पुणे में विदेशी प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया गया था।भारतीय सेना और श्री लंका सेना के बीच इस सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास को **मित्र शक्ति** के नाम से जाना जाता है। मित्र शक्ति 20 भारतीय और श्री लकाई सेना के बीच सयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का 7 वा संसकरण था।

भारतीय नौसेना और श्री लंका के बीच 7वा् द्विपक्षीय संयुकत अभ्यास 7 सितम्बर 20 19से 12 सितम्बर 20 19 तक आयोजित किया गया था। यह विशाखापत्तनम के तट पर आयोजित ६ द्विपक्षीय संयुकत अभ्यास था ।भारतीय नौ सेना का प्रतिनिधित्व INS खुकुरी और नौ सेनीय अपतटीय ग़शती पोत INS सुमेंधा द्वारा किया गया था। भारतीय नो सेना और श्री लकाई नो सेना के बीच नियमित रुप से आयोजित इस समुद्री अभ्यास को SLINEX के रुप में जाना जाता है।

3.20 मुद्दे और संघर्ष –

हाल के वर्षो में चीन ने नई बुनयादी ढाचा परियोजनाओं के लिये श्री लंका सरकार को अरबों डॉलर ऋण दिया है जो हिंद महासगर में भारत की रणनीतिक गहराई के लिये अच्छा नहीं है। श्री लंका ने हबंटोता बंदरगाह को 90 सालो के लिये चीन को सौप दिया है जो कि चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के लिये लाभदायक सिध्द हो

सकता है।दोनो देशो ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किये है जो किसी भी देश के साथ श्री लंका की पहली परमाणु साझेदारी है।

3.21 भारत - म्यांमार पृष्टभूमि

भारत- म्यांमार सम्बन्ध साझा एतिहासिक ,जातीय, सांस्कृतिक व धार्मिक सम्बन्धो में निहित है। भू राजनीतिक दृष्टिकोण से म्यांमार भारत के लिये महत्वपूर्ण है क्यूंकि यह भौगोलिक रुप से भारत दक्षिण पूर्व सम्बन्धो के चौराहे पर खड़ा है। भारत और म्यांमार आधिकारिक तौर पर 1950 में मैत्री संधि हस्ताक्षर किये जाने के बाद शुरु हुआ जिसके बाद 1987 में प्रधानमंत्री राजीव गाधी की यात्रा के दौरान एक अधिक सार्थक सम्बन्ध की नीव स्थापित की। एक मात्र देश होने के नाते जो भारत **कि पड़ोसी पहले और इसकी पूर्व की और देखो की नीति** के चौराहे पर बैठता है। म्यांमार भारत प्रशांत में क्षेत्रीय कूटनीति के भारत के अभ्यास में एक आवश्यक तत्व है और दक्षिण एशिया को जोड़ने के लिये एक आवश्यक तत्व है और दक्षिण एशिया को जोड़ने के लिये भूमि पुल के रुप में कार्य करता है इस महत्व की मान्यता में म्यांमार को अगस्त 2008 में सार्क में पर्वेक्षक का दर्जा दिया गया था।

5 बी - दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक पुल म्यांमार ,भारत के राजनीतिक क्षितिज पर बहुत बड़ा है। व्यापार ,संस्कृति और कूटनीति का सम्मिक्षण दोनो देशो के बीच एक मजबूत सम्बन्ध है ।**बौद्ध धर्म ,व्यापार ,बालीवुड, भरतनाट्यम और वर्मा सागोन ये पांच बी है।** म्यांमार की नई राजधानी ने पी ताव में वार्ता ने, भारत- आशियान के लिये नवम्बर में दक्षिण पूर्व एशियाई देश में प्रधानमन्त्री मोदी की यात्रा के लिये मंच तैयार किया है। भारत के लिये म्यांमार का महत्व बिलकुल स्पष्ट है की भारत व म्यांमार 1600 किमी से अधिक की लम्बी भूमि सीमा और बंगाल की खाड़ी में एक समुद्री सीमा साझा करता है।

3.22 आर्थिक सम्बन्ध -

भारत सरकार ने म्यांमार के साथ व्यापार सम्बन्धो को मजबूत करने के लिये हवाई ,जमीन मार्गो का विस्तार करने के लिये काम किया है । दोनो सरकारे कृषि, दूरसंचार, सूचना प्रोद्योगिकी, इस्पात, तेल, प्राकृतिक गैस, हाइड्रोकार्बन और खाद्य प्रसंस्करण में सहयोग बढ़ाने के लिये आगे बढ रही है।13 फरवरी 2001 को भारत और म्यांमार ने 250 किलोमीटर तमू कलेवा क्लेम्यो राजमार्ग का उद्घाटन किया जिसे लोकप्रिय रुप से **भारत म्यांमार मैत्री सडक** कहा जाता है जिसे मुख्य रुप से भारतीय सेना के सीमा सडक संगठन द्वारा बनाया गया था और इसका उदेश्य उतर को जोड़ने वाला एक प्रमुख रणनीतिक और वाणिज्यिक परिवहन मार्ग प्रदान करता है।

3.22.1 भारत- म्यांमार -थाईलेंड मैत्री राजमार्ग -

भारत और म्यांमार भारत,म्यांमार और थाईलेंड को जोड़ने वाले 3200 किलोमीटर के त्रिकोणीय राजमार्ग पर सहमत हुए है। 1408 किमी लम्बा यह मार्ग भारत कि पूर्व कि और देखो नीति के तहत एक राजमार्ग है जो भारत में गुवाहाटी से शुरु होता है और म्यांमार में मांडले से जुड़ता है ,मार्ग म्यांमार में यागुन और फिर थाईलैंड में माई साट तक जाता है ।गुवाहाटी को मांडले से जोड़ने वाला पहला चरण अंतत: एशियाई राजमार्ग नेटवर्क के व्यापक ढाचे के भीतर मेंकांग – गंगा सहयोग के तहत विस्तारित किया जाएगा।

म्यांमार जुलाई 1997 में आसियान का सदस्य बना। एकमात्र आसियान देश के रुप में जो भारत के साथ एक भूमि सीमा साझा करता है। म्यांमार भारत और आसियान के बीच एक पुल का निर्माण करता है।

3.22.2 बिम्सटेक

म्यांमार दिसम्बर 1997 में बिम्सटेक का सदस्य बना । म्यांमार बिम्सटेक मुक्त व्यापार समझौते का एक हस्ताक्षरकर्ता है ।म्यांमार ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी देश है ।म्यांमार ज्यादतर बिम्सटेक क्षेत्र में थाईलेंड और भारत के साथ व्यापार करता है, भारत को म्यांमार का प्रमुख निर्यात सेम दाले और मक्का जैसे कृषि उत्पाद और सागोंन लकड़ी जैसे वन उत्पाद है । 13वीं बिम्सटेक मन्त्रियस्तरीय बैठक जनवरी 2011 में म्यांमार में आयोजित की गयी थी ।

3.22.3 मेंकांग - गंगा सहयोग (MGC)-

म्यांमार नवम्बर 2000 में अपनी स्थापना के बाद से मेंकांग गंगा सहयोग का सदस्य रहा है। **MGC छ देशो भारत और पाच आशियान देशो कम्बोडिया ,लाओस, म्यांमार ,थाईलेंड और वियतनाम** द्वारा एक पहल है ।पर्यटन ,शिक्षा ,संस्कृति,परिवहन और संचार के लिये MCG की सदस्य देशो द्वारा वर्णानुक्रम में ग्रहण की जाती है ।

म्यांमार 1 फरवरी 2021 से सैन्य शासन के अधीन है ।1 फरवरी को एक आम चुनाव के बाद इसने नियंत्रण पर कब्जा कर लिया है जिसे आंग साग सु की, की NLD पार्टी ने भारी बहुमत से जीता था ।सशस्त्र बलो ने विपक्ष का समर्थन किया था । 11 मई तक कम से कम 783 लोगो मारे गये है और कुल 3859 लोग हिरासत में है जिनमें से 20 को मौत की सजा का सामना करना पड़ रहा है ।

3.23 आंग सां सु की

सू की, म्यांमार के स्वतंत्रता नायक जनरल आन साग की बेटी है । 1990 के दशक में आंग सां सू की म्यांमार में लोकतंत्र बहाल करने के लिये विश्व प्रसिद्ध हो गयी थी ।1989 और 2010के बीच लोकतांत्रिक सुधार और स्वतंत्र के लिये रैलियों का आयोजन करने के लिये 15 साल हिरासत में रही। उन्हे 1991 में घर में नजरबंद करने के दौरान नोबल शान्ति पुरूस्कार से नवाजा गया था। 2015 में उन्होंने 25 वर्षो में म्यांमार के पहले खुले तोर पर लड़े गये चुनाव में NLD को जीत दिलाई।

लेकिन 2021 में एक तख्तापलट के चलते उन्हें अपदस्थ कर दिया सेना ने नियंत्रण कर लिया और उन्हें और उनके आसपास के राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।

3.24 भारत पर तख्ता पलट के प्रभाव -

तख्ता पलट ने संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम से कड़ी प्रतिक्रिया और प्रतिबंधो के खतरे को आकर्षित किया है इससे म्यांमार में अद्वितीय राजनितिक पुनर्गठन हो सकता है, ये निर्णायक पश्चिमी प्रतिबंध म्यांमार की सेना को चीन के करीब जाने के लिये मजबूर कर सकते है जो भारत के हित में नहीं सकता है। म्यांमार में लोकतंत्र को बहाल करने के किसी भी प्रयास के लिये आंग सांग सू की का समर्थन करने की आवश्यकता है, हालाकि रोहिग्या संकट पर उनकी चुप्पी के कारण रोहिग्या की दुर्दशा पीछे हट सकती है या आसानी से भुला दी जा सकती है। रोहिग्या मुददे को जितनी जल्दी सुलझाया जाएगा भारत के लिये म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अपने सम्बन्धो में उतना आसन होगा। इसके बजाय द्विपक्षीय और उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पर अधिक ध्यान केन्द्रित

करना होगा तथा आसियान और बिम्सटेक जेसै विभिन्न बहुपक्षीय मंचो में सहयोग दोनो देशो के बीच सम्बन्धो को मजबूत करता है।

3.25 सारांश –

क्षेत्रीय सहयोग के लिये अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देश में शान्ति कायम होना बेहद जरूरी है साथ ही यह भी जरूरी है की एक पड़ोसी के रुप में भारत को अफगानिस्तान का साथ मिलता रहे इसके लिये अफगानिस्तान में विकास कार्यो के अलावा भारत को अफगानिस्तान सहित अन्य पड़ोसी देशो के साथ क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने की जरूरत है ।भारत को पाकिस्तान को अलग थलग करने के बजाय BIMSTEC,BBIN और IORA (INDIAN OCEAN RIM ASSOCIATION) जेसे क्षेत्रीय समुहो पर ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत है ।भारत को रूस और अमेरिका इन दो देशो के साथ ही नहीं बल्कि अपने स्तर पर भी अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिये कोशिश करनी चाहिए।

श्री लंका और भारत के बीच सम्बन्ध सुधर रहे है ।चूकी दोनो देशो में लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसलिए सम्बन्धो को व्यापक करने की गुंजाइश है ,दोनो देशो को द्विपक्षीय सम्बन्धो के माध्यम से मछुआरों की मुद्दें का स्थायी समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए ।श्री लंका के साथ सम्बन्ध सुधारने के लिए भारत को अपने पारम्परिक और सांस्कृतिक सम्बन्धो पर अधिक ध्यान देने कि जरूरत है। एक दुसरे के प्रति पारस्परिक मान्यता दोनो देशो के बीच सम्बन्धो को बेहतर बना सकती है ।श्री लंकाई राष्ट्रपति मैत्रीपला सिरिसेना की साथ बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा कि –भारत श्री लंका का निकटतम पड़ोसी और मित्र है ,हमारे भाग्य आपस में जुड़े हुए है परन्तु इस हेतु अभी भी अत्यंत प्रगति की आवश्यकता है जो दोनो ही राष्ट्रों का उतरदायित्व है।

म्यांमार के सामरिक महत्व को देखते हुए म्यांमार को एक स्थिर स्वायत देश के रुप में देखना भारत के भू रणनीतिक हित में है जिससे भारत म्यांमार संबंधो में अधिक से अधिक द्विपक्षीय जुडाव सम्भव हो सके। भारत म्यांमार आर्थिक सम्बन्धो में सुधार के लिये कनेक्टिविटी को सुगम बनाना केन्द्रीय है। भारत म्यांमार के कई सामान्य पारस्थितिक और जलवायु सम्बन्धी चिंताओं को ,उग्रवाद और क्षेत्रीय शांति पर साझा चिन्ताओ और बढती चीनी मुखरता के आलोक में संप्रभुता को संरक्षित करने से लेकर है ।भारत को इस अवसर का लाभ उठाने और चल रही परियोजनाओं पर तेजी लाने की जरूरत है साथ ही रचनात्मक सहायता और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माद्यम से सॉफ्ट पावर का प्रयोग करना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न –

1. भारत व अफगानिस्तान को कौन- सी सीमा रेखा अलग करती है ?

A. मैक मोहन रेखा B. रेड किलिफ रेखा C. डूरंड रेखा

2. भारत- अफगान मैत्री संधि कब हुई ?

A. 1947 B. 1948 C. 1950

3. श्री लंका को स्वतंत्रता कब मिली ?

A. 1947 B. 1948 C. 1972 D. 1962

4. भारत और श्री लंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से जाना जाता है ?

A. मित्र B. सूर्यकिरण C. शक्ति D. मित्र शक्ति

5. भारत से श्री लंका को कौन पृथक् करता है ?

A. मैकमोहन लाईन B. रेड किलिफ लाइन C. डूरन्ड लाइन D. पाक जल संधि

6. म्यांमार का पुराना नाम क्या है ?

A. रंगून B. अराकान C. रखाइन D. बर्मा

7. म्यांमार बिम्सटेक का सदस्य कब बना ?

A. 1997 B. 1967 C. 1976 D. 1987

3.26 शब्दावली –

- डायस्पोरा – प्रवासी
- MEA – MINISTERY OF EXTERNAL AFFAIRS
- IORA- INDIAN OCEAN RIM ASSOCIATION
- TULF - TAMIL UNITED LIBRETAION FRONT
- LTTE(लिट्टे) –LIBERATION TIGERS OF TAMIL ELAM
- SLINEX – SHRI LANKA INDIA NAVAL EXERCISE
- NLD – national league for democracy
- BIMSTEC (बिम्सटेक)- BAY OF BENGAL INITIATIVE FOR MULTI-SECTROAL TECHNICAL AND ECONOMIC COOPERATION
- आसियान (ASEAN) - दक्षिण पूर्व एशियाई देशो का संगठन

3.27 अभ्यास प्रश्न के उतर-

1.C 2. C 3. B 4. D 5. D 6. A 7. A

3.28 संदर्भ –

1. Barfield,Thomas J।1950 – AFGANISTAAN: A CULTURAL AND POLITICAL HISTORY ,united kingdom: Princeton university press
2. Griffiths,John c।(2011), Afganistaan: Land of conflict and beauty ,London:Andre Deutsch the carlton publishing group
3. पन्त ,पुष्पेश " भारत की विदेश नीति '' टाटा मैक्ग्रह हिल, नई दिल्ली
4. फडिया ,बी ।एल । (2010) , "अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति " साहित्य भवन पब्लिकेशन ,इलाहाबाद
5. **पन्त,** पुष्पेश। (2021) , '**21** वी शताब्दी में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध' ६ संस्करण ,चैनई : मैक ग्रा हिल एजुकेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
6. सुधा रामचंद्रन , चीन म्यांमार सम्बन्ध : अतीत अपूर्ण ,भविष्य काल ,दक्षिण एशियाई संस्थान (2012)
7. अम्बुज ठाकुर , भारत का पूर्वोतर : एक परेशान सीमा को गेटवे में बदलना ,सामाजिक विज्ञान संस्थान (2015)

3.29 सहायक उपयोगी पाठय सामग्री –

- INDIA TODAY
- NBT RELIGION
- THE HINDU NEWSPAPER
- मिशन की वेबसाइट –http://eoi|gov|in|/Kabul
- यु टूब लिंक शीर्षक "भारत और श्री लंका : नया सवेरा ,नयी आशा "
- Dristiias|com/to the point (21 june 2019)
- BBC NEWS - म्यांमार तख्तापलट :क्या हो रहा है और क्यों ? (O1 अप्रैल 20 21)
- THE INDIAN EXPRESS – एक जटिल इतिहास और स्तरित वर्तमान : म्यांमार में शासन के प्रति भारत कि प्रतिकिया क्या निर्धारित करती है ? (20 MAY 20 21)
- यु टूब लिंक शीर्षक "भारत और श्री लंका : नया सवेरा ,नयी आशा
- "Dristiias|com/to the point (21 june 2019)
  https://www|britannica|com/place/myanmmar/Economy
  https://www|mea|gov|in/portal/ForeignRelation

3.30 निबंधात्मक प्रश्न –

1-म्यांमार के सामरिक महत्व को देखते हुए हालिया तख्तापलट का क्षेत्र और भारत के लिये भू - राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा। चर्चा कीजिये।
2- भारत और श्री लंका के बीच जातीय विवाद के विषय पर प्रकाश डाले।
3- भारत- अफगान भू -राजनीतिक महत्व का वर्णन कीजिये।

इकाई –4 भारत की परमाणु नीति ,भारत – अमेरिका असैन्य नाभिकीय सहयोग समझौता

4.1 प्रस्तावना
4.2 उद्देश्य
4.3 भारत द्वारा पोखरण में परमाणु परीक्षण
4.4 भारत की परमाणु नीति
4.5 भारत द्वारा परमाणु नीति अपनाने के कारण
4.6 परमाणु अप्रसार संधि
4.7 व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध संधि
4.8 परमाणु बटन का प्रबंध
4.9 फर्स्ट यूज नीति की प्रासंगिकता
4.10 नो फर्स्ट यूज नीति के लाभ
4.11 भारत - यू एस ए असैन्य नाभिकीय सहयोग समझौता
4.12 हेनरी हाइड कानून
4.13 123 समझौता
4.14 सारांश
4.15 शब्दावली
4.16 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
4.17 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
4.18 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री
4.19 निबंधात्मक प्रश्न

4.1 प्रस्तावना

भारत में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत होमी जहागीर भाभा के नेत्रत्व में शुरु की गई। आरम्भ में परमाणु कार्यक्रम को सिर्फ असैन्य उपयोग तक ही सीमित रखा गया था। भारत ने 18 मई 1974 को पहला भूमिगत परीक्षण किया। भारत का परमाणु कार्यक्रम शान्तिपूर्ण उद्देश्यो के लिए रहा है भारत ने कहा की भारत स्वयम किसी देश पर सबसे पहले परमाणु हमला नहीं करेगा और भारत की इसी नीति को **"NO FIRST USE"** नीति की संज्ञा दी गयी ।1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गयी 1957 में भारत ने मुंबई के नजदीक ट्राम्बे में पहला परमाणु अनुसन्धान केंद्र स्थापित किया ।1967 में इसका नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसन्धान कर दिया गया। भारत ने पोखरन - 2 के अंतर्गत 1998 में आणविक परीक्षण किया आगे चलकर 2003 में भारत ने अपना परमाणु सिधांत घोषित किया। जिसमें कहा गया कि भारत अपनी रक्षा के लिए न्यूनतम आणविक हथियार रखेगा और किसी युद्ध में इन हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा अपितु किसी दूसरे देश द्वारा आणविक आक्रमण के प्रतिकार में ही करेगा।

4.2 उद्देश्य

इस इकाई के अंतर्गत हम भारत –अमेरिका परमाणु नीति व भारत अमेरिका असैन्य नाभिकीय समझौता का अध्ययन करेंगे। जिसके अंतर्गत हम भारत की परमाणु नीति अपनाने के कारण तथा भारत द्वारा किये गये परमाणु परीक्षण एवम परमाणु अप्रसार संधि व व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध संधि का अध्ययन कर सकेंगे ।भारत व अमेरिका द्वारा किये गये असैन्य नाभिकीय सहयोग समझौते के मुख्य बिन्दुओ का भी अध्ययन करेंगे ।इस इकाई को पढने को भलीभांति पढने और समझने के बाद आप –

- भारत की परमाणु नीति का अध्ययन कर सकेंगे।
- भारत –अमेरिका असैन्य नाभिकीय सहयोग समझौते का अध्ययन कर सकेंगे एवं
- यह समझौता भारत के आर्थिक विकास में किस तरह मददतगार साबित हुआ है इसका भी अध्ययन करेंगे ।

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल लाल नेहरु परमाणु के सैन्य उपयोग के पक्ष में नहीं थे। परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में सन 1968 की अणु अप्रसार संधि महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जाती है लेकिन भारत ने इस अप्रसार (नॉन प्रोलिफरेशन) संधि पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। इसके लिये भारत ने दो मुख्य तर्को को आधार बनाया-पहला तर्क यह था कि इस संधि में इस बात की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है कि चीन की परमाणु शक्ति से भारत की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित हो सकेगी और दूसरा तर्क यह था कि इस संधि पर हस्ताक्षर करने का अर्थ यह होता है की भारत अपने विकसित परमाणु अनुसन्धान के आधार पर परमाणु शक्ति का शांतिपूर्ण उपयोग नहीं कर सकता था ।भारत की दृष्टि में परमाणु अप्रसार संधि जिसे 5 मार्च 1970 से लागू किया गया है -भेदभावपूर्ण है ,असमानता पर आधारित है तथा एक पक्षीय और अपूर्ण है। भारत का मानना है कि नाभिकीय आयुधो के प्रसार को रोकने और पूर्ण निशस्त्रीकरण के उद्देश्य की पूर्ति के लिये क्षेत्रीय नहीं राष्टीय स्तर पर प्रयास किये जाने चाहिए।

4.3 भारत द्वारा पोखरण में परमाणु परीक्षण

श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा गठ्बन्धन की सरकार 19 मार्च 1998 को सतारूढ़ हुई ।श्री वाजपेयी ने विदेश नीति के बारे में कहा कि उनकी सरकार परमाणु नीति की समीक्षा करेगी ।भारत ने 11 व 13 मई

1998 को अंतराष्टीय दबाबों की परवाह नहीं करते हुए अपनी आणविक क्षमता को प्रमाणित कर दिया। राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में कुल मिलाकर पाच परमाणु बमो का सफल भूमिगत परीक्षण करके देशवासियों को नया सुरक्षा कवच उपलब्ध करवाया।

भारत द्वारा 11 मई को तीन प्रकार के परमाणु परीक्षण किये गये थे (अ)थर्मोन्यूक्लियर परीक्षण (ब)फिजन परीक्षण तथा (ग) लो यील्ड परीक्षण इन तीनो परीक्षणों को बहुत ही नियंत्रित ढंग तथा रेडियोधर्मी किरणों के प्रभाव को रोकते हुए भारत ने अपनी परमाणु अस्त्र बनाने की क्षमता को प्रदर्शित कर दिया 13 मई को सब किलो टन पद्धति के माध्यम से दो और परीक्षण करके भारत ने 500 से 1000 किलोग्राम के परमाणु बम बनाने की क्षमता का प्रदर्शन किया।

वाजपेयी जी ने घोषणा की कि भारत परमाणु हथियारों से सम्पन्न राष्ट बन गया है ।डॉ कलाम ने बताया कि भारत परमाणु क्षमता की तकनीकी दृष्टि से आत्मनिर्भर है। पांचो परमाणु परिक्षणो में प्रयुक्त की गई प्रक्रियात्मक सामग्री भी पूरी तरह स्वदेशी थी।

इस प्रकार पोखरण -2 के अंतर्गत भारत द्वारा किये गये पांच परमाणु परीक्षण ने भारत की परमाणु नीति में आमूल परिवर्तन ला दिया **पहला** भारत ने एक लम्बे समय अंतराल तक इंतजार के बाद अपने शान्ति पूर्ण उददेश्यों हेतु सीमित एवं विकल्प खुला रखने वाले परमाणु कार्यक्रमों को छोडकर परमाणु शस्त्र सम्पन्नता प्राप्त कर ली **द्वितीय** भारत ने अपनी परमाणु हथियार बनाने की क्षमता का प्रदर्शन किया **तृतीय** इन परीक्षणों के माध्यम से भारत ने प्रयोगशाला परीक्षण अथवा कंप्यूटर स्टीमुलेशन क्षमता भी प्राप्त कर ली **पंचम** इनके माध्यम से सामरिक रुप से भारत को क्षेत्रीय एवं अंतराष्टीय संदर्भो में प्रभावित करने शक्ति भी प्राप्त हो गयी अब भारत की स्थिति परमाणु क्षेत्र में शस्त्र नियन्त्रण एवं निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को बदलने वाले राष्ट के रुप में भी स्थापित हो गयी है।

4.4 भारत की परमाणु नीति

भारत ने घोषणा की कि उसकी नाभिकीय (परमाणु नीति) निम्नलिखित होगी –

- भारत एक न्यूनतम नाभिकीय निवारक बनाये रखेगा।
- भारत की किसी खुले उद्देश्य के कार्यक्रम अथवा शस्त्रों की किसी होड़ में शामिल होने की माग नहीं करता है।
- भारत नाभिकीय हथियारो का **पहले प्रयोग न करने** और नाभिकीय हथियार सहित राष्टो के विरुध प्रयोग न करने की नीति का अनुमोदन करता है।
- 13 मई 1998 नाभिकीय परीक्षणों पर एक स्थगन की घोषणा की गयी अभी भारत व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध संधि सहित व्यापक मसलो पर प्रमुख वार्ताकारो के साथ बातचीत कर रहा है।
- भारत निशस्त्रीकरण सम्मेलन में सच्ची भावना से नाभिकीय हथियार तथा अन्य नाभिकीय विस्फोटक यंत्र के निर्माण के उद्देश्य से विखंडित सामग्री के उत्पादन पर रोक लगाने के लिये एक संधि पर वार्ताओ में शामिल है।
- भारत अप्रसार के प्रति अपनी वचनब्धता प्रदर्शित करने के लिये नाभिकीय हथियार निर्माण सामग्री एवम ओद्योगिकी का हस्तान्तरण नहीं करेगा तथा निर्यात नियन्त्रण की एक कठोर प्रणाली का पालन करेगा।

- भारत अप्रसार के प्रति अपनी वचनबढ़ता प्रदर्शित करने के लिये नाभिकीय हथियार निर्माण सामग्री एवं ओद्योगिक का हस्तांतरण नहीं करेगा तथा निर्यात नियन्त्रण की एक कठोर प्रणाली का पालन करेगा।
- भारत का नाभिकीय शस्त्रागार नागरिक अधिकार और नियन्त्रण में है।
- एक राष्टीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की गयी तथा इसे सामरिक प्रतिरक्षा की समीक्षा करने के लिए कहा गया।

4.5 भारत द्वारा परमाणु नीति अपनाने के कारण

भारत द्वारा परमाणु नीति अपनाने एवं परमाणु हथियार को बनाने व रखने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते है –

आत्मनिर्भर राष्ट बनना – विश्व के परमाणु हथियार सम्पन्न राष्ट आत्मनिर्भर राष्ट माने जाते है।भारत आत्मनिर्भर राष्ट बनने के लिये परमाणु हथियार का निर्माण एवं परमाणु नीति को बनाकर आत्मनिर्भर राष्ट बनना चाहता है।

प्रतिष्टा प्राप्त करना – विश्व के सभी परमाणु सम्पन्न राष्टो को आदर एवं सम्मान की दृष्टी से देखा जाता है। भारत परमाणु नीति एवं परमाणु हथियार बनाकर विश्व में प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है।

न्यूनतम प्रतिरोध की स्थिति प्राप्त करना – भारत परमाणु नीति एवं परमाणु हथियार बनाकर दूसरे देशो के आक्रमण से बचने के लिये न्यूनतम अवरोध की स्थिति प्राप्त करना चाहता है।

भारत ने सदैव यह कहा है कि भारत कभी भी पहले परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। भारत के पास परमाणु हथियार होने पर कोई भी देश भारत पर हमला करने से पहले सोचेगा।

शक्तिशाली राष्ट बनना – भारत परमाणु नीति एवं परिणाम हथियार बनाकर विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट बनना चाहता है।विश्व में जितने भी राष्ट परमाणु सम्पन्न है। वे सभी शक्तिशाली राष्ट माने जाते है।परमाणु हथियार की धारणा से भारत में केन्द्रीय शक्ति और अधिक मजबूत एवं शक्तिशाली होती है जो कि बहुत आवश्यक है क्योकि जब कभी भी भारत में केन्द्रीय सरकार कमजोर हुई है भारत को नुकसान उठाना पड़ा है।

परमाणु सम्पन्न राष्टो की भेदभावपूर्ण नीति – परमाणु सम्पन्न राष्टो ने 1968 में परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी तथा 1996 में व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि CTBT को इसी प्रकार लागू करना चाहा कि उनके अतिरिक्त कोई अन्य देश परमाणु शक्ति से सम्पन्न न हो।

4.6 परमाणु अप्रसार संधि (NUCLEAR NON PROLIFERATION TREATY –NPT) – इस में 1968 में हस्ताक्षर किये गये तथा वर्ष 1970 में यह प्रभाव में आई।वर्तमान में इसके 190 हस्ताक्षर कर्ता सदस्य है। इस संधि के अनुसार कोई भी देश न वर्तमान में और न ही भविष्य में परमाणु हथियारों का निर्माण करेगा हालाकि सदस्य देशो को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की अनुमति होगी।

इस संधि के तीन प्रमुख लक्ष्य है- परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना ,निशस्त्रीकरण को प्रोत्साहित करना ,तथा परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण उपयोग के अधिकार को सुनिश्चित करना भारत उन पांच देशो में शामिल है जिन्होंने संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये है।भारत के अतिरिक्त इसमें पाकिस्तान , इजराइल , उत्तर कोरिया तथा दक्षिण सुडान शामिल है।

भारत का विचार है कि NPT संधि भेदभाव पूर्ण है अत: इसमें शामिल होना उचित नहीं है ।भारत का तर्क है की यह संधि सिर्फ पांच शक्तियों (अमेरिका ,रूस ,चीन ,ब्रिटेन ,और फ्रांस)को परमाणु क्षमता का एकाधिकार प्रदान करती है तथा अन्य देश जो परमाणु शक्ति सम्पन्न नहीं है सिर्फ उन्ही पर लागू होती है ।

4.7 व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध संधि (THE COMPREHENSIVE NUCLEAR TEST BAN TREATY –CTBT)

CTBT संधि सभी प्रकार के परमाणु हथियारों के परीक्षण एवं उपयोग को प्रतिबंधित करती है ।यह संधि जिनेवा के निरस्त्रीकरण सम्मेलन के पश्चात प्रकाश में आई ।इस संधि पर वर्ष 1996 में हस्ताक्षर किये गये अब तक इस संधि पर 184 देश हस्ताक्षर कर चुके है ।भारत के अनुसार CTBT प्रस्तावित दस्तावेज अपने वर्तमान स्वरूप में भेदभाव ,खामियों से भरा व बेहद अपूर्ण है इससे भारत के व्यापक राष्टीय व सुरक्षा हितो की पुष्टि नहीं होती । CTBT पर भारत के दृष्टिकोण पर आधारित संशोधनों पर ठोस भारतीय मूल प्रस्ताव संधि को एक सहमत समयावधि के भीतर नाभिकीय हथियारों को समाप्त करने के साथ जोड़ना है चुकी भारतीय प्रस्तावों पर ध्यान नहीं दिया गया इसलिए भारत ने 20 जून 1996 को इस आशा का एक ठोस वक्तव्य दिया कि भारत व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध संधि को इसके वर्तमान रुप में स्वीकार नहीं कर सकता क्योकि इसमें सार्वभोमिक नाभिकीय निशस्त्रीकरन की दिशा में एक उपाय के रुप में विचार नहीं किया गया है और यह भारत की राष्टीय सुरक्षा के हित में भी नहीं है। भारत का नाभिकीय विकल्प राष्टीय सुरक्षा का एक अंग है और जब तक अन्य देश अपने हथियारों को एक समयबद्ध कार्यक्रम के भीतर समाप्त करने में अपनी अनिच्छा बनाये रखेंगे भारत अपने विकल्प पर कोई दबाब स्वीकार नहीं करेगा ।

4.8 सी 4 आई 2 की घोषणा (कंट्रोल कमांड,कम्युनिकेशन,कम्यूटिंग ,इंटेलिजेंस एंड इनफार्मेशन) परमाणु बटन का प्रबंध

सामरिक परमाणु व मिसाइल कमान प्राधिकरण का 4 जनवरी 2003 को गठन किया गया । प्राधिकरण में राजनीतिक परिषद व कार्यकारी परिषद शामिल होंगे । राजनीतिक परिषद के प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे तथा परमाणु हथियारों के इस्तेमाल सम्बन्धी अधिकार केवल इसी परिषद के पास होंगे । परमाणु बटन प्रधानमंत्री के हाथ में रहेगा ।परमाणु कमान की कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता राष्टीय सुरक्षा सलाहकार करेंगे । परमाणु सिधांत में विश्वसनीय न्यूनतम परमाणु प्रतिरोध का निर्माण व उसे बनाये रखना शामिल है ।

4.9 नो फर्स्ट यूज नीति की प्रासंगिकता

विश्व में सर्वप्रथम चीन ने पहले प्रयोग नहीं की नीति को अपनाया था । चीन के बाद भारत ने नो फर्स्ट यूज की नीति को अपनाया ।भारत व चीन के अलावा किसी अन्य देश ने इस नीति को स्वीकार नहीं किया है। इस नीति के विरोध में कहा जाता है कि इससे पारम्परिक युद्ध व हथियारों की दोड़ में वृद्धि के साथ विभिन्न देशो के मध्य अविश्वास में वृद्धि हो सकती है ।इसके अतिरिक्त यह नीति परमाणु हथियारों के साथ अन्य क्षमताओं के निर्माण में भी खर्च को बढ़ाएगी ।

4.10 नो फर्स्ट यूज नीति के लाभ

भारत द्वारा वर्ष 1974 तथा 1998 में परमाणु परीक्षण की अत्यधिक आलोचना की गयी तत्पश्चात भारत ने वर्ष 2003 में नो फर्स्ट फर्स्ट की नीति को अपना लिया। भारत NTP पर हस्ताक्षर के बिना ही MTCR ,वासेनार अरेंजमेंट तथा आस्ट्रेलियाई समूह का हिस्सा बन चुका है। इसके अतिरिक्त भारत NSG की सदस्यता के लिए प्रयास कर रहा है NSG की सदस्यता सिर्फ उन्ही राष्टो को मिल सकती है जो NPT के हस्ताक्षरकर्ता है ।भारत की

सदस्यता के लिए चीन बाधा बन रहा है यह समूह विश्व में यूरेनियम की आपूर्ति को नियंत्रित करता है लेकिन NSG ने भारत को यूरेनियम आयात करने की छुट प्रदान की है ताकि भारत अपने असैन्य उपयोग के लिए यूरेनियम की प्राप्ति को सुनिश्चित कर सके।

4.11 भारत – संयुक्त राज्य अमेरिका असैन्य नाभिकीय सहयोग समझौता

प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह की वाशिंगटन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री और राष्टपति बुश द्वारा जारी 18 जुलाई 2005 के संयुक्त वक्तव्य में भारत और अमेरिका ने घोषणा की कि वे असैनिक परमाणु ऊर्जा में सहयोग करेंगे। यह परिकल्पना की गयी थी की अमेरिका अपने नियमो और नीतियों को समायोजित करेगा और भारत के साथ पूर्ण असेनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग और व्यापार के लिये अंतराष्टीय व्यवस्था को समायोजित करने के उद्देश्य से मित्रो और सहयोगियों के साथ काम करेगा ।इसी प्रकार भारत ने चरणबध्द रुप से असैनिक और सैनिक परमाणु सुविधाओ की पहचान और उन्हे अलग अलग करने स्वेछा से अपनी असैनिक परमाणु सुविधाओ को आईएईए के रक्षा उपायों के अंतर्गत रखने एक अतिरिक्त प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने तथा परमाणु परीक्षण पर भारत की स्वैछिक और एक तरफा रोक को जारी रखने के प्रति अपनी वचनबद्धता व्यक्त की। इस सहमति को विधिक स्वरुप 2 मार्च 2006 को नयी दिल्ली में भारत - संयुक्त राज्य अमेरिका असैन्य नाभिकीय सहयोग समझोते पर राष्टपति बुश तथा प्रधानमन्त्री डॉ मन मोहन सिंह ने हस्ताक्षर किये इस समझोते के प्रमुख बिदुं इस प्रकार है –

- सन 2014 तक भारत 22 नाभिकीय रिएक्टरो में से 14 नाभिकीय रिएक्टरो को अंतराष्टीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षा मानको के दायरे में रखकर इन रिएक्टरो को निरीक्षण व सुदूर अनुश्रवण के लिए खोल देगा।
- भारत अपने नाभिकीय रिएक्टरो को सैन्य कार्यो (नाभिकीय हथियारों का विकास एवं अनुसन्धान)तथा असैन्य कार्यो (नाभिकीय विद्युत उत्पादन तथा अन्य शांतिपूर्ण उपयोग)के आधार पर वर्गीकृत करेगा तथा भविष्य में स्थापित होने वाले रिएक्टरो को सैन्य अथवा असैन्य वर्ग में रखने का अधिकार भारत को होगा भारत किसी भी स्तर पर अपनी नाभिकीय ऊर्जा क्षमताओं को असैन्य एवं शांतिपूर्ण कार्यो से सैन्य कार्यो हेतु विवर्तित नहीं करेगा।
- यह समझोता परमाणु बम बनाने या कम से कम इसे बनाने की क्षमता रखने के भारत के अधिकार को स्वीकार करता है।
- भारत अपने फास्ट ब्रीडर रिएक्टरो को अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण एवं अनुक्षवण के दायरे से बाहर रखने के लिए स्वतंत्र है।
- यह समझोता भारत को अपना न्यूनतम सामरिक संहारक कार्यक्रम जारी रखने का भी अधिकार प्रदान करता है।
- नाभिकीय ईधन ,नाभिकीय ऊर्जा विकास से सम्बन्धित सामग्री तथा नाभिकीय हथियारों और नाभिकीय विद्युत् प्लांटो के निर्यात के मामले में भारत नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के मानको को अपनाएगा इसके लिए USA भारत को यूरेनियम प्रदान करेगा तथा अमेरिका अपने नाभिकीय अप्रसार नियमो एवं कानूनों को संशोधित करेगा इसके साथ ही अमेरिका अपने प्रभाव में आने वाले नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह के देशो को नये नाभिकीय अप्रसार के अनुरूप

भारत को नाभिकीय ईधन,नाभिकीय विद्युत् ग्रहों की हेतु आवश्यक प्लांट तथा उपकरणों की आपूर्ति करने के लिए सहमत करेगा।

- भारत नाभिकीय ईधन की आपूर्ति में किसी भी स्तर पर कोई बाधा उत्पन्न होने पर इस समझोते के अन्य शर्तो को मानने के लिए बाध्य है।

इस समझोते को अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक डॉ मोहम्मद –अल- बारदेई ने मान्यता प्रदान की तथा रूस ,ब्रिटेन ,जापान ,फ्रांस जैसी बड़ी शक्तियों ने इस समझौते का स्वागत किया। न्यूयार्क में एक विशेष समारोह में राष्टपति बुश ने 18 दिसम्बर 2006 को **यूनाईटेड स्टेट्स - इण्डिया पीसफुल एटोमिक एनर्जी कोओपरेशन एक्ट 2006 कानून (हेनरी हाइड कानून)**अस्तित्व में आया।

4.12 हेनरी – हाइड कानून

अमेंरिकी संसद के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध संबंधी समिति के अध्यक्ष हेनरी हाइड ने इस कानून का मसविदा तैयार किया था। यह कानून अमेरिका के लिए है। 6 दिसम्बर 2006 को यह कानून अमेंरिकी संसद में पारित हुआ। जिसमें अमेंरिकी राष्टपति की भारत के साथ सहयोग के सन्दर्भ में बाध्यताए निर्धारित है । इसमें भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित परमाणु समझौते से जुड़े नियम व् शर्तो को समाहित किया गया है। इस समझौते के लिए जब अमेरिका के परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1954 की धारा 123 में संशोधन किया गया तब इसका नाम हाइड एक्ट रख दिया गया।

4.13 123 समझौता

123 समझौता नाम से प्रसिद्ध यह समझौता अमेरिका के परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1954 की धारा 123 के तहत किया गया है इसलिए इसे 123 समझोता कहते है ।भारत अमेरिका असैन्य परमाणु संधि के तहत समझौता 123 के मसौदे को केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल की राजनीतिक मामलो की समिति व् सुरक्षा पर मंत्रीमंडलीय समिति की संयुक्त बैठक में 25 जुलाई 2007 को मंजूरी प्रदान कर दी गयी। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार है –

- भारत को अमेरिका परमाणु ईधन का सुरक्षित भंडार विकसित करने में सहयोग करेगा।
- यह समझोता सैनिक उद्देश्यों वाले नाभिकीय कार्यक्रमों में बाधा नहीं डालेगा।
- दोनों देश ईधन के अलावा नाभिकीय इवम गैर नाभिकीय पदार्थो उपकरणों का आदान प्रदान करेंगे।
- अमेरिका भारत को आईएईए के साथ विशेष ईधन आपूर्ति समझोता कराने में सहयोग करेगा।
- आईएईए की सहमति के बाद ही भारत को प्रयुक्त ईधन के पुनर्संसाधन का अधिकार होगा।
- इस समझौते का विस्तार अनुसन्धान से लेकर नाभिकीय रिएक्टरो के प्रारूप ,निर्माण ,ओपरेशन , विकास ,रखरखाव आदि तक होगा अल्प परिवर्धित यूरेनियम की आपूर्ति रिएक्टरो के परीक्षण व फेब्रिकेशन में किया जाएगा।

- संवेदनशील नाभिकीय तकनीक ,नाभिकीय सुविधाओं एवम अन्य क्रांतिक सामग्रियों की आपूर्ति संशोधन के बाद की जाएगी।
- एक वर्ष की सूचना पर समझोता रद्द करने का अधिकार दोनों देशो को होगा।
- आपूर्ति में किसी भी प्रकार की बाधा आने पर भारत व अमेरिका संयुक्त रूप से आपूर्तिकर्ता मित्र देशो रूस,इग्लैंड व फ्रांस आदि का एक सम्मेलन बुलाया जाएगा।
- नाभिकीय सहयोग समाप्त करने से पहले यदि सुरक्षा वातावरण बदला हो तो उसका विचार करना होगा। यदि दूसरे राज्यों के कदमो से भारत के लिए सुरक्षा वातावरण बदला है तो आपूर्ति जारी रहेगी।

यह समझौता भारत को परमाणु सम्पन्न राष्ट का दर्जा प्रदान नहीं करता है।यह भारत को पांच परमाणु सम्पन्न राष्टो जैसा अधिकार भी प्रदान नहीं करता है। अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अंतर्गत भारत के असैन्य परमाणु संयंत्रो के आ जाने से भारत के परमाणु कार्यक्रम व राष्टीय सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकता है।भारत के आर्थिक विकास के लिए यह समझौता अति आवश्यक है क्योंकि इस समय व भविष्य में आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बाधा ऊर्जा होगी जिसे भारत इस समझोते के द्वारा प्राप्त करना चाहता है।भारत के समक्ष ऊर्जा प्राप्त करने उपाय है – (1) परमाणु ऊर्जा (2) पेट्रोलियम पदार्थो से ऊर्जा

भारत में पेट्रोलियम पदार्थो के सीमित होने व मांग तथा मूल्य में तेजी वृद्धि होने से आर्थिक बोझ बढ़ते जा रहा है।भारत के लिए ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे आसान रास्ता परमाणु ऊर्जा है क्योंकि परमाणु ऊर्जा प्राप्त करना किफायती व आसान है।यह समझौता भारत के राष्टीय हित में है।

123 समझौता के माध्यम से सामरिक नाभिकीय कार्यक्रम और स्वदेशी तीन चरणों वाले नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम और स्वदेशी नाभिकीय अनुसन्धान और विकास की स्वायत्तता के सुरक्षित रखने का मूल उदेश्य पूरा होता है। भारत के प्रधानमंत्री से संकेत मिलते ही 10 जुलाई 2008 को अन्तराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु करार सम्बन्धी मसौदे को अपने 35 देशो के निदेशक मंडल के पास मंजूरी के लिए भेज दिया। 9 जुलाई 2008 को वाममोर्चे ने मनमोहन सरकार से इस मुद्दे पर समर्थन वापस ले लिया, समाजवादी पार्टी ने UPA सरकार को समर्थन देने की घोषणा की लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त होते ही UPA सरकार ने परमाणु केन्द्रों के सुरक्षा मानको पर IAEA का अनुमोदन प्राप्त कर लिया। एजेंसी के 35 सदस्यीय बोर्ड ऑफ़ गवर्नेंस ने 1 अगस्त 2008 को वियना में सम्पन्न बैठक में सुरक्षा मानक प्रस्तावों को मंजूरी दी।

यह समझौता 22 अगस्त 2008 को परमाणु आपूर्ति समूह की बैठक में अनुमति के लिए प्रस्तुत किया गया। परमाणु आपूर्ति समूह के लगभग सभी सदस्य एस बात पर सहमत थे की भारत 30 वर्षो से परमाणु वनवास का दंश झेल रहा है तथा यह समूह भारत को बिना शर्त छुट देने के लिए उतावला नहीं था।

आयरलेंड ,न्यूजीलैंड ,आस्ट्रिया द्वारा भारत अमेरिका परमाणु समझोते के प्रस्तावित प्रारूप में परिवर्तन की मांग रखी गयी।उनकी शर्त थी की - भारत के सभी परमाणु संयंत्रो का संयुक्त राष्ट द्वारा पूर्ण निरीक्षण की छुट , भारत द्वारा भविष्य में परमाणु परीक्षण न करने तथा दी गयी छुट में समय समय पर फेरबदल की स्वीकृति शामिल है।

अमेरिका यह चाहता है की भारत को NPT के करीब लाया जाय तथा देश के रिएक्टरो में IAEA के सुरक्षा उपायों को लागू किया जा सके। यह समझौता भारत के आर्थिक विकास में बढ़ावा दे सकता है इससे IAEA की निगरानी वाले रिएक्टरो के लिए ईधन के आयात की सुविधा प्राप्त होगी।

4.14 सारांश – स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की नीति पूर्ण निशस्त्रीकरण के पक्ष में थी ।इंदिरा गाँधी जी का विचार था कि "राष्टीय हित में आवश्यक होने पर भारत सरकार शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट करने में संकोच नहीं करेगी" तथा जनता सरकार ने शांतिपूर्ण कार्यो में भी परमाणु परीक्षण बंद कर दिये थे। संयुक्त राष्ट महासभा में मोरारजी देसाई ने कहा कि "भारत किसी भी हालत में परमाणु अस्त्र नहीं बनाएगा भले ही विश्व के सभी देशो के पास अस्त्र हो जाए" इस प्रकार भारत की परमाणु नीति में निरंतर परिवर्तन देखा गया है। भारत द्वारा परमाणु शक्ति का प्रयोग विकास कार्यो में परमाणु के प्रयोग के लिए किया गया परन्तु चीन और पकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों के कारण भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ने लगी है ।सुरक्षा एक गतिशील अवधारणा है और सभी सिधान्तो को समय समय पर समीक्षा की आवश्यकता होती है। भारतीय नीति निर्माताओ को राष्ट के परमाणु सिधांत की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस होने पर उन्हे ऐसा करने में शामिल लागतो तथा लाभों से एवं उनके परिणामो से अवश्य अवगत होना चाहिए ।भारत को सीमा पर अपने बुनियादी ढाचे का निर्माण करके निगरानी और चेतावनी क्षमताओं में सुधार करके धीरे - धीरे सक्रिय निरोध की अपनी मुद्रा को अवरोधक निवारक में संशोधित करना चाहिए।

4.15 शब्दावली

- निशस्त्रीकरण – शस्त्रों के उत्पादन पर रोक लगाना।
- NPT - NON PROLIFERATION TREATY
- CTBT- COMPREHENSIVE NUCLEAR TEST BAN TREATY
- IAEA- INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY
- NSG- NUCLEAR SUPPLIERS GROUP

4.16 अभ्यास प्रश्न –

1. भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता कब हुआ ?

A. 2005 B. 2004 C. 2006 D. 2008

2. परमाणु अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन कब हुआ ?

A. 1963 B. 1964 C. 1965 D. 1968

3. भारत द्वारा पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया ?

A. 1998 B. 1978 C. 1999 D. 1974

4. परमाणु कमान प्राधिकरण के राजनीतिक परिषद के प्रमुख कौन है ?

A. प्रधानमंत्री B. गृह मंत्री C. राज्यपाल D. रक्षा मंत्री

5. परमाणु कमान प्राधिकरण का गठन कब हुआ ?

A. 2002 B. 2004 C. 2003 D. 2008

अभ्यास प्रश्न के उत्तर- 1. A 2. B 3.D 4. A 5. C

4.17 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची -

- फडिया , बी। एल। (2010), "अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति" इलाहाबाद : साहित्य भवन पब्लिकेशन
- पन्त,पुष्पेश। (2021), "२१ वी शताब्दी ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति" 6 संस्करण, चेन्नई : मैक ग्रा हिल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
- वाहेगुरु पाल सिंह सिद्धू ,द इवोल्यूशन ऑफ़ इंडियाज न्यूक्लियर डाक्ट्रिन (नई दिल्ली :सेंटर फॉर पोलिसी रिसर्च समसामयिक पेपर नम्बर 9 2004)
- विदेश मंत्रालय ,भारत सरकार , वार्षिक रिपोर्ट , 1998-1999

4.18 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री –

- **THE HINDU**
- **THE INDIAN EXPRESS**
- **BUSINESS LINE**
- **BBC NEWS**

4.19 निबंधात्मक प्रश्न –

1. भारत की परमाणु नीति की चर्चा कीजिये। इस नीति में बदलाव करने से क्या परिणाम होंगे ?

इकाई 5- निरस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण

इकाई संरचना

5.0 प्रस्तावना

5.1 उद्देश्य

5.2 निरस्त्रीकरण : अर्थ एवं परिभाषा

5.3 निरस्त्रीकरण क्यो?

5.4 निरस्त्रीकरण की समस्याऐं

5.5 शस्त्र नियत्रंण

5.6 निरस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियत्रंण की दिशा में किए गए प्रयास

5.7 सीपरी ईयर बुक 2021 महत्वपूर्ण बिंदु

5.8 अभ्यास प्रश्न

5.9 सारांश

5.10 शब्दावली

5.11 अभ्यास प्रश्न उत्तर

5.12 संदर्भ ग्रंथ सूची

5.13 निबंधात्मक प्रश्न

5.0 प्रस्तावना

युद्ध से न केवल तात्कालिक विध्वसंक हानि होती है बल्कि इसके दीर्घकालिक परिणाम भी अत्यंत हानिकारक होते है। इससे न केवल संबंधित राष्ट्र को आर्थिक हानि होती है,बल्कि इससे उस देश की सामाजिक-राजनीतिक स्थिति पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है।लंबे समय तक की जाने वाली विकास की प्रक्रिया क्षण भर में बिखर जाती है और देश पुनः भूतकालीन स्थिति में पहुँच जाता है। शस्त्रों के तकनीकी विकास ने शस्त्र प्रतिस्पर्धा को और बढ़ा दिया है ।जिससे आज विश्व के समक्ष मशीनीकृत युद्ध का संकट बढ़ता ही जा रहा है।शस्त्र प्रतिस्पर्धा की शुरुआत पश्चिमी देशों से शुरू हुई और यही से विश्व संगठन के निर्माण द्वारा शांति स्थापित करने का प्रयास भी किया गया।

पुनर्जागरण काल से पश्चिमी सभ्यता में विज्ञानिक मनोवृत्ति का जन्म हुआ,जिससे मनुष्य नए-नए खोजों के प्रति प्रेरित हुआ और इससे नए नए अविष्कार हुए। दिशा सूचक यंत्र के आविष्कार ने समुद्री यात्रा करना सुगम बना दिया।अतः साहसिक नाविकों को विश्व के अनेक नवीन समुद्री तटों की खोज की प्रेरणा मिली।इन नवीन स्थानों की खोज ने विश्व व्यापार को बढ़ा दिया । व्यापारिक विकास ने उद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित किया अतः औद्योगिक क्रांति का विकास किया। औद्योगिक क्रांति ने विश्व में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया ,जिससे पश्चिमी देशों में साम्राज्यवाद के विस्तार की दौड़ की शुरुआत हुई। जिससे राष्ट्रों के मध्य तनाव उत्पन्न होने लगा तथा प्रतिस्पर्धा और असुरक्षा की भावना ने नए नए शास्त्रों के अविष्कार एवं शस्त्र प्रतिस्पर्धा को प्रारंभ कर दिया। इस शस्त्र दौड़ ने पश्चिमी देशों के मध्य हुए युद्धों की तीव्रता और प्रभाव में वृद्धि की, जिसका चर्मोत्कर्ष हमें प्रथम एवं द्वितीय विश्व देखने को मिलता । आज नाभिकीय,रासानिक और जैविक हथियारों ने शस्त्र प्रतिस्पर्धा को और व्यापक बना दिया है।

एक तरफ जहाँ विश्व में शस्त्र प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो रही थी तो दूसरी तरफ इसके गंभीर प्रभाव को देखते हुए निरस्त्रीकरण के प्रयास भी किये जा रहे थे। प्राचीन समय में रोमन साम्राज्य सार्वभौमिक दायरे का एक ऐसा राजनीतिक संगठन था जिसने पश्चिमी एकता को बनाये रखने का प्रयास किया था। इसके पतन के बाद भी रोमन साम्राज्य पश्चिमी एकता का प्रतीकात्मक अनुस्मारक बना रहा। पुर्नजागरण के बाद हुए ,वैचारिक विकास और उदारवादी विचारधारा ने मानव जीवन के प्रति सम्मान एवं मानव कल्याण को बढ़ाया। वैचारिक विकास ने एक विश्व व्यवस्था के विकास के द्वारा निरस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण का प्रयास किया।1899 एवं 1907में हुए हेग शांति सम्मेलन ,लीग ऑफ थे नेशन्स और संयुक्त राज्य अमेरिका इन्ही प्रयासों में से है।इन संगठनों ने आध्यात्मिक, नैतिक,बौद्धिक और राजनीतिक प्रयासों द्वारा दुनिया में शांति स्थापित करने का प्रयास किया ,परन्तु तमाम प्रयासों के बाद भी विश्व में पूर्ण शांति स्थापित नहीं हो पाई है।

5.1 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत विश्व में शस्त्र प्रतिस्पर्धा के विकास के बारे में जानेंगे

निरस्त्रीकरण एव शस्त्र नियंत्रण के अर्थ के बारे में जान पाएंगेनिरस्त्रीकरण क्यो आवश्यक है यह जान पाएंगेनिरस्त्रीकरण के मार्ग में क्या क्या बाधाएं है ये जान पाएंगेविश्व में निरस्त्रीकरण के लिए किए गए प्रयासों के बारे में जान पाएंगे

5.2 निरस्त्रीकरण : परिभाषा एव अर्थ

मॉगेन्थाऊ के अनुसार, "निरस्त्रीकरण शस्त्रों की दौड़ को समाप्त करने के उद्देश्य से कुछ या सभी आयुधों की कमी या उन्मूलन है।"

निरस्त्रीकरण का शाब्दिक अर्थ है शारीरिक हिंसा के प्रयोग के समस्त भौतिक तथा मानवीय साधनों का उन्मूलन।

निरस्त्रीकरण के द्वारा वर्तमान हथियारों की सीमा निश्चित करने और उनको घटाने का प्रयास करना है।इनके द्वारा युद्ध को पूरी तरह से समाप्त करना नहीं है बल्कि युद्ध की संभावनाओं को कम करना है।

मॉगेन्थाऊ ने निरस्त्रीकरण के मूल भेद बताए जो निम्नलिखित है:

1. सामान्य और स्थानीय निरस्त्रीकरण

2. मात्रात्मक और गुणात्मक

1. सामान्य और स्थानीय निरस्त्रीकरण

जब हम सामान्य निरस्त्रीकरण की बात करते है,तो हम इस प्रकार के निरस्त्रीकरण की बात करते है जिसमें सभी संबंधित राष्ट्र सम्मिलित होते है।

उदाहरण- नौसैनिक शक्तियों के हथियारों की सीमा का निर्धारण के लिए वाशिंगटन संधि तथा विश्व निरस्त्रीकरण सम्मेलन जिसमें व्यावहारिक रूप से सभी देशों का प्रतिनिधित्व था।

जब हम स्थानीय निरस्त्रीकरण की बात करते है तो इसमें केवल सीमित संख्या में राष्ट्र शामिल होते है।उदाहरण- संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच 1817 का रश बैगोट समझौता।

2. मात्रात्मक एव गुणात्मक निरस्त्रीकरण

मात्रात्मक निरस्त्रीकरण का उद्देश्य अधिकांश या सभी प्रकार के हथियारों की संख्या में कमी करना है। 1932 में हुए विश्व निरस्त्रीकरण सम्मेलन में भाग लेने वाले अधिकांश राष्ट्रों के लक्ष्य यही था।

गुणारात्मक निरस्त्रीकरण में केवल कुछ विशेष प्रकार के हथियारों के उन्मूलन की परिकल्पना की जाती है। संयुक्त राष्ट्र का परमाणु ऊर्जा आयोग ,परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए बना था।

5. 3 निरस्त्रीकरण क्यूं?

"दुनिया सशस्त्र है और शान्ति कम है।" -बान की मून

पिछले 100 वर्षो संघर्षो की प्रकृति और लड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों में नाटकीय रूप से बदलाव आया है। आधुनिक युद्ध में उपयोग किए जाने वाले हथियारों से कम समय में अधिक से अधिक क्षति पहुचाई जा सकती है।नाभिकीय ,जैव और रासायनिक हथियारों से होने वाले नुकसान के परिणाम न केवल तत्कालिक रूप से हानिकारक है बल्कि दीर्घकालिक भी है।बीसवीं सदी के संघर्ष ,अक्सर ऐसे संघर्ष थे जो पूरे समाज को शामिल करते थे। दो विश्व युद्धों में 8.5 मिलियन सैनिक मारे गए तथा 5-10 मिलियन नागरिक हताहत हुए। जबकि द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 55 मिलियन लोग मारे गए थे।बीसवीं सदी में अधिक से अधिक ऐसे हथियारों का विकास एवं उपयोग किया गया जो अधिक से अधिक सामूहिक विनाश कर सकते थे।इन हथियारों में रासायनिक और जैविक हथियार शामिल थे और पहली बार परमाणु हथियार का 1945 में हिरोशिमा पर किया गया। 20वी सदी के उत्तरार्ध में शीत युद्ध और उसकी उपस्थिति छद्म युद्धों का प्रभुत्व था, आंतरिक संघर्ष और

नरसंहार विश्व शांति के समक्ष एक बड़ी चुनौती थी।इन संघर्षो के दौरान लगभग 6 से 10 करोड़ लोग मारे गए। इसमें से ज्यादा लोग ऐसे थे जो युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए थे।

1980 के दशक के मध्य में विश्व में हथियार बनाने पर 100 करोड़ वार्षिक खर्चा हो रहा था।वर्ष 1989 में बर्लिन की दीवार के गिरने और उसके बाद शीत युद्ध के समाप्ति के बाद दोनों महाशक्तियों के मध्य तनाव कम होने के बाद संघर्ष की संख्या में कमी आयी और देशों के सैन्य बजट में अल्पकालिक कमी देखने को मिली। 2001 और 2009 के बीच ,सैन्य खर्च सालाना औसतन 5।1 % की वृद्धि की हुई।विश्व आर्थिक संकट के समय भी सैन्य बजट में आंशिक वृद्धि देखी गयी। संकट के समय भी सैन्य बजट में आंशिक वृद्धि देखी गयी।वर्तमान परिदृश्य में सैन्य बजट लगातार बढ़ रहा है।

21वी सदी के संघर्षों का खामियाजा मुख्य रूप से हाशिए पर रहने वाली आबादी जैसे – महिलाए,बच्चे ,बुजुर्ग,विकलांग ,गरीबों को भुगतना पड़ा,क्योकि ये वर्ग विशेष रूप से कमजोर है।पिछले दशक में इन सशस्त्र संघर्षों की संख्या में वृद्धि हुई और मरने वाले लोगों और शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 2015 में विश्व में 6.5 करोड़ लोग अपने घरों से बेघर हो गये। (Small arms Survey :SIPRI ;office of the united nation high commissioner for Refugees)2000 ई. के बाद विश्व में आतंकवाद से होने वाली मौतों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। आतंकवादी गतिविधि मुख्य रूप से आठ देश -अफगानिस्तान , मिस्र, इराक ,नाइजीरिया, पाकिस्तान ,सोमालिया ,सीरिया और यमन में केंद्रित थी परन्तु धीरे धीरे सम्पूर्ण विश्व में तेजी से फैलने लगा। आतंकवाद के फैलाव को विश्व स्तर पर शस्त्र उत्पादन में हुई बढ़ोत्तरी ने और तीव्र कर दिया। विश्व की लगभग एक तिहाई आबादी अर्थात 2.5 अरब से अधिक लोग आज खतरनाक जगहों पर निवास कर रहे है ,इन देशों में हिंसक मौतों की घटना काफी संख्या में होती है। विश्व के 60 % से अधिक गरीब लोग एवं 98% शरणार्थी इन्ही जगहों से आते है।नए हथियारों और प्रद्योगिकी के विकास ,मानव रहित स्वचालित वाहनों से चलने वाले हथियार और साइबर हथियार ने आज निरस्त्रीकरण के प्रयासों को पीछे छोड़ दिया है।

राष्ट्रों के द्वारा किये जाने वाले सुरक्षा व्यय के कारण आर्थिक विकास प्रभावित हो रहा है।जो धन राष्ट्रों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर खर्च होने चाहिए ,उसका एक बड़ा हिस्सा हथियारों की खरीद में चला जा रहा है। 2016 की शुरुआत में 15400 परमाणु हथियार विश्व में देशों के पास थे जिसमें से 4100 उपयोग के लिए तैयार थे और लगभग 1800 इनमें से हाई अलर्ट पर रखा गया था। सीपरी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च 2016 में 1.686 ट्रिलियन था। सैन्य खर्च बढ़ाने से सरकारे स्वाथ्य ,स्वच्छता और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा पर खर्च कम खर्च कर पाती है,जिसका सबसे गहरा प्रभाव कमजोर वर्ग पे पड़ता है।

शस्त्रीकरण ने न केवल विश्व शांति व्यवस्था को खतरा है बल्कि इसके देशों सामाजिक और आर्थिक नुकसान के साथ साथ देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था भी प्रभावित होती है।जिससे राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती हैं।अतः ऐसे में निरस्त्रीकरण को अत्यधिक महत्व देने की आवश्यकता है।

5.4 निरस्त्रीकरण की समस्याएं

निरस्त्रीकरण का अभी तक का लंबा इतिहास रहा है पर अभी तक बड़ी सफलता प्राप्त नहीं हुई है। निरस्त्रीकरण की सफलता के लिए विश्व को निम्नलिखित चार प्रकार की समस्याओं का समाधान निकलना पड़ेगा।

5.4.1. अनुपात निर्धारण की समस्या

राष्ट्र अपनी सुरक्षा एवं दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण के लिए शस्त्रों को बढ़ाने का प्रयास करते है।शक्ति की प्रतिस्पर्धा में सभी राष्ट्र सम्मिलित है और वे अधिक से अधिक शस्त्रों को बढ़ाने के दौड़ में लगे रहते है। आज राष्ट्रों की शस्त्रों

की संख्या शक्ति का प्रतीक हो गया है। जिस राष्ट्र के पास जितने शस्त्र होते है उनकी शक्ति उतनी ज्यादा होती है।अगर किसी राष्ट्र क के पास किसी अन्य राष्ट्र ख से कम संख्या में हथियार है तो वह प्रयास करता है कि उसके पास राष्ट्र ख के बराबर हथियार हो जाए और राष्ट्र ख चाहता है कि वह राष्ट्र क से सदैव आगे रहे।इसलिए वह अधिक से अधिक हथियार अर्जित करना चाहता है। क और ख राष्ट्रों में हथियारों का अनुपात क्या होना चाहिए ,इसका निर्धारण इस बात पर होगा कि दोनों देशों का क्या दाव पर लगा है।निरस्त्रीकरण आयोग और सम्मेलनों के एजेंडे में यह प्रश्न अनिवार्य रूप से सबसे पहले है।निरस्त्रीकरण के अनुपात का निर्धारण केवल तीन वैकल्पिक स्थितियों में से एक का संतोषजनक उत्तर पाने पर आसानी से हो सकता है जो निम्नलिखित है-

1. संबंधित राष्ट्र अन्य संबंधित राष्ट्रों के साथ संघर्ष में शामिल नहीं है।
2. कुछ राष्ट्र इतने शक्तिशाली है कि वह दूसरे राष्ट्रों पर या राष्ट्र समूहों पर अपने विचार थौप सकते है अतः वह अन्य राष्ट्रों के हथियार को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है।
3. दो या दो से अधिक देश शस्त्र युद्ध को बढ़ावा देने के बजाए निरस्त्रीकरण में सहमत हो।

इस प्रकार का निरस्त्रीकरण केवल स्थानीय निरस्त्रीकरण में ही संभव है जैसे- रश बैगोट समझौते के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन (बाद में कनाडा) ने महान झीलों को विसैन्यकृत करके 49वी समानांतर सीमा का निर्धारण किया।

5.4.2. मापदण्डों के निर्धारण की समस्या

जब निरस्त्रीकरण के अनुपात के निर्धारण की समस्या समाप्त हो जाती है तो अब यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि देश की सेना की मांग क्या है।सेना की मांग का निर्धारण देश की सुरक्षा को निर्धारित करता है। यहाँ यह देखना जरूरी है कि किस मापदण्ड के अनुसार कोई देश किसी अन्य देश के समक्ष खुद को सुरक्षित समझता है क्योंकि दो देशों की सैन्य जरुरते समान नहीं होती है। दो देशों के सामरिक स्थिति का निर्धारण रक्षात्मक शस्त्रों की संख्या और उनकी गुणवत्ता द्वारा किया जा सकता है। समानता का निर्धारण केवल संख्या के आधार पर नहीं किया जा सकता है उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी के थल सेना और वायुसेना को पूर्ण रूप से समान शस्त्रीकरण में समानता का मतलब शस्त्रों में संख्यात्मक समानता नहीं है, बल्कि इसका मतलब रक्षात्मक स्थिति से है, जो कि बाह्य आक्रमण के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है।विश्व निरस्त्रीकरण सम्मेलन में निरस्त्रीकरण के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया गया।

1) प्रत्येक देश पर बाह्य आक्रमण का खतरा

2) हथियारों के अलावा राष्ट्र सुरक्षा के अन्य साधन जैसे- भौगोलिक स्थिति,खाद्यान में आत्मनिर्भता ,औद्योगिक स्थिति और जनसंख्या आदि की स्थिति।

उपरोक्त दोनों बातो को देखते हुए उसे देश को कितने शस्त्रों की आवश्यकता है।

5.4.3. क्या निरस्त्रीकरण प्रयासों से शस्त्रों की संख्या में कमी आयी?

अनुपात और गुणवत्ता के निर्धारण के बाद यह देखना आवश्यक है कि क्या वास्तव में निरस्त्रीकरण के प्रयासों से शस्त्रों की संख्या एवं गुणवत्ता में कमी आई है | इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम यहाँ तीन सम्मेलनों का अध्ययन करेंगे।

वाशिंगटन सम्मेलन- 12 नवंबर 1921 को अमेंरिकन राष्ट्रपति हार्डिंग ने वाशिंगटन में विभिन्न देशों की जलीय शक्ति को नियंत्रित करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में ग्रेट ब्रिटेन, जापान,फ्रांस,इटली,चीन,

बेल्जियम, पुर्तगाल तथा हालैंड के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए।इस सम्मेलन में नौसेना की होड़ को समाप्त करने के लिए सात संधियाँ की गई। इन संधियों के द्वारा बड़े युद्धपोत और वायुयान वाहक पोतों की कुल संख्या को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया।इससे संयुक्त राज्य अमेरिका,ग्रेट ब्रिटेन,जापान,फ्रांस और इटली के मध्य नौसेना की शक्ति का अनुपात 5:5:3:1।67:1।67। करने का निर्णय लिया गया। ब्रिटेन पनडुब्बियों को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए सहमत था परंतु फ्रांस इससे सहमत नहीं था। इस सम्मेलन के द्वारा युद्धपोतों के निर्माण के तत्कालिक प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित किया गया।

जेनेवा सम्मेलन ,1927

1927 में जेनेवा में उस समय की पांच नौसेना सशक्त देशों का सम्मेलन हुआ। फ्रांस और इटली के मध्य निशस्त्रीकरण को लेकर हुए विवाद के कारण इस सम्मेलन में केवल अमेरिका,ब्रिटेन और जापान ने ही भाग लिया। ब्रिटेन के पार समुद्री सामरिक हितों के अधिक होने के कारण छोटे युद्ध पोतों के मामले में वह अमेरिका से क्षमता स्थापित करने के पक्ष में नहीं था अतः ये सम्मेलन राष्ट्रहित के कारण अपने लक्ष्यों को पाने में असफल रहा।

लंदन का नौसैनिक सम्मेलन

21 जनवरी 1930 में हुए सम्मेलन में सम्मिलित हुए सभी प्रतिनिधियों के द्वारा सभी प्रकार के युद्ध पोतों को घटाने की मांग की गई,संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच क्रूजर विध्वंसक और पनडुब्बियों की क्षमता की समानता तथा जापान अपनी क्षमता इन दोनों राष्ट्रों की क्षमता का 2/3 करने पर सहमति व्यक्त की। फ्रांस और इटली ने संधि को स्वीकार नहीं किया क्योंकि इटली और फ्रांस के मध्य समानता के मामलों को लेकर फ्रांस ने इस संधि की प्रावधानों को मानने से इनकार कर दिया था। इस संधि के समय सीमा 1936 तक थी। 1935 में हुए द्वितीय नौसैनिक सम्मेलन में अमेरिका और जापान के मध्य नौसैनिक क्षमता की समानता को लेकर हुए विवाद के कारण इस सम्मेलन में सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका,ब्रिटेन, जापान,इटली और फ्रांस सम्मिलित हुए। एबीसीनिया युद्ध में इटली पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के कारण इस संधि पर सिर्फ अमेरिका,ब्रिटेन और फ्रांस ने हस्ताक्षर किए।

इन सम्मेलनों में निरस्त्रीकरण को अपनाने में आंशिक सफलता प्राप्त हुई एक तरफ जहां राष्ट्रीय हित के मुद्दे ने इन सम्मेलनों को सफल बनाया,वही तकनीकी विकास ने नौसैनिक प्रतियोगिता को जन्म दिया। एक तरफ जहां इन सम्मेलनों के द्वारा तात्कालिक निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया, तो वही राष्ट्रहित और तकनीकी विकास ने शस्त्र प्रतिस्पर्धा को बढ़ा दिया।

5.4.4 क्या निरस्त्रीकरण से शांति स्थापित हो सकती है?

मनुष्य इसलिए नहीं लड़ता क्योंकि उसके पास हथियार है,उसके पास हथियार हैं क्योंकि उसको लड़ाई करनी है। अगर उससे हथियार छीन लिए जाए तो हाथों से लड़ाई करेगा और हथियार पाने का प्रयास करेगा। हमें उन परिस्थितियों की तलाश करनी है जिससे मनुष्य के अंदर हथियारों की इच्छा और अधिकार की भावना उत्पन्न करती है। मनुष्य की प्रवृत्ति आधिपत्य स्थापित करने की होती है और वह दूसरों पर हावी होने का प्रयास करता है। अतः शांति के लिए ऐसी भावना का होना आवश्यक है जो इन इच्छाओं को कम कर सके अथवा समाप्त कर सके। निरस्त्रीकरण शस्त्रों की दौड़ को कम करने का प्रयास करता है और यह संबंधित राष्ट्रों के बीच शक्ति संबंधों के मध्य सामजस्य स्थापित करता है।शस्त्र दौड़ सत्ता के संघर्ष अथवा वर्चस्व की भावना को बढ़ाने का कार्य करती है जबकि निरस्त्रीकरण राजनीतिक तनाव को कम करने से संबंधित है। यह राष्ट्रों के उद्देश्यों में विश्वास पैदा करके राजनीतिक स्थिति में सुधार करता है। निरस्त्रीकरण अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति के

संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देता है लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था एवं शांति की समस्याओं का समाधान नहीं करता।

5.5. शस्त्र नियंत्रण

निरस्त्रीकरण से तात्पर्य शस्त्र नियंत्रण की दौड़ को कम करते हुए संबंधित राष्ट्रों के मध्य शांति स्थापित करना है। निरस्त्रीकरण शस्त्रों के उत्पादन की तकनीक के प्रति शांत है क्योंकि यह सिर्फ उपलब्ध हथियारों के संबंध में बात करता है।उत्पादन के तकनीकी विकास से नए हथियार बनते हैं और व्यापक स्तर पर उसका प्रयोग किया जा सकता है जिससे व्यापक स्तर पर जनधन की हानि हो सकती है।अतः नए बनने वाले हथियारों को विनियमित एवं नियंत्रित करने के लिए शस्त्र नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया जाता है।

शस्त्र नियंत्रण से तात्पर्य भविष्य में होने वाले शस्त्रों के उत्पादन को नियंत्रित करना है। निरस्त्रीकरण शस्त्रों की होड़ को रोकने का प्रयास करता है जबकि शस्त्र नियंत्रण का प्रयास शस्त्रों की तकनीकी विकास को रोकना था। निरस्त्रीकरण का प्रयास उन शस्त्रों को हटाना या नष्ट करना था जो युद्ध संचालन को बढ़ाते थे।जबकि शस्त्र नियंत्रण में उन उपायों का प्रयोग किया जाता है,जिनसे अनुमोदित शास्त्रों के प्रयोग को नियंत्रित किया जाता है।शस्त्र नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य शस्त्रों के प्रयोग को रोकना है ना कि उन्हें नष्ट करना।

विश्व व्यवस्था एवं शांति स्थापित करने के लिए निरस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण दोनों उपयोगी एवं एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों का एक साथ प्रयोग विश्व शांति स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण यंत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है परंतु अंतिम सफलता अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर निर्भर है।

5.6. निरस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण की दिशा में किये गए प्रयास

1. 1816 में रूस के जार शासक ने ब्रिटिश सरकार को हर तरह के सशक्त बलों की एक साथ कमी करने का प्रस्ताव दिया था। ब्रिटिश सम्राट ने एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में रूसी प्रस्ताव के कार्यान्वयन का सुझाव देकर जवाब दिया ,जहां सभी शक्तियों को अपने सेना शक्ति का निर्धारण करना चाहिए। ऑस्ट्रिया और फ्रांस ने इस प्रस्ताव के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की ।अन्य किसी भी सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और इस प्रकार बिना किसी व्यावहारिक परिणाम के यह प्रस्ताव खत्म हो गया । इसके बाद भी समय समय पर प्रस्ताव आते रहे परन्तु किसी निष्कर्ष पर पहुचने में असमर्थ रहे ।

2.1899 ई. के हेग सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि " मानवता के भौतिक और नैतिक कल्याण के लिए सैनिक हथियारों का नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है"

3. दूसरे हेग सम्मेलन 1907 में इस बात की संस्तुति की गई थी कि विभिन्न राष्ट्रों की सरकारें इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करें।

4. वाशिंगटन सम्मेलन (इसका विस्तृत उल्लेख इस इकाई में पूर्व में किया गया है)भी क्रूजर डिस्ट्रॉयर और पनडुब्बियों जैसे जहाजों के अलावा किसी भी अन्य क्षेत्र समझौता करने में असमर्थ रहा ।

5. जेनेवा सम्मेलन - 1927 ई। में हुए इस सम्मेलन में ब्रिटेन,जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ,निरस्त्रीकरण के मुद्दे पर किसी भी समझौते पर पहुचने में असमर्थ रहे ।

6. राष्ट्र संघ द्वारा किए गए निरस्त्रीकरण के प्रयासराष्ट्र संघ के संविधान की 8 वी धारा में इस बात का उल्लेख किया गया है कि विश्व शांति स्थापित करने के लिए संघ परिषद विस्तृत योजना बनाने का प्रयास करेगी।जनवरी

1920 में एक स्थायी परामर्शदाता आयोग बनाया गया। परिषद में विद्यमान देशों में से प्रत्येक देश के स्थल ,जल और वायुसेना के एक एक सदस्य इस आयोग में होते थे।

नवम्बर 1920 में संघ की असेम्बली ने स्थायी परामर्शदाता आयोग का पुर्नगठन अस्थाई मिश्रित आयोग के रूप में किया ।इस आयोग में छः सदस्यों की वृद्धि की गयी जो राजनीतिक ,सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों से थे।

सितंबर 1922 में आयोग ने यह महसूस किया कि जब तक देशों को सुरक्षा नहीं दी जाएगी तब तक वह शस्त्रों को घटाने के संबंध में विचार नहीं करेंगे। सुरक्षा प्रदान करने का पहला प्रयत्न 1923 में सहायक संधि का मसौदा तैयार किया गया लेकिन यह मसौदा ब्रिटेन और अन्य देशों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

अक्टूबर 1924 में अस्थाई मिश्रित समिति के स्थान पर निरस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए सज्जिकरण आयोग का निर्माण हुआ।आयोग ने लगातार 7 वर्षों तक सशक्तिकरण संबंधी मतभेदों को सुलझाने का प्रयास किया। 19 दिसंबर 1930 को इसने निरस्त्रीकरण के लिए एक मूल योजना पास किया।

राष्ट्र संघ का निरस्त्रीकरण सम्मेलन:

जेनेवा में 3 फरवरी 1932 को ऑथर हैंडर्सन की अध्यक्षता में हुआ। इसमें 57 राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे।इस सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधि कुल 337 प्रस्ताव लेकर आए। फ्रेंच प्रतिनिधि आंद्रे तरघु ने इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुलिस की संकल्पना प्रस्तुत की। जिसकी प्रकृति निरोधात्मक और दंडात्मक सेना की थी। इस परिकल्पना के अनुसार सभी देश अपने बड़े युद्धपोत ,तोपखाने ,पनडुब्बी तथा बम वर्षक वायुयान संघ को दे देंगे और समस्त विवादों का निर्णय आवश्यक रूप से मध्यस्थ द्वारा ही होना चाहिए। हिटलर के अभ्युदय के बाद 1933 में जर्मनी ने निरस्त्रीकरण सम्मेलन से पृथक हो गया। जर्मनी ने वर्साय संधि में उसके साथ किए गए वादे को पूरा ना करने की बात। जर्मनी का आरोप था कि उसका निरस्त्रीकरण इस आधार पर किया गया था कि अन्य देश भी अपने शस्त्रों में कटौती करेंगे परंतु ऐसा नहीं हुआ ।यह सम्मेलन सफल नहीं हो पाया एवं इसका अंतिम सम्मेलन 29 मई 1933 को हुआ।

8. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निरस्त्रीकरण के लिए किये गए प्रयास

1. 1952 में महासभा के प्रस्ताव 502 के द्वारा परमाणु ऊर्जा आयोग और पारस्परिक शस्त्र आयोग को सम्मिलित करके संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की गई।यह आयोग परमाणु शस्त्रों पर निगरानी रखने एवं परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण कार्यों में उपयोग को प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। यह आयोग सुरक्षा परिषद के नियंत्रण में कार्य करता है।

2. आंशिक आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि-1963

14 जुलाई 1963 में विश्व की तीन महाशक्ति ब्रिटेन,सोवियत संघ और अमेरिका ने मास्को में सम्मिलित होकर आणविक हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने के लिए विचार किया तथा इसके 11 दिन बाद आंशिक आणविक प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किया। इस प्रतिबंध में परमाणु हथियारों के भूगर्भ में परीक्षण को छोड़कर वायु एवं समुद्र में परीक्षण पर प्रतिबंध लगाया गया। फ्रांस और चीन ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया परंतु भारत हस्ताक्षर करने वाले राज्यों में अग्रणी था।

3. परमाणु अप्रसार संधि 1968

परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और परमाणु तकनीक का शांतिपूर्ण उपयोग करने के लिए 1 जुलाई 1968 में इस संधि पर हस्ताक्षर किया गया। 190 देश इस समझौते के हस्ताक्षरकर्ता है जिसमें 5 परमाणु संपन्न देश

सम्मिलित हैं । भारत ,पाकिस्तान,दक्षिणी सूडान एवं उत्तर कोरिया इसके सदस्य नहीं है। भारत ने इस संधि को भेदमूलक कहा,क्योंकि यह संधि परमाणु विहीन देशों को परमाणु हथियार के विकास एवं परीक्षण करने से रोकता है तथा परमाणु सम्पन्न राष्ट्रों के शस्त्रों के निरस्त्रीकरण पर मूक है। भारत के साथ ही जर्मनी एवं इटली ने इन्ही कारणों से इसका विरोध किया।

4.सन्धि सामरिक परिसीमन वार्ताएं (साल्ट) प्रथम

इन वार्ताओं की शुरुआत 1969 से प्रारंभ हुई जब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के तत्कालीन प्रतिनिधि फिनलैंड की राजधानी में शस्त्रों के परिसीमन के संबंध में वार्ता के लिए मिले।1972 में मास्को में हुई दोनों देशों की मुलाकात में मुख्य रूप से बैलिस्टिक मिसाइलों पर रोक लगाकर परमाणु युद्ध को रोकने का प्रयास किया गया।1974 में अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य हुए समझौते को 1976 में लागू किया गया जिसके अनुसार 150 किलो टन के भूमिगत आणविक परीक्षण को रोकने का निश्चय किया गया ।

5.साल्ट द्वितीय समझौता-

1979 में हुए इस समझौतों को संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ को अपने देशों के संसद से अनुमोदित करना था परंतु अमेंरिकी राष्ट्रपति ने सोवियत संघ के अफगानिस्तान में हस्तक्षेप को देखते हुए इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया ।बाद में यह समझौता समाप्त हो गया।

6. 1987 में दोनों देशों ने मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र को नष्ट करने संबंधी संधि पर हस्ताक्षर किया।

7. स्टार्ट प्रथम संधि

इस संधि के अनुसार दोनों देश अपनी इच्छा अनुसार अपने परमाणु शस्त्रों की क्षमता में 30% की कटौती करेंगे। यह पहली ऐसी संधि थी जिसमें इतने बड़े स्तर पर सामरिक हथियारों की कटौती की बात कही गयी।

8. विश्व शांति एवं व्यवस्था के लिए 28 सितंबर 1991 को अमेंरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने एकतरफा मध्यम दूरी के सामरिक परमाणु हथियारों की कटौती की घोषणा की ।

9. 28 सितंबर 1991 में राष्ट्रपति बुश द्वारा किए गए घोषणा के बाद सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने भी परमाणु कमी की घोषणा करते हुए 1 वर्ष के लिए परमाणु हथियारों में कमी करने की घोषणा की।

10. स्टार्ट टू संधि

संधि अमेंरिकी राष्ट्रपति बुश और रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन ने 3 जनवरी 1993 को मास्को में ऐतिहासिक संधि स्टार्ट टू पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अनुसार दोनों देश संयुक्त रूप से अपने परमाणु हथियारों की संख्या में 2/3 भाग की कटौती करेंगे अर्थात उस समय की क्षमता, जो 20000 थी उसको कम करके 6500 करेंगे| (जिसमें अमेरिका के 3500 और रूस के 3000)

11. रासायनिक हथियार निषेध संधि

13 जनवरी 1993 हुई इस संधि को 65 देशों के अनुमोदन के बाद 29 अप्रैल 1997 को लागू किया गया। इस संधि के द्वारा रासायनिक हथियारों के अनुसंधान विकास भंडारण एवं उनके हस्तांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया।

12. व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) -यह संधि परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाई गई थी। इस संधि के तहत पृथ्वी की सतह ,वायुमंडल ,जल और भूमि के अंदर परमाणु परीक्षणों पर

पूर्ण रोक लगाई गई।भारत इसका एक सहप्रस्तावक देश था। लेकिन 1995 में भारत ने इसे वैश्विक निरस्त्रीकरण से संबंध ना होने के कारण भारत ने सह प्रस्तावक देश से अपने आपको हटा लिया।इस संधि पर 24 सितंबर 1996 में हस्ताक्षर प्रारंभ हुए इस के अनुमोदन के लिए 44 ऐसे देशों की आवश्यकता है जिसके पास परमाणु और परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। लेकिन ऐसा आज तक ना होने के कारण यह प्रभावी नहीं हो पाया।

5.7 सीपरी ईयर बुक 2021 महत्वपूर्ण बिंदु

द्वितीय विश्व के बाद प्रारंभ हुए शीत युद्ध में दो महाशक्तियों(सयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ) के मध्य उत्पन्न तनाव ने विश्व में शस्त्रों के उत्पादन एवं व्यापार में तीव्र वृद्धि की। सोवियत संघ के विघटन एवं शीत युद्ध की समाप्ति होने से ठीक पहले शस्त्रों के व्यापार में कुछ कमी आयी जो 2000 ई। तक धीरे धीरे कम हुआ। 2000 ई। के बाद देशों के आंतरिक तनाव एवं आतंकवाद के वजह से शस्त्रों के व्यापार में पुनः वृद्धि शुरू हो गयी।

2016-20 के समयांतराल में विश्व में सबसे बड़ा शस्त्रों का निर्यातक अमेरिका था जिसका कुल विश्व निर्यात में 37% की हिस्सेदारी थी। दूसरे नंबर पर रूस था जिसका कुल विश्व निर्यात में 20% कई हिस्सेदारी था।

2016-20 के समयांतराल में विश्व में सबसे बड़ा शस्त्रों का आयातक सऊदी अरब थी जो कुल व्यापार का 11% शस्त्रों का आयात किया था। दूसरे नंबर पर भारत था जो कुल विश्व व्यापार का 9।5% शस्त्रों का आयात किया था।

जनवरी 2021 में अमेरिका के पास कुल 5550 परमाणु हथियार थे,रुस के पास 6255,चीन के पास 350 और भारत के पास 156 परमाणु हथियार थे।

अभ्यास प्रश्न

1. आंशिक आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि कब हुई?
2. 2016-20 के समयांतराल में विश्व में सबसे बड़ा शस्त्र आयातक कौन सा देश था?
3. 2016-20 के समयांतराल में विश्व में सबसे बड़ा शस्त्र निर्यातक कौन सा देश था?
4. एन.पी.टी. का पूरा नाम क्या है?
5. सी.टी.बी.टी. का पूरा नाम क्या है?

5.8 सारांश

मनुष्य की प्रकृति अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने की है जिससे वह अधिक से अधिक लोगों पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करता है।विश्व राजनीति में भी प्राचीन समय से ही एक राज्य दूसरे राज्य पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करता था । पहले दो राज्यों के मध्य युद्ध भालों और तलवारों से होता था लेकिन साम्राज्यवादी महत्वकांक्षा ने अधिक से अधिक शास्त्रों के उत्पादन एवं विकास करने को प्रेरित किया ।जहाँ एक तरफ प्रतिस्पर्धा ने शस्त्र दौड़ को बड़ा दिया ,वही विश्व राजनीतिक मंच के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास निरंतर किया जा रहा था। विश्व शांति की स्थापना के लिए निरस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियत्रंण एक यंत्र के रूप में प्रयोग किये जाने लगे, क्योकि जहाँ निरस्त्रीकरण शस्त्रों की संख्या में कमी करके राष्ट्रों के मध्य विश्वास स्थापित करने का प्रयास करता है वही शस्त्र नियंत्रण शस्त्र तकनीकों के विकास को रोकने का प्रयास करके राष्ट्रों निर्माण के लिए प्रोत्साहित करता है।निरस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण के प्रयास समय समय पर किये गए है लेकिन कई बार यह राष्ट्र हित एवं सुरक्षा के मुद्दों के कारण असफल हो गए तो कई बार इसमें सफलताएं भी मिली जैसे स्टार्ट प्रथम एवं द्वितीय ।विश्व शांति की स्थापना के लिए आज सबसे जरूरी बात राष्ट्रों के मध्य विश्वास पैदा करना है जो की निरस्त्रीकरण और शस्त्र नियत्रंण के माध्यम से हो सकता है।

5.9 शब्दावली

1.पुर्नजागरण काल- पुनर्जागरण का अर्थ पुनर्जन्म है। पश्चिमी देशों अर्थात यूरोप में मध्यकाल में सांस्कृतिक आंदोलन के माध्यम से रोमन प्राचीन ज्ञान की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करना ही पुर्नजागरण कहलाता है।

2.उद्योगिक क्रांति – जब औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन शारीरिक श्रम के बजाए मशीनों से होने लगा तो इस प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है।

3.साम्राज्यवाद -जब कोई देश अपने शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए किसी अन्य देश राजनीतिक ,आर्थिक एवं सांस्कृतिक पर आधिपत्य स्थापित करता है।

4.शीत युद्ध – यह एक वैचारिक एवं भू-राजनीतिक तनाव था जो अमेरिका और उनके आश्रित देश और सोवियत यूनियन और उनके आश्रित देशो के मध्य 1945 से 1991 के मध्य चला।

5.10 अभ्यास प्रश्न उत्तर

1.1963 2. सऊदी अरब 3. संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 4. नाभिकीय अप्रसार संधि (Non-Proliferation Treaty)

5. व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी)

5.11 संदर्भ ग्रंथ सूची

1. j।margenthau,hans।1949।politics among nations ।newyork:afred a।knopf

2. gillis,melissa,2017। Why is disarmament important,disarmament a basic guide।forth edition ।11,12,13,14,15,16,17,18,19

3. fadia,dr b।।2010 । International politics-13th edition ,agra,sahitya bhavan publication

4. sipri yearbook 2021: armaments , disarmament and international security – summary

5. khurana and sharma।2010-11।Vishwa ka itihas[1453 -1945 A।D]।agra: Lakshmi narayan agrawal

6.https://en।m।wikipedia।org/wiki/partial_nuclear_test_ban_treaty

7.https://en।m।wikipedia।org/wiki/Treaty_on_the_Non-roliferation_of_Nuclear_Weapons

5.12 सहायक /उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. https://en।m।wikipedia।org/wiki/Strategic_Arms_Limitation_Talks
2. https://en।m।wikipedia।org/wiki/START_I
3. https://en।m।wikipedia।org/wiki/START_II

5.13 निबंधात्मक प्रश्न

1. निरस्त्रीकरण से आप क्या समझते है? निरस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के बारे में चर्चा कीजिये।

2. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निरस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण के लिए किये गए प्रयासों का विश्लेषणात्मक व्याख्या कीजिए।

3. शस्त्र प्रतिस्पर्धा के विकासक्रम की व्याख्या कीजिये।

इकाई 6-परमाणु अप्रसार संधि(NPT) ,व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध संधि(CTBT)

इकाई सरंचना

6.0 प्रस्तावना

6.1 उद्देश्य

6.2 नाभिकीय अप्रसार संधि

6.3 व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध संधि

6.4 सारांश

6.5 शब्दावली

6.6 अभ्यासप्रश्न उत्तर

6.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

6.8 निबंधात्मक प्रश्न

6.0 प्रस्तावना

पांच परमाणु हथियार संपन्न महाशक्तियां जहां दुनिया को एक तरफ नाभिकीय हथियारों के विनाशकारी परिणाम बताते हुए अप्रसार की सीख दे रहे है ।तो वहीं 1945 के बाद से इन्हीं देशों ने सबसे ज्यादा परमाणु परीक्षणों को अंजाम दिया है।1945 में अमेरिका,1949 ने सोवियत संघ ,1952 में ब्रिटेन, 1958 में फ्रांस, 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया ।इसके बाद 1974 में भारत ने भी इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हुए 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया।उसके बाद विश्व में शस्त्र हथियार की प्राप्ति के लिए एक दौड़ प्रारंभ हो गई। परमाणु हथियार बनाने के लिए दो आवश्यक सामग्री प्लूटोनियम और परिष्कृत यूरेनियम तक पहुंचे एवं भंडारण, मुख्य रूप से इन्ही पाँच परमाणु सम्पन देशों के पास है अतः परमाणु हथियार के प्रसार को रोकने के लिए इन देशों को मुख्य रूप से योगदान देना होगा। विज्ञान ने न केवल मनुष्य के जीवन को आरामदेह बनाया है बल्कि इसके द्वारा मनुष्य का समूल विनाश भी हो सकता है । न केवल परमाणु बम मनुष्य के लिए खतरनाक है बल्कि पूंजीवादी शक्तियों द्वारा विकसित न्यूट्रॉन बम के आविष्कार ने केवल मनुष्यों को बड़ी संख्या में क्षति पहुचाने का मार्ग प्रशस्त किया है।ऐसी तकनीकों के केवल प्रसार रुकना चाहिए तथा ऐसे हथियारों का निरस्त्रीकरण भी अति आवश्यक है। यह बात सत्य है कि 1945 के बाद से इस दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन शीत युद्ध के दौरान इन हथियारों के निर्माण की तुलना में यह प्रयास अत्यंत कम थे। शीत युद्ध के बाद इस दिशा में कुछ तेजी देखने को मिली जब अमेरिका और रूस ने मिलकर निशस्त्रीकरण के प्रयास किए। लेकिन सीपरी की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2021 में अमेरिका के पास 5550,रूस के पास 6255 ,ब्रिटेन के पास 225 फ्रांस के पास 290 ,चीन के पास 290, भारत के पास 156,पाकिस्तान के पास 165, इजरायल के पास 90 हथियार थे ।वर्तमान समय में भी एक बड़ी मात्रा में हथियार पांच महा शक्तियों के पास हैं। अतः एनपीटी और सीटीबीटी को सफल बनाने के लिए इन पांच महाशक्तियों को अपने हितों को पीछे छोड़ते हुए विश्व शांति के लिए व्यापक स्तर पर निरस्त्रीकरण और शस्त्र नियत्रंण के प्रयास करना होगा।

6.1 उद्देश्य

इस इकाई क अध्ययन के उपरान्त

1. इस अध्याय में आप एनपीटी के बारे में जान पाएंगे
2. एनपीटी के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जान पाएंगे
3. एनपीटी के मार्ग में आनेवाली बाधाओं क बारे में जान पाएंगे
4. इस अध्याय में आप सीटीबीटी के बारे में जान पाएंगे
5. इस अध्याय में आप सीटीबीटी के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों क बारे में जान पाएंगे

6.2 नाभिकीय अप्रसार संधि

संयुक्त राज्य अमेरिका ने सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण 1945 में अलामोगोर्डो न्यू मैक्सिको में किया था|उसके बाद अगस्त 1945 में जापान पर किए गए परमाणु हमले के द्वारा अपार जनधन की हानि ने इसके विध्वंसकारी परिणाम देखने को मिले|1945 के बाद से परमाणु के विनाशकारी प्रभाव को रोकने का प्रयास किया किया जा रहा है।1946 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित योजना के द्वारा परमाणु हथियारों को गैरकानूनी घोषित करके इसके अंतरराष्ट्रीय उपयोग पर बल देने का प्रयास किया गया परंतु यह योजना 1952 में 3 देशों के पास परमाणु हथियार उपलब्ध होने के साथ असफल हो गई। 1950 के दशक के शुरुआत में राष्ट्रपति आइजनहावर के प्रयास से अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का निर्माण हुआ। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा सुरक्षा के उपाय विकसित करने तथा

परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग का विस्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।1958 में फ्रांस तथा 1964 में चीन के परमाणु बम के परीक्षण के बाद विश्व जगत में परमाणु हथियारों की चिंता और बढ़ गई।1965 में जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ जिसमें परमाणु अप्रसार संधि पर विचार किया गया।1968 में अपनी वार्ता पूरी की और 1 जुलाई को परमाणु अप्रसार संधि के लिए हस्ताक्षर के लिए आमंत्रित किया गया। 5 मार्च 1970 में 43 पक्ष जिसमें 5 में से 3 परमाणु हथियार संपन्न देशों ने भी हस्ताक्षर किया था।एनपीटी मुख्य रूप तीन स्तंभ पर टिकी है

1. अप्रसार
2. परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग
3. निरस्त्रीकरण

1.अप्रसार - एनपीटी के अनुच्छेद 1 के अनुसार परमाणु संपन्न देश किसी भी अन्य देश को परमाणु हथियार का स्थानांतरण नहीं करेगा और ना ही परमाणु हथियार प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अनुच्छेद 2 के अनुसार परमाणु हथियार विहीन देश ना तो परमाणु हथियार प्राप्त करने का प्रयास करेगा और न ही परमाणु हथियार के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करेगा ना वह परमाणु हथियार के निर्माण में मदद लेने का प्रयास करेगा।अप्रसार प्रतिबद्धता का नियमित अनुपालन अंतरराष्ट्रीय आवश्यकता को स्पष्ट करता है।एनपीटी की अधिकांश पार्टियां उसका अनुपालन करती हैं। परमाणु हथियारों का विकास अगर पूरे विश्व में हो जाएगा तो यह विश्व सुरक्षा एवं स्थायित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा,अतः एनपीटी ने इस विस्तार को रोकते हुए ना केवल अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने का काम किया बल्कि परमाणु हथियारों के प्रसार को भी बाधित करने का कार्य किया है।एनपीटी, आईएईए के सारे सुरक्षा मापदंडों को सम्मिलित करता है जिसका निर्माण विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय परमाणु सहयोग समझौते के द्वारा हुआ है।

अनुच्छेद 3 किसी परमाणु संपन्न देश को परमाणु तकनीक का निर्यात परमाणु विहीन देश को करने के लिए आईएईए के सुरक्षा मापदंडों को पूरा करना आवश्यक है। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण उपयोग के स्थान पर हथियार निर्माण परिवर्तन को रोकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1540(2004) और संबद्ध संकल्प सामूहिक विनाश के निर्माण और उसके वितरण को रोकने के उचित कानून विकसित करने के लिए आधार प्रदान करता है।

2. परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग– एनपीटी के अनुच्छेद 4 के अनुसार सभी देश को परमाणु तकनीक का प्रयोग शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए कर सकते हैं।शांतिपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिए मदद प्राप्त करने के लिए एनपीटी के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा ।एनपीटी के प्रभाव में आने के 50 वर्ष बाद परमाणु के तकनीक के शांतिपूर्ण कार्यों के उपयोग में तीव्र वृद्धि हुई है। खाद्य सुरक्षा, रोग रोकथाम ,दवाई एवं जल संसाधन क्षेत्र में परमाणु तकनीक ने मनुष्य के जीवन को निरंतर बेहतर किया है। विश्व में बिजली के कुल उत्पादन का 10।1% उत्पादन नाभिकीय रिएक्टर द्वारा होता है।

3. निरस्त्रीकरण- अनुच्छेद 6 के अनुसार सभी हस्ताक्षरित सदस्य देश परमाणु हथियारों की दौड़ को समाप्त करने संबंधी प्रयास करेंगे।परमाणु हथियार जितने राष्ट्रों पास होंगे उतना ही इसका खतरा गैर राज्य अभिनेता के द्वारा इसका उपयोग करने का होगा अतः निरस्त्रीकरण के माध्यम से इसके विस्तार को कम से कम करने की आवश्यकता है।

1970 से शुरू हुए इस संधि में आज 2021 में कुल 191 देश इसमें सम्मिलित है। यह विश्व के इतिहास में सबसे विस्तृत परमाणु शस्त्र नियंत्रण समझौता है। अभी तक भारत, इजरायल और पाकिस्तान ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है।

6.2.1. एनपीटी के समक्ष चुनौतियाँ –

परमाणु हथियारों का विकास अगर पूरे विश्व में हो जाएगा तो यह भी सुरक्षा एवं स्थायित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा।एनपीटी ने परमाणु हथियार के विस्तार को रोकते हुए ना केवल अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने का काम किया है।लेकिन एनपीटी को वैश्विक स्तर पर सफलता पूर्वक लागु करने में अनेक कठनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

अप्रसार प्रतिबद्धता का निरंतर अनुपालन अंतरराष्ट्रीय आवश्यकता को स्पष्ट करता है। एनपीटी की अधिकांश पार्टियां उसका अनुपालन करती है एनपीटी के क्रियान्वयन को लगातार मजबूत करना एवं अप्रसार व्यवस्था को और आगे बढ़ाने के लिए गैर अनुपालन वाले राज्यों को वापस लाने के अंतरराष्ट्रीय प्रयास आवश्यक हैं।उत्तर कोरिया के लंबे गैर अनुपालन के बाद जनवरी 2003 में उत्तर कोरिया में सुरक्षा उपायों की बाध्यता को दरकिनार करते हुए ,एनपीटी से अलग होने के अपने राज्य की घोषणा की। सितंबर 2005 में 6 राष्ट्र ने एक संयुक्त वक्तव्य में उत्तर कोरिया को समस्त प्रमाणित प्रोग्राम को खत्म करते हुए और मौजूदा परमाणु कार्यक्रम को खत्म करते हुए एनपीटी के प्रतिबद्धता का पुनः पालन करने के लिए कहा गया।ईरान कई वर्षों से एन पी टी की प्रतिबद्धता का पालन ना करते हुए निरंतर परमाणु संवर्धन कर रहा था। 2005 में आईएईए ने अनुच्छेद 7c के असफलता के कारण सुरक्षा परिषद ने ईरान को एन पी टी की कानूनी प्रतिबद्धता का पालन करने के लिए कहा और ईरान को परमाणु संवर्धन करने से रोकने का प्रयास किया। 1990-91 की खाड़ी युद्ध के बाद इराक के एक व्यापक परमाणु प्रोग्राम था अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के बाद उस प्रोग्राम को खत्म किया गया। लीबिया ने भी 2003 के बाद ऐसा ही किया लेकिन जल्द ही उसने आईएईए के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया।

अन्तराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) सुरक्षा उपाय प्रणाली को भी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है इसके कार्यभार और इसके संसाधनों के बीच असंतुलन बढ़ रहा है।जिससे आई ए ई ए सुरक्षा उपाय प्रणाली का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग एवं उसकी मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है इसलिए सुरक्षा उपायों के लिए विश्व में भी अधिक संसाधनों की आवश्यकता है और एजेंसी के दायित्व में भी निरंतर वृद्धि हो रही है लेकिन उस प्रकार से उसके संसाधनों में वृद्धि नहीं हो रही है।

जनवरी 2004 में अब्दुल कादिर खान जिसे पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का जन्मदाता माना जाता है के ऊपर ये आरोप लगे कि परमाणु हथियार प्रौद्योगिकी प्रसार के एक गुप्त अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क में लीबिया,ईरान और उत्तर कोरिया को शामिल करने की बात स्वीकार की थी ।इस बात के सबूत होने के बावजूद की परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में खान ने एक खतरनाक कुचक्र रचा था ।पाकिस्तान राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने 5 फरवरी 2004 कट्टरपंथी गुटों के दबाव में क्षमादान देने की घोषणा की तमाम आरोपों के बावजूद अब्दुल कादिर खान को पाकिस्तान में नायक के रूप में स्वीकार किया गया।

6.2.2 संधि से हटने संबंधी प्रावधान

परमाणु अप्रसार संधि में प्रावधान है कि संधि से हटने का इरादा रखने वाले एक राज्य पक्ष को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अपने इरादे के बारे में 3 महीने का नोटिस, सुरक्षा परिषद को संधि से वापस हटने के कारणों के साथ प्रदान करना होगा। इस प्रावधान का उद्देश्य सुरक्षा परिषद को किसी भी वापसी से निपटने का अवसर देना था जो

अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है।इस तरह के नोटिस में असाधारण घटनाओं का विवरण शामिल होगा जिन्हें कोई राष्ट्र अपने सर्वोच्च हितों को खतरे में डालने के रूप में मानता है।

6.2.2. गैर राज्य अभिकर्ता और परमाणु हथियार

2001 में अमेरिका में हुई आंतकवादी घटना के और विश्व में बढ़ते आतंकवाद के चलते विश्व में नाभिकीय तकनीक के प्रति चिंता व्यक्त की गई अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया और गैर राज्य अभिनेता के खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ रही है इसमें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन शामिल है इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में परमाणु आतंकवाद के कवियों का दमन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 1540 और 1887 के अंतर्गत राज्य अभिनेताओं के प्रसार को रोकने का प्रयास किया गया है।

6.2.4 एनपीटी समीक्षा सम्मेलन

2010 में एनपीटी के सभी पार्टियों की एक बैठक न्यूयॉर्क में बुलाई गई इस बैठक का मूल उद्देश्य एनपीटी के संचालन की समीक्षा करना था।आठवां एनपीटी रिव्यू कॉन्फ्रेंस एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता थी अपने एनपीटी के दायित्वों को पुनः स्वीकार करने की। इस समीक्षा सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र में एनपीटी पार्टियों के साथ रचनात्मक रूप से कार्य करते हुए एनपीटी के तीनों स्तंभों का अनुपालन करने पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने पुनः उस उद्देश्य की याद दिलाए जो अप्रैल 2009 में तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामा ने कहा था कि अमेरिका ने विश्व में शांति व सुरक्षा स्थापित करने के लिए हथियारों के बिना दुनिया की बात की है।

6.2.5 एनपीटी के महत्वपूर्ण अनुच्छेद

अनुच्छेद 1 -कोई एनपीटी सदस्य देश किसी अन्य देश को परमाणु हथियार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नहीं देगा और ना ही परमाणु हथियार बनाने में मदद करेगा।

अनुच्छेद 2-कोई एन पी टी सदस्य देश किसी अन्य देश से ना तो परमाणु हथियार खरीदेगा और ना ही अपने यहां हथियारों का निर्माण करेगा।

अनुच्छेद 3-प्रत्येक सदस्य देश आईएईए द्वारा बनाए सुरक्षा उपायों जो कि नाभिकीय तकनीक का उपयोग केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए सुनिश्चित करता है और उसका किसी भी प्रकार का परिवर्तन रोकता है।

अनुच्छेद 4 -अनुच्छेद एक और अनुच्छेद दो का अनुपालन करते हुए सदस्य देश शांतिपूर्ण कार्यों के लिए अनुसंधान,उत्पादन और नाभिकीय तकनीक का प्रयोग कर सकता है।

अनुच्छेद 5-प्रत्येक सदस्य देश अंतरराष्ट्रीय निगरानी एवं उचित प्रक्रिया के अंतर्गत संधि के प्रावधानों को पूरा करने के लिए उचित मापदंडों का निर्धारण कर सकता है ।

अनुच्छेद 6- प्रत्येक सदस्य देश नाभिकीय शस्त्र दौड़ को रोकने एवं शस्त्रों की संख्या में कमी करने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 8-अगर कोई देश संधि के प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो इस प्रकार की कोई भी मांग निरपेक्षागार सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा और इस संबंध में निरपेक्षागार सरकार समस्त सदस्य देशों को एक परिपत्र जारी करेगा।यदि 1/3 सदस्य इस मांग से सहमत होंगे तो इस संबंध में नीचे निरपेक्षागार सरकार एक बैठक बुलाएगी संशोधन के लिए ।

6.3 व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि(सीटीबीटी)

व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि दुनिया में कहीं भी किसी भी प्रकार के परमाणु हथियार के परीक्षण विस्फोट या किसी अन्य विस्फोट को प्रतिबंधित करता है। संधि सितंबर 1996 में हस्ताक्षर के लिए खोली गई थी और अब तक 185 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और 170 देशों द्वारा पुष्टि की गई है। लेकिन जब तक 44 परमाणु तकनीकी संपन्न राष्ट्र इसमें हस्ताक्षर नहीं करते तब तक यह संधि प्रभावी नहीं होगी। यह बात महत्वपूर्ण है कि 44 देशों में से अमेरिका ,चीन,ईरान,इजरायल तथा मिश्र समेंत पांच देश ऐसे हैं जिन्होंने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर तो कर दिया, लेकिन अभी तक इसका अनुसमर्थन उन देशों की विधायिका द्वारा नहीं किया गया है।भारत-पाकिस्तान और उत्तर कोरिया,ऐसे देश हैं जिन्होंने ना तो इस संधि पर हस्ताक्षर किया है और ना ही इस कानून समर्थन किया है। अमेंरिकी सीनेट में इस संधि के अनुसमर्थन के लिए 1999 में सुरक्षा उपायों सहित मतदान हुए परंतु सीनेट ने इसके खिलाफ मतदान किया। 2009 में इस संधि पर सीनेट में पुनर्विचार करने के संबंध में अपनी मंशा दिखाई लेकिन यह संभव नहीं हो सका। एक तरफ जहां एनपीटी नाभिकीय तकनीक प्रसार को रोकता है तो वहीं सीटीबीटी परमाणु हथियारों के विकास और गुणात्मक सुधार को रोकने और उन्नत नए प्रकार के परमाणु हथियारों के विकास को समाप्त करते हुए शस्त्र नियंत्रण का एक प्रभावी उपाय है ।साथ-साथ यह निरस्त्रीकरण को भी दिशा प्रदान करता है।

6.3.1 क्षेत्र

सीटीबीटी के अनुच्छेद 1 के अनुसार सभी हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र किसी भी प्रकार का परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। सीटीबीटी शून्य उपज संधि है। इससे तात्पर्य यह है कि यह समझौता सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित करता है चाहे वह हथियार बनाने के लिए किया गया हो या शांतिपूर्ण कार्यों के लिए

6.3.2 संगठन

अनुच्छेद 2 में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन की स्थापना के संबंध में उल्लेख है। यह संधि के प्रावधानों को क्रियान्वित करने का कार्य करता है और राष्ट्रों को परामर्श और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस संगठन में राज्यों की पार्टियों का एक सम्मेलन, कार्यकारी परिषद और एक तकनीकी सचिवालय शामिल है। संधि के नीतिगत मुद्दों का निर्णय राज्यों के पार्टियों द्वारा लिया जाता है। कार्यकारी परिषद नीतिगत मुद्दों को क्रियान्वित करने का कार्य करता है। इसमें कुल 51 सदस्य देश होते हैं। कार्यकारी परिषद में अलग-अलग महाद्वीपों से अलग-अलग प्रतिनिधित्व है जैसे अफ्रीका से 10, पूर्वी यूरोप से 7, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन द्वीप से 9,मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के साथ उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप से 10 और 8 प्रतिनिधि दक्षिण पूर्व एशिया प्रशांत एवं सुदूर पूर्व से है।परिषद के सदस्यों का चुनाव सम्मेलन द्वारा किया जाता है प्रत्येक क्षेत्र को आवंटित सीटों में से कम से कम एक तिहाई सीटें परमाणु क्षमताओं के आधार पर भरी जाएंगी। इसमें सीटों को आवंटित करने की प्रक्रिया वर्णानुक्रम के आधार पर नामित किया जाएगा और फिर सीटों का निर्धारण रोटेशन या चुनाव द्वारा किया जाएगा। तकनीकी सचिवालय का अंतरराष्ट्रीय निगरानी प्रणाली के कार्यों पर निगरानी रखना है तथा यह अंतरराष्ट्रीय डेटा केंद्र का प्रबंधन भी करता है।

6.3.3 अनुच्छेद 3- इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य पक्ष अपनी संवैधानिक प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए ,संधि के दायित्व को लागू करने के लिए कोई भी आवश्यक कदम उठा सकता है।

6.3.4 अनुच्छेद 4-इस के अनुसार सत्यापन प्रोटोकॉल संधि के सत्यापन शासन की स्थापना करता है।इसमें 4 सत्यापन प्रोटोकॉल संधि के तहत सत्यापन शासन की स्थापना की गई है। इसमें मुख्य रूप से 4 बुनियादी तत्व शामिल है अंतरराष्ट्रीय निगरानी प्रणाली (IMS) परामर्श और स्पष्टीकरण ,निरीक्षण और विश्वास निर्माण के उपाय

।यह सत्यापन प्रक्रिया तभी प्रारंभ होगी जब तक संधि पूर्ण रूप से प्रारंभ नहीं होती।आई एम एस द्वारा एकत्र जानकारी का भंडारण एवं प्रसंस्करण आईडीसी द्वारा किया जाता है जो कि तकनीकी सचिवालय के अंतर्गत कार्य करता है।

6.3.5 संशोधन संबंधी प्रावधान

अनुच्छेद 7 के तहत प्रत्येक राज्य पक्ष संधि में संशोधन का प्रस्ताव दे सकता है।किसी संशोधन के अनुमोदन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है और कोई भी पार्टी नकारात्मक वोट नहीं डाल सकता है।

6.3.6 शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट

अनुच्छेद 8 के तहत संधि को लागू होने के 10 वर्ष बाद एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जिसमें प्रस्तावना सहित इसके प्रावधानों के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी।इस समीक्षा सम्मेलन में कोई भी राज्य पक्ष शांतिपूर्ण विस्फोट के मुद्दे को एजेंडे में रख सकता है ।

6.3.7 अवधी और निकासी

अनुच्छेद9 संधि की अवधि असीमित है निकासी के संबंध में अगर कोई देश यह समझता है कि इस संधि के विषय वस्तु से उसके सर्वोच्च हितों का खतरा होता है तो वह संधि से वापस हटने की सूचना 6 माह पूर्व देनी होगी। इस संधि के तहत सभी प्रकार के परीक्षण भूमिगत, जल, आकाश में प्रतिबंधित किया गया है। सीटीबीटी अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षण केंद्र की स्थापना का प्रावधान किया गया है इसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय डेटा केंद्र की स्थापना की व्यवस्था भी की गई है।

6.3.8 भारत एवं सीटीबीटी

2019 में सीटीबीटी संगठन ने भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया । भारत ने ना तो संधि पर हस्ताक्षर किया और ना ही उसे अनुमोदित किया। तो इसके बाद भी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करना एक बड़ी उपलब्धि है। भारत का परमाणु शक्ति उपयोग का रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है। भारत ने हमेंशा परमाणु तकनीक का उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों में किया है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए बिना परमाणु आपूर्तिकर्ता ग्रुप(एनएसजी) से परमाणु ईंधन प्राप्त किया है इसके अलावा भारत विश्व के महत्वपूर्ण समूह का सदस्य देश भी है।जैसे G8 , ब्रिक्स,शंघाई सहयोग संगठन सार्क,यूरोपीय संघ आदि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है|भारत ने अपनी 2003 में जारी परमाणु नीति में यह घोषणा की थी कि वह सर्वप्रथम परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेगा| 2000 के बाद अमेरिका कि भारत को अलग-थलग करने के बजाय भारत के साथ लेकर चलने की नीति ने भारत को सीटीबीटी का पर्यवेक्षक बनने में मदद की है।

भारत का पक्ष सीटीबीटी के प्रति यह है कि यह इसे सिर्फ नाभिकीय संधि तक सीमित नहीं करना चाहिए बल्कि से रासायनिक एवं भौतिक हथियारों के क्षेत्र पर भी लागू करना चाहिए। यह संधि परमाणु संपन्न देशों में शक्तिशाली देशों के नाभिकीय हथियारों को नष्ट करने के बारे में कुछ नहीं कहता है।भारत परमाणु हथियारों के निश्चित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण रूप से नष्ट करने के पक्ष में है। यह संधि परमाणु तकनीक के गुणात्मक विकास को बाधित करती है।

अभ्यास प्रश्न

1.नाभिकीय अप्रसार संधि प्रभाव में कब आई थी?

2.सीटीबीटी को प्रभावी होने के लिए कितने परमाणु तकनीकी संपन्न देशों के हस्ताक्षर की आवश्यकता है?

3.अमेरिका ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किस सन में और किस स्थान पर किया था?

4.किन-किन देशों ने अभी तक नाभिकीय अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है

6.4 सारांश

परमाणु ऊर्जा मनुष्य के जीवन को आरामदेह बनाने के साथ-साथ मानव सभ्यता के लिए विनाशकारी भी है। एक तरफ जहां नाभिकीय रिएक्टर द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। जिसका उपयोग मानव विकास एवं कल्याणकारी कार्यों के लिए किया जाता है तो वहीं दूसरी परमाणु बम द्वारा मनुष्य का समूल विनाश हो सकता है। ऐसे में शीत युद्ध काल में नाभिकीय शस्त्र दौड़ ने विश्व में नाभिकीय शस्त्रों की संख्या में अपार वृद्धि की है।अब नाभिकीय शास्त्रों को शक्ति संतुलन का पर्याय माना जाना लगा है। लेकिन दुनिया को यह भी पता है कि यह हथियार मनुष्य के लिए कितने खतरनाक हैं।विश्व की पांच महाशक्तियां यह तो चाहती हैं कि परमाणु हथियारों की संख्या में कमी होनी चाहिए पर वह अपने हथियारों को नष्ट करने को तैयार नहीं है ऐसे में किसी भी संधि के संपूर्ण विश्व के स्तर पर लागू करने की संभावना कम है।अतः निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण की संधियों को सफल बनाने के लिए एक व्यापक वैश्विक समानता के नियम बनाने की आवश्यकता है।इस दिशा में प्रयास लगातार हो रहे हैं लेकिन सभी पक्ष से पूर्ण रूप से सहमत नहीं हो पा रहे हैं।इन संधियों को सफल बनाने के लिए सारे पक्षों को अपने अपने हितों को त्यागते, हुए विश्व शांति व्यवस्था को ध्यान में रखकर सभी पक्षों की सहमति के साथ नियमों को परिवर्तित करने की आवश्यकता है क्योंकि भारत समेंत कुछ देश एनपीटी और सीटीबीटी को पक्षपातपूर्ण बताते हैं।इन देशों का यह कहना है कि इसमें निरस्त्रीकरण शस्त्र नियंत्रण की बात तो होती है लेकिन विश्व की पांच महाशक्तियां अपने शास्त्रों की संख्या को कम करने के बारे मौन है।

6.5 शब्दावली

1. **अंतरराष्ट्रीय निगरानी प्रणाली (IMS)**- यह एक विश्वव्यापी नेटवर्क है।इस नेटवर्क का मूल कार्य संधि के उल्लंघन करने वाली घटनाओं का पता लगाना है तथा संधि के अनुपालन को सत्यापित करने में मदत करना है।

2. **अंतरराष्ट्रीय डाटा केंद्र** – यह सी टी बी टी सत्यापन तंत्र का एक केन्द्रीय तत्व है। यह अंतरराष्ट्रीय निगरानी प्रणाली (IMS) की 337 सुविधाओं से उत्पन्न आंकड़ों को एकत्र करता है, संसाधित करता है और विश्लेषित करता है।

6.6 अभ्यास प्रश्न के उत्तर

1.1970, 2. 44, 3. संयुक्त राज्य अमेरिका ने सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण 1945 में अलामोगोर्डो न्यू मैक्सिको में किया था , 4. भारत,इजराइल,पाकिस्तान

6.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1.fadia,dr b.l.2010 . International politics-13th edition ,agra,sahitya bhavan publication

2.https://2009-2017.state.gov/t/avc/rls/212176.htm

3.https://ctbto.org/verification-regime/the-international-data-centre/history-of-theinternational-data-centre

4.treaty on the non-proliferation of nuclear weapons-us delegation to the 2010 nuclear nonproliferation treaty review conference-2010

6.8 सहायक / उपयोगी पाठ्यसामग्री

1. https://armscontrol|org/factsheets/test-ban-treaty-at-a-glance
2. https://armscontrol|org/factsheets/nuclearweaponswhohaswhat
3. https://newindianexpress|com/nation/2019/may/14/ctbto-offers-india-observer-states-access-to-ims-data-1976751|html

6.9 निबंधात्मक प्रश्न

1.नाभिकीय अप्रसार संधि को समझाते हुए,इसका आलोचनात्मक अध्ययन कीजियेI

2. व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध संधि की वर्त्तमान सन्दर्भ समीक्षा कीजिये I

3. व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध संधि संगठन के बारे में विस्तृत अध्ययन कीजिये I

इकाई 7 भारत - संयुक्त राष्ट्र

7.1 प्रस्तावना

7.2 उद्देश्य

7.3 संयुक्त राष्ट्र संघ की नीतियों के क्रियान्वयन में भारत की भूमिका

7.3.1 उपनिवेशवाद के उन्मूलन में भारत की संयुक्त राष्ट्र में भूमिका

7.3.2 नस्लवाद एवं रंगभेद नीति के विरोध में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका

7.3.3 प्रशांत महासागर के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका

7.3.4 नि:शस्त्रीकरण के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों में भारत की भूमिका

7.3.5 संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक सहायता एवं तकनीकी सहयोग कार्यक्रमों में भारत की भूमिका

7.4 संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शांति स्थापना कार्यों में भारत की भूमिका

7.4.1 कोरिया समस्या के समाधान में भारत की भूमिका

7.4.2 हिंद चीन की समस्या के संदर्भ में भारत की भूमिका

7.4.3 कुवैत समस्या के संदर्भ में भारत की भूमिका

7.4.4 कंबोडिया समस्या के निराकरण में भारत की भूमिका

7.4.5 संयुक्त राष्ट्र संघ शांति स्थापना के अन्य कार्यों में भारत की भूमिका

7.5 भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता का दावा

7.6 संयुक्त राष्ट्र की निधि में भारत का आर्थिक अंशदान

7.7 अभ्यास प्रश्न

7.8 सारांश

7.9 शब्दावली

7.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

7.11 संदर्भ ग्रंथ सूची

7.12 निबंधात्मक प्रश्न

7.1 प्रस्तावना

संयुक्त राष्ट्र मानवता के संरक्षण की एक आशा है, युद्ध की अपेक्षा शांति का आश्वासन, तनाव की अपेक्षा सुरक्षा का संकेत है। 20वीं शताब्दी का दूसरा अर्धभाग इतने संकटों व विपत्तियों से भरा हुआ था कि किसी समय भी तीसरा विश्वयुद्ध छिड़ सकता था। भूतपूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव डैग हैमरशौळड ने सही कहा था कि-'संयुक्त राष्ट्र आशा की एक किरण है, यह एक ऐसी नीव है जो इस विश्वास पर टिकी हुई है कि शांति संभव हो सकती है, संयुक्त राष्ट्र उसी आशा का एक विश्वास है'।

संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसके प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेखसंयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। इन उद्देश्यों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है- A. अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना तथा उन उद्देश्यों की स्थापना के लिए प्रभावी सामूहिक सुरक्षा के उपायों का प्रयोग करना, B. सभी राष्टों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, C. आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना तथा D. इन सामान्य उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए एक समीकरण केंद्र का कार्य करना।

भारत संयुक्त राष्ट्र के 51 प्रारंभिक सदस्यों में से एक है। सन 1945 में यद्यपि भारत स्वतंत्र नहीं था, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक मित्र राष्ट्र होने के कारण उसने सेनफ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम बैठक में ही भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि विश्व संस्था में वह एक नयी शक्ति एवं एक नये दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। संयुक्त राष्ट्र एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रति भारत के अटूट विश्वास की व्याख्या करते हुए सन 1946 में जवाहर लाल नेहरू ने कहा था-'संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण हृदय तथा कार्यों से पूर्ण सहयोग एवं बिना संकोचपूर्ण समर्थन का है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत उसकी सभी गतिविधियों में भाग लेगा, जिससे उसकी भौगोलिक स्थिति, आबादी और शांतिपूर्ण उन्नति में सहयोग मिल सके।

संयुक्त राष्ट्र तंत्र के मध्य भारत ने एक महत्वपूर्ण और प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया है। हाल ही के वर्षों में भारत की रूचि संगठन में सुधार पर जोर देना रहा है जिस में शामिल है- सुरक्षा परिषद में सुधार, महासभा को पुनः सक्रिय करना, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में सुधार और अंतरराष्ट्रीय विकास से जुड़े मुद्दों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की निर्णायक भूमिका की वापसी, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय को लागू और अंगीकार करने के प्रयास, वैश्विक आतंकवादरोधी रणनीति को क्रियान्वित करना, पश्च संघर्ष शांति निर्माण प्रक्रियाओं का बेहतर प्रबंधन, आपदा प्रबंधन के लिए प्रभावकारी आपात राहत का प्रावधान और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मुद्दों का समान प्रबंध करना।

7.2 उद्देश्य-

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत निम्नलिखित विषयों के बारे में हम जान सकेंगे-

1- भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंधों के बारे में हम जान सकेंगे।
2- संयुक्त राष्ट्र संघ में विभिन्न मुद्दों पर भारत की भूमिका को हम जान सकेंगे।
3- सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्यता के संबंध में भारत के प्रति विश्व जनमत के दृष्टिकोण को हम समझ सकेंगे।
4- संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशन में भारत का योगदान एवं आर्थिक अनुदान हम समझ सकेंगे।

7.3 संयुक्त राष्ट्र संघ की नीतियों के क्रियान्वयन में भारत की भूमिका-

भारत संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगो तथा अनेक विशिष्ट एजेंसियों के साथ सक्रिय सहयोग करता रहता है। वह अनेक बार सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य के रूप में कार्य करता रहा है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य है- विश्व शांति, नि:शस्त्रीकरण, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद की समाप्ति, जातिभेद तथा रंगभेद नीति का विरोध तथा अंतरराष्ट्रीय कानून की प्रतिष्ठा स्थापित करना। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के इन उध्य्शो और नीतियों के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर रहा है क्योंकि यह नीतियां भारतीय विदेश नीति के आदर्शों एवं लक्ष्यों से मेंल खाती है।

प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव ने 21 जनवरी 1991 को सुरक्षा परिषद की शिखर बैठक में भाग लिया। इस बैठक का केंद्रीय विषय 'अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने में सुरक्षा परिषद का दायित्व' था। इस बैठक के अंत में सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने एक वक्तव्य पड़ा जिसमें शांति स्थापना तथा शांति बनाए रखने, सामूहिक सुरक्षा, नि :स्तरीकरण, और शस्त्र नियंत्रण के संबंध में इसकी भूमिका का उल्लेख था। बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री ने अनेक सार्वभौमिक मुद्दों तथा इन मुद्दों को सुलझाने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर भारत तथा गुटनिरपेक्ष विकासशील देशों के नजरिए को प्रभावपूर्ण ढंग से रखा।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के आठवे अधिवेशन ने भारत की श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित को अपना अध्यक्ष चुना था। जिस गरिमा और निष्ठा के साथ श्रीमती पंडित ने महासभा का कार्य संचालन किया, उसकी सामान्य रूप से प्रशंसा हुई थी। भारत आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ सदा सहयोग करता रहा है और अनेक सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों में सहायता देता रहा है।प्रसिद्ध भारतीय न्यायविद जैसे- बी एन राव एवं डॉ नगेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के ख्याति प्राप्त न्यायाधीश रहे हैं। डॉ नगेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश भी रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की अनेक विशिष्ट एजेंसियोंने समय-समय पर भारत की स्वास्थ्य, खाद्य, बाल कल्याण इत्यादि जैसी समस्याओं के निदान में सहायता की है।

संयुक्त राष्ट्र के आदर्शो के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए 'चार्ल्स हेन्सेथ' और 'सुरजीत मानसिंह' ने लिखा है कि'स्वतंत्रता के पश्चात चार्टर ही नेहरू के अंतरराष्ट्रीय आचरण का मापदंड हो गया था और यह उन आदर्शों का सार था जिनके प्रति उनकी सरकारसमर्पित हो सकती थी। उनका विचार था कि यदि विश्व में कोई ऐसा संस्थान है जो संघर्ष को कम तथा अंतरराष्ट्रीय न्याय को प्रोत्साहित कर सकता है तो वह संयुक्त राष्ट्र ही है। संयुक्त राष्ट्र में तथा इसके पुनर्निर्माण कार्यों में नेहरू का विश्वास था। भारत विभिन्न समस्याओं का समाधान इसी संगठन के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करता रहा है।

7.3.1 उपनिवेशवाद के उन्मूलन में भारत की संयुक्त राष्ट्र में भूमिका-

भारत ने सदैव उपनिवेशवाद प्रणाली का विरोध किया है। उत्तरी अफ्रीका में फ्रांस के उपनिवेशों, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को जैसे औपनिवेशिक प्रश्नों पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र के समस्त मंचों पर अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट की थी। भारत ने साइप्रस की स्वतंत्रता की माँग का समर्थन किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनेक बैठकों में भारत ने परतंत्र देशों के लिए राष्ट्रीय आत्म निर्णय सिद्धांत के अंतर्गत उनके लिए स्वाधीनता पर जोर दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एशियाई -अफ्रीकी देशों को गुटनिरपेक्ष आंदोलन तथा तथा बाद में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से इन स्वतंत्रता प्राप्त देशों के लिए विकास- योजनाओं में वित्तीय सहायता के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय

अर्थव्यवस्था की मांग व उसके लिए संघर्ष करने की भूमिका भी निभाई थी। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत ने विश्व में उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद के उन्मूलन हेतु विशेष भूमिका निभाई है।

7.3.2 नस्लवाद एवं रंगभेद नीति के विरोध में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका-

जातिभेद एवं नस्लवाद की नीति मानव गरिमा एवं विश्व- शांति के लिए एक बड़ा अभिशाप है, जिसके विरुद्ध भारत निरंतर संघर्ष कर रहा है, विशेष रूप से रंगभेद नीति के विरुद्ध। सन 1946 में महासभा के प्रथम अधिवेशन में ही भारत ने दक्षिण अफ्रीका के भारतीय मूल के निवासियों के प्रति अपनाए जा रही जातिभेद नीति का प्रश्न उठाया था। महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके जातिभेद को संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र का विरोधी घोषित कर दिया। इस प्रस्ताव से दक्षिण अफ्रीका के उन लोगों में बल, आशा तथा उत्साह का संचार हुआ जो जातिभेद के विरुद्ध संघर्ष में जुटी हुए थे। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी प्रस्तावों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका सरकार से कूटनीतिक, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों का विच्छेद कर लिया। सन 1946 में ही भारत ने प्रीटोरिया से अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया और उसके विरुद्ध आर्थिक अनुशंसा को लागू कर दिया। भारत के सद्प्रयत्नो से ही 6 नवंबर 1962 को महासभा ने यह प्रस्ताव पारित किया जिसमें सदस्य राज्यों से कूटनीतिक संबंधों के विच्छेद करने सहित, विविध कदम उठाने के लिए प्रार्थना की गई थी, दक्षिण अफ्रीका के माल का बहिष्कार किया जाये, और उसे माल,शस्त्रों, और गोला-बारूद सहित निर्यात न किया जाये।जब दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने दक्षिण -अफ्रीका के प्रदेशाधीन क्षेत्र को संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप व्यवस्था को सौंपना अस्वीकार कर दिया, तब भारत ने दक्षिण अफ्रीका के इस कार्य की कानूनी वैधता को चुनौती दी थी। यहां तक कि दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय जनमत को जागृत करने के लिए भारत ने 1986 के राष्ट्रमंडलीय खेलों का बहिष्कार किया।संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थाई प्रतिनिधियों ने रंगभेद नीति के विरुद्ध विश्व जनमत का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भारत रंगभेद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र विशेष समिति का संरक्षक है। भारत ने संयुक्त राष्ट्रमहासभा द्वारा भारी बहुमत से पारित रंगभेद सम्बन्धी संकल्पों की रूपरेखा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

7.3.3 प्रशांत महासागर के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका-

संयुक्त राष्ट्र के जीवन के आरंभिक वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा प्रशांत महासागर में रुचि रखने वाले अन्य देशों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के मध्य एक समस्या उत्पन्न हो गई थी। प्रशांत महासागर में स्थित कुछ द्वीप प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी से लेकर जापान को, राष्ट्र संघ मैंडेट के रूप में दे दिए गए थे। द्वितीय विश्वयुद्ध में जापान के पराजित होने के पश्चात वे द्वीप जापान के अधिकार से ले लिए गए थे और उन पर अमेरिका ने नियंत्रण कर लिया था। संयुक्त राज्य की नौसेना उन द्वीपों को स्थाई रूप से प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए अमेरिका की सरकार उन पर अपनी स्थाई प्रभुसत्ता स्थापित करने की इच्छुक थी परंतु ब्रिटेन ने प्रस्ताव किया कि प्रशांत महासागर के द्वीपों को न्यास के रूप में प्रशासन चलाने का निर्णय करने के लिए युद्ध के सभी विजयी देशों से परामर्श किया जाए। ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन के प्रस्ताव का समर्थन किया। वास्तव में स्वयं ऑस्ट्रेलिया भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित द्वीपों को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता था। उस समय भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं था परंतु ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने यह आग्रह किया कि भारत और न्यूजीलैंड को भी आमंत्रित किया जाए। अमेरिका कुछ संकोच के साथ सहमत हुआ। इस प्रकार मैंडेट और न्यास व्यवस्था से संबंधित एक प्रश्न पर विचार करने के लिए भारत को भी सम्मिलित किया गया। कनाडा और न्यूजीलैंड का विचार था कि अमेरिका की इच्छा लोकतंत्र और न्याय के विरुद्ध थी। उनका यह भी कहना था कि अमेरिकी तर्क अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रतिकूल था

परंतु भारत राष्ट्रमंडल के अन्य सदस्य देशों के साथ सहमत नहीं था। भारतीय प्रतिनिधि सर रामास्वामी मुदालियर ने ताना कसा कि-'कानून कभी-कभी बहुत पांडित्य- प्रदर्शक हो सकता है और यही पांडित्य- प्रदर्शक कानून की अवमानना करा सकता है'। संयुक्त राज्य अमेरिका इतना दृढ़ संकल्प था कि अंततः जो वह चाहता था, वही हुआ।

7.3.4 नि:शस्त्रीकरण के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका-

संयुक्त राष्ट्र संघ का एक उद्देश्य नि:शस्त्रीकरण रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के इस प्रयास में सदैव अपना सक्रिय योगदान दिया है। भारत की दृढ आस्था है कि नि:शस्त्रीकरण द्वारा जो धन शेष बचता है उसका उपयोग विकास एवं प्रगति में किया जाये। अपनी नीति के अनुकूल भारत परमाणु शक्ति का उपयोग केवल शांतिपूर्ण कार्यों में ही करने के लिए कृतसंकल्प है। यथार्थ में परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण एवं रचनात्मक उपयोगों के लिए परमाणु शक्ति जुटाने का सुझाव श्री जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा पर पहली बार भारत ने ही संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत किया था। भारत के डॉ जे एच भाभा को परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोगो पर आधारित उपयोगों पर आयोजित प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था। सन 1963 ईस्वी में जब परीक्षणों पर आंशिक प्रतिबंध की संधि हुई तो उस पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वालों में भारत भी था।

संयुक्त राष्ट्र में निशस्त्रीकरण के संदर्भ में भारत ने समय-समय पर महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए हैं। सन 1958 में महासभा के 13वे अधिवेशन में भारत ने दो प्रस्तावों पर बल दिया- **प्रथम**, समझौता होने की अवधि तक आणविक आयुधो के परीक्षण तुरंत बंद कर दिए जाये तथा **दूसरा,** आकस्मिक आक्रमण बंद करने की संभावना के प्रश्न पर विचार किया जाये। महासभा ने नि:शस्त्रीकरण के संबंध में समझौता होने तक भारत का आणविक विस्फोट बंद करने का सुझाव भारी बहुमत से स्वीकार कर लिया, जिसका सोवियत संघ अमेरिका तथा ब्रिटेन आदि ने बहुत समय तक पालन भी किया।

जून 1968 में संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तावित परमाणु अप्रसार संधि पर भारत ने कतिपय कारणों से हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। भारत ने मांग की कि उक्त संधि में कतिपय सुधार किए जाने चाहिए, ताकि जो राष्ट्र परमाणु अस्त्र संपन्न है, वे अब परमाणु अस्त्रों का निर्माण नहीं करेंगे तथा जिन राष्ट्र के पास परमाणु अस्त्र नहीं है या जिनमें परमाणु अस्त्रों के निर्माण की क्षमता नहीं है, उन्हें परमाणु संपन्न देशों से किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, साथ ही परमाणु शक्ति संपन्न बड़े राष्ट्र यह घोषणा करें कि वे इस तरह के अस्त्रों का संग्रह न करके विश्व को शांति से रहने देंगे।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 45वे सत्र में भारत ने नि:शस्त्रीकरण से सम्बद्ध दो संकल्प रखे। पहले संकल्प का नाम "वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास तथा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर उसका प्रभाव" है। दूसरे संकल्प का नाम "नाभिकीय अस्त्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध से सम्बद्ध अभिसमय" है, जिसमें नाभिकीय युद्ध से पृथ्वी पर जीवन को उत्पन्न खतरे की ओर ध्यान दिलाते हुए ऐसे युद्ध को रोकने के तात्कालिक कार्य की ओर ध्यान दिलाया गया है।

1991 के दौरान भारत तीन मुख्य बहुपक्षीय नि:शस्त्रीकरण मंचों पर अग्रणी भूमिका निभाता रहा। वे मुख्यबहुपक्षीय नि:शस्त्रीकरण मंच है- जेनेवा में नि:शस्त्रीकरण सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र नि:शस्त्रीकरण आयोग तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति।इसके अलावा जेनेवा में 9 से 27 सितंबर 1991 तक आयोजित तृतीय जैविकीय अस्त्र समीक्षा सम्मेलन में भी भारत ने महत्वपूर्ण योगदान किया। जनवरी 1993 में रासायनिक अस्त्र अभिसमय हस्ताक्षर के लिए खुल गया। भारत 131 अन्य देशों के साथ अभिसमय पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम देशों में एक बन गया।

सीटीबीटी पर भारत ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया क्योंकि भारत के अनुसार व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि को सार्थक बनाने के लिए यह जरूरी है कि इसी विश्वव्यापी नि:शस्त्रीकरण के साथ जोड़ा जाए।

7.3.5 संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सहायता एवं तकनीकी सहयोग कार्यक्रमों में भारत की भूमिका–

भारत का विश्वास है कि विश्व के अधिकांश लोगों की आवश्यकताए बीमारी एवं निरक्षरता, आदि समाप्त कर दी जाये, तो देशों में फैली आपसे द्वेष एवं अशान्ति की भावना सरलता से समाप्त हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद तथा अन्य सहायक संस्थाओं के माध्यम से भारत अर्धविकसित राष्ट्रों के विकास की समस्याओं पर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का ध्यान आकर्षित करता रहा है।

भारत आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के संस्थापकों में से एक है। इस परिषद के आधार पर ही थोड़े समय में अनेक विश्व संस्थाओं का गठन हुआ। इसमें खाद्य तथा कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन प्रमुख है। इनके अतिरिक्त अनेक विशेष एजेंसिया, संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि, पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक,संयुक्त राष्ट्र बाल संकटकाल निधि, विश्व खाद्य कार्यक्रम है। यह सभी संयुक्त राष्ट्र के विशाल कार्य क्षेत्र में आती हैं। भारत को कृषि अर्थ तंत्र के निर्माण में खाद्य एवं कृषि संगठन से तकनीकी सहायता मिली है। यूनेस्को के संस्थापक सदस्य होने के नाते भारत ने द्विपक्षीय यातायात में मुख्य रूप से हाथ बटाया, जो अंतरराष्ट्रीय समझ एवं दो सरकारों के मध्य सहयोग के लिए एक नीव का काम करता है। इसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के सदस्य के रूप में भारत आरंभ से ही संगठन के उद्देश्यों के विकास पर बल देता रहा है। इस संगठन की प्रशासनिक संस्था में भारत एक स्थाई सदस्य है।

भारत अंतरराष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से तकनीकी सहायता के आदान-प्रदान पर मजबूत आस्था रखता है। इस दृष्टिकोण से वह संयुक्त राष्ट्र के तकनीकी सहायता के विस्तृत कार्यक्रम में पूर्ण रूप से भाग लेता रहता है।

भारत महासभा, ई।सी।ओ।एस।ओ।सी तथा मानवाधिकार आयोग में सामाजिक तथा मानवीय मसलों पर विचार-विमर्श के दौरान सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। इन मसलों पर भारत की नीति मानवाधिकार तथा सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के प्रति उसकी गहरी प्रतिबद्धता, कानून के शासन, तथा मानवाधिकारों के संरक्षण तथा संवर्धन और मूलभूत उन्मुक्त्यों जैसे मसलों पर उसकी सिधान्तगत स्थिति पर आधारित रही हैं।

7.4 संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शांति स्थापना कार्यों में भारत की भूमिका-

संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संयुक्त राष्ट्र शांति सेनाओं का कहीं वर्णन नहीं मिलता, यद्यपि अध्याय 6 तथा 7 के बीच कहीं- कहीं ऐसी सेनाओं की थोड़ी बहुत चर्चा हुई है। चार्टर के उपर्युक्त अध्यायों में यह कहा गया है कि किन्ही संकटकालीन समयों में संयुक्त राष्ट्र सदस्य- राज्यों से उनके सैनिकों को मंगवा सकता है। अतीत में ऐसी शांति सेनाए लड़ने वाले राज्यों की फौजों के बीच स्थित रहती थी, परंतु अब उनकी भूमिका में परिवर्तन आ गया हैं तथा उनके दायित्वो में भी वृद्धि हो गई है।

शांति सेनाए संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में उसके अधीनस्थ होती हैं। प्राय उन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णय के परिणामस्वरूप परियोजित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा भी ऐसे प्रयासों के लिए पहल कर सकती है।

संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल ध्येय अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना तथा अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की व्यवस्था करना है। इस दृष्टि से भारत ने प्रारंभ से ही संयुक्त राष्ट्र संघ को सहयोग प्रदान किया है।

7.4.1 कोरिया समस्या के समाधान में भारत की भूमिका–

25 जून 1950 को संयुक्त राष्ट्र को सूचना दी गई कि उत्तरी कोरिया की सेनाओं ने दक्षिणी कोरिया के गणराज्य पर आक्रमण किया है। उसी दिन सुरक्षा परिषद की बैठक हुई और उसमें यह घोषणा की गई कि इस सशस्त्र आक्रमण से शांति भंग हुई है। सुरक्षा परिषद ने युद्ध विराम की मांग की,परन्तु दो-तीन दिन तक युद्ध चलते रहने परपरिषद ने सिफारिश की कि संघ के सदस्यगणकोरियाई गणराज्य को सशस्त्र आक्रमण का मुकाबला करने के लिए तथा उस क्षेत्र में शांति की स्थापना करने में सहायता दें। 27 जून 1950 को संघ ने यह घोषणा की कि उसने अपनी वायु तथा जल सेनाओं को और बाद में स्थलसेनाओ को भी दक्षिणी कोरिया की सहायता के लिए आज्ञा दे दी है।

कोरिया की समस्या के समाधान में भारत के सक्रिय योगदान से तीसरे महायुद्ध को टाला जा सका है। भारत की निष्पक्ष, किंतु रचनात्मक भूमिका से उसकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ी। उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित करने के बाद भी भारत ने सैनिक कार्यवाही में भाग नहीं लिया। भारत ने युद्ध में तटस्थता की नीति का अनुसरण करते हुए शांति की स्थापना में मध्यस्थता के लिए भी प्रयास किया। उसने संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं द्वारा 38वी समानांतर रेखा को पार की जाने का विरोध किया।कोरिया की समस्या सुलझाने के लिए भारत ने चीन को संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधित्व प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। कोरिया में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने दोनों पक्षों को अपने अथक प्रयासों से सहमत किया। युद्ध विराम संधि के मार्ग में आने वाली युद्ध बंदियों की अदला-बदली की बाधा को दूर करने के लिए भारत का योगदान ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह बात उल्लेखनीय है कि भारत के प्रयास के फलस्वरूपही 27 जुलाई 1953 को पानमुन जोन में कोरिया युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर हुए। युद्ध बंदियों की समस्या को हल करने के लिए 5 तटस्थराष्टों का एक आयोग नियुक्त किया गया, जिसकी भारत ने ही अध्यक्षता की। इस संदर्भ में भारत के जनरल थिमैया का योगदान अत्यधिक महत्व रखता है।तटस्थराष्टो के आयोग के अध्यक्ष के रूप में भारत पर तीन उत्तरदायित्व डाले गए:

1-भारत इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हुआ और इसे आयोग के कार्य पूर्ण कराने का भार सौंपा गया।

2- भारत को युद्धबंदियों की देखभाल एवं सुरक्षा का भार सौंपा गया।

3 भारतीय रेड क्रॉस दल को युद्धबंदियों से संबंधित संपूर्ण चिकित्सा कार्य सौंपा गया।

युद्धबंदी प्रत्यावर्तन आयोग के अध्यक्ष जनरल थिमैया थे। वैकल्पिक अध्यक्ष हेग में भारत के राजदूत बी।एन चक्रवर्ती थे। भारतीय अभिरक्षक दल के अध्यक्ष मेंजर जनरल थोराट थे। इस दल में 5000 व्यक्ति रेडक्रॉस दल को मिलाकर सम्मिलित थे। भारतीय दल ने बड़ी दृढ़ता एवं निष्पक्षता से अपना कार्य किया, यद्यपि उसमें उसे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि युद्ध विराम की शर्तों का दोनों दलों द्वारा पूर्ण रुप से पालन नहीं किया जा रहा था। जनवरी 1954 में दोनों दलों ने सारे युद्धबंदियों को मुक्त करने का निश्चय किया। आयोग ने 22000 युद्धबंदी संयुक्त राष्ट्र संघ की कमान को सौंपे।

कोरिया में भारत के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। दो पक्षों के मध्य युद्ध -विराम को लेकर तनाव था, उसे भारत ही अपने तटस्थ एवं गुट निरपेक्षता की नीति के कारण कारण कम कर सका। भारत के इस कार्य की भूरि- भूरि प्रशंसा की गयी।

7.4.2 हिंद चीन की समस्या के संदर्भ में भारत की भूमिका-

द्वितीय महायुद्ध से पूर्व हिंद चीन पर फ्रांस का अधिकार था, परंतु युद्ध में इसे जापान ने जीत लिया। जापान के आत्मसमर्पण के समय हिंद चीन के उत्तरी भाग पर राष्ट्रवादी चीन ने तथा दक्षिणी भाग पर ब्रिटेन ने अधिकार कर लिया। फ्रांस ने दक्षिणी भाग ब्रिटेन से प्राप्त कर लिया। वियतनाम में स्वाधीनता प्राप्ति के लिए भी वियानमिन्ह नामक संस्था की स्थापना हुई, जिसने फ्रांस से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष प्रारंभ कर दिया। चीन में साम्यवादी शासन स्थापित हो जाने पर सन 1949 में साम्यवादी सहयोग के आधार पर फ्रांस की सेनाओं पर भयंकर आक्रमण कर दिया। साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए अमरीका ने फ्रांस की सहायता की। 5 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। 5 अप्रैल 1954 को अमेंरिकी सीनेट ने हिन्द चीन की साम्यवादियों के हाथ में जाने से रोकने का दृढ़ संकल्प किया। ऐसे संकटपूर्ण समय पर भारत ने युद्ध रोकने एवं दोनों पक्षों के मध्य समझौता कराने का हर संभव प्रयास किया। अमेंरिकी हस्तक्षेप से अंतरराष्ट्रीय संकट उत्पन्न हो गया था।

25 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंद चीन की समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए जेनेवा सम्मेलन के विचार हेतु महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उनका आग्रह था कि समस्त राष्ट्र को चाहिए कि वे शांति एवं संधि संपन्न कराने का वातावरण उत्पन्न करें। श्री नेहरू चाहते थे की युद्ध- विराम के प्रश्न पर सबसे पहले विचार किया जाये एवं फ्रांस को हिंद चीन की पूर्ण स्वतंत्रता को शीघ्र ही स्वीकार कर लेना चाहिए। उनका यह भी अनुरोध था कि फ्रांस एवं हिंद चीन स्वयं सीधी वार्ता करें, ताकि युद्ध केवातावरण का अंत हो सके। श्री नेहरू ने यह सलाह दी कि अमरीका, सोवियत संघ, ब्रिटेन तथा चीन एक ऐसा समझौता करें, जिसमें यह निश्चय किया जाए कि युद्धरत पक्षों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कहीं से किसी भी तरह की सहायता ना मिले। उनका विचार था कि जेनेवा सम्मेलन की प्रगति की रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र को दी जाये एवं समझौता करने के लिए उनकी सहायता भी आमंत्रित की जाये।

26 अप्रैल 1954 से 27 जुलाई 1954 तक जेनेवा सम्मेलन चला। अमेरिका की अनिच्छा के कारण भारत इस सम्मेलन का सदस्य नहीं बनाया गया। भारत को आमंत्रित न करने का कारण यह था कि भारत सम्मेलन की गतिविधियों पर दृष्टि रखने एवं सम्मेलन के बाहर रहकर शांति प्रयासों में सहायता देने की दृष्टि से जेनेवा भेजा। कृष्णमेंनन ने वास्तव में यहाँ महत्वपूर्ण कार्य किया। विभिन्न राष्ट्रों के अध्यक्षो एवं प्रतिनिधियो से मिलकर उन्होंने ऐसे मतभेद भी दूर करवा दिए,जिनसे वार्ता टूट जाने की संभावना उत्पन्न हो गयी थी। फ्रांस के एक राजनीतिज्ञ ने कृष्णमेंनन को जोड़ने वाली ज़ंजीर कहा। फ्रांस के प्रधानमन्त्री ने फ्रेंच नेशनल असेम्बली में समझौते के प्रयास के लिए भारत की प्रशंसा की।21 जुलाई 1954 को जेनेवा सम्मलेन में साम्यवादी चीन की उपस्तिथि में युद्ध -विराम समझौते पर हस्ताक्षर हो गये, जिसके उपरान्त हिन्द चीन की राजनीतिक समस्याओ का समाधान करने के लिए तीन सदस्यों का एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग निर्मित किया गया, जिसकी अध्यक्षता भारत को स्वीकार करनी पड़ी।

7.4.3 कुवैत समस्या के संदर्भ में भारत की भूमिका-

2 अगस्त 1990 को कुवैत पर इराक के हमले के कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ में खाड़ी संकट का मुद्दा छाया रहा। भारत ने कुवैत से इराक की फौजों की बिना शर्त वापसी तथा कुवैत की संप्रभुता तथा स्वाधीनता की बहाली की माँग की। भारत ने सुरक्षा परिषद के संकल्पों के क्रियान्वयन के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय का साथ दिया।

7.4.4 कंबोडिया समस्या के निराकरण में भारत की भूमिका-

कंबोडिया के मसले के संबंध में की गई पहलकदमियो की परिणिति 23 अक्टूबर 1991 को पेरिस में एक व्यापक शांति समझौते में हुई, तब से संयुक्त राष्ट्र ने कंबोडिया में संयुक्त राष्ट्र कार्मिकों की बड़े पैमाने पर तैनाती करने की दिशा में कदम उठाए हैं। कंबोडिया में संयुक्त राष्ट्र अग्रिम दल तैनात किया गया जिसमें भारत ने भी अपना योगदान दिया। भारत ने कंबोडिया के लिए संयुक्त राष्ट्र संक्रमणकालीन प्राधिकरण में भी भाग लिया। इस कार्य के लिए उसने सभी रैंको के लगभग 1300 सैनिक वहां भेजें।

7.4.5 संयुक्त राष्ट्र संघ शांति स्थापना के अन्य कार्यों में भारत की भूमिका-

भारत ने संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न कार्यों में समय-समय पर सहयोग प्रदान किया है। भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे के तहत सबसे पहला और सबसे बड़ा सैन्य समूह कोरिया में 1950 में भेजा गया। 6112 लोगों का यह समूह 1954 तक वहां रहा। इसी प्रकार 1954 से 1970 तक भारत ने हिंद चीन में करीब 1000 सैनिक तैनात किए थे। मिस्त्र, लेबनान, इराक, ईरान में भारतीय शांति सैनिक भेजे गए थे। सन 1956 में भारत ने स्वेज संकट के समाधान हेतु संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र की आपातकालीन सेना में अपने सैनिक भेजें। इसी तरह का सहयोग भारत ने कांगो के संकट के समय संयुक्त राष्ट्र की आपातकालीन सेना में अपने सैनिक भेजकर किया। संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर भारत ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र कार्यवाही के लिए लगभग 1955 सैनिकों की एक बिग्रेड भेजी जिसमें सभी रैंकों के लोग थे। भारत ने मोजांबिक में भी संयुक्त राष्ट्र कार्यवाही के लिए सैनिक भेजकर योगदान दिया जिसमें सभी रैंकों के लगभग 973 लोग थे। भारत ने एक बटालियन टुकड़ी संयुक्त राष्ट्र अंगोला वेरिफिकेशन मिशन पर जुलाई 1995 में भेजी। वर्ष 1996-97 के दौरान लगभग 1100 भारतीय सैनिक स्टाफ अधिकारी और सैनिक पर्यवेक्षक अंगोला में तैनात रहे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र रवांडा सहायता मिशन, पर एक थल सेना बटालियन भेजी जिसमें 800 सैनिक और एक आंदोलन नियंत्रण यूनिट शामिल थी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र हैती सहायता मिशन चरण- 11 पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक कंपनी भेजी। नवंबर 1998 में दक्षिणी लेबनान में भारतीय इन्फेंट्री बटालियन के शामिल हो जाने से भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में दूसरा सबसे बड़ा सैनिक सहायता देने वाला देश बन गया। मई 2005 में भारतीय सेना ने जवानों और अधिकारियों के एक बड़े दल के सूडान में तैनात किए जाने के साथ ही भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सबसे अधिक योगदान करने वाला देश बन गया।मार्च 2000 में उपद्रवग्रस्त पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्र सिएरा लियोन में शांति स्थापना के लिए तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के कार्य में सहयोग के लिए भारतीय वायु सेना की एक टुकड़ी को ग्रुप कैप्टन बी।एस।सिवाच के नेतृत्व में शामिल किया गया।

संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षण कार्यकलापों में भारत सबसे लंबी अवधि तक और सबसे अधिक सैन्य बल मुहैया कराने वाला देश रहा है। संयुक्त राष्ट्र के प्रारंभ से किए गए 63 शांतिरक्षण अभियानों में से 43 अभियानों में एक लाख से अधिक भारतीय सैन्यबल, सैन्यपर्यवेक्षक और असैनिक पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया है। दिसंबर 2007 की समाप्ति तक संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षण के 17 चल रहे अभियान में से 11 में 9357 कार्मिकों (493 पुलिस अधिकारियों सहित) की तैनाती के साथ भारत संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षण अभियानों में तीसरा सबसे बड़ा सैन्यदल

मुहैया कराने वाला देश रहा है।संयुक्त राष्ट्र और विश्व शांति के प्रति अपने वादों को निभाने के लिए अब तक 123 भारतीय जवान अपनी जान की बाजी लगा चुके हैं।

7.5 भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्रसुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता का दावा-

भारत की संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में पूर्ण आस्था है। हमारी दृष्टि में विश्व शांति और सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र का बने रहना तथा उसका सशक्त बनना नितांत आवश्यक है। यही कारण है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र की समस्त गतिविधियों में न केवल भाग लिया है, अपितु उसके समस्त प्रस्ताव और निर्णयों का आदर भी किया है। भारत का यह विश्वास है कि यदि संयुक्त राष्ट्र सिध्दान्तो को विश्व के सभी राज्य अपनी गतिविधियों का अंश बना ले तो उसके उद्देश्यों की प्राप्त करना कठिन नहीं होगा, युद्ध अतीत की कहानी बन सकते हैं, विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना हो सकती है तथा पूरा संसार सुमेंल का मंच बन सकता है।

भारत की संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में आस्था इस तथ्य का संकेत है कि संयुक्त राष्ट्र का बना रहना अति आवश्यक है। भले ही संयुक्त राष्ट्र अपने उद्देश्यों में पूर्ण रूप से सफल ना हो पाया है, परंतु यह कहना कि उसकी उपलब्धियां महत्वहीन है, गलत धारणा को जन्म देना है, संयुक्त राष्ट्र ने बड़े युद्ध को होने से रोका है, उसने क्षेत्रीय संगठनों का प्रयोजन करके संसार को एक दूसरे के निकट ला खड़ा किया है, विश्व शांति सुरक्षा एवं सुरक्षा एवं परस्पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग आदि संयुक्त राष्ट्र के कारण संभव हो पाए है।मानवाधिकार को संयुक्त राष्ट्र के कारण प्रभावी रूप दिया जा सका है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करती हैं, परंतु इसकी कार्यप्रणाली दोषपूर्ण है, सुरक्षा परिषद पर संयुक्त राष्ट्र की समस्त व्यवस्था कायम है, परंतु इस अंतरराष्ट्रीय संगठन का संचालन इसके पांच स्थाई सदस्य अपनी मर्जी से करते हैं। राज्यों के बीच छोटी- बड़ी लड़ाइयां रोकने में संयुक्त राष्ट्र सफल नहीं हो पाया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थाई राज्य आपस में ही लड़ते रहते हैं, उनमें कभी सहमति नहीं हो पाती और यदि कहीं कोई सहमति होती है, तो वह केवल सौदेबाजी होती है।

संयुक्त राष्ट्र की कमजोरियां अधिकांशत: उसकी त्रुटिपूर्ण रचना व कार्यप्रणाली में है। इसका कार्य- संचालन अलोकतांत्रिक है। जरूरत इस तथ्य की है कि संयुक्त राष्ट्र की रचना, विशेषताया सुरक्षा परिषद के गठन, को लोकतांत्रिक बनाया जाए। सुरक्षा परिषद की रचना व कार्य प्रणाली के दोष संयुक्त राष्ट्र की विफलता के कारण बन रहे हैं। सुरक्षा परिषद में सदस्यों का स्थाई व अस्थाई वर्गो में बांटा जाना किस सीमा तक लोकतांत्रिक है? स्थाई राज्यों के पास निषेध अधिकार का होना अपने आप में एक बड़ी त्रुटि है।

संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की आवश्यकता है। सुधारों का सिलसिला सुरक्षा परिषद से आरंभ करना सही दिशा की ओर कदम बढ़ाना है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में कोई भी संशोधन वर्तमान सुरक्षा परिषद की सहमति से नहीं हो सकता, इसलिए वर्तमान सुरक्षा परिषद में विश्व जनमत के माध्यम से संशोधन लोकतंत्र के नाम पर किया जा सकता है। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि, वर्तमान सुरक्षा परिषद को कैसे प्रतिनिध्यात्मक बनाया जा सकता है तथा भारत जैसे राज्य की सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता किस आधार पर उचित ठहरायी सकती है? यह दोनों प्रश्न एक दूसरे से जुड़े प्रश्न है क्योंकि सुरक्षा परिषद में "स्थाई सदस्यता" तत्व को दूर करने हेतु वर्तमान स्थाई राज्य कभी भी सहमत नहीं होंगे, इसलिए "स्थाई सदस्यता" के दायरे में ही सुरक्षा परिषद का प्रतिनिधि बनाए जाने के अवसरों को तलाशना होगा।

सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधात्मक बनाने में भारत जैसे राज्य के दावे को नकारना स्वयं लोकतंत्र के नियमों की अवहेलना है।ऐसे अनेक तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता के हमारे दावे को सशक्त बनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बुतरस घाली (1942 – 1997) ने 1992 में सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्यों में जिन पांच राज्यों के लिए जाने की बात कही थी, भारत भी उनमें से एक राज्य था। 1991 के दशक के बाद हमारी सशक्त बनती छवि के कारण अनेक नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हमारी स्थाई सदस्यता की वकालत की है। फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दिसंबर 2010 में समर्थन किया था। पूर्व अमेंरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारतीय संसद को संबोधित करते हुए कहा था –"भविष्य में मैं ऐसी पुनः गठित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कामना कर रहा हूं, जिसमें भारत एक स्थाई सदस्य होगा" दिसंबर 2010 में रूसी राष्ट्रपति मेंदवेदेव ने भारत की सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता के लिए उसे "न्यायत: एवं सशक्त उम्मीदवार" घोषित किया था। ग्रेट ब्रिटेन के नेता बहुत पहले ही भारत को सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्य बनाए जाने पर बल दे चुके हैं। यद्यपि जनवादी चीन ने भारत की स्थाई सदस्यता का सरकारी तौर पर समर्थन नहीं किया है, परंतु वह जापान की अपेक्षा भारत की दावेदारी को अधिक तर्कपूर्ण मानता है।अनेक राज्यों, जैसे बांग्लादेश, चिली, ऑस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य, इंडोनेशिया, वियतनाम, श्रीलंका, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका तथा अफ्रीकी संघ के कई राज्यों ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को प्राकृतिक तथा वैध माना है।

अंतरराष्ट्रीय हेराल्ड ट्रिब्यून ने लिखा है कि भारत के लिए सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता सुरक्षा परिषद को अधिक प्रतिनिधात्मक बनाएंगी और तब सुरक्षा परिषद एक बैध एवं प्रभावी रूप से कार्य कर पाएगी। वाशिंगटन पोस्ट, चार्ल्स कराथाम्मर के हवाले से, लिखता है कि, "जैसे ही इराक में स्थिति स्पष्ट होती है, हमें सुरक्षा परिषद के विस्तार के लिए कार्य करना चाहिए- भारत तथा जापान को सुरक्षा परिषद का स्थाई सदस्य बनाकर"। थॉमस फ्रीडमैन के हवाले से द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता इस कारण होनी चाहिए कि (i) वह संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, (ii) वह संसार का सबसे बड़ा हिंदू देश है, (iii) वह संसार का सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है।

7.6 संयुक्त राष्ट्र की निधि में भारत का आर्थिक अंशदान-

संयुक्त राष्ट्र में शामिल प्रत्येक देश से अपेक्षित है कि वह संयुक्त राष्ट्र के नियमित एवं शांति रक्षा बजट में अपना अंशदान दें। इन दायित्वमूलक अंशदानों की गणना किसी सदस्य राष्ट्र की 'भुगतान करने की क्षमता' के आधार पर की जाती है, और इसका निर्धारण आकलन के ऐसे पैमाने पर किया जाता है जिसके तहत वैश्विक सकल राष्ट्रीय आय की तुलना में सदस्य राष्ट्र की सकल राष्ट्रीय आय को ध्यान में रखा जाता है, और साथ ही उस राष्ट्र के राष्ट्रीय बाह्य ऋण तथा निम्नतर प्रति व्यक्ति आय के स्तर के अनुसार इसे समायोजित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा बजट के लिए इसका प्रयोग किए जाने के कारण इस आकलन पैमाने में और संशोधन किया जाता है, तथापि अतिरिक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है जिसके अनुसार,चूँकि सुरक्षा परिषद के सभी स्थाई सदस्यों पर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का विशेष दायित्व है,अतः उन्हें संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा बजट में अतिरिक्त अंशदान अवश्य करना चाहिए। समय-समय पर भारत भी संयुक्त राष्ट्र के एजेंसियों तथा कार्यक्रमों के लिए अंशदान करता रहता है।वर्ष 2016-2018 की अवधि में संयुक्त राष्ट्र के नियमित एवं शांति रक्षा बजटो के लिए भारत का आकलन पैमाना क्रमशः 0.737% तथा 0.1474% निर्धारित किया गया है। पिछले 6 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत की ओर से किए गए अंशदान इस प्रकार हैं-

वित्त वर्ष-2010-11 2011-12 2012-20132013-14 2014-15 2015-16

संयुक्त राष्ट्र-143.77 153.13 150.96 138 157 244

संगठन हेतु अंशदान(करोड़ रू में)

अभ्यास प्रश्न –

1- भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना?

A-1945 B-1946 C-1947 D-1948

2-अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्य करने वाले भारतीय थे?

A- बी.एन.sरावB-डा नगेन्द्र सिंह C-हीरालाल कानिया D-एन वी रमण

3-परमाणु अप्रसार संधि कब हुई?

A-1965 B-1968 C-1969 D-1970

4-भारत अब तक कितनी बार सुरक्षा परिषद् का अस्थायी सदस्य रहा है?

A-8 B-7 C-6 D-9

7.7 सारांश-

उपरोक्त अध्ययन से यह स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की रचना अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना तथा युद्ध की विभीषिका रोकने के उद्देश्य से की गई थी। भारत की मूल नीति युद्ध विरोधी एवं शांतिप्रियता की होने के कारण वह इस संस्था का प्रारंभिक सदस्य बना और आज भी इसके अनेक संस्थानों एवं समितियों का सक्रिय सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका को देखते हुए, तथा इसके उद्देश्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता एवं संयुक्त राष्ट्र को और लोकतंत्रात्मक बनाने के लिए भारत को सुरक्षा परिषद का स्थाई सदस्य बनाया जाना आवश्यक है।

7.8 शब्दावली-

1- उपनिवेशवाद-किसी समर्द्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितो को साधने के लिए किसी निर्बल राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना।

2-नि:शस्त्रीकरण- शस्त्रों को पूर्ण रूप से समाप्त करना या उनकी संख्या में कमी करना।

3-एन.पी.टी.- एक बहुउद्देशीय संधि जिस पर 1968 में हस्ताक्षर हुए और 1970 से प्रभावी है। जिसका प्रमुख उद्देश्य परमाणु अस्त्रो के प्रसार को रोकना है।

7.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर-

1- A 2- B 3- B 4- A

7.10 संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1-फाडिया बी.एल, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा।

2- अरोड़ा एन.डी, राजनीति विज्ञान, MC Graw Hill Education(India) Private Limited New Delhi।

3- घई यू.आर, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, न्यू एकेडेमिक पब्लिशिंग कंपनी जालन्धर।

4-Official Portal of India। www।india।gov।in

7.11 सहायक /उपयोगी पाठ्य सामग्री

भारतीय विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट ।

बीबीसी हिंदी

7.12 निबंधात्मक प्रश्न-

1-संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगो में भारत की भूमिका का वर्णन कीजिये?

इकाई -8 : भारत – सार्क

इकाई की संरचना

8.1 प्रस्तावना
8.2 उद्देश्य
8.3 सार्क तथा भारत
8.4 सार्क देश और भारत
8.4.1 सार्क की विभिन्न विकास परियोजनाओं में भारत की भूमिका
8.4.2 सार्क में भारत की भूमिका
8.4.3 सार्क में भारत की चुनौतियां
8.5 सारांश
8.6 शब्दावाली
8.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
8.8 संदर्भ ग्रंथ
8.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
8.10 निबंधात्मक प्रश्न

8.1 प्रस्तावना

क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना क्षेत्रीय एकीकरण की आवधारणा पर आधारित होती है। अनेक सामान्य निर्धारकर तत्व, जो प्रायः क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देते है, वे हैः भूगोल, जाति, भाषा, धर्म, सभ्यता, ऐतिहासिक-राजनीतिक अथवा सामाजिक-आर्थिक समानताएं। सामाजिक तथा राजनीतिक दोनों ही स्तरों पर मानव संबंध प्रायः संघर्ष-पूर्व रहे है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष का बाहुल्य रहता है। समय-समय पर राज्यों के मध्य किसी प्रश्न विशेष पर विवाद उत्पन्न होते रहते है। अतः जरूरी है कि विभिन्न देशों में जितना अधिक पारस्परिक मेंल-जोल और आदान-प्रदान होगा, सामूहिक प्रयासों की सफलता की संभावनाएं उतनी ही अधिक होगी। उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सार्क, आसियान, जैसे क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना की गई तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए भारत पूर्व की ओर देखने की नीति पर अग्रसर है। क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना तथा इस दिशा में प्रयास के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 52 में प्रावधन है।

8.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत हम –

- क्षेत्रीय संगठनों जैसे सार्क तथा आसियान के संगठन के बारे में जान सकेंगे |
- इन संगठनों के उद्देश्यों को समझ सकेंगे |
- इन क्षेत्रीय सहयोग संगठनों के भारत के साथ सम्बन्ध और इनमें भारत की भूमिका को जान सकेंगे |
- भारत किस प्रकार इन क्षेत्रीय संगठनों में महत्व रखता है इसको भी जान पायेंगे।

8.3 सार्क तथा भारत

सार्क को लगभग 29 वर्ष यानी 1985 से आस्तित्व में आए हो गया है, ये विश्व की लगभग 25 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला बेहिसाब प्राकृतिक संसाधनों वाला क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। प्रधान सार्क क्षेत्र वास्तव में दक्षिण एशिया, मध्य एशिया तथा पश्चिम एशिया के बीच सेतु का काम कर सकता है, बशर्ते दक्षिण एशिया के देशों को न केवल अपनी आर्थिक क्षमता की पहचान हो बल्कि वे आपस में तालमेंल तथा समन्वय और पारस्पारिक सद्भाव तथा मैत्री संबंध स्थापित करे, इस दिशा में कदम उठाने के लिए भारत ने समय-समय पर कई महत्त्वपूर्ण प्रयास किए।

भारत सार्क देशों का मेंरूदण्ड है। वास्तव में भारतीय उपमहाद्वीप के इन देशों को भारत से न केवल मार्ग दर्शन होता है बल्कि देशभारत पर अनेक बातों पर निर्भर भी रकते है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े ये भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति के कारण अपनी उन्नति के आशवस्त है। पारस्पारिक आर्थिक सहयोग ने इन देशों में विश्वास पैदा किया है। सामरिक महत्व के इस क्षेत्र के देशों पर महाशक्तियां अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयत्न करती रही है। भारत की सैनिक शक्ति की परोक्ष छात्रछाया में ये देश अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखने में समर्थ है। भारत सार्क देशों का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जो निम्नलिखित हैः

8.4 सार्क देश और भारत

भारत और पाकिस्तान के बीच यदि व्यापार पैटर्न को देखे तो पाकिस्तान को भारत का निर्यात 1।8 अरब डॉलर है। भारत और बंग्लादेश दोनों देशों के बीच 1।6 अरब डॉलर का व्यापार होता है। जिसमें बंग्लादेश का भारत को निर्यात मात्र 25 करोड़ डॉलर है।

भारतीय कंपनियों ने नेपाल के बाजार में 14 अरब डॉलर का निवेश किया। विदेश व्यापार के लिहाज से नेपाल का लगभग दो तिहाई व्यापार भारत से होता है।

भारत ने भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं तथा ढांचागत विकास हेतु 10,000 करोड़ रूपए कर्ज बतौर दिए है जिसका उपयोग सड़क तथा रेल पटरी बिछाने हेतु किया गया।

भारत और श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार व्यवस्था दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।

मालद्वीप की अर्थव्यवस्था पर्यटन तथा मत्स्यिकी पर निर्भर है। वहां लगभग 60 हजार से अधिक श्रमिक में 50 प्रतिशत भारतीय है।

भारत अफगानिस्तान को सहायता देने वाला चौथा बड़ा देश है। भारत अफगानिस्तान में पिछड़े 6-7 साल से उसके पुनः निर्माण में सहायता देता रहा है।

8.4.1 सार्क की विभिन्न विकास परियोजनाओं में भारत की भूमिका

सार्क को वैश्विक व्यवस्था बनाने का भारत का सुझाव ताकि बढ़ती तेल और खाद्य पदार्थों की कीमतों से तेल उपभोक्ता देशों के हितों की रक्षा की जा सके।

भारत खाद्य संकट के समाधान में कोष की स्थापना के माध्यम से अन्य सार्क देशों की मदद करते हुए प्रतिबद्ध है।

सार्क विकास कोष जिसके तहत भारत ने सामाजिक और ढांचागत विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर कम विकसित देशों की परियोजना हेतु सहायता उपलब्ध करने की वचनबद्धता सार्क विश्वविद्यालय जिसके तहत 2010 तक 5000 छात्र विद्या अध्ययन के लिए एवं विश्व स्तर के वैज्ञानिक, तकनीकी विद् और चिंतक शामिल होंगे।

8.4.2 सार्क में भारत की भूमिका

सार्क विकास कोष (एस.बी.एफ) भी चालू हो गया है। इसे सार्क सचिवालय के अस्थायी प्रकोष्ठ में चलाया जा रहा है। भारत ने अपने वायदे के अनुसार 18.99 करोड़ अमरीकी डॉलर का पूरा योगदान एसडीएफ को हस्तांतरित कर दिया है उसने सार्क सदस्य देशों को बायो मास कूकिंग स्टोव तथा सोलर लालटेन प्रदान करने के बारे में तीसरी परियोजना प्रस्तावित की है।

भारत टेलीमेंडिसिन (भूटान और अफगानिस्तान), दालों की शटल ब्रीडिंग (भूटान), बीज परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना (भूटान), वर्षा जल संरक्षण (भूटान और श्री लंका) और ग्रामीण सौर ऊर्जा विद्युतीकरण परियोजना (श्रीलंका) के क्षेत्रों में भी परियोजनाएं लागू कर रहा है। ये परियोजनाएं हब एंड स्पोक मैकेनिज्म के अंतर्गत लागू की जा रही है, जिनका केंद्र भारत है। दक्षिण ऐशिया मुक्त व्यापार समझौता (साफ्टा) पूरी तरह लागू किया जा रहा है।

सार्क के सदस्य देशों के बीच लोगों के स्तर पर गतिविधियों और यात्राओं के आदान-प्रदान में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी हुई है। इसका श्रेय प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं में हिस्सा लेने के अवसरों और सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन को जाता है जैसे प्रगति मैदान, आईटीपीओ, सूरजकुंड मेंले में सार्क के सदस्य देशों की हथकरघा और हस्तशिल्प प्रदशर्निया इत्यादि की जाती है।

सार्क की प्रक्रियाओं में भारत ने जो गतिशीलता पैदा की है, उसका पता, असंख्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों से भी चलता है, जिनकी मेंजबानी भारत द्वारा सदस्य देशों के लिए की जाती है जैसे महिला अधिकारिता सुरक्षा, ऊर्जा इत्यादि।

भारत सार्क के प्रति इस बात के लिए गतिशील रूप से प्रतिबंद्ध है कि वह स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचा जैसे मूलभूत विकासात्मक पहलुओं के बारे में पड़ोसी देशों को शामिल करेगा।

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 18वें सार्क सम्मेलन में सार्क क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य, विज्ञान, वीजा नीति, मूलभूत संरचना में सुधार के मुद्दों को उठाया और काठमाडू से दिल्ली की बस का उद्घाटन किया।

सार्क व्यापार में तेजी से बढ़ोत्तरी के लिए भारत द्वारा साफ्टा (एसएएफटीए) तथा साप्टा (एसएपीटीए) के लागू करने पर बल देना क्योंकि साफ्टा के बिना सार्क अधूरा है।

8.4.3 सार्क में भारत की चुनौतियां

1. दक्षिण एशिया में कई द्विपक्षीय समस्याएं है। साफ्टा को लागू करने या सार्क देशों के आपसी व्यापार के विस्तार हेतु भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में यथोचित सुधार पहली शर्त है।

2. जीरो ट्रेरिफ की व्यवस्था होने के बावजूद सार्क देशों का विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार लगभग 6 प्रतिशत है जबकि नाफ्टा के संबंध में यह 49 प्रतिशत और आसियान के लिए 30 प्रतिशत है।

3. सार्क की तुलना अक्सर अन्य क्षेत्रीय संघो, विशेषकर आसियान से की जाती है। परंतु पाकिस्तान या कभी-कभी दूसरे सार्क देशों में पारस्पारिक विश्वास की कमी के कारण सार्क इस तुलना में खरा नहीं उतरता।

4. सार्क क्षेत्र में में अंताकवाद भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, कई सार्क शिखर सम्मेलनों में भारत ने यह मुद्दा उठाया है। नवम्बर, 2014 18वें शिखर सम्मेलन के दौरान आतंकवाद को अहम मुद्दा बताया।

5. सार्क देशों के बीच अविश्वास अधिक और विश्वास कम रहा है। भारत के पड़ौसी देशों को इस बात का डर था कि सार्क के दाये में रहकर आर्थिक सहयोग करने से अधिक शाक्तिशाली देश यानी भारत के पूंजीपतियों की स्थिति मजबूत होगी और ऐसा पड़ोसी देशों की कीमत पर होंगा।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत सार्क देशों के लिए बड़े भाई (Big Brother) की भूमिका निभा रहा है। विभिन्न चुनौतियों के बावजूद भारत ही सार्क का नेतृत्व कर सकता है। इसीलिए सबसे बड़ा देश होने के नाते भारत को सामरिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। नीचे भारत एकमात्र देश है

जिसकी सब से साथ सीमाएं है या सबका निकटतम पड़ोसी है। हमें उदारवादी दृष्टिकोण से एकतरफा वाणिजय सुविधाएं देनी होगी, जिससे इन देशों की जनता और सरकार दोनों ही भारत से अच्छे संबंधों का महत्त्व समझे और भारत विरोधी तत्व कमजोर हो।

8.5 सारांश -सार्क में यू तो भारत की विशिष्ट भूमिका है, परंतु सार्क देशों को आपस में पारस्पारिक विश्वास और सहयोग को बढ़ाना होगा। सार्क देशों की 1।6 अरब जनता विश्व का पांचवां हिस्सा है। भूगोल, इतिहास और संस्कृति ने हमें साथ जोड़ा है, हमारा भविष्य और समृद्धि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसी के साथ सभी का भविष्य उज्ज्वल होगा।

हमें याद रखना होगा कि आसियान वाले पूरब का रास्ता म्यांमार तथा बांग्लादेश से होकर ही गुजरता है। छह देशों से गुजरने वाला प्रस्तावित एशियाई राजमार्ग हो अथवा समुद्रीपथ से व्यापार का प्रोत्साहन भार का प्रयास आसियान के बहाने अपने पड़ोस को चीन की दैत्याकार छाया से बाहर रखने का है।

8.6 शब्दावाली- सार्क - सार्क (दक्षेस) का पूरा नाम 'साउथ एशियन ऐसोसिएशन फॉर रीजनल कॉआपरेशनन' है। वर्ष 1985 को ढाका में दक्षिण एशिया के 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन हुआ तथा सार्क की स्थापना हुई। सार्क का 8वां देश अफगानिस्तान है।

आसियान - आसियान (एसियान) का पूरा नाम 'दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ' है। 1967 में दक्षिण पूर्वी एशिया के पांच देशों ने क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से 'आसियान' नामक संगठन का निर्माण किया। आसियान में अब 10 देश शामिल है।

आतंकवाद - आतंकवाद एक प्रकार का धर्म युद्ध या जिहाद है। आतंकवादी हिंसा का प्रयोग द्वारा सरकार पर दबाव बनाकर अपनी मांगे मनवाना चाहते है तथा लोगों के मन में आतंक बैठाना चाहते है।

कन्टेनमेंट - राजनीति में किसी देश य विचारधारा के प्रभाव को फैलाने से रोकने को कन्टेनमेंट कहते है।

खाड़ी देश - खाड़ी देश वह देश है, जो कच्चे तेल के उत्पादक है और सन् 1959 में खाड़ी देशों नें बगदाद में ओपेक की स्थापना की।

8.7 संदर्भ ग्रंथ

चौधरी, बी.बी.2003-04 राजनीति विज्ञानःसिद्धांत एवं अवधारणाएं, दिल्लीःश्रीमहावीर बुक डिपो (पब्लिशर्स)।

खना,वी.एन और अरोडा, एल.2006 भारत की विदेश नीति, नई दिल्लीः विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा.लि.

पंत, 2012'पूरब की ओर देखने की पहल' दैनिक भास्कर, 20 नवबंर,पृ.13

शर्मा, जे.सी. 2011 'सार्क सम्मेलन से उम्मीदे'दैनिक भास्कर, 10 नवंबर, पृ.7।

8.8 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

- <http://navbharattimes|indiatimes|com/articleshow/1330887|cm>
- <http://money|bhaskar|com/news/DYK-EA-what-is-look-east-policy-4608394-OR|html>
- <https://books|google|co|in/books?isbn=8125924051>
- <http://www|dw|de/ भारत -और-पूर्व-की-और-देखो-नीति /a-16864564>
- <https://books|google|co|in/books?isbn=0230327877>
- https://books|google|co|in/books?id=2G7p1ih8UKoC

8.9 निबंधात्मक प्रश्न

1. सार्क में भारत की भूमिका पर निबंध लिखिए।

इकाई- 9 : भारत- आसियान

इकाई की संरचना

9.1 प्रस्तावना
9.2 उद्देश्य
9.3 आसियान
9.4 आसियान तथा भारत
9.4.1 पूर्व की ओर देखो नीति तथा भारत
9.4.2 पूर्व की ओर देखो नीति में भारत के तीन सूत्री कार्यक्रम
9.4.3 पूर्व की ओर देखो नीति में भारत की चुनौतियां
9.4.4 आसियान में भारत की भूमिका
9.4.5 आसियान देशों के साथ भारत व्यापार संबंध
9.4.6 आसियान में भारत की चुनौतियां
9.5 सारांश
9.6 शब्दावली
9.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
9.8 सन्दर्भ ग्रन्थ
9.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
9.10 निबंधात्मक प्रश्न

9.1 प्रस्तावना

आज जब दुनिया में राष्ट्रों के बीच आदान प्रदान बढ़ रहा है , तो वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन अस्तित्व में आये तो क्षेत्रीय स्तर पर भी अनेक संगठन अस्तित्व में आये | इस प्रकार के प्रयास उस सम्बंधित क्षेत्र के राष्ट्रों ने मिलकर की है | ऐसी कोशिश का एक परिणाम आसियान भी है | एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को संक्षेप में आसियान कहते है | जिसका उद्देश्य इउस क्षेत्र के राष्ट्रों के आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के साथ क्षेत्र में शान्ति और स्थिरता को प्रोत्साहित करना जिससे सामूहिक रूप से सामान्य हित के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके |इसकी स्थापना ८ अगस्त १९६७ को थाईलैंड की राजधानी बैंकाक में हुई | इसके संस्थापक सदस्य थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपींस और सिंगापुर थे।

9.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त निम्नलिखित विषयों को जान सकेंगे –

1. आसियान के बारे में जान सकेंगे
2. आसियान और भारत के संबंधो के विविध पक्ष के बारे में जान सकेंगे

9.3 आसियान

9.4 आसियान तथा भारत

''पूर्व की ओर देखो'' भारत की नीति के परिणामस्वरूप ही भारत आसियान की आरे कदम बढ़ाया है। यह कदम भारतीय आर्थिक सुधारों और भूमण्डलीकरण के विस्तार का परिणाम माना जाता है। पूर्व की ओर देखो नीति में दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया विशेषतः इनके क्षेत्रीय संगठनों पर ध्यान दिया गया है।

आज अक्सर क्षेत्रीय सहयोग के सफल प्रयोजको में आसियान का जिक्र होता है। सौभाग्यवश इंडोनेशिया खनिज तेल के निर्यात से जल्द ही मालामाल हो गया और ब्रुनेई की दशा भी पलक झपकते बदल गई। मलेशिया में डॉ महादेव और सिंगापुर में ली कुआन यू की जनहितकारी तानाशाही ने इन दो देशों की आर्थिक प्रगति की गति तेज की। खुशहाली बढ़ने के साथ इन देशों में सामाजिक, राजनैतिक तनाव घटे और सहयोग की बात सोची जाने लगी। यह बात भी भुलाई नहीं जा सकती कि वियतनाम युद्ध के अंत के बाद आसियान के लिए नई भूमिका ढूंढना जरूरी हुआ, जिसमें साम्यवाद विरोध की जगह नहीं बची थी। इस प्रकार 11 वर्षों के अंतराल के बाद आसियान के प्रधान छः देशों का विस्तार हुआ और वियतनाम आसियान का 7वां सदसय बना पर यह आसियान का पहला साम्यवादी सदस्य था।

अतः निकट संबंधों के लिए आर्थिक महत्व को पहचानते हुए भारत और आसियान ने व्यापारिक व निवेश संबंधों को गहरा करने के लिए अवसरों की पहचान की तथा आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने के लिए संचनात्मक समझौते पर हस्ताक्षरण पर सहमति व्यक्त की है।

भारत 1991 में (दक्षिण पूर्व एशियन राष्ट्रों के संगठन) आसियान का **''प्रभागीय वार्ता भागीदार'** (Sectoral Dialogue Partner) बन गया था। इसके परिणामस्वरूप, जैसा कि भूतपूर्व विदेश सचिव जे।एन। दीक्षित ने कहा, इस महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समूह के साथ ''सहकारी संबंधो'' की प्रक्रिया आरंभ हो गई। इस व्यवस्था का अर्थ है कि भारत को उन क्षेत्रों में सीमित भागीदारी प्राप्त होगी जिनकी आसियान अनुमति देगा। वे क्षेत्र थेः संस्कृति, पर्यटन और कुछ वस्तुओं में व्यापार। सन् 1994 में इस सूची में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भी शामिल कर दिया गया। परंतु, 1996 में आसियान के पांचवे शिखर सम्मेलन में भारत को **''पूर्ण वार्ता भागीदारी''** (Dialogue Partner) का स्थान दे दिया गया। इसका अर्थ हुआ कि भारत अब दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ बहुमुखी और व्यापाक सहयोग कर सकेगा।

9.4.1 पूर्व की ओर देखो नीति तथा भारत

भारत के पूर्वोत्तर सीमांत से जुड़े म्यांमार से शुरू होकर जो भाग प्रशांत महासागर की तरफ अपनी पीठ कर फिलिपीन्स द्वीप समूह तक फैला है। आज दक्षिण-पूर्वी एशिया के नाम से जाना जाता है। चीन के दक्षिण में और आस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित यह सारा इलाका हजारों वर्षों से भारतीय उपमहाद्वीप के साथ घनिष्ठ एवं आत्मीय संबंध तथा संपर्क बने रहे है। किंतु जब आसियान का गठन हुआ तो भारत का मानना था कि यह क्षेत्रीय एकीकरण का रचनात्मक प्रयास नहीं वरन साम्यवाद निरोधक मोर्चा बंदी का इंतजाम था। इसीलिए उसके साथ सहकार में खास रूचि सोवियत संघ के साथ विशेष मैत्री संधि संपन्न करने के बाद इंदिरा गांधी ने नहीं दर्शाई। बाद के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तेजी से बदला और भारत को अपनी अदूरदर्शिता पर पछतावा होने लगा। इंडोनेशिया, मलेशिया तेल संपदा के कारण खुशहाली में भारत को पछाड़ कर कही आगे निकल गए है। सिंगापुर भी भारत भी भारत को अपनी बेहतरी के लिए नसीहत देने लगा है। ब्रूनेई की रत्ती जैसी सल्तनत भी तेल के कारण सामरिक महत्व की बन चुकी है। इन्हीं सभी कारणों से नरसिंह राव के कार्याकाल में 'पूरब की ओर देखो' का नारा बुलंद किया गया। यह भारत की विदेशनीति को 'नयी' दिशा देने और गतिशील बनाने का तर्कसंगत प्रयोग था। पर राव

के अस्ताचलगाकी होने के साथ-साथ यह पहल भी चुक गई। सन् 2001 के आरंभ में भारत की नई ''पूर्व की ओर देखो'' नीति के क्रियान्वयन हेतु प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रथम चरण में वियतनाम तथा इंडोनेशिया की अत्यंत सफल यात्राएं की। इंडोनेशिया की यात्रा के बाद/पश्चात प्रधानमंत्री ने कहा कि ''यह पूर्व की ओर देखो नहीं, पूर्व को ओर पुनः देखो की प्रक्रिया है। साथ ही मनमोहन सरकार ने भी इसे अपने कार्यकाल में लागू किया था। दुनिया में मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी इंडोनेशिया में बसी है। भारत की सोच है कि सऊदी अरब के आक्रमक उग्र बहाबी इस्लाम की तुलना में सहिष्णु उदारवादी इंडोनेशियाई इस्लाम के साथ दक्षिण एशियाई इस्लाम का नाता विश्व के लिए कहीं अधिक कल्याणकारी हो सकता है। यह बात पूरब की ओर देखने की प्रमुख प्रेरणा है।

9.4.2 पूर्व की ओर देखो नीति में भारत के तीन सूत्री कार्यक्रम

1. आसियान के सदस्यों से रणनीतिक संबंधों का नवीनीकरण करना।
2. दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से आर्थिक संपर्क बढ़ाना जैसे व्यापार, निवेश, पर्यटन, विज्ञान और तकनीक आदि।
3. राजनीति समझ बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र के अनेक देशों से मजबूत रक्षा संबंधों की स्थापना करना।

भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र के कुछ देशों के साथ आपसी संबंधों का विस्तार सामरिक संबंधों तक किया, जबकि अन्य देशों के साथ भी संबंधों में विविधता लाने और उन्हें अधिक सुदृढ़ बनाने के प्रयास किए गए। द्विपक्षीय स्तर पर उच्च स्तरीय नेताओं ने एक-दूसरे के यहां यात्राएं की ओर क्षेत्रीय तथा बहुराष्ट्रीय मंचों पर भी परस्पर वार्तालाप के अवसर मिले, जिनमें इस क्षेत्र के नेताओं के बीच घनिष्ठता बढ़ी और इन देशों के साथ भारत के संबंधों में नई गतिशीलता विकसित करने में मदद मिली।

दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए, भारत ने कंबोडिया-लाओस, वियतनाम और फिलीपीन्स के अनुदानों, आसान ऋणों और क्रेडिट लाइनों के रूप में सहायता देना जारी रखा तथा आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए इन देशों की मदद की। प्रशांत आइलैंड फोरम (पीआईएफ) देशों के वार्ता भागीदार के रूप में, भारत क्षमता निर्माण और सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति तथा स्थायी विकास में क्षेत्रीय सहायता प्रदान करते हुए प्रशांत द्वीप देशों के साथ जुड़ा रहा है। इसके बदले में भारत अपने हित के मुद्दों जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी, राष्ट्रमंडल, असैनिक परमाणु सहयोग आदि के बारे में इन देशों में अधिकांश का समर्थन हासिल करने में कामयाब है।

भारत के बढ़ते प्रभाव ने दक्षिण पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय और बहुराष्ट्रीय मंचों जैसे आसियान, ईएएस, बिमस्टेक, एमजीएफ और एआरएफ देशों को घनिष्ठ सहयोग के लिए आकर्षित किया है।

भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है और इसका भारत और आसियान दोनों में राजनयिक रिश्तों पर भी इसका अच्छा असर पड़ेगा। आसियान देशों में भारत का सबसे बड़ा व्यापरिक भागीदार सिंगापुर है जिसके साथ सन् 2004 में 17.411 करोड़ रूपए का व्यापार हुआ, अकेले-सिंगापुर के साथ भारत का व्यापार आसियान के साथ कुल व्यापार का 43 प्रतिशत है। दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया है जिसके साथ पिछडले साल 7.480 करोड़ रूपए का व्यापार हुआ।

आसियान के साथ व्यापारिक घुसपैठ बढ़ाने के लिए म्यांमार भारत के लिए प्रवेश द्वारा साबित हो रहा है। म्यांमार के साथ भी भारत का व्यापार बढ़कर 1.265 करोड़ रूपए हो गया है। यह व्यापारिक साझेदारी भारत और पूर्वी क्षेत्र दोनों के लिए फायदेमंद है।

अतः उपरोक्त विवरण को ध्यान में रखकर स्वीकार किया जा सकता है कि कई करणों से 'पूर्व की ओर देखों' नीति से भारत को लाभ हुआ है और वह इस नीति के द्वारा अपने संबंध इन पूर्वी देशों से मजबूत करने में सफल रहा है। जिस तरह भारत ''पूर्व की ओर देखो'' नीति अपनाएं हुए है। उसी तरह थाइलैंड ''पश्चिम की ओर देखो'' की नीति

अपनाए हुए है। और ये दोनों नीतियां ही बिंदु पर मिलती है। भारत ने चीन को भी बार-बार यह समझाने की कोशिश की है कि यह भारत की ''पूर्व की ओर देखो'' नीति चीन के कंटेनमेंट के लिए नहीं है जैसा कि चीन इसे मानता है।

9.4.3 पूर्व की ओर देखो नीति में भारत की चुनौतियां

भारत की 'पूर्व की ओर देखो' नीति के सामने कई चुनौतियां है जो दक्षिण पूर्व क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम में रूकावट बन सकती है, भारत के व्यापारिक साझी दारी को प्रभावित कर सकती है, ये चुनौतियां निम्नलिखित है-

1. दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों का खासकर भारत के साथ जिस तरह कदम द कदम बढ़े है। भारत के साथ ये आसियान देश भी भारत जैसी सामाजिक, आर्थक राजनीतिक समस्याओं व चुनौतियों का मुकाबला कर रहे है। आज जो चुनौतियां है-उनमें प्रमुख है आतंकवाद की समस्या, आतंकवाद की समस्या एक विकराल रूप धारण कर चुकी है जिसकी लपेट में न सिर्फ भारत, अमेरिका, आसियान व अन्य देश है, बल्कि इसका कर्त्ताधर्त्ता पाकिस्तान भी इसका गंभीर परिणाम झेल रहा है। पिछले वर्ष 2014 में पेशावर धमाका इसका ताजा उदाहरण है।
2. मलेशिया में हिड्राफ (हिन्दू राइट्स एक्शन फोर्स) के खिलाफ सरकार द्वारा देश-द्रोह के आरोप में उठाया गया कदम सामाजिक धर्मनिरपेक्षता पर लगाया गया प्रश्न है जिसमें अनेक हिड्राफ नेता देश-द्रोह के आरोप में जेल भेद दिए गए हे। इसका नकारात्मक प्रभाव भारत की धर्मनिरपेक्षता तथा व्यापार पर पड़ सकता है।
3. तेल उत्पादक खाड़ी देशों द्वारा कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण आर्थिक मंदी भी दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के लिए एक चुनौती है, जिसका समय रहते निदान अर्थात् ऊर्जा के अन्य स्रोतों का उपयोग करना समय की अवश्यकता हो गई है। इसका निदान का फायदा भारत को भी पहुंचेगा।
4. अमेरिका का प्रशांत-महासागर की ओर बढ़ता कदम भी दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के लिए एक गंभीर चुनौती है जो इन देशों की एकता व अखण्डता के लिए गंभीर चुनौती है जो इन देशों के बीच वैमनस्यता का भी कारण बन सकता है, भारत के व्यापार पर इसका प्रभाव अछूता नहीं हर सकता।

इन उपरोक्त चुनौतियों के बावजूद ''पूर्व की ओर देखा नीति'' से भारत पूर्व एशिया क्षेत्र के देशों के साथ उच्च स्तरीय संबंध स्थापित करना चाहता है, और कर रहा है। वियतनाम तथा इंडोनेशिया दोनों ही पूर्व एशिया के देश है साथ ही आसियान के सदस्य भी है। आसियान के अन्य सदस्य देशों के साथ भारत ने कई सफल यात्राएं की है, और इन देशों के शासनाध्यक्षों ने भी भारत का दौरा किया है। इन यात्राओं के दौरान विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए है, जो भारत के और दक्षिण पूर्व क्षेत्र के विकास के संबंध में महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे है।

9.4.4 आसियान में भारत की भूमिका

भारत-आसियान के बीच सन् 2007 तक (13वां शिखर सम्मेलन) तक 30 अरब डॉलर के व्यापार के लक्ष्य को समय से पहले हासिल कर लिया गया और 2010 तक इस व्यापार को 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया।

भारत व आसियान देशों के मध्य वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास संबंधी शोध को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख डॉलर की प्रारंभिक राशि से भारत आसियान विज्ञान एवं तकनीकी कोष की स्थापना की घोषणा भारत ने की है। इंडिया आसियान नेटवर्क ऑन क्लाइमेंट चेज की स्थापना का आह्वान करते हुए इसकी पायलट परियोजनाओं के लिए 50 लाख डॉलर की प्रारंभिक राशि वाले एक इंडिया आसियान फंड की पेशकश भी की है।

भारत ने स्वासथ्य के क्षेत्र में भारत आसियान संयुक्त कार्यदल के गठन का प्रस्ताव रखा है। भारत ने आशा व्यक्त की है कि आसियान के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र जल्द ही संपन्न होगा।

9.4.5 आसियान देशों के साथ भारत व्यापार संबंध

भारत फिलिपीन्स के साथ फिक्की के अनुसार 2010 तक लगभग 2 मिलियन अमेंरिकी डॉलर तक व्यापार को बढ़ाया है।

भारत थाइलैंड के साथ द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2006-07 में 3189.96 मिलियन डॉलर का हो गया।

वर्ष 2007 से वियतनाम के साथ द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से एक महत्वपर्णू वर्ष रहा, इसमें महत्वपूर्ण घटना थी वियतनाम के प्रधानमंत्री न्यूयेन तान हुंड की भारत यात्रा और दोनों देशों ने आपसी व्यापारिक संबंध स्थापित किए है।

आसियान क्षेत्र के देशों के साथ हमारा सालाना व्यापार 80 अरब अमेरिका डॉलर की सामा पार कर चुका है।

इंडोनेशिया के साथ उभयपक्षीय लाभप्रद व्यापार तक तकनीकी सहकार की अपरिमित संभावनाएं मौजूद है।

यात्राएं दो देशों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों को ओर संवंर्धित करती है। भारत के 2007 में विदेश मंत्री का सिंगापुर दौरे से नई पहल कदमियां की गई, जिसके फलस्वरूप 2005-06 से 2006-07 तक भारत सिंगापुर व्यापार 30 प्रतिशत बढ़ा है।

9.4.6 आसियान में भारत की चुनौतियां

आसियान क्षेत्र में भारत की अधिकतर वही चुनौतियां है जो ''पूर्व की ओर देखा'' नीति में बतायी गई है, क्योंकि आसियान भारत की पूर्व दिशा में स्थित ही क्षेत्रीय सहयोग संगठन है जो पूर्व क्षेत्र के देश है वह आसियान के सदस्य देशों के रूप में अधिकतर जाने जाते है। फर्क मात्र दक्षिण क्षेत्र का है, इसी को ध्यान में रखते हुए हम आसियान में भारत की व्यापारिक चुनौतियों (जो बाकी रह जाती या छूट गई है) को देखते है।

1. हाल ही में आसियान देशों के संदर्भ में भारत की 'नरम ताकत'-सांस्कृतिक-आर्थिक संसाधनों का उल्लेख जोशो-खरोश के साथ किया जाने लगा है। इस सिलसिले में यह बात भुलना नादानी ही होगा कि भारत के साथ सहयोग में अभी तक खास उत्साह आसियान देशों की सरकार या निजी उद्यमियों ने नहीं दर्शाया है।
2. जब बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना का जिक्र होता है जैसे **गंगा मी कौंग** परियोजना या बिम्सटैक तक जरूर कुछ समय तक बहुपक्षीय सहकार, खुशहाली की साझेदारी जैसे मुहावरे सुर्खियों में रहते है, फिर बात आई गई हो जाती है।
3. आसियान की असली सामरिक राजनयिक संवेदनशीलता चीन के संदर्भ में है। म्यांमार से जुड़ा हिंद महासागर के उत्तर में स्थित यह वह भौगोलिक क्षेत्र है, जहां भारत तथा चीन के पारंपारिक प्रभाव क्षेत्र टकराते है।

फिर भी आसियान भारत की ही तरह चीन के लिए भी संलग्न मर्मस्थल है। यह देखने लायक होगा कि आसियान में भारत की सक्रियता के बारे में चीन की क्या प्रतिक्रिया दिखलाई है। क्षेत्रीय संगठन सदस्य देशों के साथ राजनयिक यात्रा आयोजित होती है तो यह यात्राएं महत्वपूर्ण बतलाई जाती है भारत तथा आसियान देशों के साथ कई राजनयिक यात्राएं हो रही है जैसे 2012 में प्रधानमंत्री का कंबोडिया दौरा।

अभ्यास प्रश्न –

1. भारत-आसियान के बीच 13वां शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ ?

2. भारत किस सन में दक्षिण पूर्व एशियन राष्ट्रों के संगठन (आसियान) का ''प्रभागीय वार्ता भागीदार' (Sectoral Dialogue Partner) बन गया ?

9.5 सारांश

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट है कि राष्ट्रों के बीच 21 वी सदी में संबंधों का विस्तार हो रहा है | अपनी आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए राष्ट्र एक दूसरे के समीप आ रहे है | इसके फलस्वरूप हितों की पूर्ती और संबंधों के नियमन के लिए पारस्परिक सहमति से अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के साथ साथ क्षेत्रीय स्तर पर संगठन भी बना रहे है | इसी के फलस्वरूप आसियान का भी गठन किया गया है | जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास और समृद्धि के साथ संतुलन भी है |आसियान की भूराजनीतिक स्थिति के कारण भारत के लिए यह क्षेत्रीय संगठन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है | यद्यपि इसमें चुनौतियां भी बहुत अधिक है | जिस पर भारत सरकार प्राथमिकता के आधार पर पूर्व की और देखो नीति /करो नीति के तहत कार्य कर रही है | जो न केवल भारत वरन इस संघठन में आने वाले सभी राष्ट्रों के लिए दूरगामी प्रभाव छोडने वाला सिद्ध होगा |

9.6 शब्दावली

आसियान - एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस

हिड्राफ- हिन्दू राइट्स एक्शन फोर्स

9.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. 2007, 2. 1991

9.8 सन्दर्भ ग्रन्थ

1. चौधरी, बी।बी।2003-04।राजनीति विज्ञानः सिद्धांत एवं अवधारणाएं, दिल्लीः श्रीमहावीर बुक डिपो (पब्लिशर्स)।
2. खना,वी।एन और अरोडा, एल।2006।भारत की विदेश नीति, नई दिल्लीः विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा।लि।
3. पंत, 2012।'पूरब की ओर देखने की पहल' दैनिक भास्कर, 20 नवबंर,पृ.13
4. शर्मा, जे।सी। 2011। 'सार्क सम्मेलन से उम्मीदे'।दैनिक भास्कर, 10 नवंबर, पृ.7.

9.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. <http://navbharattimes।indiatimes।com/articleshow/1330887।cm>
2. <http://money।bhaskar।com/news/DYK-EA-what-is-look-east-policy-4608394-NOR।html>
3. <https://books।google।co।in/books?isbn=8125924051>
4. <http://www।dw।de/ भारत -और-पूर्व-की-और-देखो-नीति /a-16864564>
5. <https://books।google।co।in/books?isbn=0230327877>
6. <https://books।google।co।in/books?id=2G7p1ih8UKoC

9.10 निबंधात्मक प्रश्न

1. आसियान पर एक विस्तृत निबंध लिखिए ?

इकाई 10- हिन्द महासागर का सामरिक एवं आर्थिक परिदृश्य

10.1 प्रस्तावना

10.2 उद्देश्य

10.3 हिंद महासागर का सामरिक परिदृश्य

10.3.1 हिंद महासागर और अमेरिका

10.3.2 हिंद महासागर और सोवियत संघ

10.3.3 हिंद महासागर और फ्रांस एवं चीन

10.3.4 हिंद महासागर और भारतीय दृष्टिकोण

10.4 हिंद महासागर का आर्थिक परिदृश्य

10.4.1 खनिज संसाधन

10.4.2 जैविक संसाधन

10.4.3 मछली पालन

10.4.4 व्यापार तथा परिवहन

10.4.5 पर्यटन

10.5 मानव गतिविधि का हिंद महासागर पर पर्यावरणीय प्रभाव

10.6 हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन

10.7 सारांश

10.8 शब्दावली

10.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

10.10 संदर्भ ग्रंथ सूची

10.11 सहायक पाठ्य सामग्री

10.12 निबंधात्मक प्रश्न

10.1- प्रस्तावना-

"जो भी देश हिंद महासागर को नियंत्रित करता है वह एशिया पर वर्चस्व स्थापित करेगा, यह महासागर सात समुद्रों की कुंजी है। 21वीं सदी में विश्व का भाग्य निर्धारण इसकी समुद्री सतहों पर होगा।" अल्फ्रेड थेयर महान के इन शब्दों में हिंद महासागर क्षेत्र के महत्व को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है।थेयरके इस कथन से न केवल हिंद महासागर के ऐतिहासिक महत्व का पता चलता है बल्कि उसकी भू - राजनीतिक महत्व का भी पता चलता है। शायद इसी कारण से आज हिंद महासागर में अंतरराष्ट्रीय महाशक्तियों के बीच नौसैन्य अड्डा बनाने की होड़ लगी है।

हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है, यह 10400 किलोमीटर लम्बा और 9600 किलोमीटर चौड़ा है, पृथ्वी की सतह पर उपस्थित पानी का लगभग 20.3% भाग इसमें समाहित है,एवं 47 राज्य इसके तटो को छूते है। उत्तर में यह भारतीय उपमहाद्वीप से, पश्चिम में पूर्वी अफ्रीका, पूर्व में हिंद चीन, सुंडा दीप समूह और ऑस्ट्रेलिया, तथा दक्षिण में दक्षिण ध्रुवीय महासागर से घिरा है। विश्व में केवल यही एक महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम यानी, हिंदुस्तान (भारत) के नाम पर है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसे रत्नाकर कहा गया है।

वैश्विक रूप से परस्पर जुड़े समुद्रों के एक घटक हिंद महासागर को, अटलांटिक महासागर से 20 डिग्री पूर्वी देशांतर जो केप एगुलस से गुजरती है और प्रशांत महासागर से 146 डिग्री 55 फीट पूर्वी देशांतर पृथक करती है। हिंद महासागर की उत्तरी सीमा का निर्धारण फारस की खाड़ी में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश द्वारा होता है, हिंद महासागर की पृष्ठधाराओं का परिसंचरण असीमित है। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी सिरों पर इस महासागर की चौड़ाई करीब 10000 किलोमीटर(6200 मील) है, और इसका क्षेत्रफल 73556000 वर्ग किलोमीटर (28400000 वर्ग मील) है जिसमें लाल सागर और फारस की खाड़ी शामिल है।

हिंद महासागर में जल की कुल मात्रा 292131000 घन किलोमीटर(70086 000 घन मील) होने का अनुमान है। हिंद महासागर में स्थित मुख्य द्वीप मेंडागास्कर है, जो विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, इसके अलावा रियूनियन द्वीप, कोमोरोस, सेशेल्स, मालदीव, मॉरीशस, श्रीलंका और इंडोनेशिया द्वीप समूह है जो इस महासागर की पूर्वी सीमा का निर्धारण करते हैं, इसकी आकृति विकृत "एम" की भांति है। यह तीन ओर से भू आवेष्ठित महासागर है। इसकी सीमाओं पर प्राचीन पठारी भूखंड स्थित हैं जो इस बात का संकेत देते हैं कि इस महासागर में गर्त एवं खाइयों का अभाव है। 20वी सदी तक हिंद महासागर अज्ञात महासागर के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1960 से 1965 के बीच अंतरराष्ट्रीय हिंद महासागरीय अभियान के फलस्वरूप इस महासागर की तली के संबंध में अनेक विलक्षण तथ्य के प्रकाश में आये।

10.2 - उद्देश्य-

इस इकाई के अंतर्गत हम हिन्द महासागर की भौगोलिक स्तिथि, आर्थिक महत्व एवं वर्तमान समय की राजनीतिक गतिविधियों (हिन्द महासागर के सम्बन्ध में) की विवेचना करेंगे। इस इकाई को पड़ने एवं समझने के पश्चात हम –

1- हिन्द महासागर की भौगोलिक स्तिथि एवं उसके तटीय देशों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे।

2- हिन्द महासागर के सामरिक एवं आर्थिक महत्व को समझेंगे।

3- हिन्द महासागर के तटीय देशों के संगठन के बारे में जानेंगे।

4- भारत के लिए हिन्द महासागर की उपयोगिता को समझेंगे।

10.3 हिंद महासागर का सामरिक परिदृश्य-

द्वितीय महायुद्ध से पूर्व हिंद महासागर के अधिकांश तटवर्ती क्षेत्रों पर ब्रिटेन का नियंत्रण था तथा हिंद महासागर को ब्रिटेन की झील के नाम से पुकारा जाता था।द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के साथ हिंद महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों से ब्रिटेन का प्रभुत्व समाप्त होने लगा। 1966 में ब्रिटेन ने स्वेज नहर से पूर्व में स्थित अपने नौ- सैनिक अड्डों को धीरे-धीरे समाप्त करने की घोषणा कर दी। इससे यह क्षेत्र महाशक्तियों की राजनीति का एक प्रधान अखाड़ा बन गया।

भारत और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर किसी तटवर्ती देश के पास बड़ी नौसेना नहीं है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के नौ- सेनाए भी बाहरी शक्तियों की नौ- सेनाओं की तुलना में बहुत साधारण है। बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप की स्थिति में महासागरीय क्षेत्र कमजोर और असुरक्षित होता है।

1960 के दशक के अंतिम वर्षों में ब्रिटिश नौसेना ने इस क्षेत्र से हटना प्रारंभ कर दिया। इससे इस महासागर में अन्य शक्तियों की गतिविधियां प्रारंभ हो गयी। इन शक्तियों के इस क्षेत्र में रुचि के अनेक कारण है- व्यापारिक, राजनैतिक,सामरिक इस समय इस महासागर में भारतीय नौसैनिक बेड़ा है, अमेरिका का सातवां नौसैनिक बेड़ा है, रूस की पनडुब्बियों और लड़ाकू जहाज हैं, ब्रिटेन और फ्रांस के घटते हुए पर महत्वपूर्णनौसैनिक हित हैं, तथा चीन और जापान की उभरती हुई नौसैनिक उपस्थिति है।

10.3.1- हिंद महासागर और अमेरिका-

हिंद महासागर में अमेरिका की उपस्थिति सन 1949 के बाद से ही देखी जा सकती है जब उसने साम्यवाद के प्रतिरोध की नीति अपना ली थी। अमेरिका ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का विस्तार उस समय करना प्रारंभ किया जब ब्रिटेन ने यह संकेत दिया था कि वह हिंद महासागर क्षेत्र से हटने की मजबूरी में है। अमेंरिकी विचारकों का मत था कि हिंद महासागर क्षेत्र से ब्रिटिश वापसी से वहां एक शक्ति -शून्य उत्पन्न हो जाएगा जिसका भरा जाना आवश्यक है। अगस्त 1964 में आंग्ल- अमेंरिकी संयुक्त दल ने सैनिक अड्डो के लिए द्वीपों के चुनाव के निमित्त हिंद महासागर का संयुक्त सर्वेक्षण किया। 1970 के दशक में अमेरिका का हिंद महासागर के मुख्य प्रवेश द्वारों पर नियंत्रण हो गया। उसने सामंस टाउन पर अर्थात हिंद महासागर में अटलांटिक महासागर केकेप मार्ग द्वारा प्रवेश पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, डियागो गार्सिया अर्थात मध्यवर्ती हिंद महासागर और दक्षिण से प्रवेश पर नियंत्रण कर लिया,कोकबर्न साउंड और केप उत्तर पश्चिम पर अर्थात प्रशांत महासागर के दक्षिण से हिंद महासागर में प्रवेश पर नियंत्रण कर लिया। अमेरिका ने आसियान देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित करके मलक्का जलडमरूमध्य पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। कहा जाता है कि अमेरिका अब हिंद महासागर के सभी प्रवेश पथो को नियंत्रित करता है और उसने हिंद महासागर को एक अमेंरिकन झील में परिवर्तित कर लिया है।

हिंद महासागर में अमेरिका की उपस्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें उसके न केवल स्थाई सैनिक अड्डे हैं बल्कि उसे अनेक देशों की हवाई पट्टिया और बंदरगाहों के प्रयोग की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। उसके परमाणु अस्त्रों से लैस युद्धपोत इसमें निरंतर गश्त लगाते हैं। जिन देशों में अमेरिका को हवाई पट्टियां या बंदरगाहों की सुविधाएं उपलब्ध हैं उनमें प्रमुख हैं-मिस्र में एटज्योन का सैनिक हवाई अड्डा, शर्म अल शेख का नौसैनिक अड्डा, तथा रस बानस का अड्डा, सोमालिया में बलबेरा, पाकिस्तान में कराची के पश्चिम में ग्वादर का

बंदरगाह, कीनिया में मोम्बासा, ओमान में मसीरा और मेंरा, ऑस्ट्रेलिया में डार्विन हवाई अड्डा आदि। इसके अतिरिक्त बहरीन, जिबूती और सऊदी अरब में अमेरिका के पास स्थाई अड्डे हैं।

अमेरिका के हिंद महासागरीय अड्डो में डियागो- गार्सिया सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस अड्डे का संचार नेटवर्क आणविक पनडुब्बियों से प्रक्षेपित सामरिक प्रक्षेपास्त्र की दिशा निर्धारित करने की क्षमता रखता है। इस अड्डे का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। इस अड्डे को नये- नये शस्त्रों से सुसज्जित किया जा रहा है। यहां नाभिकीय और रासायनिक अस्त्र रखे गए हैं। भंडार पोतों को यहां स्थायी लंगर डालकर खड़ा किया गया है।डियागो गार्शिया अमेरिका का न केवल नौसैनिक अड्डा ही है, वरन यहां पर वायुसैनिक अड्डे का भी निर्माण किया गया है।

10.3.2- हिंद महासागर और सोवियत संघ-

सोवियत संघ भी अपनी सुरक्षा के नाम पर हिंद महासागर क्षेत्र में सक्रिय रहा है। 1967 में ब्रिटेन द्वारा स्वेज पूर्व के नौसैनिक अड्डों को छोड़ देने की घोषणा के बाद हिंद महासागर में प्रथम बार सोवियत नौ-सैनिक गतिविधियों की शुरुआत हुई। मार्च 1968 में पांच युद्धपोतों का एक नौसैनिक स्कवैडन दक्षिण एशिया, अरब सागर, फारस की खाड़ी, लाल सागर और पूर्वी अफ्रीका के बंदरगाहों में पहुंचा। उसके बाद अनेक वर्षों तक सोवियत संघ का एक नौसैनिक स्कवैडन हिंद महासागर की यात्रा करता रहा। 1979 से सोवियत संघ ने हिंद महासागर में अधिक संख्या और अधिक बार युद्धपोत भेजना प्रारंभ कर दिया। लगभग 20 से 40 सोवियत जहाज इस क्षेत्र में लगातार उपस्थित रहने लगे। बाद में सोवियत संघ ने सोकोतरा द्वीप अदन, होदेदा, सिचेलेस और कम्पूचिया में कुछ सुविधाएं प्राप्त की परंतु अमेरिका के समान कोई स्थाई सैनिक याअसैनिक अड्डा प्राप्त नहीं किया।

सोवियत संघ के अनुसार अपनी सुरक्षा की खातिर ही उसे हिंद महासागर में अपने युद्धपोत रखने पड़ रहे हैं। सोवियत संघ के यहां कभी कोई अड्डे नहीं रहे और नहीं वह कोई अड्डा बनाने का इरादा रखता है।

10.3.3- हिंद महासागर में फ्रांस और चीन-

रियूनियन द्वीप पर फ्रांस का अधिकार है, इसलिए फ्रांस भी कभी-कभी इस क्षेत्र में घुसपैठ करता रहता है। हाल ही में चीन भी हिंद महासागर में रुचि लेने लगा है। चीन हिंद महासागर में सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी बनना चाहता था। हाल ही में उसने कोको द्वीप पर अपनी नौ-सेनाए तैनात कर दी हैं। म्यांमार की गुंटा सरकार ने अंडमान दीपों के निकट कोको द्वीप जिस पर बर्मी संप्रभुता है चीन को लीज पर दे दिया है तथा चीन ने वहां पर एक भारी नौ-सैनिक अड्डा तैयार कर लिया है। अब तो चीनी पनडुबी बंगाल की खाड़ी के मुहाने तक पहुंच चुकी हैं।

10.3.4 हिंद महासागर के संबंध में भारतीय दृष्टिकोण-

हिंद महासागर में भारत के लगभग 1156 द्वीप हैं। इनकी सुरक्षा और विकास का उत्तरदायित्व भारत पर ही है। भारत की लगभग 98% अंतरराष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर के मार्ग से होता है। भारत का समुद्री क्षेत्र करीब 24 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका आर्थिक दोहन हिंद महासागर की शांति पर निर्भर करता है। भारत का करीब 63% पेट्रोलियम और खनिज तेल समुद्री क्षेत्रों से ही प्राप्त होता है।

भारत की विदेश नीति के क्रमिक विकास पर सम्यक दृष्टिपातसे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत ने वृहद अंतरराष्ट्रीय राजनीति तथा हिंद महासागर की क्षेत्रीय राजनीति के मध्य एक संतुलन तलाशने की कोशिश की है। इसने सार्क, हिमतक्षेस का गठन करने के साथ ही साथ आसियान के साथ अपने संबंधों को लगातार बढ़ाया है।

हिंद महासागर के बढ़ते सैन्यीकरण पर भारत ने चिंता व्यक्त की है। इस सैन्यीकरण का भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। वस्तुतः भारत के व्यापक राष्ट्रीय, सुरक्षात्मक और आर्थिक हित इसके शांत बने रहने पर निर्भर करते हैं क्योंकि-

1- हिंद महासागर काजल भारत को तीन दिशाओं से छूता है। इसके शांत और स्थिर रहने से उसकी समुद्री सीमाएं सुरक्षित हैं।
2- भारत की सीमाएं हिंद महासागर में सैकड़ों मील दूर तक चली गई है। उसमें स्थित सैकड़ों दीपों की सुरक्षा इसके शांत बने रहने पर ही निर्भर करती है, उदाहरण के लिए केवल बंगाल की खाड़ी में उसके 667 द्वीप है, और अरब सागर में 508 द्वीप हैं। अंडमान और निकोबार दीपों की सुरक्षा, जो भारतीय तट से क्रमशः 500 और 700 मील दूर हैं इसके शांत बने रहने पर ही निर्भर करती है।
3- भारत को दूसरे क्षेत्रों और महाद्वीपों से जोड़ने वाले समुद्री और हवाई मार्ग यहां से गुजरते हैं। इन मार्गों की सुरक्षा का प्रश्न भारत के लिए बुनियादी महत्व का है। यह बात देश की 6000 किलोमीटर से अधिक लंबी समुद्री सीमा के लिए भी है, और देश के प्रमुख औद्योगिक एवं सांस्कृतिक केंद्रों के लिए भी, क्योंकि वह मुख्यतः सागर तट पर या उससे थोड़ी दूर पर ही स्थित हैं।
4- हिंद महासागर के अनेक द्वीपों में जैसा कि श्रीलंका, मालदीव, मॉरीशस, सेशेल्स आदि में भारतीय मूल के अनेक लोग निवास करते हैं, उनके हितों और अधिकारों की रक्षा की भी आवश्यकता है।
5- तेल और दूसरे खनिज भंडारों के दोहन की, मत्स्य पालन के विकास की भारत की व्यापक योजना भी सागर से ही जुड़ी है।

स्पष्ट है कि ये योजनाएं शांतिपूर्ण हैं। इनकाध्येय देश की आर्थिक उन्नति करना, जनता की खुशहाली बढ़ाना है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट है कि अमेरिका द्वारा हिंद महासागर के सैन्यीकरण से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। भारतीय विद्वान जैड इमाम ने चिंता व्यक्त करते हुए पेट्रियट में लिखा है कि "डियागो गार्शिया अड्डे से छोड़े गए ना नाभिकीय अस्त्रयुक्त प्रक्षेपास्त्र कुछ मिनटों में ही नई दिल्ली पहुंच सकते हैं।"

अतः हिंद महासागर के परिप्रेक्ष्य में भारत इस समूचे क्षेत्र को 'शान्ति क्षेत्र' घोषित करने तथा इस प्रश्न पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद करता आया है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 26 वें अधिवेशन में 16 दिसंबर 1971 को हिंद महासागर को शान्ति क्षेत्र घोषित करने संबंधी घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। जिसका मसौदा हिंद महासागर के 13 तटीय देशों ने तैयार किया जिसमें से भारत भी एक था। इस घोषणापत्र में कहा गया था कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा यह विश्वास रखते हुए की विशाल भौगोलिक क्षेत्र में शांति क्षेत्र की स्थापना समानता और न्याय के आधार पर सार्विक शांति लाने पर सुप्रभाव डाल सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्येयों व सिद्धांतों के अनुरूप घोषणा करती है कि-"हिंद महासागर को उन सीमाओं में, जिन्हें अभी निर्धारित किया जाना है, इसके ऊपर फैली आकाशीय क्षेत्र तथा उसके समुद्र तल सहित इस प्रस्ताव द्वारा चिरकाल के लिए शान्ति क्षेत्र घोषित किया जाता है"

सन 1993 में महासभा द्वारा हिंद महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाने का संकल्प पारित किया। इस संकल्प में हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने की 1971 की घोषणा का अनुसरण किया गया।

10.4 हिंद महासागर का आर्थिक परिदृश्य-

हिंद महासागर का महत्व उसके जलमार्गो और उसके क्षेत्र में उपलब्ध कच्चे माल के कारण अत्यधिक है। इसके जल मार्ग पश्चिम और जापान के लिए जीवन रेखाएं हैं, जिनके बंद होने या जिन पर विरोधी का प्रभुत्व स्थापित होने से उनके लिए जीवन- मरण का प्रश्न पैदा हो जाता है। इसके गर्भ में उपलब्ध कच्चे माल के भंडार महाशक्तियों में प्रतिद्वंद्विता के कारण हैं। विश्व का 37% तेल, 90% रबड़, 70% टिन, 79% सोना, 28% मैगनीज, 27% क्रोमियम, 16% लोहा, 12।5% सिक्का, 11।5% टंगस्टन, 11% निकल, 10% जिंक, 98% हीरे और 60% यूरेनियम इसके क्षेत्र में पाए जाने की आशा है। इसकी समुद्री सतह पर उपलब्ध होने वाले स्रोतों, विशेषकर ऊर्जा स्रोतों की कमी नहीं है। सोवियत लेखक येवगेनी रुम्यात्स्वेव ने उन्हें अपनी पुस्तक "हिंद महासागर : शांति और सुरक्षा की समस्याएं" में लिखा है कि-"संयुक्त राज्य अमेरिका यहां से 40 तरह का कच्चा माल ले जाता है जिसमें यूरेनियम, लिथियम, बेरिलियम, इत्यादि सैनिक महत्व का कच्चा माल भी होता है। जापान अपनी तेल की प्राय: शत-प्रतिशत माँग फारस की खाड़ी के तेल से पूरी करता है। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों से ही 75% लौह अयस्क, 35% कोक कोयला, 90% बॉक्साइट जिंक, और प्राकृतिक रबड़ का आयात करता है"।

इसके अतिरिक्त हिंद महासागर का आर्थिक परिदृश्य मुख्य विषयों पर निम्नलिखित है-

10.4.1- खनिज स्रोत–

अब तक का सबसे मूल्यवान खनिज संसाधन पेट्रोलियम है, और फारस की खाड़ी दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। अपतटीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की खोज अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भी चल रही हैं, माना जाता है कि दोनों के पास बड़े भंडार हैं। अन्वेषण गतिविधि के अन्य स्थल ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तट पर, अंडमान सागर में, अफ्रीका के तट से भूमध्य रेखा के दक्षिण में और मेंडागास्कर के दक्षिण-पश्चिमी तट से दूर है। फारस की खाड़ी के देशों के अलावा, केवल भारत अपतटीय क्षेत्रों से वाणिज्यिक मात्रा में तेल का उत्पादन करता है, इसके कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा मुंबई के तट से आता है। कुछ प्राकृतिक गैस ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तट से भी उत्पन्न होती है।

एक अन्य संभावित मूल्यवान खनिज संसाधन मैगनीज नोड्यूल में निहित है, जो हिंद महासागर में प्रचुर मात्रा में है। समुद्र के मध्य भाग में, दक्षिण अफ्रीका के रूप में दक्षिण में, और दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई बेसिन में पूर्व में नमूना स्थलों से नोड्यूल मिले हैं, मैगनीज की मात्रा पूर्व में सबसे अधिक और उत्तर पश्चिम की ओर सबसे कम रही है, प्रौद्योगिकी में प्रगति के बावजूद, उन खनिजों के खनन और प्रसंस्करण में कठिनाई ने उनके व्यावसायिक निष्कर्षण को रोक दिया है। संभावित व्यवसायिक मूल्य के अन्य खनिज इलमेंनाइट (लोहे और टाइटेनियम ऑक्साइड का मिश्रण)टिन, मोनाजाइट,जिक्रोन, और क्रोमाइट है, जो सभी निकटवर्ती रेत निकायों में पाए जाते हैं।

10.4.2 जैविक संसाधन-

हिंद महासागर के जल क्षेत्र का बड़ा हिस्सा उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में स्थित है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के उथले पानी में कई मूंगे और अन्य जीवो की विशेषता होती है जो निर्माण करने में सक्षम होते हैं, साथ में लाल शैवाल- चट्टाने और प्रवाल द्वीप भी पाए जाते हैं। वह कोरलाइन संरचनाएं, स्पंज, कीड़े, मोलस्क, समुद्री

अर्चन, भंगुर सितारे, स्टारफिश और छोटी लेकिन अत्यधिक चमकीले रंग की रीफ मछली से युक्त एक संपन्न समुद्री जीवो को आश्रय देती है।

उष्णकटिबंधीय तटो का अधिकांश भाग उस वातावरण के लिए विशिष्ट पशु जीवन के साथ मैग्रोव, घने पेड़ों से भी आच्छादित है।मैग्रोव तटीय सीमा के साथ भूमि को स्थिर रखने का कार्य करते हैं, और अपतटीय प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण प्रजनन और नर्सरी मैदान हैं। हिंद महासागर के कई दीपों पर वनस्पति में ताड और शंकुधारी की विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं।

छोटे क्रस्टेशियंस जिसमें मिनट कोपपोड की 100 से अधिक प्रजातियां शामिल हैं, पशु जीवन के बड़े हिस्से का निर्माण करते हैं, इसके बाद छोटे मोलस्क,जेलिफिस और पौलीप्स और अन्य अकशेरुकी जानवर एकल कोशिका वाले रेडिओलारिया तक होते हैं। मछलियों में से, सबसे प्रचुर मात्रा में उड़ने वाली मछली, चमकदार एन्कोबीज़, लालटेन मछली, बड़ी और छोटी सुरंगे,सेलफिश और विभिन्न प्रकार की सार्क की कई प्रजातियां हैं, समुद्री कछुए और बड़े समुद्री स्तनधारी जैसे डगोंग(या समुद्री गाय)दांतेदार और बेलन व्हेल, डॉल्फिन और सील विभिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं। पक्षियों में सबसे आम अल्बेट्रॉस और फिग्रेट पक्षी हैं, और पेंगुइन की कई प्रजातियां समुद्र के समशीतोष्ण क्षेत्र और अंटार्कटिक तट से स्थित द्वीपों को आबाद करती हैं।

10.4.3 मछली पालन-

हिंद महासागर के कई तटीय क्षेत्रों में होने वाली उथल-पुथल विशेष रूप से उतरी अरब सागर में और दक्षिणी अफ्रीकी तट के साथ सतह के पानी में पोषक तत्वों को केंद्रित करने का कारण बनती हैं। यह घटना बदले में, भारी मात्रा में फाइटोप्लांकटन का उत्पादन करती हैं जो व्यावसायिक रूप से मूल्यवान समुद्री जानवरों की बड़ी आबादी का आधार है। हालांकि बड़ी मछली पकड़ने की क्षमता के बावजूद अधिकांश व्यावसायिक मछली पकड़ने का काम छोटे पैमाने के मछुआरों द्वारा कम गहराई पर किया जाता है, जबकि गहरे समुद्र के संसाधन (टूना के अपवाद के साथ) खराब तरीके से मछली पकड़ते हैं।

प्रमुख तटीय प्रजातियां झींगा क्रोकर,स्नैपर, स्केटस और ग्रन्ट्स- को तटीय देशों द्वारा पकड़ा जाता है, जबकि उच्च मूल्य की पेलजिक मछली-ट्यूना और ट्युनालिक प्रजातियों की प्रजातियां जैसे कि बिलफिस जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जल में पाए जाते हैं- को लिया जाता है, ज्यादातर दुनिया के प्रमुख मछली पकड़ने वाले देशों (जैसे जापान, दक्षिण कोरिया, और रूस) द्वारा। झींगातटीय देशों के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यवसायिक प्रजाति है, जिसका सर्वाधिक उत्पादन भारत में किया जाता है।सार्डीन मेंकेरल और एन्कोबीज़ की कम मात्रा का भी तटीय राज्यों द्वारा शोषण किया जाता है।हालाँकि तटीय राष्ट्र अब एक विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर संसाधनों पर संप्रभुता का दावा कर सकते हैं जो उनके तटों से 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है, मालदीव जैसे छोटे देशों के लिए मछली पकड़ने के अधिकार बेचकर राष्ट्रीय आय बढाना संभव हो गया है। अपने क्षेत्रों में प्रमुख मछली पकड़ने वाले देशों में जिनके पास पेलजिक संसाधनों का दोहन करने के लिए पूंजी और प्रौद्योगिकी है।

10.4.4 व्यापार और परिवहन-

अधिकांश राज्यों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, बीसवीं शताब्दी के मध्य से तटीय देशों का आर्थिक विकास असमान रहा है। क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉकों के गठन से समुद्री व्यापार में वृद्धि हुई और नए उत्पादों का विकास हुआ। अधिकांश हिंद महासागरीयराज्यों ने कच्चे माल का निर्यात जारी रखा है और ऑस्ट्रेलिया भारत तथा दक्षिण

अफ्रीका जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर अन्य जगहों पर उत्पादित माल का आयात किया जाता है। पेट्रोलियम वाणिज्य पर हावी है, क्योंकि हिंद महासागर यूरोप, उत्तरी अमेरिका और पूर्वी एशिया में कच्चे तेल के परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। अन्य प्रमुख वस्तुओं में लोहा, कोयला, रबर और चाय शामिल हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य और भारत तथा दक्षिण अफ्रीका से लोहा अयस्क जापान को भेजा जाता है, जबकि कोयले का निर्यात ऑस्ट्रेलिया से हिंद महासागर के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम को किया जाता है।प्रसंस्कृत समुद्री भोजन तटीय राज्यों से एक प्रमुख निर्यात वस्तु के रूप में उभरा है। इसके अलावा कई द्वीपों पर पर्यटन का महत्व बढ़ गया है।

हिंद महासागर में शिपिंग को तीन घटकों में विभाजित किया जा सकता है।ढो, ड्राई कार्गो कैरियर, और टैंकर।ढो सहस्त्राशताब्दियों से अधिक के लिए छोटे,लेट-रिग्ड नौकायन जहाजों को ढो कहा जाता है, प्रमुख थे। पश्चिमी हिंद महासागर में ढो व्यापार विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, जहां वे जहाज मानसूनी हवाओं का लाभ उठा सकते थे, उत्पादों की एक बड़ी विविधता पूरी अफ्रीका के तट पर बंदरगाहों और अरब प्रायद्वीप पर बंदरगाहों और भारत के पश्चिमी तट (विशेष रूप से मुंबई,मैगलोर और सूरत), पर पहुंचाई गई थी। अधिकांश ढो यातायात को बड़े, संचालित जहाजों और भूमि परिवहन द्वारा दबा दिया गया है, और शेष ढो को सहायक इंजनों से सुसज्जित किया गया है।

हिंद महासागर का अधिकांश ड्राई-कार्गो शिपिंग कंटेनरीकृत है। अधिकांश कंटेनर जहाज केप ऑफ गुड होप, स्वेज नहर और लाल सागर तथा मलक्का जलडमरूमध्य के माध्यम से हिंद महासागर में प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं। दक्षिण अफ्रीका और भारत के पास अपने स्वयं के व्यापारी बेड़े हैं, लेकिन अधिकांश अन्य तटवर्ती राज्यों के पास केवल कुछ व्यापारी जहाज हैं और अपने माल को ले जाने के लिए अन्य देशों के जहाजों पर निर्भर है, अधिकांश अन्य सूखे माल को थोक वाहक द्वारा ले जाया जाता है, मुख्य रूप से वे जो भारत, दक्षिण अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया सेलौह अयस्क को जापान और यूरोप ले जाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से एक महत्वपूर्ण मार्ग सुंडा जलडमरूमध्य और दक्षिणी चीन सागर से जापान के लिए है। हिंद महासागर के प्रमुख बंदरगाहों में अफ्रीकी तट के साथ डरबन,(दक्षिण अफ्रीका) मांपुटो,(मोजांबिक) और जिबूती शामिल हैं। अरब प्रायद्वीप पर अदन (यमन), कराची, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में भारतीय उपमहाद्वीप और श्रीलंका में कोलंबो, और ऑस्ट्रेलिया में मेंलबर्न पोर्ट एडिलेट एनफील्ड और पोर्ट हेडलैंड।

टैंकर यातायात मुख्य रूप से उतरी हिंद महासागर में,फारस की खाड़ी में बंदरगाहों से मलक्का जलडमरूमध्य तक और फारस की खाड़ी से दक्षिण अफ्रीका के तट के साथ और केप ऑफ गुड होप के आसपास चलता है। स्वेज नहर के माध्यम से मार्ग बहुत कम महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि टैंकरों का आकार नहर की क्षमता से अधिक था, हालांकि उन टैंकरों के आकार की भरपाई अब फारस की खाड़ी से यूरोप में तेल ले जाने के लिए आवश्यक लंबी दूरी के लिए की गई थी। सबसे बड़े टैंकरों को अब जापान में तेल ले जाने के लिए लेसर सुंडा दीप समूह के माध्यम सेलोम्बोक जलडमरूमध्य का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उनके ड्राफ्ट मलक्का और सिंगापुर जलडमरूमध्य के मार्ग के लिए बहुत अच्छे हैं।

10.4.5 पर्यटन–

हिंद महासागर में स्थानों की बढ़ती संख्या पर्यटकों के लिए लोकप्रिय गंतव्य बन गई है, जो गर्म जलवायु, सुंदर समुद्र तटों और नीला पानी के लिए तैयार हैं। भारत मुख्य भूमि और लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार दीप समूह के द्वीप क्षेत्रों में कई स्थानों पर खेलता है जो बड़ी संख्या में घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता

है। इस क्षेत्र में हवाई यात्रा के विस्तार के साथ चले से सेशेल्स, मॉरीशस और रियूनियन जैसे पूर्व में दूरस्थ गंतव्य अधिक सुलभ हो गए हैं, और पर्यटन उनकी अर्थव्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है।

10.5. मानव गतिविधि का पर्यावरणीय प्रभाव-

हिंद महासागर के संसाधनों के यूरोपीय औपनिवेशक शोषण के परिणामस्वरूप स्थलीय और समुद्री वातावरण दोनों के क्षरण का पहला स्पष्ट प्रमाण प्रमाण मिला। वनों की कटाई, खेती और गुआनो खनन का स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर अवांछनीय प्रभाव पड़ा है। गुआनो खनन, जिसने वनस्पति को हटा दिया और भूमि की सतह को बिखेर दिया, ने बहुत से देसी वनस्पतियों और जीवों को नष्ट कर दिया है। और शिकार और विदेशी प्रजातियों की शुरुआत ने पारिस्थितिकी संतुलन को बदल दिया है जो पहले मौजूद था। समुद्री पर्यावरण के लिए मानव निर्मित खतरे हाल के मूल के हैं। एक घरेलू और औद्योगिक कचरे की मात्राहै जो तट के साथ बढ़ते शहरीकरण और औद्योगीकरण के परिणाम स्वरूप निकटवर्ती जल में जमा हो गया है। यह स्थिति भारत में सबसे अधिक स्पष्ट हुई है, जो इस क्षेत्र का सर्वाधिक आबादी वाला देश है। एक और चिंता है जो समुद्र और उसके आसपास के अर्द्ध-संलग्न समुद्रों में बड़ी मात्रा में कच्चे तेल के परिवहन के कारण होती है। सामान्य टैंकर संचालन से तेल रिसाव और कभी-कभी बड़े पैमाने पर टैंकर तबाही का वाणिज्यिक मत्स्य पालन की खाद्य श्रंखला के दोनों आवश्यक भागों फाइटोप्लांकटन और जोप्लानकटन पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। पूर्वी अफ्रीकी तट, अरब सागर, और मलक्का जलडमरूमध्य के दृष्टिकोण ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें तेल प्रदूषण और प्रमुख फाइटोप्लांकटन उत्पादकता का खतरा मेंल खाता है। इसके अलावा समुद्र के स्तर में वृद्धि भी चिंता का विषय रही है, जिसका श्रेय जलवायु परिवर्तन को दिया गया है। और जो मालदीव जैसे निचले तटीय क्षेत्रों और द्वीपों के लिए खतरा है।

10.6 हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन-(हिमतक्षेस)(Indian Ocean Rim Association For Regional co- opearation- IORARC)- मॉरीशस की पहल पर मार्च 1997 में भारत तथा तीन अन्य देशों ने हिंद महासागर के तटवर्ती देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से "इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल को-ऑपरेशन" अर्थात "हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन"(हिमतक्षेस) के गठन की घोषणा की। इस संगठन में एशिया, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के वे देश शामिल हैं जो हिंद महासागर के तट पर बसे हुए हैं। भारत के अतिरिक्त संगठन में शामिल देश हैं –ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर,यमन, तंजानिया, केन्या, मोजांबिक, मेंडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका और मॉरीशस।

अप्रैल 1999 में हिमतक्षेस की मोपुल बैठक में हिमतक्षेस में पांच अन्य देशों- ओमान, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, सेशेल्स एवं बांग्लादेश के सदस्य बन जाने पर इसके सदस्यों की संख्या 14 से बढ़कर 19 हो गई है। इसके अतिरिक्त दो अन्य देशों-मिस्त्र तथा जापान को डायलॉग पार्टनर के रूप में आमंत्रित करने का भी निर्णय लिया गया है।

हिंद महासागर के तटवर्ती देशों की संख्या करीब 47 है जो विश्व की 31% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन विश्व व्यापार में इनका हिस्सा केवल 10।7% है तथा इनका सकल घरेलूउत्पाद 6।3 प्रतिशत है। यदि यह संगठन कारगर हो जाए तो करीब 140 करोड़ लोगों की आबादी के लिए आर्थिक अंतः क्रिया का माध्यम बन सकता है।

मॉरीशस के प्रधानमंत्री रामगुलाम के अनुसार-"हिमतक्षेस इस असंतुलन को दूर करेगा तथा हिंद महासागरीय देशों की अर्थव्यवस्था को एक छलांग भरने का अवसर देगा।"

मॉरीशस की बैठक में 7 देशों ने भाग लिया था। उसी से इस संगठन का प्रारंभिक नाम-'M-7' पड़ गया।ये देश हैं- मॉरीशस, केन्या, दक्षिण अफ्रीका, ओमान, भारत, सिंगापुर एवं ऑस्ट्रेलिया।

10.7 सारांश-

वर्तमान समय में हिंद महासागर विश्व का ऐसा क्षेत्र है जो अस्थिर और अशांत है। राजनीतिक हलचल और महाशक्तियों की प्रतिद्वंदिता इस क्षेत्र की मूल विशेषताएं हैं। जब से नौसैनिक शक्ति के महत्व को समझा जाने लगा है, विशेषकर द्वितीय महायुद्ध के बाद से, तब से यह क्षेत्र संघर्ष, तनाव व टकराव का केंद्र बन गया है।

भारत हिंद महासागर क्षेत्र की लगभग आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है अतः भारत इस क्षेत्र में मुख्य भूमिका निभाने के लिए प्रयत्नशील है। भारत इस बात का समर्थन करता है कि- हिंद महासागर शान्ति क्षेत्र घोषित किया जाये, सभी विदेशी और अड्डो का उन्मूलन हो, यहां नाभिकीय शस्त्र तथा जनसंहार के दूसरे शस्त्र न लगाए जाए, तटवर्ती और तटीय देशों के विरुद्ध नाभिकीय अस्त्रों का उपयोग ना हो, और सभी नाभिकीय देशतत्सम्बन्धी दायित्व ग्रहण कर ले, यहां ऐसी सशस्त्र सेनाएं और शस्त्र न रखी जाये जो इस क्षेत्र के देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए खतरा पेश करें।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस क्षेत्र में शांति और सहयोग का वातावरण बनाना तथा ऐसी परिस्थितियां पैदा करना अत्यंत आवश्यक है जिनमें सभी देश अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुरूप हिंद महासागर का निर्बाध उपयोग कर सकें।

अभ्यास प्रश्न-

1- द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व हिंद महासागर को कहा जाता था?

A- ब्रिटेन की झील B- अमेरिका की झीलC- भारत की झील D-पूर्व सोवियत संघ की झील

2- हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठनकी स्थापना कब हुई?

A- 1992 B- 1995 C- 1997 D- 1999

3- विश्व के कितने देश हिंद महासागर के तट से लगे देश हैं?

A- 45 B- 46 C- 47 D- 48

4- हिंद महासागर में अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण सैनिक अड्डा कौन सा है?

A-एटज्योंन का सैनिक अड्डा B-शर्म अल शेख सैनिकअड्डा

C-डियागो गार्सिया सैनिक अड्डा D- रस बानस का अड्डा

10.8- शब्दावली

1-सामरिक – सैनिक महत्व का।

2- औद्योगीकरण– सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रिया जिसमें उद्योग धंधो का बोलबाला रहता है।

3- महासागर– जल की बहुत बड़ी राशि।

4- हिमतक्षेस– हिन्द महासागर के तटीय देशों का संगठन।

10.9- अभ्यास प्रश्नों के उत्तर –

1-A 2- C 3- C 4-C

10.10- सन्दर्भ ग्रन्थ सूची –

-1 फाडिया बी। ,एलअंतरराष्ट्रीय राजनीति।साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा ,

-2अरोड़ा एन।,डी, राजनीति विज्ञान MC Graw Hill Education(India) Private Limited New Delhi।

-3घई यू। ,आर अंतरराष्ट्रीय राजनीतिन्यू एकेडेमिक पब्लिशिंग कंपनी जालन्धर। ,

4-Banerjee,Brajendra Nath , Indian Ocean- A Whirlpool of Unrest, 1984

5-रुम्यात्सेव येव्गेनी, हिन्द महासागर – शान्ति और सुरक्षा की समस्याए

10.11-सहायक पाठ्य सामग्री–

1- वार्षिक रिपोर्ट 2005-06 ; रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
2- हिन्द महासागर क्षेत्र : साझा सामरिक विजन –Drishti IAS
3- https://WWW।britannicalcom

10.12- निबंधात्मक प्रश्न –

1-हिन्द महासागर के सामरिक और आर्थिक महत्व का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए?

इकाई- 11 : भूमंडलीकरण

इकाई की संरचना

11.1 प्रस्तावना
11.2 उद्देश्य
11.3 भूमंडलीकरण
11.3.1 भूमंडलीकरण के प्रमुख तत्व
11.3.2 भूमंडलीकरण का समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव
11.3.3 भूमंडलीकरण को बढ़ाने के मुख्य कारक
11.3.4 भूमंडलीकरण के विपरीत प्रभाव
11.4 सारांश
11.5 शब्दावली
11.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
11.7 सन्दर्भ ग्रन्थ
11.8 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
11.9 निबंधात्मक प्रश्न

11.1 प्रस्तावना

इस इकाई में वर्तमान समय के सबसे ज्वलंत विषय भूमंडलीकरण का अध्ययन किया गया है |जिसमें भूमण्डलीकरण के अर्थ और प्रकृति का अध्ययन किया गया है | साथ ही यह भी अध्ययन किया गया है की इनके तत्व क्या है | इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों के बारे में अध्ययन किया गया है |जिसमें यह स्पष्ट किया गया की भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय किया जाता है ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं, तकनालॉजी, पूँजी और श्रम या मानवीय पूँजी का भी निर्बाध प्रवाह हो सके। वर्तमान समय में जब भूमंडलीकरण की बात करते हैं तो आर्थिक पक्ष को प्रधानता दी जाती है | यद्यपि इसमें संबंधो के अन्यपक्ष भी शामिल होते है |

11.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त हम

- भूमंडलीकरण के अर्थ को जान सकेंगे |
- भूमंडलीकरण के प्रमुख तत्वों को समझ सकेंगे
- भूमंडलीकरण का समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे |
- भूमंडलीकरण को बढ़ाने के मुख्य कारको और उसके विपरीत प्रभाओं के बारे में समझ सकेंगे

11.3 भूमंडलीकरण

भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का अर्थ एवं प्रकृति समझने के लिये इसकी शुरूआती जड़ों को ढूँढना बहुत आवश्यक है। ऐतिहासिक तौर पर, यह कहा जा सकता है कि आर्थिक रूप से भूमंडलीकरण की शुरूआत सिल्क मार्ग की स्थापना के साथ हुई जो कि यूरोप के भूमध्य देशों एवं चीन के बीच स्थापित हुआ था। आधुनिक काल में, यह कहा जा सकता है कि भूमंडलीकरण की शुरूआत कोलंबस की सन् 1492 की अमेरिका यात्रा के साथ हुयी।
रोबी रॉबर्टसन ने अपनी पुस्तक, **'द थ्री वेव्स आफ ग्लोबलाइजेशन'** में आर्थिक भूमंडलीकरण के तीन चरणों की व्याख्या की है। ये तीन चरण निम्नलिखित हैं:-

1. पहला चरण कोलम्बस की सन् 1492 में अमेरिका यात्रा के साथ प्रारम्भ हुआ तथा उसका अंत अठारहवीं शताब्दी की औद्योगिक क्रान्ति के प्रारम्भ के पहले हुआ।
2. दूसरा चरण अठारहवीं शताब्दी की औद्योगिक क्रान्ति के साथ प्रारम्भ हुआ तथा उसका अंत दूसरे विश्वयुद्ध के पहले हुआ।
3. तीसरे चरण का प्रारम्भ दूसरे विश्व युद्ध के उपरान्त सन् 1945 में हुआ और जो आज तक जारी है।

भूमंडलीकरण की बात आज के युग में हर कोई करता है परन्तु इसकी व्याख्या करना कठिन हैं । कुछ विचारक इसे मुख्यतः एक आर्थिक अवधारणा मानते हैं। कुछ भूमंडलीकरण का अर्थ सांस्कृतिक आदान प्रदान के संदर्भ में निकालते हैं । वहीं कुछ इसे एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। अतः जॉन बेलिस तथा स्टीव स्मिथ ने (द ग्लोबलाइज़ेशन आफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स) भूमंडलीकरण को विभिन्न समाजों के बढ़ते हुए जुड़ाव की प्रक्रिया की संज्ञा दी जिसके वजह से विश्व के एक भाग में घटित हो रही घटनायें दूर दराज लोगों एवं समाजों को अधिक से अधिक प्रभावित कर रही हैं। एक वैश्वीकृत विश्व में राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रो में हो रही घटनायें एक दूसरे से जुड़ी हुयी होती हैं ।

ऐन्थोनी गिडेन्स ने अपनी पुस्तक **'द कान्सीक्वेन्सेज आफ मॉडरनिटी'** में भूमंडलीकरण को परिभाषित करते हुए लिखा है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतरगत विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के बीच में अन्योन्याश्रता तथा पारस्परिकता की बढ़ोत्तरी हुई है जिसके कारण किसी जगह की स्थानीय घटनायें हजारों मील दूर घटित घटनाओं के द्वारा निर्धारित हो रही हैं।

वहीं डी। हार्वे ने अपनी पुस्तक **'द कंडिशन आफ पोस्ट मॉर्डनिटी'** में भूमंडलीकरण द्वारा समय एवं स्थान की अवधारणा को जिस तरह प्रभावित किया गया है उस पर जोर दिया है। उसके अनुसार भूमंडलीकरण ने समय और स्थान की अवधारणा को एक नई दिशा दी है जिसके अंतरगत समय की गति और स्थान की दूरी का कोई महत्व नहीं रह गया है।

इस तर्क को आगे बढ़ाते हुए जेम्स रोज़ेनाऊ ने अपनी पुस्तक 'टरब्यूलेंस इन वर्ल्ड पोलिटिक्स' में भूमंडलीकरण के युग में दुनिया में व्याप्त पारस्परिकता, अन्तर्निभरता का कारण तकनीकी तंत्र को बताया है। उसके अनुसार तकनीकि तंत्र ने भौगोलिक और सामाजिक दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक यथाशीघ्र पहुँच जाते हैं।

इसी क्रम में राबर्ट गिलपिन ने अपनी पुस्तक 'द पोलिटिकल ईकान्मी आफ इण्टरनेशनल रीलेशन्स' में भूमंडलीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया बताया है जिससे विश्व की अर्थ व्यवस्था का एकीकरण हुआ है। उसके अनुसार भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा विश्व के प्रभुत्वशाली उदारवादी पश्चिमी राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था और संस्कृति विश्व में विशेष रूप से विकासशील राष्ट्रों पर थोपना चाहते हैं। इसके द्वारा वे पुनः अपना आर्थिक एवं सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की स्थापना करना चाहते हैं।

मैलकम वाटर्स ने अपनी पुस्तक 'ग्लोब्लाइजेशन' में कहा है कि भूमंडलीकरण की परिभाषा आज भी स्पष्ट नहीं है। अपनी परिभाषा में वाटर्स ने भूमंडलीकरण के युग में भौगोलिक दूरी की निरर्थकता पर बल दिया है। उसके अनुसार भूमंडलीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था पर जो भौगोलिक दबाव होते हैं वो पीछे हट जाते हैं क्योंकि भौगोलिक सीमाएं बेमतलब हो जाती हैं।

सौम्येन सिकदर ने अपनी पुस्तक **'कंटेम्पोरेरी ईश्यूज इन ग्लोबलाइजेशन'** में भूमंडलीकरण को उदारीकरण से जोड़ा है। उसके अनुसार बाह्य उदारीकरण एक आर्थिक नीति के रूप में पिछले दो दशकों से चली आ रही भूमंडलीकरण की प्रक्रिया से करीब से जुड़ी हुई है। यह अन्तर्राष्ट्रीय एकीकरण की लगातार चली आ रही प्रक्रिया है जो कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, ज्ञान, सूचना एवं विचार के राष्ट्रीय सीमाओं के पार के अप्रत्याशित प्रवाह का प्रतिफल है। इसमें तकनीकी नवाचार, सूचना प्रौद्योगिकी क्रान्ति तथा पैदावार की विकसित प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी का बड़ा योगदान रहा है।

जोसेफ स्टगिलिटज़ ने अपनी पुस्तक **'मेंकिंग ग्लोब्लाइजेशन वर्क'** में लिखा है कि भूमंडलीकरण के अंतर्गत बहुत सी चीजों का समावेश है, जैसे कि विचारों एवं ज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह, संस्कृतियों का आदान प्रदान एव विश्व नगरीय समाज और विश्व पर्यावरण आंदोलन। परन्तु मुख्यतः भूमंडलीकरण का अर्थ आर्थिक भूमंडलीकरण से है जिसके अंतर्गत विश्व के राष्ट्रों के बीच पूँजी, माल एवं सेवा तथा श्रमिकों के बढ़ते हुए प्रवाह के द्वारा आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया को बल मिला है एवं उसमें निकटता आयी है।

दीपक नय्यर ने अपनी पुस्तक **'गवर्निंग ग्लोब्लाइजेशन: ईश्यूज़ एण्ड इन्स्टीट्यूशन्स'** में भूमंडलीकरण के आर्थिक आधार को महत्व देते हुए उसके सम्बन्ध राष्ट्र राज्यों के सीमा पार बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधियों तथा आर्थिक लेने देन से होने की बात की है। उसके अनुसार भूमंडलीकरण को एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका सम्बन्ध विश्व अर्थव्यवस्था में राज्यों के बीच बढ़ते हुए आर्थिक खुलापन, बढ़ती हुई आर्थिक अंतरनिरर्भता तथा गहराती हुई आर्थिक एकीकरण से है।

उपरोक्त परिभाषाओं के मूल्यांकन उपरान्त हम भूमंडलीकरण को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच तकनीक और प्रौद्योगिकी के विकास, आर्थिक एकीकरण तथा सूचना, विचारों एवं ज्ञान के प्रवाह के कारण एक ऐसी अंतरर्निभरता एवं पारस्परिकता का विकास हो रहा है जिसमें कि राष्ट्रों की सीमा तथा समय एवं स्थान के बंधन का कोई अर्थ नहीं रह गया।

11.3.1 भूमंडलीकरण के प्रमुख तत्व

अतः हम यह कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं:-

1. आर्थिक एकीकरण: 1990 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद पूरे विश्व में धीमें धीमें मुक्त बाजार आर्थिक व्यवस्था को अपनाना शुरू कर दिया जिसने कि राष्ट्रों के बीच में मुक्त व्यापार व्यवस्था को जन्म दिया है। साथ ही विदेशी पूँजी निवेश पर जो प्रतिबन्ध थे वो भी धीमें धीमें करके समाप्त कर दिये जा रहे हैं या कर दिये गये हैं। अतः पूरे विश्व में पाश्चात्य मुक्त उदारवादी बाजार अर्थ व्यवस्था को बोलचाला हो गया है जिसने कि फ्रांसिस क्यूकूयामा जैसे विद्वानों को यह कहने पर मजबूर किया कि इतिहास का अंत हो गया है (End of History)क्योंकि साम्यवादी राष्ट्रों के विघटन एवं उसके उपरान्त उनके द्वारा लोकतांत्रिक राजनैतिक एवं उदारवादी अर्थ व्यवस्था को अपनाने के बाद अब पूरे विश्व के सामने सिर्फ पाश्चात्य उदारवादी लोकतंत्र का विकल्प राजनैतिक एवं आर्थिक दोनों ही क्षेत्रों में रह गया है।
2. तकनीक एवं प्रौद्योगिकी का विकास: तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण एक ऐसी संचार व्यवस्था का निर्माण हुआ है जिससे कि पूरा विश्व एक वैश्विक गाँव (Global Village)बन गया है क्योंकि समय ओर स्थान पर आधारित सीमाओं का अब कोई मायने नहीं रह गया है।
3. सूचना, ज्ञान एवं विचारों का प्रवाह: प्रौद्योगिकी के क्षेंत्र में हुए विकास के कारण विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच सूचना, विचारों एवं ज्ञान का प्रवाह बहुत ही त्वरित गति से हो रहा है।
4. अंतरर्निभरता एवं पारस्परिकता: पूरे विश्व के आर्थिक एकीकरण एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए तेजी से विकास के कारण विश्व के विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर हैं तथा कोई भी घटना पूरे विश्व को प्रभावित करती है।
5. वैश्विक संस्कृति का विकास: पूरो विश्व में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के कारण एक ऐसी वैश्विक संस्कृति का विकास हो रहा है जिसके अंतर्गत हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के उत्पादों को हर जगह प्राप्त कर सकते हैं तथा उनके द्वारा निर्मित खाने पीने तथा पहनने ओढ़ने के वस्त्र एक समान पर पूरे विश्व में उपलब्ध हैं, साथ ही उनमें कामकाज करने वाले लोगों की जीवन शैली भी एक जैसी हो रही है। यह वैश्विक संस्कृति का विकास जो हो रहा है वह मुख्यतः पाश्चात्य संस्कृति ही है जिससे कि पाश्चात्य राष्ट्रों द्वारा सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को स्थापित करने का खतरा भी उत्पन्न हो गया है।

नगैर वुड्स ने जॉन बेलिस तथा स्टीव स्मिथ द्वारा संस्करित पुस्तक 'द ग्लोब्लाइजेशन आफ वर्ल्ड पोलिटिक्स' में अपने लेख 'इण्टरनेशनल पोलिटिकल इकानमी इन ऐन एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन' में भूमंडलीकरण के चार मुख्य तत्वों पर प्रकाश डाला है जो निम्नलिखित हैं:-

1.अंतर्राष्ट्रीयकरण (Internationalisation)का अभिप्राय राज्यों के बीच बढ़ते हुए व्यापार एवं पूँजी निवेश से है। अंतर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने में विभिन्न राज्यों के बीच व्यापार तथा पूँजी निवेश पर हुए समझौते तथा सरकारों की घरेलू नीतियाँ जिनके द्वारा निजी व्यवसायियों को विदेशों में निवेश करने की इजाज़त दी गयी काफी मददगार साबित हुइ।

2. प्रोद्योगिकी क्रान्ति (Technological Revolution)का सम्बन्ध जिस प्रकार से आधुनिक संचार व्यवस्था का विकास हुआ है उससे है जिसने स्थान एवं दूरी को न केवल सरकारों के लिये बल्कि निजी कम्पनियों के निर्णयों में तथा अन्य सामाजिक संगठनों की गतिविधियों को भी, कम महत्वपूर्ण बना दिया है।

3. भूमि की सीमाओं का व्यवहारिक रूप में अस्तित्व समाप्त होना ;(Deterritorialisation)इसका अभिप्राय प्रौद्योगिकी क्रान्ति द्वारा स्थान, दूरी एवं राष्ट्र की सीमा के प्रभाव को कम करने से है जिसने वैश्विक नगरीय समाज को जन्म दिया। परन्तु इसका नकारात्मक पहलू यह हो रहा है कि विश्व में अपराध्यिों और आतंकवादियों का नेटवर्क भी पनप रहा है।

4. उदारवाद - जिससे उनका अभिप्राय उन सरकारी नीतियों से है जिसकी वजह से राज्य की भूमिका अर्थव्यस्था में कम हुई है। इनमें व्यापार पर शुल्क और प्रतिबंध की समाप्ति, वित्तीय क्षेत्र को विदेशी पूँजी निवेशकों को खोलना तथा राज्य के उपक्रमों का निजीकरण शामिल है।

11.3.2 भूमंडलीकरण का समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव

उपरोक्त आधार पर स्टीव स्मिथ तथा जॉन बेलिस के अनुसार भूमंडलीकरण का समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव निम्नलिखित ढंग से देखा जा सकता है।

1.आर्थिक क्षेत्र - मुक्त बाजार व्यवस्था एवं पूजीवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विश्व स्तर पर उत्पादन एवं विपणन करना तथा विश्व के वित्तीय बाजारों द्वारा राष्ट्रों को मिलने वाले कर्ज की शर्तों का निर्धारण।

2.सैन्य क्षेत्र - इस क्षेत्र में विश्व अस्त्र शस्त्र व्यापार, जन विध्वंशकारी शस्त्रों (Weapons of mass destruction) का प्रसार, राष्ट्रोपरि आतंकवाद में वृद्धि , राष्ट्रोपरि सैन्य कम्पनियों का बढ़ता हुआ महत्व, और विश्व में व्याप्त असुरक्षा की चर्चा यह सब एक विश्व सैन्य व्यवस्था की स्थापना की ओर इशारा करते हैं।

3. विधि क्षेत्र: राष्ट्रोपरि एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि का व्यापार से लेकर मानव अधिकार के क्षेत्र में वृद्धि तथा नव विश्व विधि संगठनों, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय अपराधी कोर्ट की स्थापना यह एक उभरते हुए विश्व विधि व्यवस्था का सूचक है।

4. पर्यावरण क्षेत्र में साझा पर्यावरण समस्याएँ हैं, जो कि विश्व में बढ़ती हुई गर्मी (Global warming)से लेकर विशिष्ट जैविक प्रणालियों की सुरक्षा तक सम्मिलित हैं तथा जिसके निराकरण के लिये एक वैश्विक पर्यावरण शासन व्यवस्था चाहिये।

5.सांस्कृतिक क्षेत्र: जिसमें कि सजातीयता (homogeneity) तथा बढ़ती हुई विजातीयता (heterogeneity) का मिश्रण हो रहा है। जहाँ एक वैश्विक संस्कृति का विकास हो रहा है, वहीं कहीं कहीं पर राष्ट्रवाद, जातीयता (ethnicity) एवं भिन्नता भी प्रभावी हो रहा है।

6. सामाजिक क्षेत्र: में भूमंडलीकरण का प्रभाव लोगों का दक्षिण से उत्तर तथा पूरब से पश्चिम की ओर जाने से प्रवास का एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है।

11.3.3 भूमंडलीकरण को बढ़ाने के मुख्य कारक

विश्व में भूमंडलीकरण के प्रभाव को बढ़ाने में जो प्रमुख कारक हैं वो निम्नलिखित हैं :-

1.जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वह है विश्व की सरकारों का भूमंडलीकरण की तरफ एक सकारात्मक रवैया।

2. उतना ही महत्वपूर्ण कारक है वो संस्थायें जो कि आर्थिक भूमंडलीकरण की ही देन हैं। उनमें से एक है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थायें जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक एवं विश्व व्यापार संगठन। दूसरी प्रकार

की संस्थायें जिन्होंने भूमंडलीकरण को बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभायी है वो हैं - बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ जिनका कि पूँजी निवेश, व्यापार एवं रोजगार पर बड़ा प्रभाव है।

3. तीसरा कारक जो महत्वपूर्ण है वह है प्राद्योगिकी का विकास, खास तौर पर परिवहन एवं संचार प्रौद्योगिकी।

11.3.4 भूमंडलीकरण के विपरीत प्रभाव

भूमंडलीकरण के समर्थकों द्वारा यह हमेंशा उद्घोषणा की जाती रही है कि भूमंडलीकरण वो प्रक्रिया है जो सभी नावों को उठाने का काम करती है। पर अगर हम तथ्यों का मूल्यांकन करें तो हम पायेंगे कि ऐसा नहीं है क्योंकि भूमंडलीकरण ने अमीर राष्ट्रों को ही मुख्यतः लाभ पहुँचाया है। यह तथ्य हम निम्नलिखित आधार पर कह सकते हैं:-

1.वैश्विक सम्पदा का ध्रुवीकरण: औद्योगिक क्रान्ति की शुरूआत के उपरान्त विश्व के सबसे अमीर और सबसे गरीब राष्ट्रों के बीच की खाई और बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुमानों के अनुसार सन् 1820 में विश्व के अमीर और गरीब देशों की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय का अंतर 3: 1 के अनुपात में था जो कि 1913 में 11: 1 के अनुपात में हो गया, जो 1950 में बढ़कर 35: 1 के अनुपात में हो गया और जो 1992 में बढ़कर 72: 1 के अनुपात में हो गया। इसका यह मतलब नहीं कि 250 - 300 वर्ष पहले सब अमीर थे परन्तु इन वर्षों में कुछ गिने चुने ही और अमरी हुए हैं बल्कि बाकी सब पीछे छूट गये हैं।

2.अमीर देशों तक प्रभाव: पिछले 2-3 शताब्दियों में भूमंडलीकरण से विश्व में उत्पादन का केन्द्रीकरण विश्व के अमीर राष्ट्रों में हुआ है जिससे उनकी वित्तीय शक्ति में वृद्धि हुई है। आज अधिकतर औद्योगिक उत्पादन पश्चिम यूरोप, पूर्व एशिया तथा उत्तर अमेरिका में होता है। विश्व में व्यापार और पूंजी का प्रवाह भी इन्हीं राष्ट्रों तक केन्द्रित है। इस केन्द्रीकरण ने विश्व की अन्य आबादी की गरीबी और बढ़ाया है। गरीब राष्ट्रों की विश्व की अर्थ व्यवस्था में भूमिका घटी ही है। सिर्फ छः देश - ब्राजील, मेंक्सिको, थाईलैंड, अर्जेन्टीना, इन्डोनेशिया और चीन विश्व के गरीब देशों में होने वाले कुल 32 प्रतिशत पूँजी निवेश का 60 प्रतिशत प्राप्त करते हैं। अतः भूमंडलीकरण ने विश्व वाणिज्य के कुछ गिने चुने केन्द्रों को विकसित किया है जिससे अधिकतर गरीब बाहर हैं।

3.तीसरे विश्व की कर्ज की समस्या: आर्थिक क्षेत्र में भूमंडलीकरण को तीसरे विश्व में थोपने का प्रमुख कारण है इन राष्ट्रों की कर्ज की समस्या। गरीब देश विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वे उनके द्वारा सुझाये गये ढाँचागत सुधारों को अपनायें जो कि उन्हें अपनी अर्थ व्यवस्था को विश्व की मुक्त बाजार व्यवस्था के साथ जोड़ने के लिये मजबूर करते हैं। विश्व के लगभग 40 प्रतिशत देश विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निर्धारित आर्थिक सुधारों को अपनाये हुए हैं। इसका अर्थ यह है विश्व की आधी अर्थव्यवस्थाओं के असली प्रबंधक विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हैं। आज के परिवेश में वर्ल्ड वाच इन्स्टीट्यूट की 2002-03 की रिपोर्ट के अनुसार तीसरे विश्व का कर्ज 2,530 बिलियन डालर है जो कि सन् 1980 का ढाई गुना है। कर्ज का सबसे अधिक बोझ अफ्रीका के उप सहारा क्षेत्र के देशों पर है।

4.विश्व व्यापार: गरीब देश न केवल कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भी इनका प्रदर्शन बहुत खराब है। न केवल विश्व व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा अमीर देशों के खाते में आता है बल्कि उसका संतुलन भी उन्हीं के पक्ष में हैं। गरीब देशों का व्यापार घाटा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जबकि अमीर देशों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ बढ़ रहा है। विश्व व्यापार धीमें धीमें तीन बड़े व्यापार समूहों, उत्तर अमेरिका, पूर्व एशिया तथा

पश्चिमी यूरोप के इर्द गिर्द केन्द्रित है। इक्कीसवीं सदी की शुरूआत में विश्व के गरीब देशों के मन में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था से होने वाले लाभों के प्रति संशय की भावना उत्पन्न हो गयी है।

5.सहायता: गरीब देशों की गरीबी को देखते हुए लोगों को यह उम्मीद थी कि विदेशी सहायता उन्हें गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। परन्तु विदेशी सहायता भूमंडलीकरण की कमियों को दूर करने में मददगार नहीं साबित हो पायी है। अधिकतर आर्थिक सहायता देने के पीछे अमीर देशों का अपना छुपा हुआ राजनीतिक हित होता है। 1970 के दशक से आर्थिक सहायता के साथ बहुत सी शर्तें भी जुड़ी रहती हैं।

उपरोक्त कारणों की वजह से हर्स्ट एवं थॉम्पसन ने यह तर्क दिया है कि आज की अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कुछ विषयों के सम्बन्ध में सन 1870 से 1914 के बीच की अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से कम मुक्त है। साथ ही, उनके अनुसार वित्त और पूँजी विकसित से विकासशील देश में हस्तांतरित नहीं हो रही है। अतः यह कहा जा सकता है कि विश्व अर्थ व्यवस्था वैश्विक नहीं है बल्कि व्यापार, पूँजी निवेश एवं वित्तीय प्रवाह यूरोप, उत्तर अमेरिका एवं जापान तक सीमित रह गया है। उनके अनुसार भूमंडलीकरण का एक प्रभाव यह भी है कि वह प्रतीत होने देता है कि राष्ट्रीय सरकारें उसके आगे लाचार हैं जिससे कि वे वैश्विक आर्थिक शक्तियों पर किसी प्रकार का नियंत्रण न स्थापित करें।

यह भी कहा जाता है कि वैश्वीकीरण पाश्चात्य साम्राज्यवाद का तात्कालिक एवं आधुनिक चरण है क्योंकि वह जिस तरह की वैश्विक संस्कृति को जनम दे रहा है वह पाश्चात्य संस्कृति का ही पूरे विश्व में प्रसार कर रही है। साथ ही आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण एवं मुक्त बाजार व्यवस्था के द्वारा विश्व की अर्थव्यवस्था का एकीकरण तथा राजनीतिक क्षेत्र में लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता के नाम पर पश्चिमी देश अपना साम्राज्यवाद या वर्चस्व पूरे विश्व, खास तौर पर गरीब एवं विकासशील देशों पर कायम रखना चाहते हैं।

अभ्यास प्रश्न

1 कोलंबसने अमेरिका की यात्रा किस सन में की ?

2 'द थ्री वेव्स आफ ग्लोबलाइजेशन' के लेखक कौन हैं ?

3 रोबी रॉबर्टसन ने आर्थिक भूमंडलीकरण के कितने चरणों की व्याख्या की ?

4 पुस्तक 'कंटेम्पोरेरी ईश्यूज इन ग्लोबलाइजेशन' के लेखक कौन हैं ?

5 भूमंडलीकरण को उदारीकरण से किसने जोड़ा है ?

11.4 सारांश

अंत में हम यह कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण वह शक्ति नहीं जिससे पूरे विश्व का भला हो रहा हो जैसा कि पाश्चात्य पूँजीपति राष्ट्रों का दावा है। अतः इसका विस्तार एवं प्रसार का प्रबंधन बहुत ध्यानपूर्वक एवं सोच समझकर होना चाहिए क्योंकि यह लोगों की सशक्तीकरण करने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए न कि फिर से एक तरह की गुलामी में ठेलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। वैसे तो 9।11।2001 की घटनाओं के उपरान्त बहुत से विद्वानों का मानना है कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को एक करारा झटका लगा है क्योंकि राष्ट्रों की सुरक्षा अभी भी राष्ट्र-राज्य व्यवस्था पर ही आधारित हैं और भूमंडलीकरण की प्रक्रिया विश्व में सुरक्षा के क्षेत्र में बिलकुल विफल रही है। बल्कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का लाभ उठाकर आतंकवादी तथा अन्य विध्वंसकारी संगठन विश्व में अशांति एवं असुरक्षा का माहौल पैदा कर रहे हैं।

अतः हम यह कह सकते हैं कि विश्व के राष्ट्रों का एक दूसरे से जुड़ाव एवं अंतरनिर्भता राष्ट्रों के पारस्परिक लाभ में तो है बशर्ते कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीयवाद तथा सर्व मैत्री की भावना से लागू की जाय न कि विश्व

में लोकतंत्र, स्वतंत्रता तथा आर्थिक विकास के नाम पर पाश्चात्य साम्राज्यवाद को पुनः स्थापित करने की भावना से की जाय।

11.5 शब्दावली

लोकतंत्र – जनता द्वारा निर्वाचित सरकार ,जो जनता के प्रति उत्तरदाई होती है |

भूमंडलीकरण - यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के बीच में अन्योन्याश्रता तथा पारस्परिकता की बढ़ोतरी हुई है जिसके कारण किसी जगह की स्थानीय घटनायें हजारों मील दूर घटित घटनाओं के द्वारा निर्धारित हो रही हैं।

11.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. सन् 1492 , 2. रोबी रॉबर्टसन , 3. तीन चरणों की , 4. सौम्येन सिकदर , 5. सौम्येन सिकदर

11.7 सन्दर्भ ग्रन्थ

1. Palmer and Perkins : International Relations
2. Coloumbis & Wolfe : International Relations – Power and Justice।
3. Prakash Chandra : International Policies
4. Mahendra Kumar : Theoretical Aspects of International Relations।

11.8 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1.कुमार, महेन्द्र (2013), अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धान्तिक परिपेक्ष्य, शिवलाल अग्रवाल पब्लिकेशनस एण्ड कॉरपोरेशन।

2.फाड़िया, बी।एल। (2008) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।

3.खन्ना, बी।एन। (2003) अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, विकास पब्लिशिंग हाऊस प्रा।लि

11.9 निबंधात्मक प्रश्न

1. भूमंडलीकरण के अर्थ और उसके महत्वपूर्ण तत्वों की विवेचना कीजिये |

इकाई-12 नव-अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था

इकाई की रूपरेखा

12.1 प्रस्तावना

12.2 उद्देश्य

12.3 ब्रेटनवुड सम्मेलन का आर्थिक व्यवस्था में प्रभाव

12.4 नव अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अर्थ एंव मुख्य सिद्धान्त

12.5 नव अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मुख्य उद्देश्य

12.5.1 विकासशील देशों से गरीबी का उन्मूलन

12.5.2 विकासशील देशों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भूमिका

12.5.3 विकसित देशों से विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण

12.5.4 विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग

12.5.5 विश्व मौद्रिक संस्थाओं में सुधार

12.6 नव अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की एतिहासिक पृष्ठभूमि

12.7 अभ्यास प्रश्न

12.8 सारांश

12.9 शब्दावली

12.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

12.11 संदर्भ ग्रंथ सूची

12.12 निबंधात्मक प्रश्न

12.1 प्रस्तावना-

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नया आयाम तब आरंभ हुआ, जब अमेरिका ने यूरोप की आर्थिक स्थिति और पश्चिमी यूरोप की सहायता के लिये 1948 में मार्शल योजना के तहत् युद्ध में तहस-नहस और ध्वस्त हुए यूरोपीय देशों के पुनर्निमाण के लिये सहायता कार्यक्रम प्रारंभ किये, यह योजना 1952 तक जारी रही। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई देश ऐसे थे जो अपने पैरों में खड़े होने में असमर्थ थे, उन्हे आत्म-निर्भर और स्वालंबी होने में बड़े पैमाने में विदेशी पूंजीऔर प्रौद्यौगिकी की आवश्यकता थी। 1960 के दशक में यह बात यह बात भलि-भॉति स्पष्ट हो चुकी थी कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में विषममा निरंतर बढ़ती जा रही है। अगले दशक में विश्व आर्थिक विषमताओं की खाई को कम करने के लिये प्रयास किये गये और नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को इस हेतु एक नया विकल्प के रूप में देखा गया। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था उन प्रस्तावो का समूह था जिन्हे 1970 के दशक में विकासशील देशों ने व्यापार की शर्तों में सुधार, विकास सहायता में वृद्धि विकसित देशों की प्रशुल्क दरों में कमी और अन्य माध्यमों द्वारा अपने हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था। 1973 में नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को पहली बार अल्जियर्स के गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में आवाज उठाई गयी। अधिकतर नवोदित राष्ट्रो को अपने आर्थिक विकास के लिये विकसित देशों की ओर देखना उनकी प्रमुखता बन गया। विकसित देशों ने आर्थिक सहायता के नाम पर इन विकासशील देशों के ऊपर इतने प्रतिबंध लगाने प्रारंभ कर दिये और तब यह तक कहा जाने लगा कि आर्थिक सहायता लेने वाले विकासशील देश नये-साम्राज्यवाद के एक नये दौर में आ गये है। जिसे आर्थिक साम्राज्यवाद या नव-उपनिवेशवाद कहा जाने लगा जो विकसित और विकासशील देशों के मध्य वैश्विक आर्थिक असमानता, व्यापारिक असमानता, विकास के असमान स्तर, उर्जा के उपयोगों में असमानता तथा प्रौद्योगिकी की असमान उपलब्धि पर स्पष्ट रूप से दिखायी देने लगा था। विकसित देशों ने विश्व की आर्थिक असमानता को जन्म दिया, और संसाधनों का दुरूपयोग करके एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका में उपनिवेश स्थापित किये और ये विकसित देश देश स्वयं औपनिवेशिक देश बन बैठे। इसका एक और बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि विकासशील देशों और विकसित देशों के बीच आर्थिक सम्बन्धों में गहरी खाई उत्पन्न हो गयी। जिसने अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को अधिक शोषणपूर्ण और भेदभावपूर्ण बना दिया और विकासशील देशों को इसके विरूद्ध आवाज उठाना प्रारंभ कर दिया। इस खाई को खत्म करने के लिये विकासशील देशों में एकता और एकीकरण के प्रयास करते हुए नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मॉग की। 1974 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के छठवें अधिवेशन में नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक (NIEO)की स्थापना के लिये औपचारिक प्रस्ताव पास किया गया।

12.2 उद्देश्य-

जिस तरह अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राजनीति अव्यवस्थाओं में नियंत्रण स्थापित करने के लिये वैश्विक स्तर पर शांति को बनाये रखने के लिये अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक जीवन को सुचारू तरीके से संचालित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठनों को महत्वपूर्ण समझा जाता है। इस इकाई में हम इस नव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर चर्चा करते हुए निम्न पहलूओं को समझने का प्रयास करेंगे।

इस इकाई में हम नव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है इसकी कैसे परिभाषित किया जा सकता है, अर्थ और उन सभी पहलूओं का अध्ययन करेंगे जिनसे हमें इसकी प्रक्रिया को समझने में सरलता होगी।

इस इकाई के द्वारा हम ये भी समझेंगे कि नव अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक व्यापार संबंधों को क्या दिशा मिल पायी।

विश्व के विकासशील देशों पर इसका क्या प्रभाव हुआ, और उनकी आर्थिक स्थति में क्या बदलावा आया इस पर भी इस इकाई में विस्तृत चर्चा की जायेगी। विकासशील देशों में नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मॉग तथा उसके लागू होने की स्थिति पर भी विस्तृत अध्ययन किया जायेगा।

नव आर्थिक व्यवस्था क्या है तथा किन सिद्धान्तों पर यह व्यवस्था आधारित है, किन अवधारणों और मुद्दों के आधार पर इस व्यवस्था को अपनाया गया है इस पर भी इस इकाई में चर्चा की जायेगी।

12.3 ब्रेटनवुड सम्मेलन का आर्थिक व्यवस्था में प्रभाव

विश्व का कोई भी देश अब 1930 की भीषण आर्थिक मंदी को फिर से दोहराना नहीं चाहता था। इसीलिये अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक(**International Bank for Reconstruction and Development- IBRD**) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (**International Monetary Fund-IMF**) की स्थापना 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटनवुड सम्मेलन (**Bretton Woods Conference**) में की गयी। इस सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन(**United Nation Monetary and Financial Conference**) के रूप में जाना जाता है। 1944 में जुलाई महिने की 1 से 22 दिनांक तक चली निरंतर चर्चाओं में 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का तात्कालिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध और विश्व व्यापी संकट से जूझ रहे देशों की मदद करना था। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डी।सी। में है। ब्रेटेनवुड सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य था कि यूरोपीय देशों को भयंकर मुद्रस्फीति से उभार कर उनकी आर्थिक सम्पन्नता के लिये प्रयास करना। यह आर्थिक संकट पराजित देशों जर्मनी और इटली में ही नहीं बल्कि विजेता मित्र राष्ट्र के देशों फ्रांस व ब्रिटेन में भी देखने को मिली। मित्र राष्टों[a] और धूरी के राष्ट्रों में व्याप्त आर्थिक संकट के कारण विश्व राजनैतिक व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ना स्वभाविक था। जिसका एक कारण यह भी था कि यूरोप का एक बड़ा हिस्सा सोवियत सेना के अधीन था। अमेरिका इस बात से चिन्तित था कि यूरोप में बड़े पैमाने पर कई देशों में महंगाई, तंगी, बेरोजगारी और आर्थिक विषमता का संकट के कई देशों में व्याप्त था जिसका फायदा उठा कर सोवियत संघ साम्यवादी विचारधार का प्रचार कर रहा है। कई देशों में साम्यवादी प्रभाव दिखायी भी देने लगा है, इसलिये 1944 में आर्थिक संकट पर नियंत्रण करने के लिये नये आर्थिक संगठनों की बात सोची जाने लगी। आर्थिक संकट से विश्व को बचाने के लिये और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को स्थिर रखने के लिये स्वर्ण मानक **(Golden Standred)** को अपनाया गया। स्वर्ण मानक एक चौथाई सदी (1944-1971) तक प्रमाणिक बना रहा। ब्रेटनवुड सम्मेलन में वित्तीय व्यवस्थाओं में चर्चा की गयी इसमें यह बात तय की गयी कि एक अमेंरिकी डालर का मूल्य 1/35 आउंस सोने के बराबर समझा जायेगा। इस सम्मेलन ने मुद्रा विनिमय के एक अंतर्राष्ट्रीय पैमाने को जन्म दिया अर्थात अमेंरिकी डालर के मुकाबले अन्य देशों की मुद्रा का विनिमय की व्यवस्था की गयी। इस सम्मेलन से स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर के मुकाबले अन्य मुद्राओं के विनिमय दर को समायोजित करने तथा व्यापार घाटे से जूझ रहे राष्ट्रों को उधार देने के उद्देश्य से किया गया था, जबकि विश्व बैंक का उद्देश्य अल्प-विकसित राष्ट्रों को विकास के लिये ऋण उपलब्ध कराना था। हालांकि समय के साथ-साथ दोंनो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की भूमिका में भी परिवर्तन आया है। ब्रेटनवुड व्यवस्था 1971 में समाप्त हो गयी जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने डॉलर एवं सोने के आबंध(**Link**) को गंभीरता से लिया। 1971

में ही अमेरिका ने अचानक बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से एकतरफा फैसले से स्वर्ण मानक को त्याग दिया। निक्सन के इस फैसले से ब्रेटनवुड व्यवस्था बुरी तरह से तहस-नहस हो गयी और कुछ समय तक यह लगता रहा कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन अब पहले की तरह काम नहीं कर सकेंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और स्वर्णमानक का स्थान अमेरिका द्वारा सुझाये स्पेशल ड्रॉईंग राइट्स(**SDR**) ने ले लिया। स्वर्ण मानक को जिस कागजी सोने से विस्थापित किया उसी योजना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने रखी। यह स्पष्ट है कि इसकी प्रेरणा और पहल अमेरिका द्वारा ही की गयी थी। स्पेशल ड्रॉईंग राइट्स(**SDR**) वाली व्यवस्था के अंतर्गत सदस्य राष्ट्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने खाते में अपने आकार, आर्थिक सामर्थ्य और क्षमता के आधार पर एक तय राशि जमा करायेंगे। आवश्कता होने पर इसी जमा खाते से वह उस मुद्रा को निकाल कर खर्च कर सकते हैं। यह तय था कि स्वर्ण मानक को छोड़ने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में सबसे ताकतवर मुद्रा आज भी अमेंरिकी डॉलर ही माना जाता है।

1973 तक विश्व की लगभग छोटी-बड़ी अर्थव्यस्थाओं ने अपनी मुद्रा को डॉलर के मुकाबले स्वतंत्र कर दिया। यह एक कठिन संक्रमण था, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के बढ़ते दाम, बैंक की असफलता तथा मुद्रास्फीति के रूप में देखा जाता है। ब्रेटनवुड व्यवस्था के अंग के रूप में स्थापित विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विभिन्न विश्व की मुद्रा और वित्तीय व्यवस्था के संचालन के लिये उत्तरदायी है लेकिन इसकी स्थापना के पीछे अमेरिका का अपना निहित स्वार्थ भी था, और वह यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त पूरे विश्व में विचारधारात्मक आधार पर जो ध्रुवीकरण चल रहे थे, उसको सीमित करना विशेष रूप से साम्यवादी विचारधारा के उपर पूँजीवाद की वरियता को स्थापित करना और ऐसा तभी सम्भव था, जबकि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जिसमें अमेरिका का प्रभुत्व हो, के माध्यम से विकासशील अथवा अल्प-विकसित राष्ट्रो को ऋण उपलब्ध करा कर अपने पक्ष में रखा जाये और अमेरिका बहुत हद तक अपने उद्देश्य में सफल भी रहा।

12.4 नव अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का अर्थ एवं मुख्य सिद्धान्त

नव अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य वर्तमान भेद-भावपूर्ण आर्थिक सम्बन्धों का निर्धारण नये सिरे से करना है। नव अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समर्थक देशों का मानना है कि विकसित और विकासशील देशों में गहरी आर्थिक असमानता है। वर्तमान व्यवस्था धनी या विकसित देशों के हितों की ही पोषक है। नव अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उद्देश्य वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करके इसे न्यायपूर्ण व समान बनाना है, ताकि यह विकासशील देशों के भी हितों की पोषक बन जाये । इसका प्रमुख ध्येय नव-उपनिवेशवाद को समाप्त करके अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं को अधिक तर्कसंगत बनाना है। ताकि थोड़े से विकसित देशों द्वारा बड़ी संख्या वाले विकासशील देशों के आर्थिक शोषण को रोका जा सके। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वप्रथम 1974 में एक नई आर्थिक अर्थव्यवस्था की स्थापना कर घोषणा तथा कार्यक्रम(**The Declaration and the Programme of Action on the Establishment of a New Intrernational Economic Order**) को अपनाया जो यह था कि सभी राज्यों के बीच उनकी आर्थिक और समाजिक प्रणालियों के विचार किये बिना साम्यता, प्रभुसत्ता की समानता, परस्पर निर्भरता, समान्य रूची और सहयोग पर आधारित एक नव अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिये शीघ्रता से कार्य करना, जो असमानताओं को ठीक करेगा तथा वर्तमान अन्यायों का निवारण करेगा, विकसित तथा विकासशील देशों के बीच विस्तृत हो रहे अन्तरों को समाप्त करना सम्भव करेगा और वर्तमान तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिये शांति तथा न्याय और आर्थिक एवं सामाजिक विकास को शीघ्रता के साथ करना सुनिश्चित करेगा।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि नव अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वर्तमान भेदभावपूर्ण व आर्थिक असमनाता पर आधारित अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से तृतीय विश्व के देशों द्वारा उठाई गयी मॉग है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध न्यायपूर्ण व अधिक तर्क संगत बने और नव-उपनिवेशवाद के सभी साधन इस तरह से संचालित हों कि विकासशील देश भी विकसित देशों की तरह आर्थिक विकास के मार्ग पर चल सकें दिसम्बर 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने राज्यों के आर्थिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का चार्टर अपनाया जिसमें यह बल दिया गया कि साम्यता, प्रभुसत्ता की समानता तथा विकसित तथा विकासशील देशों की परस्पर निर्भर रूचियों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की एक नई प्रणाली की स्थापना की ओर यह चार्टर एक प्रभावी औजार होगा। इन दोंनो दस्तावेजों की मुख्य मांगे व्यापार, आर्थिक सहायता, आधुनिक तकनीकी का हस्तांतरण और बहु-उद्देश्यीय निगमों की गतिविधियों के नियमन के क्षेत्रों से सम्बन्धित थीं। व्यापार के क्षेत्र में जो मॉग रखी गयी थी, उसका मुख्य जोर असंगत कोटा प्रतिबंधों और विकासशील देशों के निर्यातों पर लगी उच्च शुल्क दरों को हटाने और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रणाली रोके जाने पर था। नव अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मॉग इस बात पर मुख्य रूप से आधारित है कि अमीर और गरीब देश अलग-अलग रह कर लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकते। एक खुशहाल विश्व के निर्माण के लिये यह आवश्यक है कि विश्व के विभिन्न देशों की पारस्परिक आर्थिक क्रियांए न्याय, समानता, औचित्य और शोषण रहित समाज पर आधिारित हो। साधारण शब्दों में नव अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वर्तमान अर्थ व्यवस्था को समाप्त करके नये सिरे से स्थापित करने का मार्ग है, ताकि विकसित देशों द्वारा अविकसित देशों का औपनिवेशिक शोषण रूक जाये और विश्व की आय तथा साधनों का न्यायपूर्ण और समान बटवारा हो और उत्तर-दक्षिण का अन्तर समाप्त हो जाये।

नव अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मुख्य सिद्धान्त- जो अब तक व्याप्त अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था थी, उस अर्थव्यवस्था पर पक्षपातपूर्ण माना जाता रहा इसलिये नव अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना निम्न उद्देश्यों को लेकर की गयी-

1. सभी राज्यों की सम्प्रभुता को समानता, उनके आंतरिक मामलों में गैर-हस्तक्षेप के साथ, विश्व समस्या को हल करने में उनकी प्रभावी सहभागिता हो सके इसके लिये उन राज्यों का सहयोग करना। ऐसे विकासशीनल देश जिन्हें तृतीय विश्व के देश भी कहा गया , जो आर्थिक और सामाजिक रूप से अक्षम हैं उन देशों(राज्यों) को अर्थिक और सामाजिक सहयोग प्रदान करना।
2. विश्व मुद्रा प्रणाली को सामान्यीकरण कर विकसित और विकासशील देशों के बीच विद्यमान तकनीकी भेद को न्यून कर विकसित देशो द्वारा विकासशील राष्ट्रों के वित्तीय बोझ को कम करना।
3. विकासशील देशो द्वारा निर्यात किये जाने वाले कच्चे माल और अन्य सामानों की कीमत और विकसित देशों के द्वारा निर्यात किये गये कच्चे माल और अन्य सामानों के कीमतों के बीच न्यायसंगत सम्बन्धों को स्थापित करना ।
4. बहुराष्ट्रीय निगमों तथा अन्य आर्थिक संस्थाओं को तर्कसंगत बनाना तथा विकासशील देशों को विकसित देशों के साथ व्यापार की वरियता देने के साथ-साथ विकासशील देशों के द्वारा उत्पादित औद्योगिक माल के निर्यात को प्रोत्साहन देना।
5. विकासशील देशो में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिये द्विपक्षीय व बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय सहायता को मजबूत करना तथा पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का प्रावधान और उपयुक्त तकनीकी और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के समान अवसर प्रदान करना।

मुख्य रूप से यह सभी सिद्धान्त नव अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिये आवश्यक थे। यह एक तरह से विकासशील देशों द्वारा नव अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना करने हेतु सुझाये गये प्रमुख सिद्धान्त थे। इन्ही सिद्धान्तो को आधार मान कर नव अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का ढॉचा तैयार किया गया।

12.5 नव अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मुख्य उद्देश्य –

नव अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को अनेक उद्देश्यों के साथ स्थापित किया गया। इसमें उन सभी पहलुओं को चर्चा कर शामिल किया गया जो विकसित और विकासशील देशों के बीच व्याप्त पक्षपातपूर्ण मुद्दो जैसे आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक और अन्य को या तो समाप्त करने का प्रयास करेंगे या उनको न्यूनतम करने का प्रयास करेंगे। नव अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों को निम्न रूप से देखा जा सकता है-

12.5.1.विकासशील देशों से गरीबी का उन्मूलन-

बहुत से विकासशील देशों से भुखमरी, कुपोषण, बिमारी, गरीबी, अशिक्षा, आवास की समस्या को दूर करना इसका प्रमुख उद्देश्यो में से एक था। इन देशों को इन समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिये आवश्यक था कि खाद्य उत्पादन बढ़ाया जाये तथा ग्रामीण विकास में तेजी लायी जाये पर यह तभी सम्भव था जब विकसित देश और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसमें सहयोग करें।

12.5.2. विकासशील देशों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भूमिका-

नव अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिये विकासशील देशों के विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भूमिका को बढ़ाना तथा टैरिफ और गैर-टैरिफ रूकावटों में कमी करना, प्रतिबंधात्मक व्यापारिक क्रियाओं को समाप्त करना, विकसित देशों के बाजारों में विकासशील देशों की वस्तुओं का अधिक प्रवेश सुनिश्चित करना जिससे विकासशील देशों को अधिक कीमतें प्राप्त हो सकें। साथ ही विकासशील देशो में उत्पादित और तैयार माल तथा वस्तुओं के लिये समन्वित कार्यक्रम जिसमें एक साझा कोष की स्थापना भी सम्मिलित है, इनके कार्यान्वयन के लिये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन(अंकटाड) की स्थापना की।

12.5.3.विकसित देशों से विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण-

नव अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक उद्देश्य यह भी था कि विकसित और विकासशील देशों के बीच व्याप्त प्रौद्योगिकी के अन्तर को कम कर विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी सम्पन्न बनाने का प्रयास करना। इसके साथ-साथ विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को दी जाने वाली प्रौद्योगिकी के अनुरूप इन देशों को शिक्षित करना भी आवश्यक था। नव अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के द्वारा विकासशील देशों को अनुसंधान और नव-परिवर्तन में अपनी क्षमताओं का निर्माण करने के लिये सक्षम बनाना प्रमुख ध्येय था ताकि विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भता समाप्त हो सके। 1976 में नैरोबी में चौथे अंकटाड सम्मेलन में इस हेतु बल दिया गया।

12.5.4.विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग-

नव अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग तथा मुख्य क्षेत्रों के समन्वित विकास पर बल देती है। आर्थिक सहयोग से व्यापार प्रतिबंध हटने के कारण बाजारों का विस्तार होता है। परन्तु मुख्य क्रियाओं और क्षेत्रों के पूरक विकास के लिये देशों द्वारा संयुक्त प्रयत्नों से अधिक लाभ होता है। व्यापार बढ़ाने के

अलावा अंकटाड ने विकासशील देशों में डिजाइन और अभियंत्रीकी तथा अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में अनेक सहयोगी उपाय शुरू करने तथा उन्हें सुदृढ़ करने की सिफारिश की है।

12.5.5.विश्व मौद्रिक संस्थाओं में सुधार-

विकासशील देश भुगतान संतुलन घाटों तथा ऋण भार से ग्रस्त हैं। इसका मुख्य कारण विश्व मौद्रिक संस्थाओं जैसे- विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नीतियॉ हैं जो ऐसे देशों को पर्याप्त वित्तीय सुविधाएं प्रदान नहीं करती हैं। ये दोंनो सस्थांए कठोर शर्तों पर ऊँची व्याज दरों पर विकासशील देशों को ऋण प्रदान करती हैं तथा ये विकासशील देशों के साथ भेदभाव की नीति अपनाती है। इनकी ऋण संबंधी नीतियॉ भी ऐसे देशों को अधिक सहायता देने में बाधक है, इसके लिये आवश्यक है कि विकासशील देशो को कम व्याज पर अधिक धनराशि उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

12.6 नव अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की एतिहासिक पृष्ठभूमि

नव अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सूत्रपात संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास के द्वारा हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ इस बात के लिये प्रयासरत था कि विश्व में आर्थिक समानता को कैसे लाया जा सकता है। विकसित और विकासशील देशो के बीच बड़े पैमाने पर विषमताएं व्याप्त थी। इन प्रयासो में सबसे महत्वपूर्ण था 1964 का पहला अंकटाड(**United Nation Conference on Trade and Development : UNCTED**) आयोजित किया गया। इसकी पहली बैठक जिनेवा में हुई। जिसमें यह बात स्वीकार की गयी कि अतंर्राष्ट्रीय व्यापार में लगाये जाने वाले शुल्क आदि विकासशील देशों के हितों में ध्यान रखते हुए लगाये जाने चाहिए। जिसका प्रमुख उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में इस समस्या का समाधान ढूढना था। इस प्रयास के कारण ही ग्रुप आफ 77 (**G-77**) जैसे अनौपचारिक संगठन अस्तित्व में आये, जिन्होने राजनयिक परामर्श में आर्थिक पक्ष को निरन्तर चर्चा का केन्द्र बनाये रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। अंकटाड की बैठकों के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में भी नव अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर निरंतर विचार किया गया। लेकिन नव अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की सर्वप्रथम मॉग 1964 में आयोजित गुटनिरपेक्ष देशों के काहिरा सम्मेलन में उठाई गयी।

1967 में अल्जिर्यस में आयोजित गुट-निरपेक्ष राज्यों के शिखर सम्मेलन में तीसरी दुनिया के दक्षिणी देशों में उत्तर के विरोध में एक कड़ा प्रस्ताव पारित किया। जिसने समुचित आर्थिक सहायता न देने के लिये, और शुल्कों तथा करों को न बदलने के लिये उत्तर के देशों की निंदा की गयी थी। अब तक के दक्षिण के देशों को यह लगने लगा था कि विदेशी दाता की उदारता और सदभावना पर वह निर्भर नहीं रह सकती। अपने अधिकार की लड़ाई उन्हें स्वयं ही लड़नी होगी। अंकटाड का तीसरा सम्मेलन 1972 में सांटियागो में आयोजित हुआ, जहॉ एक बार फिर दक्षिण के देशों ने अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में व्याप्त उभयपक्षीय और बहुपक्षीय सहायता कार्यक्रम के दोषों को उजागर किया। यहॉ भी वाक्युद्ध के अलावा और कुछ नहीं हो सका। 1976 में अंकटाड का चौथा सम्मेलन नेरौबी में आयोजित हुआ, इसी वर्ष कोलम्बों में गुट-निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन भी सम्पन्न हुआ। इस समय तक गुट-निरपेक्ष का सबसे बड़ा सरोकार अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार बन चुका था। तेल संकट में ताकतवर अमीर देशों को यह सोचने के लिये मजबूर किया कि जिस तरह की रणनीति तेल को लेकर अरबों ने अपनायी है वैसी ही रणनीति अन्य प्राकृतिक संसाधनों को अपनाने वाले दक्षिण के अन्य देश कर सकते हैं। अपने हितो की रक्षा के लिये टकराव की अपेक्षा संवाद का रास्ता अपनाना ही उन्होंने उचित समझा। यही वजह थी कि 1970 के मध्य के दशक से नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर केन्द्रित राजनय ने जोर पकड़ा। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने 1974 में

अपने एक विशेष अधिवेशन में नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कार्यरत होने का संकल्प लिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में फैली विषमताओं को दूर करने का प्रयत्न किया जाना था।

1975 में दक्षिणी देशों का सम्मेलन डकार में हुआ, और यहॉ सुझाये गये प्रस्ताव अगले वर्ष लीमा में अनुमोदित हो गये। जहॉ संयुक्त राष्ट्र के औद्योगिक विकास संगठन का दूसरा अधिवेशन हुआ था। दिसम्बर 1975 में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहकार नामक सम्मेलन पेरिस में बुलवाया गया । इस सम्मेलन में 19 विकासशील देशों, ओपेक देशों और अमेरिका, जापान, कनाडा, आस्ट्रेलिया समेंत यूरोपीय संघ के विकसित देशों ने भी हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में विकसित व विकासशील देशों के 28 प्रतिनिधियो ने प्रतिभाग किया। यह सम्मेलन सी.आई.ई.सी. अर्थात (**Conference on International and Development**) के नाम से जाना गया। दुर्भाग्य से एक बार फिर यह बात सामने आयी कि अमीर और गरीब देशों के बीच हितों का टकराव इतना भयानक है कि नव अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना आसान नहीं है। दो वर्ष बाद वांछित प्रगति के अभाव में यह सम्मेलन भंग कर दिया गया, और 1979 के हवाना शिखर सम्मेलन में गुट-निरपेक्ष राज्य यह मॉग करने को फिर से विवश हुए कि उत्तर और दक्षिण के बीच आर्थिक विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिये संवाद को जारी रखना आवश्यक होगा।

1981 की केनकुन शिखर वार्ता में भी विकासशील तथा विकसित देशों के बीच विश्व अर्थव्यवस्था संबंधी वार्तालाप हुआ किन्तु यह वार्ता उत्तर-दक्षिण के संबंधों पर सर्वमान्य निर्णय तक पहुॅचने में असफल रही। इसी के एक साल बाद 1982 में नई दिल्ली, भारत में दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से बैठक की गयी। यह सम्मेलन सामुहिक आत्मनिर्भता के लिये सहयोग के महत्व को सर्वसम्मति से मान्यता देने की सहमति के साथ सम्पन्न हो गया। जुलाई 1985 में एक बार पुनः दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर देशों का सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया जिसमें फिर से सामुहिक आत्म निर्भरता पर कार्य करने का संकल्प दोहराया गया। 1987 में दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर गुट-निरपेक्ष देशों की बैठक हुयी। इसे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की ओर एक सकारात्मक व महत्वपूर्ण कदम माना गया। इसके बाद मार्च 1988 में दक्षिण-दक्षिण आयोग की बैठक कुआलालम्पुर में हुई। इसमें विकासशील देशों की आर्थिक समस्याओं से लड़ने के बहुमुखा रणनीति का निर्माण करने पर विचार हुआ। इसके कुछ समय बाद G15 की बैठक एक बार फिर 1990 में कआलालम्पुर में हुयी। G15 विकासशील देशों का एक समूह है। इसमें दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत बनाने के प्रयास किये गये। G15 की कारकास बैठक में यह कहा गया कि विकासशील देश भी अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में महान भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए तृतीय विश्व की एकता व सहयोग पर बल देना चाहिए। इसमें क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय व्यापार संगठन कार्यक्रमों को तृतीय विश्व के हितों में तकनीकी हस्तांतरण की निर्भरता प्राप्त हुयी। इसमें G-7 के साथ निरन्तर वार्तालाप को जारी रखने की वचनबद्धता को भी दोहराया गया। इसके बाद G15 का नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन हुआ। इसमें दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर बल दिया गया तथा संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतन्त्रीकरण करने की मांग का समर्थन किया गया। इसके बाद G15 के ब्यूनेस ऐरिस सम्मेलन में G7 के साथ सभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वार्तालाप शुरू करने की सिफारिश की गई। इसमें वर्तमान वैश्विकरण की प्रक्रिया को विकासशील देशों के हितों के विपरीत बताया गया। इसके बाद G15 की जमैका बैठक में विश्व आर्थिक व्यवस्था में विकासशील देशों को अधिक महत्व दिए जाने तथा इसमें संस्थागत सुधारों की मांग की गई। G15 के काहिरा (2000) सम्मेलन में भी असमान विश्व अर्थव्यवस्था पर विचार किया गया और WTO को अपने उत्तरदायित्वों को विकासशील देशों की समस्याओं के सन्दर्भ में निर्धारित करने का आह्वान किया। इस तरह G77, दक्षिण-दक्षिण सहयोग, G15

गुटनिरपेक्ष सम्मेलन आदि द्वारा नव अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग बार-बार उठाई जाती रही है। लेकिन विकसित राष्ट्रों का रूख अब तक नकारात्मक ही रहा है।

12.7 अभ्यास प्रश्न

1. IMF और IBRD की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किस कांफ्रेंस के माध्यम से आया?
   A. ब्रेटन वुड्स सम्मलेन **B.** जेनेवा सम्मेलन **C.** डरबन समीक्षा सम्मेलन
   D. फिलाडेल्फिया सम्मेलन
2. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वप्रथम कब नई अन्तराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की?

A. 1970 **B. 1971** **C. 1972** **D. 1974**

12.8 सारांश

आज यह बात याद रखना महत्वपूर्ण है कि तनाव शैथिल्य एक युग नहीं बल्कि एक कालबद्ध अन्तराल था। तनाव शैथिल्य की इस नीति ने विश्व की महाशक्तियों के बीच होने वाले तनावों व टकराओं को कम करने का प्रयास किया। विश्व में व्याप्त शीत युद्ध और नया शीत युद्ध जैसे गंभीर तनावों संतुलित करने के साथ-साथ दोनों महाशक्तियों में सह-अस्तित्व की भावना को बढ़ाने का प्रयास किया । इस इकाई में तनाव शैथिल्य के सभी पहलुओं को गंभीरता के साथ अध्ययन किया गया है। इससे सभी लाभार्थियों इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी।

12.9 शब्दावली

UNCTED- United Nation Conference on Trade and Development

SDR- Special Dreawing Rights

12.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1- A ; 2-D

12.11 संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध - तपन विस्वाल

2. अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध - डॉ0 एस.सी.सिंहल

3. अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध - डॉ0 पुष्पेश पंत एवं श्री पाल जैन

4. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति- डॉ0 वी.एन.खन्ना

5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन - अनीश भसीन

6. दो विश्व युद्धों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध- ई।एच।कार

7 .अंतर्राष्ट्रीय राजनीति - रूकमी बासु

12.12 सहायक/ उपयोगी पाठ्य सामग्री

1.अंतर्राष्ट्रीय संगठन - पुष्पेश पंत

2.समकालीन राजनीतिक मुद्दे- के।पी।सिंह

3.अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धान्तिक पक्ष- महेन्द्र कुमार

12.13 निबंधात्मक प्रश्न

1.नव अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर निबंध लिखिए|